और इस संशोधित कानून में तो पुराना अनुभव भी कुछ विशेष सहायता नही करता क्योकि यह जिस संशोधित एव परिवर्धित रूप मे हमारे सामने है वह इतना विकृत है कि उसे पहचानना ही मुश्किल है। यदि हम इसे विल्कुल ही एक नया कानून कहे तो कोई विशेष अत्युक्ति नही होगी क्योंकि जिन आधार भूत सिद्धान्तों पर पुराना कानून अवलम्बित था उन्हे नये कानून मे धता वता दी गई है और उनके स्थान पर विल्कुल नये विचित्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर जन साधारण को और भी घपले मे डाल दिया गया है।

जिस समय सन् १९३६ मे इन्कम टैक्स इन्कायरी कमेटी की स्थापना की घोषणा की गयी थी और सुना था कि यहाँ की इन्कम टैक्स प्रणाली को सुधारने के लिये इङ्गलैण्ड से दो विशेषज्ञ वुलाये जा रहे है, उस समय लोगों ने सोचा था कि अव कर-दाताओं के बुरे दिन लद गये और ठीक ढङ्ग से इन्कम टैक्स का संचालन होने से देश मे उद्योग-व्यवसाय की वृद्धि होगी और उद्योग व्यवसाय की वृद्धि होने से देश मे सुख समृद्धि की भी वृद्धि होगी। किन्तु इस कानून के नवीन रूप को देख कर सारी आशाओं पर पानी फिर गया और अव लोग समझने लगे कि इससे तो कही अच्छा पुराना कानून ही था। यद्यपि पुराना कानून भी इतना कडा था कि उसके दवाव से मध्यवित्त वाले वुरी तरह पिसे जा रहे थे, किन्तु सन्निपात के सामने तो मलेरिया वुखार ही प्रिय मालूम होता है। इस सम्वन्ध मे वही कहावत चरितार्थ होती है कि मागा भोजन और मिले पत्थर।

इनकायरी कमेटी ने जिस ढङ्ग से अपनी जाच शुरू की, उस से लोगों को यह आशा वन्ध गयी थी कि जिस प्रकार इङ्गलैण्ड मे कर-दाताओं को उनके व्यक्तिगत खर्च एवं आश्रितों के लिये अलाउन्स मिलता है, उसी प्रकार यहा भी मिलेगा तथा टैक्स निर्धारित करने के लिये श्रेणी को छोड व्यक्ति ही उसका आधार मान लिया जायेगा

जिससे मध्यम वर्ग के लोगों पर टैक्स का दबाव काफी कम हो जायेगा। यद्यपि नये कानून मे दोनों सिद्धान्तों को दबी जबान से स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु उनके अनुसार कार्य करने मे इतनी कजूसी से काम लिया गया है कि उन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लेने पर भी लोगों को वास्तविक लाभ नहीं मिलता। नहीं तो कोई कारण नही था कि चाहे हमपर हमारे आश्रितों का बोझ कितना ही अधिक क्यों न हो, लेकिन हमें अपनी आय मे से १,५००) से अधिक बाद नहीं मिल सकता। होना तो यह चाहिये था कि इङ्गलैण्ड की तरह यहा भी प्रत्येक आश्रित के लिये अलाउन्स की एक रकम निश्चित कर दी जाती, जो उनकी संख्या के अनुसार करदाताओं की आय में से बाद दे दी जाती, क्योंकि निश्चय ही वह व्यक्ति जिसके पाच आश्रित है और जिन के भरणपोषण एवं शिक्षण का भार उस पर है, उस व्यक्ति से, जो अकेला है या जिसके केवल दो आश्रित हैं, कही कम टैक्स देने की क्षमता रखता है और कोई कारण नही है कि उस व्यक्ति से भी पिछले व्यक्ति के समान ही टैक्स लिया जाये। लेकिन यहा तो सभी धान बाईस पसेरी कर दिये गये हैं। फिर जिसकी जैसी तकदीर। हमारी समझ मे यदि गवर्नमेंट कुछ और अधिक उदार दृष्टि से काम लेती, तो वर्त्तमान मे हमारे सामने जो बहुत सी नयी कठिनाइया खडी हो गयी हैं, वे नहीं होतीं और देश को इन्कम टैक्स से जो आय होती है, वह भी कम नहीं होती।

नये कानून में चारों ओर से एक ही ध्वनि निकलती है, टैक्स, अधिक टैक्स और अधिक टैक्स। लेकिन वर्त्तमान उद्योग-व्यवसायों तथा धधों मे इस अधिक टैक्स के बोझ को सभालने की योग्यता एवं क्षमता है या नहीं, इस पहलू पर तनिक भी दृष्टि नहीं डाली गयी, नहीं तो कानून मे जगह-जगह इतनी कड़ाई करने पर भी टैक्स एवं सुपर टैक्स की दर इतनी अधिक नही की जाती। गवर्नमेंट शायद इस

छोटे से सिद्धान्त को बिल्कुल ही भूल गया कि किसी देश का आय-कर बढ़ाने के लिये पहले वहां के लोगों की आय बढ़ाने की आवश्य-कता है। केवल आयकर की दर बढ़ा देने एवं कानून के सचालन में कडाई करने से ही कर की आमदनी नहीं बढ़ जायेगी। उदाहरण के लिये वर्तमान चीनी के व्यवसाय को ही ले लीजिये। आज केवल इसी व्यवसाय से गवर्नमेंट को आधे करोड़ से अधिक की इन्कम टैक्स की आय होती है। यदि इस व्यवसाय को संरक्षण न देकर केवल इस-पर टैक्स की दर बढा दी जाती, तो क्या यह कभी सम्भव था कि इससे इतनी अधिक आय मिलती। टैक्स बढ़ाने के पहले टैक्स देने वालों की योग्यता को बढाना जरूरी है।

किन्तु यहा तो जैसे हो तुरत ही अधिक टैक्स मिलना चाहिये इस लिए जिस समय इन्कम टैक्स एक्ट मे सशोधन करने के लिये असे-म्बली मे बिल पेश हुआ उस समय और उसके पहले से भी गवर्नमेंट के द्वारा इस बात का जोरों से प्रचार किया गया कि गवर्नमेंट इस कानून मे केवल ऐसे संशोधन ही करना चाहती है जिससे उन लोगों पर कर का बोझ अधिक पड़े जो धनी वर्ग कहलाता है, गरीब तथा मध्यवित्त लोगो पर कम। इस प्रचार को एक नैतिक सिद्धान्त का रूप दे दिया गया, जिसकी सत्यता और औचित्य के सम्बन्ध मे किसे शक हो सकता था। नतीजा यह हुआ कि गणतन्त्र की समर्थक होने के कारण काग्रेस पार्टी भी इसके चकमे मे आ गयी और सिद्धान्त रूप से उसे इस बिल का समर्थन कर गवर्नमेंट का साथ देना पड़ा, हाला कि देश ने एक स्वर से इसका विरोध किया था। उस समय यह बात तो निश्चित ही थी कि यदि कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट का पूरा साथ न देती तो गवर्नमेंट के लिए इस बिल को पास करना टेढ़ी खीर होती। दूसरा प्रचार जो गवर्नमेंट द्वारा किया गया वह यह था कि केन्द्र मे इन्कम टैक्स से एक निश्चित रकम से अधिक आय होने से वह

प्रान्तों मे वांट दी जायेगी जिसे प्रान्तीय सरकारे रचनात्मक कार्यों मे खर्च कर सकेगी। आठ प्रान्तों मे कांग्रेसी सरकार होने की वजह से कहना नहीं पड़ेगा कि, असेम्बली की कांग्रेस पार्टी पर इस बात का भी काफी असर पड़ा।

उपर्युक्त दोनो बातें ऐसी थीं जिससे इस बिल को कानून का रूप मिलने मे बड़ी सहायता मिली। और इसका सारा श्रेय मि० चैम्बर्स को है जो खास कर इसी काम के लिये विलायत से बुलाये गये थे। इसके पहले भी कई बार इन्कम टैक्स कानून मे आमूल परिवर्तन करने के लिये जनता एवं गवर्नमेंट दोनों की ओर से, यद्यपि विभिन्न दृष्टिकोणों से, चेष्टा की गयी थी किन्तु दोनों के दृष्टिकोण मे इतना अन्तर था कि कभी सफलता नहीं मिली। लोग चाहते थे कि कम से कम टैक्स देना और गवर्नमेंट चाहती थी वेशी से वेशी लेना। दोनो मिले तो कैसे और एक ही कानून से दोनों का समाधान भी किया जाय तो कैसे। अब भी वह अन्तर तो है ही लेकिन मि० चैम्बर्स की बुद्धिमानी का ही फल था कि उपर्युक्त सिद्धान्तों का प्रचार कर एव धनीवर्ग को जनता की सहानुभूति के दायरे से अलग निकाल कर इस अन्तर को कम कर सके तथा जनता की प्रतिनिधि सत्तात्मक संस्था व असेम्बली से इस बिल को पास करा सके।

गरीबों पर कम और अमीरो पर वेशी टैक्स लगे। इस सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप देने के लिये नये कानून मे टैक्स लगाने के लिये एक नये ढंग का आविष्कार किया गया है जिसे स्लैब सिस्टम कहते हैं। पहले जिस आधार पर टैक्स लगता था उसे स्टेप सिस्टम कहते हैं। पुराने कानून मे एक निश्चित आय से अधिक आय होने पर सारी आय पर एक निश्चित दर में टैक्स लगता था। जैसे यदि आपको आमदनी २,१००) हुई तो इस समूची रकम पर ६ पाई रुपये के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता। यदि आपकी आय ५,२००) हुई तो पूरी

छोटे से सिद्धान्त को बिल्कुल ही भूल गया कि किसी देश का आय-कर बढ़ाने के लिये पहले वहां के लोगों की आय बढ़ाने की आवश्य-कता है। केवल आयकर की दर बढा देने एवं कानून के सचालन मे कड़ाई करने से ही कर की आमदनी नहीं बढ़ जायेगी। उदाहरण के लिये वर्तमान चीनी के व्यवसाय को ही ले लीजिये। आज केवल इसी व्यवसाय से गवर्नमेंट को आधे करोड़ से अधिक की इन्कम टैक्स की आय होती है। यदि इस व्यवसाय को सरक्षण न देकर केवल इस-पर टैक्स की दर बढा दी जाती, तो क्या यह कभी सम्भव था कि इससे इतनी अधिक आय मिलती। टैक्स बढ़ाने के पहले टैक्स देने वालों की योग्यता को बढाना जरूरी है।

किन्तु यहा तो जैसे हो तुरत ही अधिक टैक्स मिलना चाहिये इस लिए जिस समय इन्कम टैक्स एक्ट मे सशोधन करने के लिये असे-म्बली मे बिल पेश हुआ उस समय और उसके पहले से भी गवर्नमेंट के द्वारा इस बात का जोरों से प्रचार किया गया कि गवर्नमेंट इस कानून मे केवल ऐसे संशोधन ही करना चाहती है जिससे उन लोगों पर कर का बोझ अधिक पड़े जो धनी वर्ग कहलाता है, गरीब तथा मध्यवित्त लोगों पर कम। इस प्रचार को एक नैतिक सिद्धान्त का रूप दे दिया गया, जिसकी सत्यता और औचित्य के सम्बन्ध मे किसे शक हो सकता था। नतीजा यह हुआ कि गणतन्त्र की समर्थक होने के कारण काग्रेस पार्टी भी इसके चकमे मे आ गयी और सिद्धान्त रूप से उसे इस बिल का समर्थन कर गवर्नमेंट का साथ देना पडा, हालां कि देश ने एक स्वर से इसका विरोध किया था। उस समय यह बात तो निश्चित ही थी कि यदि कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट का पूरा साथ न देती तो गवर्नमेंट के लिए इस बिल को पास करना टेढी खीर होती। दूसरा प्रचार जो गवर्नमेंट द्वारा किया गया वह यह था कि केन्द्र मे इन्कम टैक्स से एक निश्चित रकम से अधिक आय होने से वह

प्रान्तों में बाट दी जायेगी जिसे प्रान्तीय सरकारें रचनात्मक कार्यों मे खर्च कर सकेगी। आठ प्रान्तों मे कांग्रेसी सरकार होने की वजह से कहना नहीं पड़ेगा कि, असेम्बली की काग्रेस पार्टी पर इस बात का भी काफी असर पड़ा।

उपर्युक्त दोनों बातें ऐसी थीं जिससे इस बिल को कानून का रूप मिलने में बड़ी सहायता मिली। और इसका सारा श्रेय मि० चैम्बर्स को है जो खास कर इसी काम के लिये विलायत से बुलाये गये थे। इसके पहले भी कई बार इन्कम टैक्स कानून मे आमूल परिवर्तन करने के लिये जनता एव गवर्नमेंट दोनों की ओर से, यद्यपि विभिन्न दृष्टिकोणों से, चेष्टा की गयी थी किन्तु दोनों के दृष्टिकोण मे इतना अन्तर था कि कभी सफलता नहीं मिली। लोग चाहते थे कि कम से कम टैक्स देना और गवर्नमेंट चाहती थी बेशी से बेशी लेना। दोनों मिलें तो कैसे और एक ही कानून से दोनों का समाधान भी किया जाय तो कैसे। अब भी वह अन्तर तो है ही लेकिन मि० चैम्बर्स की बुद्धिमानी का ही फल था कि उपर्युक्त सिद्धान्तों का प्रचार कर एव धनीवर्ग को जनता की सहानुभूति के दायरे से अलग निकाल कर इस अन्तर को कम कर सके तथा जनता की प्रतिनिधि सत्तात्मक सस्था व असेम्बली से इस बिल को पास करा सके।

गरीबों पर कम और अमीरो पर बेशी टैक्स लगे। इस सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप देने के लिये नये कानून में टैक्स लगाने के लिये एक नये ढग का आविष्कार किया गया है जिसे स्लैब सिस्टम कहते हैं। पहले जिस आधार पर टैक्स लगता था उसे स्टेप सिस्टम कहते हैं। पुराने कानून मे एक निश्चित आय से अधिक आय होने पर सारी आय पर एक निश्चित दर मे टैक्स लगता था। जैसे यदि आपकी आमदनी २,१००) हुई तो इस समूची रकम पर ६ पाई रुपये के हिसाब से आपको टैक्स देना पडता। यदि आपकी आय ५,५००) हुई तो पूरी

रकम पर ६ पाई के हिसाब से। किन्तु अब स्लैब सिस्टम में यदि आपकी आय २,१००) है तो १,५००) न देकर केवल ६००) पर आपको ६ पाई के हिसाब से टैक्स देना होगा। यदि आपकी आय ५,५००) हुई तो १,५००) बाद देकर ३,५००) पर ६ पाई के हिसाब से यथा बाकी ५००) पर १५ पाई के हिसाब से टैक्स देना होगा, तथा इसी प्रकार ऊँची आय के लिए।

यों तो इस नये विधान मे प्रत्येक प्रकार के करदाता के साथ अन्याय ही हुआ है लेकिन जितना अन्याय हिन्दू संयुक्त परिवार के साथ हुआ है उतना और किसी के साथ नहीं। हमारी प्राचीन सयुक्त पारिवारिक प्रथा को छिन्न-भिन्न करने के लिये और कितने ही सामाजिक कारण तो पैदा हो ही रहे थे, लेकिन उन सब को बर्दाश्त करते हुए भी किसी प्रकार अबतक हमारा संयुक्त परिवार चलता जा रहा था। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अब और किसी कारण से नहीं केवल इन्कम टैक्स के लिये ही हमे इस संयुक्त परिवार प्रथा को विदा करना पडेगा। यह कितना बडा अन्याय है कि यदि चार साझीदार मिल कर किसी काम को करें तो उन पर तो अलग-अलग टैक्स लगे लेकिन वही काम अगर हम चार भाई मिल कर करते ह तो उन पर केवल रक्त का सम्बन्ध एवं हिन्दू होने के नाते एक साथ टैक्स लगे। यह न्याय के किसी भी सिद्धान्त के अनुसार उचित नही कहा जा सकता। खास कर उस अवस्था मे जब कि पुराने कानून मे हिन्दू सयुक्त परिवार के लिये सुपर टैक्स की सीमा ७५,००० तक स्थिर करने मे इस सिद्धान्त को मान लिया गया था कि उस पर टैक्स का बोझ जहाँ तक हो सके उसके सदस्यों की सख्या के अनुपात से ही पडे। जनता की यह माग बहुत दिनों से थी कि सयुक्त परिवार पर टैक्स लगाने के लिये उसे परिवार के बालिग सदस्यों का एक साझीदार फर्म मान लिया जाय और हरएक सदस्य पर

अलग-अलग टैक्स लगाया जाय। यह कोई कारण नही कि वही भाई जब अलग होकर फिर एक साथ काम करते हैं तो उन पर तो अलग टैक्स लगे लेकिन यदि अपनी प्राचीन सस्कृति को कायम रखने के लिये वे एक साथ रह कर काम करते हैं तो उन पर एक साथ टैक्स लगे। इन्कम टैक्स जाच कमेटी ने भी जनता की इस माग के औचित्य को महसूस किया था और इसीलिये उसने सिफारिश की थी कि जबतक भारत सरकार के खजाने की अवस्था ठीक न हो जाय, प्रत्येक हिन्दू परिवार को कम-से-कम दो हिस्सों मे बाट कर उन पर एक हिस्से पर लागू होनेवाली दर से ही टैक्स लगाया जाय लेकिन भारत सरकार ने जनता की माग के साथ अपने द्वारा नियुक्त कमेटी की सिफारिश को भी ठुकरा दिया और सुपर टैक्स से ७५,००० तक मुक्ति के रूप मे जो थोड़ी बहुत रियायत थी उसे भी छीन लिया। तुर्रा यह है कि इस माग को मंजूर न करने मे दलील यह दी गयी है कि हिन्दू संयुक्त परिवार से यदि उसके सदस्यों की संख्या के अनुपात से टैक्स लिया जाय तो सरकार को उससे जो घाटा होगा वह कैसे पूरा किया जायेगा। कैसी भद्दी दलील है। इसका तो एक सीधा एव बहुत छोटा-सा ही जवाब था कि टैक्स की दर हरएक व्यक्ति के लिये एक या आधी पाई और बढ़ा दी जाय। जब राष्ट्र को रुपये की आवश्यकता है तो योग्यतानुसार प्रत्येक व्यक्ति पर उस बोझ का बोझ क्यो न पडे, केवल उन हिन्दुओं पर ही उस बोझ के दवाव को बनाये रखना, जो उसे बर्दाश्त करने मे सर्वथा असमर्थ हैं, कैसे उचित कहा जा सकता है? मैं तो समझता हूँ कि यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिस पर प्रचण्ड आन्दोलन होना चाहिये, सफलता तो निश्चित ही है क्योकि गवर्नमेंट खुद ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। उसके द्वारा नियुक्त जाच कमेटी ने इसके लिये सिफारिश की है। फिर सब से बडी बात तो यह है कि न्याय हमारे साथ है। किन्तु यह आन्दोलन तब तक

सफल नहीं हो सकता जब तक फेडरेशन ऑफ चेम्बर्स सरीखी संस्थाएँ इसमे न पड़ें। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक तो हमें टैक्स बचाने के लिये प्रत्येक संयुक्त परिवार के सदस्यों को कानूनी ढंग से अलग-अलग कर फिर उन्हीं सदस्यों को मिला साझेदारी मे काम करना चाहिये। लेकिन हमारी संस्कृति का तकाजा है कि हम संयुक्त-परिवार-प्रणाली को कायम रखते हुए टैक्स बचाने की चेष्टा करें। केवल इन्कम टैक्स के लिये ही आज हमे शताब्दियों की पुरानी प्रथा से विदाई लेनी पडे इससे दुःख और लज्जा की बात और क्या हो सकती है। लेकिन आज के आधुनिक हिन्दू परिवार मे वह सामर्थ्य नहीं कि प्रत्येक वर्ष जिजिया सरीखे इस टैक्स को अपनी प्राचीन संस्कृति की रक्षा के लिये देगा।

गरीबों पर कम और अमीरों पर बेशी टैक्स लगे इस सिद्धान्त का भी जिस भ्रमात्मक ढग से गवर्नमेंट द्वारा प्रचार किया गया है, वह कम खेदजनक नहीं है। यदि किसी समय किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ऐसे भ्रमपूर्ण नारों को बुलन्द कर हम मजदूर पार्टी सरीखी किसी खास पार्टी के प्रति जनता की क्षणिक सहानुभूति प्राप्त करने की चेष्टा करें तो वह चेष्टा अक्षम्य नहीं कही जा सकती, लेकिन इन्कम टैक्स सरीखे स्थायी कानून को बनाने मे जब ब्रुटिश गवर्नमेंट सरीखी अपने को सभ्य कहनेवाली सरकार उसका उपयोग करती है और उसके द्वारा लोगों को धोखे मे रख अपना उल्लू सीधा करना चाहती है तो अफसोस हुए बिना नहीं रहता।

अब यदि हम जरा गम्भीरतापूर्वक इस सिद्धान्त की मीमांसा करें तो हमे इसके खोखलेपन का पता सहज ही मे लग जायगा। हमें याद रखना चाहिये कि हम उस कानून के सम्बन्ध मे विचार कर रहे हैं जिसके द्वारा साल दर साल आय पर कर लगता है न कि पूंजी पर। अब हम कहें कि अमीरों पर बेशी टैक्स लगना चाहिये

तो उसका कदापि यह अर्थ नहीं होता कि उन अमीरों से, चाहे उन्हे आय हो या न हो, उनकी पूजी के मुताविक टैक्स वसूल करना चाहिये। टैक्स तो आप उनसे उसी हालत में ले सकते हैं जब वे अपनी पूजी किसी कारवार में लगा कर उससे लाभ उठाये। यदि ऐसी परिस्थिति हो कि उन्हे कुछ आय ही न होती हो तो वावजूद उनके अमीरपने के आप उनसे इन्कम टैक्स का एक पैसा भी वसूल नहीं कर सकते, अर्थात् कोई भी अमीर आदमी अपनी पूजी में से इन्कम टैक्स नहीं दे सकता। इसलिये टैक्स आप उस आदमी पर नहीं लगा रहे है जो अमीर है वल्कि टैक्स उस कारवार पर लगा रहे है जिससे उसे आमदनी होती है। यदि आपको टैक्स की दर इतनी ऊंची है कि उसे वह कारवार वर्दाश्त ही नहीं कर सकता तो झख मारकर वह कारवार उसे वन्द कर देना पड़ेगा। क्योंकि आखिर टैक्स भी तो और खर्चों की तरह एक खर्च ही है जिसे उस कारवार की लाभ हानि जोड़ने में आपको गिनना पड़ता है। अव जरा सोचिये कि यदि आप हिन्दुस्तान मे और एक जापानी जापान में कोई एक चीज वनाने का कारखाना खड़ा कर रहा है और यह जानी हुई वात है कि जापान मे सव मदों में खर्च कुछ न कुछ हिन्दुस्तान से कम पडता है फिर यहा का इन्कम टैक्स भी इतना अधिक हो तो यह निश्चित ही है कि जापानी चीज यहा सस्ती पडेगी और उसके मुकाविले मे आप खड़े नहीं हो सकेंगे। क्योंकि हमे इस वात को नही भूल जाना चाहिये कि आज ससार में दूरी जैसी कोई चीज नहीं है, अमेरिका मे वैठा हुआ आपका प्रतिद्वन्दी सफलता पूर्वक आपसे कम्पीटिशन कर सकता है वशर्ते कि परिस्थितिया उसके अनुकूल हों और उसकी गवर्नमेंट उसके साथ हो। ऐसी अवस्था में विदेशियों के मुकाविले में आप टिक नहीं सकते, न कोई आप वड़ा कारवार ही खड़ा कर सकते हैं जिसमे वड़ी पूजी की दरकार हो। फिर जव तक अच्छा मुनाफा न हो क्यों

कोई अमीर आदमी किसी कारवार में अपनी पूजी फंसायेगा तथा क्यों वह इतनी वड़ी झोकी ही लेगा, क्योंकि ज्योंही उसे अधिक आय की नौवत आयेगी त्योंही वह इन्कम टैक्स के सेफ्टी वेल्व की मार्फत निकल जायेगी। फिर गुनाह वे लज्जत क्यों? उदाहरण के लिये समझिये—आपने एक मोटर वनाने का कारखाना खोला और उसमे आपने ५० लाख की पूजी लगाकर दस लाख रुपया साल आय की। अव १० लाख मे यदि प्राय: सवा पाच लाख आपको इन्कम टैक्स देना पडे तो शायद आप अपनी इतनी वड़ी रकम फंसाने के पहले दो वार विचार करेगे और शायद उस कारवार को ही न करें। यदि भूल भटक से आपने उसको कर भी लिया तो दो एक वर्प के वाद ही आपको उसे वन्द कर देना पडेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम देश मे कोई वडा उद्योग-धन्धा ही खड़ा नहीं कर सकते है और उसके लिये हमे विदेशियों का मुह ही ताकना पड़ेगा तथा अपनी पसीने की कमाई के पैसे विदेशियों को दे देने पडेंगे। नतीजा यह हुआ कि अमीरों से टैक्स लेना तो दूर रहा, हम उलटे गरीवों का पैसा ऐसी जगह भिजवाने की व्यवस्था कर रहे है जहा से उन्हे कुछ वापस मिलने की उम्मेद नहीं। फिर हमे यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हम उद्योग व्यवसाय मे विदेशियों से वहुत पिछड़े हुए है। उचित तो यह है कि सरकार हमे प्रधान-प्रधान व्यवसायों के लिये इन्कम टैक्स कम कर या माफ कर और आर्थिक सहायता दे जिससे विदेशियों से मुकावला किया जा सके। किन्तु यहां तो विलकुल ही उल्टी वात है। सहायता तो दर किनारे, इन्कम टैक्स कानून ही ऐसा वनाया गया है जिससे हम कोई वडा व्यवसाय नहीं कर सकते और उस कानून से, जिसके वनाने मे एक विदेशी शासन का हाथ हो, इससे अधिक की हम आशा ही क्या कर सकते है?

ऐसी अवस्था मे जो कानून हमारे लिये वनाया गया है वह एक

नायाब तोहफा है जिससे दो तीन वर्षो के बाद ही गवर्नमेंट अपनी आमदनी में कम से कम दस करोड़ रुपया सालाना अधिक हो जाने की आशा करती है। चाहे करदाताओं की आमदनी बढ़े या घटे। इसी लोभ के वश होकर गवर्नमेंट ने उन सभी सिद्धान्तों को जो नैतिकता और आर्थिक दृष्टि से किसी भी कानून को बनाते समय ख्याल में रखे जाते हैं, एक प्रकार से तिलाञ्जलि ही दे दी है। भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है कि तीन वर्ष के बाद लेन देन मे तमादी कानून लागू हो जाता है और ऐसी हालत में तीन वर्ष से अधिक के बही खातों एव कागज पत्रों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नैतिकता का तकाजा था कि इन्कम टैक्स कानून मे भी तमादी सम्बन्धी धाराएँ भारतीय तमादी कानून के मुताबिक ही बनायी जातीं जिससे कोई भी इन्कम टैक्स ऑफिसर यदि किसी का टैक्स छूट गया हो तो उससे तीन वर्ष से अधिक का टैक्स नहीं ले सकता। किन्तु ऐसा न कर इस नये कानून मे जो व्यवस्था की गयी है उसके मुताबिक यदि किसी से टैक्स लेना छूट गया है या उससे कम टैक्स वसूल किया गया हो तो आठ वर्ष तक उससे पूरा टैक्स वसूल किया जा सकेगा। हा जो लोग ईमानदार है उनसे चार वर्ष से अधिक का टैक्स नहीं लिया जायगा। लेकिन यह विधान तो कहानी के बंध्या पुत्र के समान है जिसका कभी उपयोग हो ही नहीं सकता।

इस कानून मे ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे जिनमे अन्य कानूनों के सिद्धान्तों के विरुद्ध नये और बेतरतीब सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। ऐसी अवस्था मे प्रत्येक व्यापारी का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस विषय की कुछ-न-कुछ जानकारी अवश्य रखे क्योंकि इन्कम टैक्स कानून ही एक ऐसा कानून है जिसके साथ उसका चोली और दामन का सम्बन्ध है। किन्तु जिन हमारे व्यापारियों को अंगरेजी का ज्ञान नहीं है उनके

लिये इस विषय की जानकारी प्राप्त करना एक प्रकार से असम्भव ही था। ऐसी अवस्था में श्रीयुत् रामपुरियाजी ने हिन्दी में इस कानून को लिख कर हिन्दी भाषा एवं हिन्दी भाषा-भाषी व्यापारियों की जो सेवा की है वह अकथनीय है। आशा है हमारा व्यापारी समाज रामपुरियाजी के इस प्रयत्न से अधिक-से-अधिक लाभ उठावेगा।

इन्कम टैक्स बार एसोसियेशन
कलकत्ता,
२५-७-३६

वेणीशंकर शर्मा
(बी० एल०)

भूमिका

(१) इन्कम टैक्स का संक्षिप्त इतिहास

इन्कम टैक्स का अर्थ है वह कर जो आमदनी पर ली जाय। यह टैक्स डाइरेक्ट टैक्स है। बहुत-सी टैक्स ऐसी हैं जो किसी न किसी द्वारा ली जाती हैं परन्तु चीज की खपत करनेवाले को उसका आभास नहीं होता यद्यपि उसका बोझा तो उस पर पड़ता ही है। उदाहरण स्वरूप दियासलाई पर जो ड्यूटी (Excise duty) ली जाती है वह अप्रत्यक्ष कर है। दियासलाई तैयार करनेवाले को वह देनी पडती है। दियासलाई खरीदने वाले को सीधे सरकार को नहीं देनी पडती यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से वह दियासलाई तैयार करनेवाले के द्वारा दाम बढ़ा कर उससे अदा कर ली जाती है। इन्कम टैक्स ऐसी टैक्स नहीं है, वह प्रत्यक्ष (Direct) रूप से अदा की जाती है अर्थात् एसेसी को अपनी आमदनी पर उसे देना पड़ता है—इसका बोझा उसी पर है—वह दूसरे से यह टैक्स अदा नहीं कर सकता। भारत मे बृटिश शासन के पहले ऐसी टैक्सें थीं परन्तु प्रायः वे सब बृटिश शासन के शुरु होने के बाद उठा दी गईं। सिपाही गदर मे जो खर्च हुआ उसको पूरा करने के लिए फिर ऐसी टैक्सों को कायम करना जरूरी हो पड़ा। सबसे पहले सन् १८६० ई० मे एक्ट न० ३२ सन् १८६० ई० के द्वारा भारतवर्ष में इन्कम टैक्स लगाया गया। फिर सन् १८६१ ई० मे एक्ट २१, और सन् १८६२ ई० में एक्ट २६ पास हुआ। इसके बाद प्राय. १० वर्षों तक इन्कम टैक्स लेना फिर उठा दिया। बाद मे सन् १८७७

में इन्कम टक्स फिर लगाया गया। सर्व प्रथम समूचे भारतवर्ष के लिए एक ही इन्कम टैक्स कानून सन् १८८६ मे बनाया गया था।

यह एक्ट सन् १९१६ ई० तक जारी रहा। सन् १९१५ ई० की बड़ी लड़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को अधिक रुपयों की आवश्यकता पड़ी। रुपये आने का और कोई उपाय न था। इन्कम टैक्स कानून मे रद्दोबदल करने की ओर दृष्टि दौड़ी जिससे कि वैसी टैक्स आ सके। सन् १९१७ ई० में इन्कम टैक्स कानून में सुधार किया गया। प्रत्येक शख्स को जिसकी आमदनी २०००) से अधिक हो उसके लिए रिटर्न भरना जरूरी हो गया। बाद मे फिर परिवर्तनों की आवश्यकता हुई और इन्कम टैक्स एक्ट ७, सन् १९१८ ई० का पास हुआ। इसकी कमियों को दूर करने के लिए सन् १९२२ ई० का एक्ट ११ पास किया गया।

इस एक्ट मे भी समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। इसमे प्रायः २० बार परिवर्तन किए गये होंगे। सन् १९३७ ई० में जो परिवर्तन किया गया उसके अनुसार नाबालिग बच्चे या स्त्री को यदि वे उस फर्म मे साझेदार हों जिसमे कि पति या पिता साझेदार है तो उनकी आय को पिता की या पति की आय के साथ जोड़ कर टैक्स लिया जाने लगा।

(२) सन् १९३९ ई० के एक्ट ७ द्वारा हुए सुधार

सन् १९३९ ई० के संशोधन एक्ट द्वारा इन्कम टैक्स कानून मे बड़े गहरे परिवर्तन किए गए है। कहा जाय तो प्रायः समूचे कानून को नया रूप दे दिया गया है। कई परिवर्तन सरकार की आय की दृष्टि से बड़े महत्त्व के है। एसेसी की भलाई के लिए तो वे बनाए ही नहीं गये है। सरकार की आमदनी मे जैसे-तैसे वृद्धि करना ही, जो परिवर्तन या सुधार किए गये हैं, उनका खास लक्ष है। एसेसी पर कई प्रकार की कठिनाइयां डाल दी गई हैं। उसके सामने बहुत-सी

उलझन खड़ी कर दी गई है। दण्ड और जुर्माने के भयानक विधान बना दिए गये हैं। इन सब का पूरा खुलासा पुस्तक के भीतर है। यहाँ पर पाठकों की जानकारी के लिए हम परिवर्तनों की सक्षेप मे सूची मात्र दे देते हैं। मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित किए गये है:—

(१) टैक्स स्लैव सिस्टम के अनुसार लगाया जायगा। इसका खुलासा इस प्रकार है :—

आगे टैक्स योग्य कुल आय पर एक ही दर से टैक्स लिया जाता था परन्तु अब कुल आय के टुकड़े कर प्रत्येक पर उत्तरोत्तर चढ़ते हुए दर से टैक्स लगाई जायगी। उदाहरण स्वरूप पुराने एक्ट के अनुसार कुल आय रु० ५,०००) होती तो इन समूचे रुपयों पर)॥ के हिसाव से टेक्स लिया जाता था अगर आय १०,०००) होती तो -) आने के हिसाव से समूची आय पर टैक्स लिया जाता था परन्तु अब आय के टुकड़े किए जायंगे और टैक्स प्रत्येक टुकड़े पर अलग-अलग कसी जायगी। उदाहरण स्वरूप रु० १०,०००) की आय पर टैक्स इस प्रकार होगी :—

आय	दर प्रति रुपया	टैक्स
१,५००)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
३,५००)	६ पाई	१६४-)
५,०००)	१ आ० ३ पा०	३९०॥=)
१०,०००)		५५४॥≡)

आगे २,०००) या उससे ऊपर आमदनी होने पर टैक्स लगती थी अब २,०००) से ऊपर आय होने पर ही टैक्स लगेगी।

आगे जितनी टैक्स होती थी उसमे उसका वारहवां हिस्सा सरचार्ज के रूप में और जोड़ दिया जाता था, अब सरचार्ज नहीं लगेगा।

टैक्स किसी भी हालत मे उस रकम के आधे से अधिक नहीं होगी जो कि कुल आय मे से २,०००) वाद देने पर रहेगी। उदाहरण

स्वरूप नई पद्धति के अनुसार २,०२४) पर टैक्स के २४॥-) होंगे परन्तु चूंकि टैक्स, आमदनी के जितने रुपये २,०००) से अधिक होंगे उनके, आधे से अधिक नहीं हो सकती इसलिए टैक्स १२) ही ली जायगी। यहां पर कुल आय २,०२४) रुपये है अर्थात आय २,०००) से २४) रुपया अधिक है अतः टैक्स १२) ही ली जायगी।

टैक्स मे इस नई पद्धति के अनुसार जो फर्क पड़ेगा वह नीचे लिखे हुए आकडों से मालूम की जा सकेगी :

आय	पुराने रेट से टैक्स	नई पद्धति से टैक्स
२,०००)	१)	.. ..
२,१५०)	७३)	३०)
२,५००)	८५)	४७)
२,७००)	९१)	५६)
३,०००)	१०२)	७०)
३,२५०)	११०)	८२)
३,५००)	१२७)	१०६)
८,०००)	४०६)	३९८)
९,०००)	४५७)	४७७)
१०,०००)	५०९)	५५५)
१०,६००)	५१८)	६३०)
२५,०००)	२,६८०)	२,७४२)

उपरोक्त चार्ट के अनुसार कहा जा सकता है कि जिस शख्स की आय ८,०००) तक होगी उसको हमेशा पहले से कम टैक्स देना होगा। ८,०००) से २५,०००) तक के बीच की आय पर कहीं कम और कही बेसी टैक्स लगेगा। उदाहरण स्वरूप ९०००) पर अधिक और १०,६००) पर कम टैक्स लगेगा। २,५०००) रुपये से ऊपर आय पर हमेशा अधिक टैक्स लगेगा।

(२) पहले बृटिश भारत मे जो आमदनी होती उस पर

तथा बृटिश भारत के वाहर हुआ जो नफा बृटिश भारत मे लाया जाता उस पर ही टैक्स लगाया जाता था परन्तु अव रेजिडेण्ट की विदेशी आमदनी पर भी टैक्स लगाया जायगा चाहे आमदनी भारतवर्ष मे लायी जाय या नहीं। इसका पूरा खुलासा पुस्तक में यथास्थान दे दिया गया है। देखिए पृ०—१२-१७

(३) प्रत्येक शख्स को रिटर्न भरना होगा। पहले ऐसा था कि इन्कम टैक्स ऑफिसर की तरफ से रिटर्न न भेजने पर एसेसी चुपचाप बैठ सकता था। रिटर्न भरने की उसकी जिम्मेवारी उसी हालत में थी जब कि वह उसके पास भेजी जाती। परन्तु अव वैसा नहीं रहा। आपकी आमदनी यदि एक खास सीमा के ऊपर होगी तो आपको इन्कम टैक्स ऑफिसर से रिटर्न लाकर उसे भर कर पेश करना होगा। इन्कम टैक्स ऑफिसर पर यह जिम्मेवारी नही रही कि वह आपको रिटर्न भेजे। वह केवल समाचार-पत्रों या अन्य सूचनाओं द्वारा किस तारीख तक रिटर्न भरना होगा इसकी सूचना दे देगा। इसके वाद यदि आप समय पर रिटर्न पेश नहीं करेगे तो आप पर जुर्माने की नौवत आयगी। आप पर दण्ड हो सकेगा। दण्ड भी मामूली नहीं ऊपर मे टैक्स की रकम से १॥ गुणा तक किया जा सकेगा। इसके विस्तार के लिए देखिए: पृ०—६४ तथा ८१-८२

(४) घिसाई मूल कीमत पर नहीं परन्तु पहले वाद दी हुई घिसाई की रकमों को घटा देने के वाद मूल कीमत की जो रकम वचेगी उसके आधार पर कसी जायगी। इसके सम्वन्ध में विशेप खुलासा के लिए देखिए पृ० ३४-३६

(५) डिविडेण्ड की परिभापा में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। शेयर होल्डरों को सुपर टैक्स की लाग से वचाने का सवसे सुगम तरीका यह प्रचलित है कि नफे को, उनमे वोनस शेयर, वोनस डिवेंचर आदि के रूप मे वॉट देना। पुराने कानून के अनुसार पूँजी के रूप मे नफे को इस प्रकार पाने से उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता था। इस प्रकार

प्राप्त हुआ नफा पूँजी की प्राप्ति (Capital receipt) समझी जाती थी, जिस पर टैक्स न था परन्तु डिविडेन्ड की परिभाषा मे परिवर्तन कर टैक्स बचाने के उपरोक्त उपाय को रोक दिया गया है।

डिविडेन्ड की परिभाषा ऐसी कर दी गई है कि उसमें इस प्रकार पूँजीभूत किया हुआ जो नफा बांटा जाता है वह भी आ जाता है। यदि कम्पनी अपने एसेट के भाग को शेयर होल्डर मे बाटे तो वह शेयर होल्डर का नफा समझा जायगा—उस पर टैक्स लगेगी। कम्पनी के एकत्रित नफे मे से जो डिबेंचर निकाले जायंगे वे भी मुनाफे में धरे जायगे। यदि कम्पनी लिक्वीडेशन मे जाय और लिक्वीडेशन की तारीख के पूर्व के छ. गत वर्ष मे जो नफा एकत्रित हुआ हो उसको बाटे तो बाटी हुई रकम शेयर होल्डर की आमदनी मानी जायगी। यदि कोई कम्पनी अपनी पूँजी घटा कर रुपये फिरती लौटायगी तो कम्पनी के पास ता० १ अप्रेल ३३ के ठीक पहले शेष हुए गत वर्ष तक जितना रुपया जमा रहा होगा (accumulated profits) उतने रुपयों तक इस प्रकार बांटा गया रुपया डिविडेन्ड समझा जायगा। अर्थात् उस पर भी टैक्स लिया जायगा।

नई परिभाषा के अनुसार डिविडेड ब्रुटिश भारत के बाहर दिया जायगा तो वह भी ब्रुटिश भारत मे हुआ नफा माना जायगा और उसके सम्बन्ध मे टैक्स देनी होगी।

पुराने कानून के अनुसार शेयर होल्डर को डिविडेंड के सम्बन्ध मे टैक्स नही देना पड़ता था। टैक्स देने की जिम्मेवारी कम्पनी की थी परन्तु अब डिविडेन्ड पर शेयर होल्डर को टैक्स देनी होगी। डिविडेन्ड द्वारा उसको जो आमदनी होगी वह टैक्स से वरी नहीं रहेगी।

(६) पहले इन्कम टैक्स ऑफिसर यदि इकतरफी कार्रवाही कर देता तो उसके विरुद्ध मे अपील नही हो सकती थी, केवल धारा २७ के अनुसार हुकूम को रद्द कराने की अरजी दी जा सकती थी परन्तु अब

इसकी साधारण ढग से अपील की जा सकती है। इसके लिए देखिए—पृष्ठ ८०-८१

(७) कई प्रकार के जुर्माने बढ़ा दिये गये है। रिटर्न न भरने पर जितनी टैक्स लगाई जायगी उससे १॥ गुणा जुर्माना तक किया जा सकेगा। इसी तरह गलत रिटर्न भरने, गलत विवरण देने आदि के सम्बन्ध में कड़े जुर्माने रख दिये हैं।

(८) पहले यदि किसी वर्ष में किसी पर टैक्स करना छूट जाता था तो एक गत वर्ष (previous year) की टैक्स ली जा सकती थी परन्तु अब गत ४ वर्ष या ८ वर्ष तक के लिए टैक्स लगाया जा सकता है। यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह निश्चय हो जाय कि आपने अपनी आमदनी को छिपाया है या उसके सम्बन्ध मे आपने जानबूझ कर गलत बाते कहीं हैं या दिखाई हैं तो उस हालत मे वह पिछले ८ वर्षों तक के आपके बही-खाते फिर मंगा सकता है और आप पर उन वर्षों के सम्बन्ध मे टैक्स लगा सकता है। यदि अन्य किसी कारण से टैक्स छुटा हो तो आपसे गत चार वर्षों की आमदनी के सम्बन्ध मे ही टैक्स ली जा सकेगी। विस्तार के लिए देखिये—पृष्ठ ६२-६४

(९) इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स से बचने के लिये जो कानूनी रास्ते निकाल लिये गये थे उनको रोकने के लिये एक नया अध्याय जोड़ा गया है उदाहरण स्वरूप :—

इन्कम टैक्स को बचाने के लिए एक तरीका यह काम मे लाया जाता है कि एस्टेट बृटिश भारत के बाहर रहने वाले किसी शख्स या कम्पनी को हस्तान्तरित कर दी जाती है। इस एस्टेट का जो भी नफा होता है वह इस ट्रान्सफर (हस्तान्तर) के द्वारा बृटिश भारत के बाहर किसी शख्स को मिलने लगता है। जिस शख्स को नफा मिलता है वह बृटिश भारत का निवासी न होने से या बृटिश भारत का निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश भारत में रहनेवाला न होने

से इस आय पर उससे टैक्स नहीं ली जा सकती। परन्तु वास्तव में भीतरी व्यवस्था ऐसी होती है कि नफा एसेट ट्रान्सफर करनेवाले का ही होता है और वही उसको उपभोग मे लाता है। नए सशोधन के अनुसार यह नफा अब हस्तान्तर करने वाले शख्स का माना जायगा और उस पर टैक्स लगाई जायगी। परन्तु यदि हस्तान्तर करने वाला शख्स यह प्रमाण दे देगा कि हस्तान्तर का कोई उद्देश्य टैक्स बचाना नहीं था और हस्तान्तर केवल उचित कारबारी लेवा-बेची थी तो उस हालत में ट्रान्सफर करनेवाले से नफे पर टैक्स नहीं ली जायगी।

टैक्स बचाने का एक और तरीका यह है कि सिक्योरिटी, स्टॉक शेयर को उन पर व्याज या डिविडेन्ड मिलने के पहले उन्हे किसी दूसरे शख्स को बेच देना या हस्तान्तरित कर देना और उसके साथ बन्दोबस्त कर डिविडेन्ड या व्याज निकलने के बाद उसे वापिस खरीद लेना। इस प्रकार की कार्यवाही से व्याज या डिविडेन्ड किसी दूसरे शख्स को मिलने की व्यवस्था हो जाती थी और इससे टैक्स कम लगता था या नहीं लगता था। जिसके नाम पर वे बेचे जाते थे उसके कोई आमदनी न होने से या कम होने से सरकार से वह काटी हुई इन्कम टैक्स पूरी या कम वापिस (refund) माग सकता था। इस प्रकार सरकार को लाखों रुपयों का रिफण्ड देना पडता था। सिक्योरिटी आदि बिक्री करनेवालों को डिविडेन्ड या व्याज की रकम कीमत के बतौर मिल जाती जिससे उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता था क्योंकि यह एक प्रकार की मूल धन की प्राप्ति थी। डिविडेन्ड का व्याज निकलने के बाद सिक्योरिटियों का दाम सहज ही गिर जाता है जिससे खरीदने वाला उन्हें बेच कर नुकशान दिखा सकता था।

यदि सिक्योरिटी आदि की लेवा बेची ही, खरीद करनेवाले का कारबार हो तो वह नुकशान का बाद पा सकता था इस प्रकार

सरकार पर दुतरफी मार थी। एक ओर टैक्स न देना और दूसरी तरफ नुकशान बाद पा लेना। इस तरीके से इन्कम टैक्स की बहुत बड़ी बचत कर ली जाती थी। परन्तु नए संशोधन के अनुसार अब ब्याज या डिविडेन्ड ट्रान्सफर करनेवाले की आय समझी जायगी और वही कर के लिए दायक होगा।

(१०) हुकूमों की प्रत्यक्ष भूलें अब ४ या ८ वर्षों तक सुधारी जा सकेंगी।

(११) रिफण्ड चार वर्षों तक मिल सकेगा।

(१२) एसेसी की तरफ से अधिकार पाया हुआ प्रतिनिधि ही उसकी ओर से इन्कम टैक्स ऑफिसर के सामने हाजिर हो सकेगा।

(१३) कर्मचारी या उसके बाल बच्चे और औरतों की सहायता के लिये जो सुपर-एनुएशन फण्ड स्थापित किया जाता है उसके सम्बन्ध मे खास विधान किये गये है।

(१४) अपील के लिये एपेलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की व्यवस्था की गई है।

(१५) नुकसान ६ वर्ष तक बाद मिल सकेगा। इसके लिये देखिये पृष्ठ ६९ से ७२ तक।

(१६) रजिस्टरी किये हुए फर्म और बिना रजिस्टरी किये हुए फर्म में महत्व का परिवर्तन कर दिया गया है। देखिये पृष्ठ ७८ से ८०।

(३) गुनाह और दण्ड

यदि कोई शख्स बिना वाजिब कारण के (without reasonable cause or excuse) निम्न लिखित विषयों मे अपराध करेगा'—

(क) जिस आमदनी पर टैक्स उद्गम स्थान (at source) मे काट लेने का कानून है अथवा उद्गम स्थान मे काट लेने की आज्ञा कर दी गई हो उस आमदनी को देते समय उसमे से टैक्स नहीं काटेगा ;

(ख) आमदनी में से उद्गम स्थान पर टैक्स काटने पर जो इस आशय की सार्टीफिकेट देनी होती है कि टैक्स काट लिया गया है और वह जमा दे दिया जायगा यदि वैसी सार्टीफिकेट नहीं देगा।

(ग) निश्चित रकम के उपरान्त डिविडेण्ड किस को और कितना दिया यदि धारा १६-ए के अनुसार इसकी तालिका नहीं देगा, निश्चत रकम के उपरान्त किसको और कितना व्याज दिया यदि धारा २०-ए के अनुसार उसकी तालिका नहीं देगा या वेतन किसको और कितना दिया गया और उसमे से धारा २१ के अनुसार कितना टैक्स या सुपर टैक्स काटा गया इसकी तालिका नहीं देगा या धारा २२ के अनुसार आमदनी की तालिका नहीं देगा या धारा ३८ के अनुसार यह नही वतलाया कि फर्म के कितने और कौन कौन साझेदार है, सयुक्त परिवार का कर्त्ता कौन है, युवक सदस्य कितने है या वह किस-किस शख्स का ट्रस्टी, गार्जियन आदि है,

(घ) धारा २२ (४) के द्वारा मगाए गये वही-खाते ठीक समय मे उपस्थित नहीं करेगा,

(ङ) या किसी कम्पनी के रजिस्टर का निरीक्षण या उनकी नकल नहीं लेने देगा,

तो उस पर फौजदारी मामला चलाया जायगा और मजिस्ट्रेट यदि उसे दोषी ठहरा देगा तो उस पर प्रति दिन के लिये १०) तक जुर्माना लगाया जायगा। यह जुर्माना जब तक दोप होता रहेगा तब तक लगाया जाता रहेगा।

यदि कोई शख्स झूठी तस्दीक (Verification) करेगा और उसे मालूम होगा या उसकी धारणा होगी कि तस्दीक मिथ्या है या उसको विश्वास नहीं होगा कि वह सत्य है तो उस पर फौजदारी मामला चलाया जा सकेगा और यदि मजिस्ट्रेट उसे अपराधी ठहरा देगा तो उसे छः महीने तक की साधारण जेल का दण्ड दिया जा सकेगा। उस पर

१,०००) रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा या जेल और जुर्मान एक साथ किया जा सकेगा।

उपरोक्त गुनाहों के लिये इन्सपेक्टिग एसिस्टेण्ट कमिश्नर के हुक्म विना कोई कार्रवाही नही की जा सकेगी।

इन्सपेक्टिग एसिस्टेण्ट कमिश्नर कार्यवाही करने के पहले या बाद में उपरोक्त गुनाहों के सम्बन्ध मे मेटमाट (Compound) कर सकता है।

(४) इन्स्योरेन्स कम्पनियों पर टैक्स

सशोधन के पहले इन्स्योरेन्स कम्पनी पर जो टैक्स लगाई जाती थी वह एसेट (Assets) और लायब्लिटीज (Liabilities) की वार्षिक कूत मे जो अन्तर होता था उस रकम पर लगायी जाती थी बोनस के रूप में पोलिसी होल्डरों को जो रकम वितरण की जाती थी वह बाद नहीं दी जाती थी। परन्तु इस कानून मे परिवर्तन कर इन्स्योरेन्स कम्पनियों के लिये अब बहुत फायदे का कानून कर दिया है। अब इन्स्योरेन्स कम्पनी की आमदनी की कूत दो तरह से की जा सकती है :—

(१) या तो इनवेस्टमेंट की आय मे से खर्चों को बाद देकर जो रकम रहे उस पर टैक्स लगाया जा सकता है, या

(२) पुराने कानून के अनुसार जो सरप्लस (surplus) हो उसमे से पोलिसी होल्डरों को जो बोनस दिया जाय उसका एक निश्चित अश बाद देकर जो रकम बचे उस पर टैक्स लगाया जा सकता है।

वास्तव मे तो जो बोनस पोलिसी होल्डरों को दिया जाता था वह एक तरह से इन्स्योरेन्स का प्रीमियम था जो कि उनसे वैसी ले लिया गया था। इस तरह जो सम्पूर्ण रूप से आय नही थी उसको आय मान कर टैक्स लिया जाता था। परन्तु यह एक प्रकार का अन्याय था। अब नए सुधार के द्वारा यह दूर कर दिया गया है। अब

जो टैक्स ली जायगी वह या तो एकच्युरियल सरप्लस (Actuarial Surplus) के आधार पर या आमदनी मे से खर्च वाद देकर जो आय बचेगी उसके आधार पर। जिस तरीके से अधिक आमदनी निकलेगी उसी तरीके से आमदनी की कूंत की जायगी।

(५) स्लैब सिस्टम के अनुसार रेट :—

भाग १

इन्कम टैक्स के रेट :—

ए—किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार, विना रजिष्ट्री किये फर्म या शख्सों की अन्य एसोसियेशन पर टैक्स निम्नलिखित दर से लगाया जायगा :

				रेट प्रति रुपया
१—कुल आय के		पहले	१,५००)	कुछ नहीं
२—	„	वाद के	३,५००)	)॥
३—	„	वाद के	५,०००)	-)॥
४—	„	वाद के	५,०००)	=)
५—	„	वाद बचे सब रुपयों पर		=)॥

परन्तु यदि कुल आमदनी २,०००) से उपर नहीं होगी तो कोई टैक्स नही लगेगी।

किसी भी हालत मे टैक्स उन रुपये के आधे से अधिक नहीं लगेगी जितने रुपयों से कुल आमदनी २,०००) से अधिक है।

वी—प्रत्येक कम्पनी, लोकल अथॉरिटी के सम्बन्ध मे तथा उस हालत मे जब कि इन्कम टैक्स एक्ट, १९२२ के विधान के अनुसार टैक्स ऊंचे से ऊँचे दर से लगानी होगी, निम्न लिखित रेट रहेगे :—

समूची 'कुल आमदनी' पर =)॥ प्रति रुपया

भाग २

सुपर टैक्स के दर

ए—प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू असंयुक्त परिवार, अन् रजिष्टर्ड फर्म तथा शख्सों की अन्य एसोसियेशन के सम्बन्ध मे यदि उनके प्रति इस भाग का पैरा 'बी' लागू नहीं हो तो सुपर टैक्स का रेट इस प्रकार होगा :—

			रेट प्रति रुपया
१—	पहले	रु० २५,०००)	कुछ नहीं
२—	बाद के	रु० १०,०००)	-)
३—	बाद के	रु० २०,०००)	=)
४—	बाद के	रु० ७०,०००)	≡)
५—	बाद के	रु० ७५,०००)	।)
६—	बाद के	रु० १,५०,०००)	।-)
७—	बाद के	रु० १,५०,०००)	।=)
८—	बाद की कुल आय		।≡)

बी—हरेक कम्पनी और लोकल अर्थॉरिटी के सम्बन्ध में
समूची कुल आय पर -) प्रति रुपया

कलकत्ता
२५ जुलाई १९३९

श्रीचन्द रामपुरिया

जो टैक्स ली जायगी वह या तो एकच्युरियल सरप्लस (Actuarial Surplus) के आधार पर या आमदनी में से खर्च बाद देकर जो आय बचेगी उसके आधार पर। जिस तरीके से अधिक आमदनी निकलेगी उसी तरीके से आमदनी की कूंत की जायगी।

(५) स्लैब सिस्टम के अनुसार रेट :—

भाग १

इन्कम टैक्स के रेट :—

ए—किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार, विना रजिष्ट्री किये फर्म या शख्सों की अन्य एसोसियेशन पर टैक्स निम्नलिखित दर से लगाया जायगा :

			रेट प्रति रुपया
१—कुल आय के	पहले	१,५००)	कुछ नहीं
२—	„ बाद के	३,५००)	)॥।
३—	„ बाद के	५,०००)	-)॥
४—	„ बाद के	५,०००)	=)
५—	„ बाद बचे सब रुपयों पर		=)॥।

परन्तु यदि कुल आमदनी २,०००) से उपर नहीं होगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगी।

किसी भी हालत में टैक्स उन रुपये के आधे से अधिक नहीं लगेगी जितने रुपयों से कुल आमदनी २,०००) से अधिक है।

बी—प्रत्येक कम्पनी, लोकल अथॉरिटी के सम्बन्ध में तथा उस हालत में जब कि इन्कम टैक्स एक्ट, १९२२ के विधान के अनुसार टैक्स ऊंचे से ऊँचे दर से लगानी होगी, निम्न लिखित रेट रहेंगे :—

समूची 'कुल आमदनी' पर =)॥। प्रति रुपया

भाग २

सुपर टैक्स के दर

ए—प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू असयुक्त परिवार, अन् रजिष्टर्ड फर्म तथा शख्सों की अन्य एसोसियेशन के सम्बन्ध में यदि उनके प्रति इस भाग का पैरा 'बी' लागू नहीं हो तो सुपर टैक्स का रेट इस प्रकार होगा :—

			रेट प्रति रुपया
१—	पहले	रु० २५,०००)	कुछ नहीं
२—	बाद के	रु० १०,०००)	-)
३—	बाद के	रु० २०,०००)	=)
४—	बाद के	रु० ७०,०००)	≡)
५—	बाद के	रु० ७५,०००)	।)
६—	बाद के	रु० १,५०,०००)	।-)
७—	बाद के	रु० १,५०,०००)	।=)
८—	बाद की कुल आय		।≡)

बी—हरेक कम्पनी और लोकल अथॉरिटी के सम्बन्ध में
समूची कुल आय पर -) प्रति रुपया

कलकत्ता
२५ जुलाई १९३१

श्रीचन्द रामपुरिया

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
आरम्भ	
(१) सक्षिप्त नाम, क्षेत्र और शुरुआत	१
(२) परिभाषायें	२
अध्याय—१	
(१) इन्कम टैक्स की लाग	८
(२) एसेसियों (करदाताओं) की चार श्रेणियां	८
(३) उपरोक्त श्रेणी भेद के अनुसार कर का दायित्व	१२
(४) अपवाद—आयें जिन पर टैक्स नहीं लगतीं	१८
अध्याय—२	
(१) इन्कम टैक्स अधिकारी	२०
(२) अपीलेट ट्रिब्यूनल	२१
अध्याय—३	
(१) आय के शीर्षक	२२
(२) वेतन	२२
(३) जमानतों का व्याज	२[illegible]
(४) जायदाद की आय	[illegible]
(५) कारबार, पेशे या रोजगार का मुनाफा या लाभ	
(६) अन्य जरियों से आय	

विषय

(७) मैनेजिंग एजेंसी की कमीशन

(८) हिसाब रखने की पद्धति

(९) आम छूटें

(१०) जीवन-बीमा के सम्बन्ध में छूट

(११) कुल आय की कूत करने में जो आयें बाद दे दी जाती या अलग रक्खी जाती हैं।

(१२) कई खास परिस्थितियों में टैक्स की कूत

अध्याय—४

कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण—

(१) कर अदाई के तरीके

(२) इन्कम टैक्स की अदाई का अन्य तरीका

(३) डिविडेंड के सम्बन्ध मे सूचना देने का नियम

(४) शेयरहोल्डरों को टैक्स काट लेने की सार्टिफिकेट

(५) व्याज सम्बन्धी सूचना

(६) वार्षिक रिटर्न

(७) आमदनी की रिटर्न

(८) आमदनी की कूत और टैक्स

(९) घाटे का बाद पाना

(१०) मृत व्यक्ति के टैक्स के लिये प्रतिनिधि का दायित्व

(११) बंद किये गये कारबार पर कर-निरूपण

(१२) हिन्दू परिवार के विभक्त हो जाने पर कर-निरूपण

(१३) फर्म के संगठन मे परिवर्तन

(१४) रजिस्टर्ड और अन-रजिस्टर्ड फर्म

(१५) इकतरफी कार्यवाही को रद्द कराने का तरीका

विषय | पृष्ठ

(१६) आमदनी छिपाने या नफे का बँटवारा अनुचित ढङ्ग से करने से दण्ड ८१
(१७) डिमाण्ड नोटिस ८३
(१८) अपील ८३
(१९) अपील की सुनवाई ८५
(२०) असिस्टेण्ट कमिश्नर के हुक्मों के विरुद्ध अपील ८७
(२१) रिविजन ८७
(२२) हाईकोर्ट के सम्मुख रेफरेन्स ८८
(२३) प्रिवी कौन्सिल में अपील ९१
(२४) दिवानी कोर्ट मे कोई कार्यवाही नहीं होती ९२
(२५) मियाद की कूत ९२
(२६) छुटी हुई आमदनी पर कर-निरूपण ९२
(२७) भूल सुधार ९४
(२८) हलफिया गवाही लेने का अधिकार ९६
(२९) खबर प्राप्त करने का अधिकार ९७
(३०) कम्पनी के रजिष्टर निरीक्षण का अधिकार ९७

अध्याय—५

खास अवस्थाओं मे कर के लिये दायित्व—
(१) गार्जियन, ट्रस्टी और एजेण्ट का दायित्व ९८
(२) कोर्ट आफ वार्ड्स् आदि का दायित्व ९९
(३) भारत मे निवास नहीं करनेवाले १००
(४) नन-रेजिडेण्ट का एजेण्ट कौन ? १०२
(५) वद हुए फर्म या एसोसियेशन के सम्बन्ध मे दायित्व १०४

विषय

अध्याय—५ ए

जहाजों से कारबार करनेवालों के सम्बन्ध मे खास विधान—
(१) ऐसे कारबार के सम्बन्ध में टैक्स का दायित्व
(२) लाभालाभ की रिटर्न
(३) एडजस्टमेंट

अध्याय—५ बी

इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स बचाने के अनुचित उपायों को रोकने के लिये खास विधान—
(१) आयके हस्तान्तर द्वारा टैक्स बचाना
(२) सिक्योरिटियो की लेवा वेची द्वारा टैक्स बचाना
(३) स-डिविडेण्ड सिक्योरिटियों को खरीद बिक्री के द्वारा टैक्स बचाना

अध्याय—६

टैक्स और दण्ड की वसूली—
(१) टैक्स कब देना होगा ?
(२) कर अदाई की विधि और समय
(३) दण्ड की अदाई

अध्याय—७

रिफण्ड—
(१) रिफण्ड किस हालत में मिलेगा और कौन उसे पाने का हकदार होगा
(२) रिफण्ड की दरखास्त किस तरह को जाती है

विपय पृष्ठ

(३) रिफण्ड की रकम वाकी टैक्स में भरी जा सकती है १२०
(४) मृतक आदि शख्स की तरफ से रिफण्ड पाने का हक किसको १२१

अध्याय—८

सुपर टैक्स—
(१) सुपर टैक्स की कूत १२३
(२) सुपर टैक्स के लिये कुल आमदनी १२३
(३) सुपर टैक्स के सम्बन्ध में एक्ट का लागू होना १२४

अध्याय—९

कई प्रकार के सुपर-एनुएशन फण्ड के सम्बन्ध में खास विधान—
(१) परिभाषाएँ १२५
(२) मजूरी की शर्तें १२६
(३) मंजूरी और मजूरी को हटाना १२७
(४) मजूरी के लिये दरखास्त १२८
(५) इन्कम टैक्स से छूट १२८
(६) फिरती दिये हुए चन्दो के सम्बन्ध मे नियम १२९
(७) काटे गये चन्दे आदि को रिटर्न मे दिखाना १३०
(८) फण्ड की मजूरी न रहने पर ट्रस्टियों का दायित्व १३०
(९) फण्ड के सम्बन्ध में विवरण १३०

अध्याय—१०

फुटकर—
(१) एजेंसी की ओर से प्रतिनिधि १३२
(२) टैक्स कहाँ लगाई जायगी १३२

इन्कम-टैक्स कानून

आरम्भ

संक्षिप्त नाम, क्षेत्र और शुरुआत

१—(१) इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स विषयक कानून का
ा—"दी इण्डियन इन्कम टैक्स एक्ट, सन् १६२२"—है। यह एक्ट
म टैक्स और सुपर टैक्स विषयक कानून को संग्रह और सशो-
करने के लिये बनाया गया था।

(२) यह एक्ट निम्नलिखित क्षेत्रों मे लागू है :

(क) सम्पूर्ण बृटिश भारत मे,

(ख) बृटिश बेलूचिस्तान और संथाल परगनों मे,

(ग) देशी राज्यों और ठाकुरों के क्षेत्रों (tribal areas) उन बृटिश प्रजाओं के प्रति जो कि भारत-सम्राट की नौकरी मे है,

(घ) देशी रियासतों और ठाकुरो के क्षेत्रो मे उन
टिश प्रजाओं के प्रति जो कि ऐसे 'स्थानीय-अधिकारी'[1] (Local
thority) की नौकरी मे हो जो भारत-सम्राट के प्रतिनिधि या
न्द्रिय सरकार को प्राप्त अधिकारो के प्रयोग से स्थापित की गई
, तथा

१—स्थानीय अधिकारी—इस शब्द मे कोई म्युनिस्पल कमिटि, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड,
ट कमीशनर की सस्था, या अन्य अधिकारी का समावेश होता है जिसको कि
नून एक्ट या सरकार की तरफ से अधिकार दिया गया कि वह किसी स्थानीय
उ को देख-रेख या सचालन करे।

(ड) उपरोक्त राज्यों और ठाकुरों के क्षेत्रों मे भारत-सम्राट के अन्य सभी कर्मचारियों के प्रति।

(३) यह एक्ट पहली अप्रैल सन् १९२२ से प्रचलित है।

—धारा : १

परिभाषाएँ

२—विषय या प्रसंग से कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा तो इस एक्ट मे—

(१) "कृषि की आय"[१] (agricultural income) का अर्थ निम्नलिखित होगा—

(ए) कोई लगान (Rent) या मालगुजारी (Revenue) जो ऐसी जमीन से प्राप्त होती हो जो कृषि के प्रयोजन के लिये व्यवहार की जाती हो, और जिस पर या तो बृटिश भारत मे मालगुजारी लगती हो या जिस पर कोई ऐसा स्थानीय महसूल (Local rate) देना पडता हो जो कि सम्राट् के कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी की हैसियत से लगाया जाता और अदा किया जाता हो,

(बी) कोई आय जो ऐसी जमीन से—

(क) कृषि द्वारा प्राप्त हो, या

(ख) कृषक द्वारा या जिनसी लगान पानेवाले (Receiver of rent-in-kind) कोई शख्स द्वारा ऐसे कार्य किए

१—कृषी की आय' उदाहरण स्वरूप चरागाहो के सम्बन्ध मे चरवाहों से जो फीस ली जाती है वह कृषि की आय है, इसी तरह जंगल की आय, कृषि की आय है। पानों के बगीचे की लीज कृषि के लिए लीज होगी। चाय को लगाना, पत्तियों का छाटना, तोड़ना, कृषि का कार्य है परन्तु पत्तियो को सुखाना और उन्हें साफ कर और बिक्री योग्य बनाना कृषि कार्य नहीं है।

जाने से प्राप्त हुई हो जो कार्य कि उत्पन्न की गई या प्राप्त की गई उपज को बिक्री करने योग्य बनाने के लिए साधारण तौर पर किया जाता हो, या

(ग) कृषक द्वारा या जिनसी लगान पानेवाले शख्स द्वारा, उत्पन्न की गई या प्राप्त की गई ऐसी उपज के बेचे जाने से हुई हो जिसके सम्बन्ध मे सब क्लाज बी (ख) के अनुसार किए गये कार्य (process) के सिवा अन्य कोई कार्य नहीं किया गया हो।

(सी) कोई आय जो ऐसी इमारत से प्राप्त हुई हो जो इमारत ऐसी जमीन की लगान या खजाना पानेवाले शख्स की सम्पत्ति हो और उसके कब्जे मे हो, या

कोई आय जो ऐसी इमारत से प्राप्त हुई हो जिस इमारत पर किसी ऐसी जमीन के कृषक या जिनसी लगान पानेवाले शख्स का कब्जा हो जिस जमीन के विषय में या जिस जमीन की उपज के विषय मे क्लाज (बी) के उप क्लाज (ख) और (ग) मे बताया हुआ काम किया जाता हो।

परन्तु शर्त्त यह है कि इमारत उस जमीन पर या उस जमीन के बिल्कुल समीप होनी चाहिये तथा इमारत ऐसी होनी चाहिये जिसकी आवश्यकता, लगान या खजाना पानेवाले को या कृषक को या जिनसी लगान पानेवाले शख्स को, उक्त जमीन से सम्बन्ध रखने के कारण निवास स्थान के लिये, या गोदाम, या अन्य इमारते बनाने के लिए हो। —धारा : २ (१)

(२) "एसेसी" का अर्थ है कोई ऐसा शख्स जिसके द्वारा इन्कम टैक्स दी जाने की हो। —धारा : २ (२)

(३) "कारबार" में व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, चीजें तैयार करने का काम या ऐसे ही ढंग का कोई साहसिक प्रयत्न या कामकाज सामिल है। —धारा: २ (४)

(४) "डिविडेड" मे —

(ए) किसी भी कम्पनी द्वारा एकत्रित नफे का वितरण—चाहे एकत्रित नफा पूजी मे परिवर्तित किया गया हो या नही—यदि इस वितरण से कम्पनी को अपनी जायदाद (Assets) का कोई अश या समूची जायदाद अपने शेयर-होल्डरों को छोड देनी पडती हो।

(बी) किसी कम्पनी द्वारा, उसके एकत्रित नफे की हद तक —चाहे यह एकत्रित नफा पूँजी मे परिवर्तित किया गया हो या नहीं —डिबेचर या डिबेचर स्टॉक का वितरण

(सी) कम्पनी के काम को सलटाते वक्त कम्पनी के एकत्रित नफे मे से कम्पनी के शेयर होल्डरों मे किया हुआ कोई वितरण

परन्तु यह ध्यान मे रखना चाहिए कि कम्पनी के काम सलटाने की तारीख के पहले के छः गत वर्षों में उत्पन्न हुआ एकत्रित नफा ही इस प्रकार बाटा गया होगा तो इस तरह सामिल किया जायगा।

(डी) किसी कम्पनी द्वारा पूँजी को कम कर उस हद तक किया हुआ वितरण जिस हद तक कि ता० १ अप्रेल १९३३ के पहले शेष हुए गत वर्ष की समाप्ति के बाद उत्पन्न हुआ एकत्रित नफा कम्पनी के पास हो, चाहे यह नफा पूँजी के रूप मे परिवर्त्तित किया गया हो या नही।

परन्तु डिविडेड मे ऐसा वितरण सम्मिलित नहीं होगा जो कि किसी ऐसे शेयर के सम्बन्ध मे किया गया हो जो कि पूरे नगदी बदले मे निकाला गया हो और लिक्वीडेशन की अवस्था मे उबरी हुई जायदाद (Asset) मे जो कोई हिस्सा न बटाता हो जब कि ऐसा वितरण उपधारा (सी) और (डी) के अनुसार किया जाता हो।

खुलासा : "एकत्रित नफा" शब्द मे, जहाँ ही वह इस क्लाज

व्यवहरित हुआ है, 'पूँजी-नफा' (capital profit) समि
नहीं है।   —धारा : २ (६-ए)

(९) "गत वर्ष" का अर्थ है—

(ए) वे बारह महीने जो कि 'एसेसमेंट वर्ष' के ठीक प
की ३१ ता० मार्च को समाप्त होते हों,[1] या

एसेसी के चाहने पर वह वर्ष[2] जो कि उपरोक्त बारह महीने
अन्दर ता० ३१ मार्च के सिवा किसी अन्य तारीख को शेष हो
हो और जिसके अनुसार एसेसी का हिसाब रक्खा जाता हो।

१—'एसेसमेंट वर्ष' अप्रेल से शुरू होकर मार्च में शेष होता है। जो ता० १ अप्रेल १९३९ से आरम्भ होकर ता० ३१ मार्च १९४० में शेष हो, एसेसमेंट वर्ष १९३९-४० कहलायगा। एसेसमेंट वर्ष १९३९-४० के लिए बारह महीने ता० ३१ मार्च, ३९ को शेष होते हैं वे अर्थात् १ अप्रेल, ३८ ता० ३१ मार्च, ३९ तक का समय गत वर्ष कहलाता है। इसी प्रकार एसेसमेंट १९३८-३९ के लिए गत वर्ष वे बारह महीने होंगे जो ३१ मार्च ३८ को शेष

२—उदाहरण स्वरूप एसेसमेंट वर्ष १९३९-४० में निम्न लिखित वर्ष गत वर्ष होंगे

(१) चैत सुदी ९, १९९५ से चैत सुदी ८, १९९६ तक का वर्ष अर्थात् रामन वर्ष १९९५। यह वर्ष ता० २८ मार्च १९३९ को अर्थात् १ अ १९३८ से ३१ मार्च १९३९ के अन्दर शेष हुआ है।

(२) काती सुदी १, १९९४ से काती वदी १५, १९९५ तक का वर्ष अ दिवाली वर्ष १९९४-९५। यह वर्ष ता० २३ अक्टूबर १९३८ को शेष हु है अर्थात् १ अप्रेल १९३८ से ३१ मार्च १९३९ के अन्दर शेष हुआ है

(३) जनवरी, ३८ से दिसम्बर, ३८ तक का वर्ष अर्थात् कलेण्डर वर्ष, १९३

(४) १, वैशाख, १३४५ से ३१ चैत, १३४५ अर्थात् बंगाली वर्ष, १३४५। य वर्ष ता० १४ अप्रेल ३९ को शेष हुआ है।

(५) इसी प्रकार रथयात्रा, अक्षय तृतीया, फसली, दशहरा, सन् आदि गत वर्ष हो सकते हैं।

अध्याय—१

१—इन्कम टैक्स की लाग

३—(१) इन्कम टैक्स 'गत वर्ष' की 'कुल आय' पर लगाई जाती है।

(२) वह (१) प्रत्येक व्यक्ति (२) हिन्दु अविभक्त परिवार (३) कम्पनी और स्थानीय अधिकारी (Local authority), (४) फर्म (साझेदारी) तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय पर (५) (६) फर्म के साझेदार और समुदाय के सदस्यों पर पृथक-पृथक रूप से, लागू पडती है।

(३) इन्कम टैक्स का दर हर वर्ष के लिए फाइनेन्स एक्ट में घोषित कर दिया जाता है और उस वर्ष के लिए टैक्स उसी दर से ली जाती है।

(४) इन्कम टैक्स इस एक्ट के नियम और बन्धेजों के अनुसार लगाई जाती है।

—धारा० ३

२—एसेसियों की चार श्रेणियाँ

४—इन्कम टैक्स कानून के प्रयोजन के लिए एसेसियों (करदाताओं) की चार श्रेणियाँ की गई हैं:—

(१) वृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले,

(२) वृटिश भारत के निवासी;

(३) वृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर वृटिश भारत में नहीं रहने वाले;

(४) बृटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे रहने वाले।

इनका खुलासा इस प्रकार हैः—

(१) बृटिश भारत के निवासी

किसी साल के लिए बृटिश भारत का निवासी वह होगाः—

(क) जो उस साल मे बृटिश भारत मे कुल मिलाकर १८२ दिन या उससे अधिक रहा हो; या

(ख) जिसने उस साल मे कम-से-कम सब मिलाकर छः महीनों के लिए बृटिश भारत मे रहने का मकान रक्खा हो और कम-से-कम एक दिन के लिए भी वह उस साल में बृटिश भारत मे आय हो, या

(ग) जो उस साल के पूर्व के ४ सालों में बृटिश भारत मे कुल मिलाकर ३६२ दिन या अधिक रह चुका हो और उस साल कितने ही समय के लिए बृटिश भारत मे रहे वशर्त्ते कि यह रहना आकस्मिक या अचानक सफर के रूप में न हो।

उपरोक्त तीनों बातों मे से किसी एक के भी लागू पड़ने पर व्यक्ति बृटिश भारत का निवासी माना जायगा। यह जरूरी नहीं है कि तीनों बाते एक साथ लागू हों।

(२) बृटिश भारत मे निवास नहीं करने वाले

उपरोक्त तीनों बातों में से एक भी बात जिसके प्रति लागू नहीं होगी वह इस द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत आयगा अर्थात् नॉन रेजिडेंट —बृटिश भारत मे निवास नहीं करने वाला समझा जायगा।

(३) बृटिश भारत के निवासी और समान्य तौर पर
बृटिश भारत में रहने वाले

किसी वर्ष के लिए इस श्रेणी में वह व्यक्ति आयगा जोः—

अध्याय-१

१—इन्कम टैक्स की लाग

३—(१) इन्कम टैक्स 'गत वर्ष' की 'कुल आय' पर लगाई जाती है।

(२) वह (१) प्रत्येक व्यक्ति, (२) हिन्दु अविभक्त परिवार, (३) कम्पनी और स्थानीय अधिकारी (Local authority), (४) प्रत्येक फर्म (साझेदारी) तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय पर तथा (६) फर्म के साझेदार और समुदाय के सदस्यों पर पृथक-पृथक रूप से, लागू पडती है।

(३) इन्कम टैक्स का दर हर वर्ष के लिए फाइनेन्स एक्ट में घोषित कर दिया जाता है और उस वर्ष के लिए टैक्स उसी दर से ली जाती है।

(४) इन्कम टैक्स इस एक्ट के नियम और बन्धेजों के अनुसार लगाई जाती है। —धारा० ३

२—एसेसियों की चार श्रेणियां

—इन्कम टैक्स कानून के प्रयोजन के लिए एसेसियों (करदाताओं) ४ श्रेणियां की गई हैं:—

(१) वृटिश भारत मे निवास नहीं करने वाले,

(२) वृटिश भारत के निवासी,

(३) वृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर वृटिश मे नहीं रहने वाले;

(४) बृटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर बृटिश भारत में रहने वाले।

इनका खुलासा इस प्रकार है:—

(१) बृटिश भारत के निवासी

किसी साल के लिए बृटिश भारत का निवासी वह होगा.—

(क) जो उस साल मे बृटिश भारत में कुल मिलाकर १८२ दिन या उससे अधिक रहा हो, या

(ख) जिसने उस साल में कम-से-कम सब मिलाकर छः महीनों के लिए बृटिश भारत मे रहने का मकान रक्खा हो और कम-से-कम एक दिन के लिए भी वह उस साल मे बृटिश भारत मे आय हो, या

(ग) जो उस साल के पूर्व के ४ सालो मे बृटिश भारत में कुल मिलाकर ३६२ दिन या अधिक रह चुका हो और उस साल कितने ही समय के लिए बृटिश भारत मे रहे बशर्त्ते कि यह रहना आकस्मिक या अचानक सफर के रूप में न हो।

उपरोक्त तीनों बातों मे से किसी एक के भी लागू पड़ने पर व्यक्ति बृटिश भारत का निवासी माना जायगा। यह जरूरी नहीं है कि तीनों बाते एक साथ लागू हों।

(२) बृटिश भारत में निवास नही करने वाले

उपरोक्त तीनों बातों मे से एक भी बात जिसके प्रति लागू नहीं होगी वह इस द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत आयगा अर्थात् नॉन रेजिडेंट —बृटिश भारत मे निवास नहीं करने वाला समझा जायगा।

(३) बृटिश भारत के निवासी और समान्य तौर पर बृटिश भारत मे रहने वाले

किसी वर्ष के लिए इस श्रेणी मे वह व्यक्ति आयगा जो:—

(१) उस वर्ष के पूर्व के दस वर्षों मे से नौ वर्ष बृटिश भारत का निवासी रहा हो, तथा

(२) जो पिछले सात वर्षों मे निरन्तर या कुल मिला कर दो वर्ष से अधिक बृटिश भारत मे रहा हो।

(४) बृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे नहीं रहने वाले

बृटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर बृटिश भारत में रहने वाले की श्रेणी मे आने के लिए किसी व्यक्ति को पिछले १० सालों मे से कम-से-कम ९ साल तक बृटिश भारत के निवासी होने के साथ-साथ पिछले ७ वर्षों मे ७३० दिन बृटिश भारत मे रहना होगा। इन दोनों शर्तों को एक साथ पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति इस कोटि के अन्तर आयगा अन्यथा वह बृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे नहीं रहने वाले व्यक्ति की श्रेणी मे आयगा।

बहुत-से ऐसे भारतीय व्यापारी है जो विदेश मे व्यापार करते है परन्तु उनके बृटिश भारत मे रहने के मकान है और बीच-बीच मे वे बृटिश भारत मे आते रहते है। उनका बृटिश भारत के साथ जो सम्बन्ध है वह यहाँ पर पैत्रिक मकान होने से है और उनका बीच-बीच मे आना होता है वह मृत्यु, शादी आदि अवसरो पर होता है। मकान होने और बीच-बीच मे यहाँ आने से वे, बृटिश भारत के निवासी वाली श्रेणी मे आ जाते है। परन्तु बृटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे रहने वाले वे तभी कहलायेंगे जब कि इसके साथ-साथ पिछले १० में ९ वर्ष वे बृटिश भारत के निवासी रहे हों और पिछले सात वर्षों मे ७३० दिन बृटिश भारत मे रहे हों। इन शर्तों के पूरा न होने पर कोई बृटिश

भारत का निवासी पर बृटिश भारत मे सामान्यतया न रहने वाला माना जायगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उपरोक्त कोई भारतीय व्यापारी जब तक ७ वर्षों मे २ वर्ष से कम अर्थात् वर्ष में ३ महीने से कुछ ऊपर तक बृटिश भारत मे आकर रहेगा तब तक भी वह सामान्य तौर पर बृटिश मे रहने वाला नहीं माना जायगा।

विदेशी व्यापारी जो भारत वर्ष मे आकर व्यापार करता है उसके सम्बन्ध मे भी उपरोक्त नियम लागू है। मान लीजिए कोई अंग्रेज ८ वर्षों से बृटिश भारत में नौकरी करता है और बीच मे उसने छुट्टी नहीं ली है। वह प्रत्यक्षतः ही बृटिश भारत का निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे नहीं रहने वाला है क्योंकि १० वर्षों मे ६ वर्ष वाली शर्त पूरी नहीं होती।

अब तक जो भारत के निवासी आदि श्रेणी भेदों की चर्चा की है वह व्यक्ति को दृष्टि मे रख कर। अब अन्य शख्सो के सम्बन्ध मे इन पर विचार किया जाता है।

एक कम्पनी किसी साल के लिए बृटिश भारत में बसने वाली समझी जायगी यदि

(१) उस वर्ष मे उसके कार्यों की देख-रेख और सचालन सम्पूर्ण रूप से बृटिश भारत में रहा होगा, या

(२) उस वर्ष उस कम्पनी को बृटिश भारत मे जो आय उपजी होगी वह बृटिश भारत के बाहर हुई आय से अधिक होगी।

पहले कम्पनी का कार्य सचालन और प्रबन्ध सम्पूर्णत बृटिश भारत मे होता था तो ही वह बृटिश भारत मे बसने वाली कम्पनी मानी जाती थी। अब यदि उसका अधिकाश लाभ बृटिश भारत से होता होगा तब भी वह बृटिश भारत मे बसने वाली कम्पनी मानी जायगी। इस तरह यह साफ है कि यदि एक कम्पनी बृटिश भारत के बाहर स्थापित हुई होगी, वही पर रजिष्टर्ड हुई होगी और वहीं सचालकों

की मीटिंग होती होगी और वहीं से आदेश मिलते होंगे तो भी यदि उस कम्पनी का अधिकाश लाभ बृटिश भारत से हुआ होगा तो वह भारत मे वसने वाली कम्पनी मानी जायगी।

सयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म या व्यक्तियों के अन्य समुदाय का वास-स्थान बृटिश भारत समझा जायगा यदि इनके कार्यों की देख-रेख और सचालन सम्पूर्ण तौर पर बृटिश भारत के वाहर अवस्थित न होगा।

कोई भी अविभक्त हिन्दू परिवार बृटिश भारत का निवासी और सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे रहने वाला माना जायगा अगर उसका सचालक (manager) बृटिश भारत का निवासी और सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे रहने वाला होगा।

जो कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों की अन्य समुदाय भारत में वसने वाली होगी वह सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे रहने वाली भी होगी।   —धारा : ४ ए, ४ वी

३—उपरोक्त श्रेणी भेद के अनुसार कर का दायित्व

५—एसेसियों की उपरोक्त चारों श्रेणियों को खयाल मे रखना वड़ा ही जरूरी है। किस मनुष्य (Person) को किस-किस आमदनी के सम्बन्ध मे टैक्स देने के लिए दायक होना होगा यह वह किस श्रेणी के अन्तर पडता है इस पर निर्भर है। उपर वताए गये चार श्रेणियों के मनुष्यों का टैक्स विषयक दायित्त्व निम्न प्रकार से जुदा-जुदा है:—

(१) बृटिश भारत मे निवास नहीं करने वाले मनुष्य को किसी 'गत वर्ष' के लिए उस आय[1] के सम्बन्ध मे टैक्स देना होगा जो उस वर्ष

१—'आय' इस शब्द मे यहाँ पर आमदनी, मुनाफा और लाभ के—चाहे व किसी भी साधन से प्राप्त हुए हो—अन्तर्गत समझने चाहिए।

मे उसको बृटिश भारत मे उपजी होगी या मिली होगी या उपजी या मिली समझी जायगी। बृटिश भारत के बाहर उसे जो आय हुई होगी उस पर उसे कर नहीं देनी होगी। परन्तु यदि वह अपनी बृटिश भारत के बाहर की आमदनी मे से, जो कि उसकी कुल आय मे सामिल नहीं की गई है, कोई रकम अपनी स्त्री, जो बृटिश भारत की निवासिनी हो उसको भेजे तो वह रकम उसकी स्त्री की बृटिश भारत मे उपजी हुई आय समझी जायगी और उस पर उसकी स्त्री को टैक्स देना होगा।

(२) बृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे नहीं रहने वाले मनुष्य को गत वर्ष मे बृटिश भारत मे जो आय उपजी होगी या मिली होगी उसके उपरात—

(क) बृटिश भारत के बाहर अर्थात् परदेश मे उपार्जित आय जो बृटिश भारत मे लाई गई होगी या प्राप्त की गई होगी उस पर तथा

(ख) भारत (जिस मे देशी राज्य भी सामिल हैं) में से देख-रेख और सचालित किए जाते हुए सब कारबार से और भारत मे स्थापित पेशे, धन्धे-रोजगार (Profession) या हुन्नर-उद्योग (Vocation) से उसको परदेश में जो आय हुई होगी चाहे वह बृटिश भारत में लाई जाय या नहीं उस पर टैक्स देना होगा।

इस तरह यह स्पष्ट है कि जो सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे नहीं रहने वाला होगा उसको उस आय पर टैक्स नहीं देना होगा जो कि (१) वह बृटिश भारत के बाहर ऐसे कारबार, धन्धे-रोजगार या हुन्नर-उद्योग से उपार्जन करता है जिसकी देख-रेख या सचालन भारत से नहीं होता और (२) भारत से संचालित कारबार या बृटिश भारत मे स्थापित धंधे-रोजगार या हुन्नर-उद्योग के सिवा अन्य किसी साधन से उपार्जन करता है। इन आयों पर भी टैक्स

लागू हो जायगा यदि वे बृटिश भारत मे लाई जायंगी या उसके द्वारा यहाँ पर प्राप्त की जायंगी।

(३) बृटिश भारत के निवासी को, उस आय पर, जो गत वर्ष मे उसको या उसके लिए किसी दूसरे को बृटिश भारत में मिली होगी या मिली समझी जायगी, टैक्स देने के उपरात निम्नलिखित आयों पर टैक्स देना होगा:—

(क) गत वर्ष मे जो भी आय, मुनाफा या लाभ उसने बृटिश भारत मे उपार्जन किया या उठाया होगा या उसके उपार्जन किया या उठाया हुआ समझा जायगा।

(ख)[१] उस 'गत वर्ष' बृटिश भारत के बाहर जो भी आय, मुनाफा या लाभ उसने उपार्जन किया या उठाया होगा। इस सम्बन्ध मे इतना ध्यान मे रखने का है कि उपरोक्त आय मे से जितनी रकम बृटिश भारत मे नही लाई जायगी उसमे से ४५००) बाद देकर बाकी की रकम को ही कुल रकम मे पकडा जायगा। परन्तु इससे कोई यह न समझे कि यदि ये ४५००) बृटिश भारत मे लाए जायँगे तो भी उन पर टैक्स नही लगेगा। बाद मे बृटिश भारत मे लाए जाने पर इन रुपयों पर भी टैक्स लागू होगी।

(ग)[१] बृटिश भारत के बाहर सन् १९३३ की पहली अप्रैल के बाद और गत वर्ष के पहले उसने जो आय, मुनाफा या लाभ उपार्जन किया या उठाया होगा उसमे से जो रकम गत वर्ष में बृटिश भारत मे लाई या प्राप्त की गई होगी।

१—ता० ३१ मार्च सन १९४० को शेष होने वाले वर्ष मे टैक्स लगाते समय ये दोनों आयें कुल आमदनी मे शुमार नही की जायंगी परन्तु उनमें से जो अधिक होगी वही शामिल की जायगी।

(४) वृटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर वृटिश भारत में रहने वाले मनुष्य को भी वृटिश भारत के निवासी की तरह ही वृटिश भारत में प्राप्त हुए नफे पर ही नहीं दुनिया भर मे उपार्जन हुए नफे के आधार पर टैक्स देनी होगी। वह उपरोक्त उन सब आयों पर टैक्स देने के लिए जिम्मेवार होगा जिनके विपय मे कि वृटिश भारत के निवासी पर टैक्स लागू होती है।

वृटिश भारत के बाहर उपार्जित या उठाई हुई आय, केवल इसी लिए वृटिश मे प्राप्त की हुई या लाई हुई नहीं मान ली जायगी कि वृटिश भारत में वनाए गए चिट्ठे के हिसाब मे वह सामिल की गई हो।

कोई आमदनी, जो यदि वृटिश भारत मे दी जाती तो नौकरी के शीर्पक के नीचे उस पर टैक्स लग सकती, वृटिश भारत मे उपार्जन हुई या उठाई समझी जायगी चाहे वह कही दी गई हो वशर्ते कि वह वृटिश भारत मे कमाई हुई होगी और भारत के बाहर पेशन के वतौर नहीं दी जाती होगी।

कोई डिविडेंड जो कि वृटिश भारत के बाहर दिया होगा उस हद तक वृटिश भारत में उपार्जित या उठाया हुआ समझा जायगा जिस हद तक वह ऐसे मुनाफे से दिया गया होगा जिस पर वृटिश भारत मे टैक्स लगती है।

इस विपय को स्पष्ट करने के लिए एक चार्ट दिया जाता है जिसे देखने से ही मालूम देगा कि किस मनुष्य पर किस-किस आय के सम्बन्ध मे टैक्स लगती है:—

अपवादों को छोड़ कर, किसी भी शख्श की गत वर्ष की
और प्राप्तियां सामिल

कर दाताओं की श्रेणियां	१ उस वर्ष मे उस शख्स या उसके लिये किसी द्वारा ब्रृटिश इण्डिया मे प्राप्त (Received) हुई होगी	२ उस वर्ष में उस शख्स या उसके लिये किसी द्वारा ब्रृटिश इण्डिया मे प्राप्त हुई (deemed to be received) समझी जायगी	३ उस वर्ष मे उसको ब्रृटिश भारत मे उपजी या हुई होगी (accrue or arise)
१—ब्रृटिश भारत मे निवास नही करने वाले को	+	+	+
२—साधारण तौर पर ब्रृटिश भारत मे नहीं रहने वाले को	+	+	+
—ब्रृटिश भारत के निवासी को	+	+	+
साधारण तौर पर ब्रृटिश भारत में रहनेवालेको	+	+	+

नोट न० १—जिस आय के सामने + चिन्ह है वह जोड़ी जायगी और – चिन्ह
२—जो साल ३१ मार्च १९४० को समाप्त होगी उसमें टैक्स लगाते समय
दोनों रकमें शामिल नहीं की जायगी।

कुल आय में किसी भी जरिए से हुई आमदनियाँ, मुनाफ़
होंगी जो कि

४	५		६
उस वर्षमें उसको वृटिश इण्डिया में उपजी या हुई (deemed to accrue or arise) समझी जायगी	उस वर्ष में उसको वृटिश इण्डियाके बाहर उपजी या हुई होगी—		ता० १ अप्रेल, १९२३ वाद और उस वर्ष के आरम के पहिले वृटिश भारत बाहर उपजी या हुई जान जो आय उस वर्ष में वृटि भारत में लाई या प्राप्त जायगी
	(क) चाहे वह वृटिश इण्डिया में लाई जाय या प्राप्त की जाय।	(ख) अथवा वह न लाई जाय या प्राप्त की जाय	
+	−	−	−
+	+	उसी हालत में देनी होगी। जब कि यह भारतवर्ष में से देख रेख और सचालित कारवार पेशे या, हुनर उद्योग या भारतवर्ष में स्थापित पेशे या हुनर उद्योग से प्राप्त होगी।	−
+	+	देनी होगी परन्तु वृटिश इण्डिया में लाने के बाद जो रकम बचेगी उसमें से ४५००) बाद देकर अव-शेष रकम ही नफा में जोड़ी जायगी।	+
+	+	+	+

है वह नहीं जोड़ी जायगी।
कालम नं० ६ और ५ की रकमों में जो बड़ी रकम होगी वही हिसाब में ली ...

अपवादों को छोड़ कर, किसी भी शख्श की गत वर्ष की
और प्राप्तियाँ सामिल

कर दाताओ की श्रेणियाँ	१ उस वर्ष मे उस शख्स या उसके लिये किसी द्वारा बृटिश इण्डिया मे प्राप्त (Received) हुई होगी	२ उस वर्ष मे उस शख्स या उसके लिये किसी द्वारा बृटिश इण्डिया मे प्राप्त हुई (deemed to be received) समझी जायगी	३ उस वर्ष मे उसको बृटिश भारत मे उपजी या हुई होगी (accrue or arise)
१—बृटिश भारत मे निवास नही करने वाले को	+	+	+
२—साधारण तौर पर बृटिश भारत मे नहीं रहने वाले को	+	+	+
३—बृटिश भारत के निवासी को	+	+	+
४—साधारण तौर पर बृटिश भारत मे रहनेवालेको	+	+	+

नोट न० १—जिस आय के सामने + चिन्ह है वह जोड़ी जायगी और – चिन्ह

२—जो साल ३१ मार्च १९४० को समाप्त होगी उसमें टैक्स लगाते समय दोनो रकमें शामिल नहीं की जायगी।

कुल आय मे किसी भी जरिए से हुई आमदनियाँ, मुनाफे होंगी जो कि

४	५		६
उस वर्षमे उसको बृटिश इण्डिया मे उपजी या हुई (deemed to accrue or arise) समझी जायगी	उस वर्ष मे उसको बृटिश इण्डियाके बाहर उपजी या हुई होगी—		ता० १ अप्रेल, १९३३ के बाद और उस वर्ष के आरम्भ के पहिले बृटिश भारत के बाहर उपजी या हुई जाकर जो आय उस वर्ष मे बृटिश भारत मे लाई या प्राप्त की जायगी
	(क) चाहे वह बृटिश इण्डिया मे लाई जाय या प्राप्त की जाय ।	(ख) अथवा वह न लाई जाय या प्राप्त की जाय	
+	–	–	–
+	+	उसी हालत मे देनी होगी जब कि यह भारतवर्ष मे से देख रेख और सचालित कारवार पेशे या, हुनर उद्योग या भारतवर्ष मे स्थापित पेशे या हुनर उद्योग से प्राप्त होगी ।	–
+	+	देनी होगी परन्तु बृटिश इण्डिया मे लाने के बाद जो रकम बचेगी उसमे से ४५००) बाद देकर अव-शेष रकम ही नफा मे जोड़ी जायगी ।	+
+	+	+	+

है वह नहीं जोड़ी जायगी ।

कालम न० ६ और ५ की रकमों मे जो बड़ी रकम होगी वही हिसाब मे ली जायगी

अपवाद

निम्न लिखित प्रकार की आएँ कुल आय मे नहीं जोडीं जायंगी अर्थात् उन पर टैक्स नही लगेगी:—

(१) ऐसी किसी जायदाद (Property) की आय जो कि पूर्ण रूप से धार्मिक या खैराती कार्यों [1] के लिए ट्रस्ट के सुपर्द हो या अन्य कानूनी तरह से इन कार्यों के लिए बंधी हुई हो। यदि जायदाद की समूची आय इन कार्यों में न लग कर केवल अंश रूप ही लगती हो तो उस हालत मे उतनी आय जितनी की इन कार्यों मे लगाई गई होगी या लगाने के लिए अलग कर दी गई होगी।

(२) धार्मिक या खैराती संस्थाओं की ओर से किये जाते हुए कारबार से होने वाली आय यदि वह सम्पूर्णतः संस्था के उद्देश्यों में लगायी जाती हो। परन्तु यह आय उसी हालत मे बाद पड सकेगी जब कि (१)ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाता हुआ कारबार उन संस्थाओं के प्रमुख उद्देश को पूरा करने के लिए किया जाता होगा, या (२) ऐसे कारबार के सब कार्य प्रधानतः उन मनुष्यों द्वारा किए जाते होंगे जिन को लाभ पहुँचाना इन संस्थाओं का उद्देश्य है।

(३) किसी धार्मिक या खैराती संस्था की कोई भी आय जो कि स्वेच्छा से दिए जाते हुए चन्दों से होगी और एकमात्र धार्मिक या खैराती कामों मे ही लगाये जाने की होगी।

१—इसमें तथा बाद के अपवादों मे खैराती उद्देश्यों का अर्थ है गरीबों की सेवा, शिक्षा, डाक्टरी सहायता, तथा सार्वजनिक हित के अन्य कार्यों की उन्नति के कार्य परन्तु अपवाद (१), (२), (३) के कारण किसी खानगी (Private) धार्मिक ट्रस्ट की वह आमदनी बाद नहीं दी जायगी जो कि सार्वजनिक कार्यों मे नहीं लगाई जाती।

(४) स्थानीय अधिकारियों की आय। सशोधन के पहले के कानून अनुसार स्थानीय अधिकारियों की सब आय टैक्स से वरी थी परन्तु अब वही आय टैक्स से वरी रहेगी जो कि उसके द्वारा अपने क्षेत्र मे (own Jurisdiction) वस्तु या सेवा प्रदान करने रूप तिजारत या कारवार से पैदा की गई होगी।

(५) उन जमानतों का व्याज जो कि किसी ऐसे प्रोविडेट फण्ड के कब्जे मे हों या उसकी जायदाद हो, जिसके प्रति प्रोविडेट फण्ड एक्ट सन् १९२५ ई० का लागू पड़ता हो।

(६) कोई विशेष अलाऊएन्स, फायदा, या पद-विषयक अलाऊएन्स (perquisite) जो कि खास तौर पर किसी पद सम्बन्धी या नफे के काम सम्बन्धी कर्त्तव्यों को पूरा करने मे ही जरूरी रूप से खर्च करने के लिए दिया जाता हो।

(७) ऐसी आय जो आकस्मिक—सयोग वश हुई हो और बराबर न होने वाली हो। परन्तु यदि ऐसी आय कारवार से या किसी धन्धे-रोजगार या हुन्नर-उद्योग से हुई होगी तो उस पर टैक्स लगेगी। उसी तरह से यदि वह किसी नौकर के वेतन मे वृद्धि करने की दृष्टि से मिली होगी तो उस पर भी टैक्स लगेगी।

(८) कृषि की आय।

(९) धारा ५८ ए क्लाज (ए) मे प्रोविडेन्ट फण्ड की जो परिभाषा दी है वैसे प्रोविडेन्ट फण्ड के ट्रस्टियों को ट्रस्ट के लिए प्राप्त हुई आय।

—धारा. ४

अध्याय-२

इन्कम टैक्स अधिकारी

५-ए-- इन्कम टैक्स एक्ट के प्रयोजनों के लिए इन्कम टैक्स अधिकारियों की निम्न लिखित श्रेणियां है :—

(१) सेन्ट्रल वोर्ड ऑफ रेविन्यू,

(२) कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स,

(३) असिस्टेन्ट कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स। ये दो तरह के होंगे--(१) अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर और (२) इन्सपैक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर।

(४) इन्कम टैक्स आफिसर।

पहली श्रेणी के कमिश्नर, आफिसरों के हुक्मों के खिलाफ अपीलों की सुनाई करेंगे और दूसरी श्रेणी के कमिश्नर अपील सुनने के वजाय वे सब काम करेंगे जो कमिश्नर द्वारा उनको सौंपे जायेंगे। आम तौर पर इनका काम आफिसरों के व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के काम का निरीक्षण और देख भाल करना होगा।

इन्कम टैक्स आफिसरों का काम एसेसी पर टैक्स लगाना और टैक्स लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाही करना होगा।

इन आफिसरों को नियुक्त करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को होगा।

अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर, सैन्ट्रल वोर्ड आफ रेविन्यू की वन्दोवस्ती मे रहेंगे और उसकी आज्ञानुसार कार्य करेंगे।

इन्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर और इन्कम टैक्स आफिसर कमिश्नर के नीचे रह कर काम करेंगे।

इन्कम टैक्स एक्ट को कार्यान्वित करने के लिए जो भी आफिसर या व्यक्ति नियुक्त किए जायंगे उनको सैन्ट्रल बोर्ड आफ रेविन्यू की आज्ञाओं, सलाहों और आदेशों का पालन करना होगा।

—धारा · ५

(५) अपीलेट ट्रीब्यूनल

ता० १ अप्रेल, १६३६ के दो वर्ष के भीतर एक अपीलेट ट्रीब्यूनल स्थापित किया जायगा। इसमें अधिक-से-अधिक १० व्यक्ति रहेंगे जिन में से आधे कानूनज्ञ अर्थात् जिला जज के अधिकारों को काम में लाये हुए या उस पद की योग्यता वाले और आधे हिसाब-विशेषज्ञ अर्थात् जो कम-से-कम छ: वर्ष तक रजिष्टर्ड अकाउन्टेण्ट रह कर यह पेशा कर चुके होंगे या जो हिसाब और कारबार सम्बन्धी जानकारी और अनुभव रखने वाले सदस्य होंगे।

इस ट्रीब्यूनल का एक अध्यक्ष रहेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नायज्ञ सदस्यों मे से नियुक्त किया जायगा। कार्य की सुगमता के लिए अध्यक्ष ट्रीब्यूनल के सदस्यों मे से कम-से-कम दो-दो की एक बेंच कर उससे ट्रीब्यूनल का कार्य करा सकेगा। प्रत्येक बेच मे दोनों प्रकार के सदस्य समान संख्या में रहेंगे यदि असमानता रहेगी तो एक सदस्य से अधिक की नहीं रहेगी। यदि किसी विषय पर बेच के सदस्य एक मत नहीं होंगे तो बहुमत होने पर बहुमत से निर्णय किया जायगा। पर समान सख्या मे भिन्न-भिन्न निर्णय के होंगे तो मत विभिन्नता वाली बात या बातें अध्यक्ष के सामने लाई जायंगी जो उनको ट्रीब्यूनल के अन्य एक या अधिक सदस्यों के पास निर्णय के लिए भेजेगा और यहां पर जो निर्णय होगा वह सुनाई करने वाले सदस्यों के—जिनमें पुराने सदस्य भी सामिल रहेंगे—बहुमत से होगा।

यह ट्रीब्यूनल सम्पूर्ण रूप से अलग और स्वतन्त्र न्याय विभाग होगा। और किसी भी तरह से कमिश्नर की अधीनता मे न होगा।

इस ट्रीब्यूनल को अधिकार रहेगा कि वह अपने कर्त्तव्यों के करते हुए जो भी बातें आवे उनके सम्बन्ध मे अपनी और अपनी बेंचों की कार्यप्रणाली को सचालित करे। बेंचों की बैठकें कहां हों—यह ठीक करने का हक भी ट्रीब्यूनल को ही है।

—धारा : ५-ए

अध्याय-३

१—आय के शीर्षक

६—आय के अनेक जरिए हो सकते है। इन्कम टैक्स एक्ट में इन जरियों को पांच शीर्पकों मे बांट दिया है जो इस प्रकार है:—

(१) वेतने

(२) जमानतों का ब्याज

(३) जायदाद से आय

(४) कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे और लाभ

(५) अन्य जरियों से आय।

प्रत्येक एसेसी को हर वर्ष यह बतलाना पडता है कि उसने 'गत वर्ष' मे किस शीर्षक के अन्तर कितनी आमदनी की है अतः यहाँ पर विस्तार पूर्वक खुलासा कर देना जरूरी है। वह नीचे दिया जाता है।

—धारा : ६

२—वेतनें

७—(१) 'वेतनें' यह शब्द बहुवचन है। इसके अन्तर (१) वेतन या मजदूरी, (२) वार्पिक वजीफा, (annuity) (३) पेन्शन या इनाम (gratuity) और (४) कोई फीस, (५) कमीशन, या (६) वेतन या मजदूरी के बदले या उसके उपरांत जो सुभीता (per qnisites) या मुनाफा दिया जाता है—वे सब सामिल हैं।

'वेतन' का अर्थ होता है बदला जो कि किसी दूसरे के कारबार के लिए अपनी सेवाएँ देने से प्राप्त होता है। एक अवधि के बाद मिलने वाला निश्चित दरमाहा जो कि किसी कारीगरी या दस्तकारी के सिवा अन्य किसी प्रकार की सेवाओं के लिए दिया जाय—वेतन कहलाता है।

कारीगरों या मजदूरों को जो तनख्वाह दी जाती है उसे मजदूरी कहते है।

वार्षिक रूप से जो भत्ता या वृत्ति मिलती है उसे वार्षिक वजीफा कहते है।

भारत सरकार की आमदनी मे से पूर्व सेवाओं के लिए या खास योग्यता के लिए जो वृत्ति दी जाती है उसे पेनशन कहते हैं। राजगद्दी से उतारे हुए राजाओं उनके परिवार और मातहतों को जो क्षति पूर्ति के स्वरूप रकम दी जाती है और परस्पर सन्धि-पत्रों के कारण जो रुपये दिए जाते है वे भी इसमे सामिल है।

यदि नौकर के साथ यह बात हो कि यदि उसकी सेवाएँ संतोषजनक हुई तो उसे अमुक रकम और मिलेगी—तो यह एक प्रकार का इनाम (Gratuity) कहलाता है।

यदि मालिक की ओर से रहने के लिए मुफ्त मे मकान मिले तो यह सुभीता (Perquisites)—कहलाता है। इसी प्रकार मुफ्त मे रोशनी काम मे लाने का हक हो तो वह भी परकीजिट्स है। ऐसी रकम जो कि एसेसी को अपने मालिक से या भूतपूर्व मालिक से या किसी प्रोविडेन्ट फण्ड या अन्य फण्ड से नौकरी खत्म होने पर या खत्म होने के सम्बन्ध मे मिली हो या पावनी हो वह वेतन के बदले मिला हुआ लाभ समझी जायगी। और टैक्स लगाते समय उसको आमदनी मे गिन लिया जायगा चाहे नौकरी उस समय खत्म हुई हो या न हुई हो या बाद में खत्म होने को हो या न हो।

अगर एसेसी यह साबित कर देगा कि (१) जो रकम इस प्रकार मिली है या पावनी है वह उसके द्वारा दी हुई रकम या उसका सूद है या (२) जो रकम दी गई है वह पिछली नौकरी की वेतन नहीं है परन्तु केवल नौकरी छूट जाने के बदले में दी गई क्षति पूर्ति की रकम है तो वह वेतन के बदले प्राप्त लाभ नहीं मानी जायगी।

परन्तु निम्नलिखित रूप से दी हुई रकमों पर किसी हाल्त में टैक्स नही लगेगा :—

(१) उस रकम पर जो कि ऐसे प्रोविडेंट फण्ड से दी गई हो जिसके प्रति प्रोविडेट फण्डस एक्ट, १६२५ लागू पडता हो, या

(२) इन्कम टैक्स एक्ट के अध्याय ६-ए के अर्थ के अनुसार स्वीकृत हुए किसी प्रोविडेंट फण्ड से जो रकम दी गई हो बशर्ते कि अध्याय ६-ए के विधान से वह टैक्स से बरी हो, या

(३) अध्याय ६-बी के अर्थ के अनुसार स्वीकृत हुए किसी सुपरएन्यूएसन फण्ड मे जो रुपया किसी बेनीफिसीयरी की मृत्यु पर या किसी वार्षिक वजीफे के बदले मे या उसके निपटारे मे (बदले में) (Commutation) या किसी बेनीफिसीयरी के मरने पर या नौकरी छोड़ने पर, जिस नौकरी के सम्बन्ध मे कि फण्ड की स्थापना हुई है, रिफण्ड के बतौर जो रुपया दिया गया हो।

उपरोक्त वेतनों पर, चाहे वे सरकार, स्थानीय अधिकारी, कम्पनी, अन्य सार्वजनिक सस्था द्वारा या उनकी ओर से दी जाती हो या किसी खानगी मालिक द्वारा या उसकी ओर से दी जाती हों, टैक्स लगेगी।

पहिले वेतन आदि प्राप्त होने पर ही उन पर टैक्स ली जाती थी परन्तु इस संशोधित एक्ट के अनुसार वेतनें दी जांय या नहीं जैसे ही वे पावनी होंगी, उन पर टैक्स लगा दिया जायगा।

वेतनों के विषय में यदि उधार के तौर पर या अन्य किसी रूप मे कोई रकम पेशगी ली जायगी तो वह रकम वेतन समझी जायगी और यह माना जायगा कि उतनी रकम, पेशगी लेने के दिन पावनी हो चुकी थी।

इस सशोधन के द्वारा, पेशगी लेकर या वेतन नहीं उठा कर टैक्स से बचने का जो तरीका था, उसको रोका गया है।

उस रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो रकम कि एसेसी को नौकरी की शर्तों के अनुसार अपनी तनख्वाह मे से सम्पूर्ण रूप से जरूरी तौर पर, और केवल मात्र नौकरी के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए खर्च करनी पड़ती हो।

उदाहरण स्वरूप इन्स्योरेंस के दलालों को लीजिए। बहुत से दलाल ऐसे मिलेंगे जिन्हे कम्पनी की ओर से मोट रकम दे दी जाती है। उन्हे कम्पनी के साथ हुई शर्तों के अनुसार मोटरकार रखनी पड़ती है। कम्पनी के काम के लिए मोटर का जो खर्च होगा वह मोट रकम से बाद दे दिया जायगा और बाकी रकम को उनकी वेतन समझा जायगा।

किसी व्यक्ति को भविष्य मे वार्षिक वजीफा मिल सके इस उद्देश्य से या उसकी स्त्री या बच्चो के निर्वाह के प्रबन्ध के उद्देश्य से जो रकम नौकरी की शर्तों के अनुसार सम्राट् के किसी नौकर की वेतन मे से काटी जायगी उसके विषय मे टैक्स नहीं देनी होगी। परन्तु इस प्रकार काटी हुई रकम वेतन की रकम के छठे हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस शीर्षक के नीचे जिस आमदनी पर टैक्स लगती है, वैसी आमदनी अगर कोई किसी को दे तो उसे उस आमदनी पर धारा १८ के अनुसार, टैक्स काट लेनी पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि टैक्स उपरोक्त प्रकार से काट ली गई हो परन्तु मालिक (Employer) द्वारा

४—जायदाद की आय

९—(१) जायदाद का अर्थ है मकान या मकान के साथ लगी हुई जमीन। इस शीर्षक के नीचे मकान या मकान के साथ लगी हुई जमीन की आय आती है। खुली जमीन की आय इस शीर्षक मे नहीं धरी जाती। टैक्स जायदाद के 'उचित वार्षिक मूल्य'[१] पर देनी पड़ती है। वह जायदाद के मालिक पर लगाई जाती है।

जायदाद के उस हिस्से के वार्षिक मूल्य पर टैक्स नहीं लगायी जायगी जो हिस्सा एसेसी अपने कारबार, पेशे या रोजगार के निमित्त काम मे लायगा केवल शर्त इतनी ही है कि यह कारबार, पेशा या रोजगार ऐसा होना चाहिए जिसके नफे पर टैक्स लागू हो सके। इस सशोधित कानून के पहले नफे पर टैक्स लग सके या नहीं कारबारादि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हुए हिस्से के वार्षिक मूल्य पर टैक्स नहीं धरा जाता था परन्तु अब उपरोक्त शर्त जोड दी गई है।

जायदाद के वार्षिक मूल्य में से निम्नलिखित अलाउऐंस बाद दे दिए जायगे:—

(१) जब जायदाद मालिक के उपयोग मे (अधिकार में) होगी तो मरम्मत खर्च के लिए एक ऐसी रकम जो वार्षिक मूल्य के छठें भाग के बराबर होगी,

यदि जायदाद किसी को भाड़े पर दी हुई होगी और उसका मरम्मत खर्च जायदाद—मालिक के जिम्मे होगा तो उस हालत में भी उपरोक्त रकम मरम्मत खर्च के बतौर बाद दे दी जायगी[१]।

(२) यदि मरम्मत खर्च किरायेदार के जिम्मे होगा तो वार्षिक मूल्य में और किराये मे जो फर्क होगा उतनी रकम बाद दे दी जायगी

१—इसके अर्थ के लिए देखिये आगे उपधारा (२) पृ० ३१-३२

परन्तु इस प्रकार बाद दी जाने वाली रकम किसी भी हालत मे वार्षिक मूल्य के छठे भाग से अधिक नहीं होगी।

(३) जायदाद को क्षति या नष्ट होने की जोखिम से बचाने के लिए वेची गई बीमा का वार्षिक प्रीमियम।

(४) यदि जायदाद गिरवी रखी हुई होगी या उस पर अन्य कोई केपिटल चार्ज होगा तो गिरवी या चार्ज की रकम का व्याज,

यदि जायदाद पर किसी ऐसे वार्षिक चार्ज की लाग होगी जो कि केपिटल चार्ज नहीं है तो उस चार्ज की रकम,

यदि जायदाद किराए की जमीन पर होगी तो उस जमीन का किराया, और

यदि जायदाद उधार लिए हुए रुपयों से खरीदी गई, वनाई ग मरम्मत की गई, सुधारी गई या फिर से वनाई गई होगी तो इन रु का व्याज।

संशोधन के पूर्व जायदाद पर किसी प्रकार का केपिटल चार्ज होता तो चार्ज की रकम का व्याज वाद दे दिया जाता था चाहे उधार लिया हुआ रुपया खानगी उद्देश्यो से ही लिया गया हो, उसी प्रकार जायदाद खरीदने के लिए जो रुपये उधार लिए जाते थे उनका व्याज भी वाद दे दिया जाता था चाहे जायदाद पर कोई चार्ज न हो; अब संशोधन के अनुसार यदि जायदाद पर कोई वार्षिक चार्ज होगा और यदि ऐसा चार्ज केपिटल चार्ज नहीं होगा तो वह भी वाद दे दिया जायगा। तथा रुपये जायदाद खरीदने के लिए नह परन्तु जायदाद वनाने के लिए, या उसे मरम्मत करने, सुधारने ट फिर से वनाने के लिए उधार लिए गये होंगे तो भी उनका व्याज वाद दे दिया जायगा।

(गिरवी रखने में जायदाद के प्रति किसी दूसरे का हक

दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कब्जे में होगी तो वार्षिक मूल्य मालिक की कुल आमदनी के दस प्रति सैकड़े से अधिक नहीं माना जायगा।

(३) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो टैक्स लगाया जायगा वह उन मनुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय .. कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय ... ढग पर कूँती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक मनुष्य की कुल आमदनी में जोड़ दिया जायगा।

—धारा : ९

(५) कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या लाभ

१०—(१) कारबार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या लाभ होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है। ऐसी आय पर कारबार आदि चलाने वाले को टैक्स देना होता है।

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कूंत करते समय निम्न लिखित अलाउन्स (खर्चे) बाद दे दिये जाते हैं:—

(क) कारबार आदि जिस इमारत या स्थान में किया जाता हो उसका भाडा। यदि इस स्थान का काफी भाग एसेसी द्वारा अपने रहने के लिए काम में लाया जाता होगा तो अलाउन्स उतना बाद दिया जायगा जितना कि इन्कम टैक्स आफिसर इस प्रकार बर्ते जाने हुए भाग की वार्षिक कीमत को देखते हुए अनुपात से आंकेगा।

(ख) मकान मरम्मत का खर्च। अगर एसेसी भाड़ैती हो और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे लिया हो तो मरम्मत के

लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान का काफी भाग एसेसी द्वारा रहने के मकान के बतौर व्यवहार में लाया जाता होगा तो मरम्मत खर्च मे से इस हिस्से की मरम्मत का खर्च कम कर दिया जायगा।

(ग) कारबार आदि के लिए यदि कोई पूंजी उधार ली गयी होगी तो उसके विषय मे दिया हुआ व्याज। परन्तु यदि व्याज ऐसा होगा जिस पर कि टैक्स लगती हो और वह बृटिश भारत के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत में वह बाद दिया जायगा जब कि इस व्याज पर धारा १८ के अनुसार टैक्स दे दिया गया या काट लिया गया होगा, या (२) बृटिश भारत मे ऐसा कोई एजेन्ट होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज पर टैक्स लिया जा सके। यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (Loan) के बारे मे होगा जो कि ता० १ अप्रल, ३८ के पहिले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाला गया होगा तो बृटिश भारत के बाहर देने पर भी वह बाद दे दिया जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्तें लागू नहीं होंगी। यदि व्याज फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो वह बाद नहीं दिया जायगा।

बार बार दिये जाने वाले चन्दे (Recurring Subscriptions), जो स्वीकृत म्युच्युअल बेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या चन्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते है, उधार ली हुई पूंजी समझी जायगी और उनका व्याज बाद दे दिया जायगा।

(घ) कारबार आदि के प्रयोजन के लिए व्यवहार मे आती हुई इमारतों, कलो, प्लैन्ट (plant),[1] सामान (furniture),

---

१—'प्लैन्ट' मे, गाड़िया, किताबें, वैज्ञानिक यन्त्र, और चीरे फाड़े के सामान—जो कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिये खरीदे गये हो, शामिल है।—उपधारा ५

दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कब्जे में होगी तो वार्षिक मूल्य मालिक की कुल आमदनी के दस प्रति सैकड़े से अधिक नहीं माना जायगा।

(३) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो टैक्स लगाया जायगा वह उन मनुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय समझ कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय उपरोक्त ढग पर कूँती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक मनुष्य की कुल आमदनी मे जोड़ दिया जायगा।

—धारा : ९

(५) कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या लाभ

१०—(१) कारबार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या लाभ होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है। ऐसी आय पर कारबार आदि चलाने वाले को टैक्स देना होता है।

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कूंत करते समय निम्न-लिखित अलाउन्स (खर्चे) वाद दे दिये जाते है.—

(क) कारबार आदि जिस इमारत या स्थान में किया जाता हो उसका भाड़ा। यदि इस स्थान का काफी भाग एसेसी द्वारा अपने रहने के लिए काम मे लाया जाता होगा तो अलाउन्स उतना बाद दिया जायगा जितना कि इन्कम टैक्स आफिसर इस प्रकार वर्ते जाने हुए भाग की वार्षिक कीमत को देखते हुए अनुपात से आंकेगा।

(ख) मकान मरम्मत का खर्च। अगर एसेसी भाड़ेती हो और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे लिया हो तो मरम्मत के

लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान का काफी भाग एसेसी द्वारा रहने के मकान के बतौर व्यवहार मे लाया जाता होगा तो मरम्मत खर्च मे से इस हिस्से की मरम्मत का खर्च कम कर दिया जायगा।

(ग) कारबार आदि के लिए यदि कोई पूजी उधार ली गयी होगी तो उसके विषय मे दिया हुआ व्याज। परन्तु यदि व्याज ऐसा होगा जिस पर कि टैक्स लगती हो और वह वृटिश भारत के वाहर दिया गया होगा तो उसी हालत मे वह बाद दिया जायगा जब कि इस व्याज पर धारा १८ के अनुसार टैक्स दे दिया गया या काट लिया गया होगा, या (२) वृटिश भारत में ऐसा कोई एजेन्ट होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज पर टैक्स लिया जा सके। यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (Loan) के वारे मे होगा जो कि ता० १ अप्रल, ३८ के पहिले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाला गया होगा तो वृटिश भारत के वाहर देने पर भी वह वाद दे दिया जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्तें लागू नहीं होंगी। यदि व्याज फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो वह वाद नहीं दिया जायगा।

वार वार दिये जाने वाले चन्दे (Recurring Subscriptions), जो स्वीकृत म्युच्युअल बेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या चन्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते है, उधार ली हुई पूजी समझी जायगी और उनका व्याज बाद दे दिया जायगा।

(घ) कारबार आदि के प्रयोजन के लिए व्यवहार मे आती हुई इमारतों, कलों, प्लैन्ट (plant),[1] सामान (furniture),

---

१—'प्लैन्ट' मे, गाड़िया, किताबें, वैज्ञानिक यन्त्र, और चीरे फाड़े के सामान—जो कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिये खरीदे गये हों, शामिल है।—उपधारा ५

दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कब्जे में होगी तो वार्षिक मूल्य मालिक की कुल आमदनी के दस प्रति सैकड़े से अधिक नहीं माना जायगा।

(३) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो टैक्स लगाया जायगा वह उन मनुष्यो को व्यक्तियों का समुदाय समझ कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय उपरोक्त ढग पर कूँती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक मनुष्य की कुल आमदनी मे जोड़ दिया जायगा।

—धारा : ९

(५) कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या लाभ

१०—(१) कारबार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या लाभ होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है। ऐसी आय पर कारबार आदि चलाने वाले को टैक्स देना होता है।

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कूंत करते समय निम्न-लिखित अलाउन्स (खर्चे) वाद दे दिये जाते हैं.—

(क) कारबार आदि जिस इमारत या स्थान मे किया जाता हो उसका भाडा। यदि इस स्थान का काफी भाग एसेसी द्वारा अपने रहने के लिए काम मे लाया जाता होगा तो अलाउन्स उतना बाद दिया जायगा जितना कि इन्कम टैक्स आफिसर इस प्रकार वर्ते जाते हुए भाग की वार्षिक कीमत को देखते हुए अनुपात से आंकेगा।

(ख) मकान मरम्मत का खर्च। अगर एसेसी भाडेती हो और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे लिया हो तो मरम्मत के

लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान का काफी भाग एसेसी द्वारा रहने के मकान के बतौर व्यवहार में लाया जाता होगा तो मरम्मत खर्च मे से इस हिस्से की मरम्मत का खर्च कम कर दिया जायगा।

(ग) कारबार आदि के लिए यदि कोई पूजी उधार ली गयी होगी तो उसके विषय मे दिया हुआ व्याज। परन्तु यदि व्याज ऐसा होगा जिस पर कि टैक्स लगती हो और वह बृटिश भारत के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत मे वह बाद दिया जायगा जब कि इस व्याज पर धारा १८ के अनुसार टैक्स दे दिया गया या काट लिया गया होगा, या (२) बृटिश भारत में ऐसा कोई एजेन्ट होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज पर टैक्स लिया जा सके। यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (Loan) के बारे मे होगा जो कि ता० १ अप्रल, ३८ के पहिले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाला गया होगा तो बृटिश भारत के बाहर देने पर भी वह बाद दे दिया जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्तें लागू नहीं होंगी। यदि व्याज फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो वह बाद नहीं दिया जायगा।

बार बार दिये जाने वाले चन्दे (Recurring Subscriptions), जो स्वीकृत म्युच्युअल बेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या चन्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते हैं, उधार ली हुई पूजी समझी जायगी और उनका व्याज बाद दे दिया जायगा।

(घ) कारबार आदि के प्रयोजन के लिए [illegible] आती हुई इमारतों, कलों, प्लैन्ट (plant),[1] सामान ([illegible]),

---

[1]—'प्लैन्ट' मे, गाड़िया, कितावें, वैज्ञानिक यन्त्र, और [illegible] जो कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिये खरीदे गये हों, [illegible]।

दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कब्जे में होगी तो वार्षिक मूल्य मालिक की कुल आमदनी के दस प्रति सैकड़े से अधिक नहीं माना जायगा।

(३) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो टैक्स लगाया जायगा वह उन मनुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय समझ कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय उपरोक्त ढग पर कूँती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक मनुष्य की कुल आमदनी मे जोड़ दिया जायगा।

—धारा : ९

(५) *कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या लाभ*

१०—(१) कारबार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या लाभ होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है। ऐसी आय पर कारबार आदि चलाने वाले को टैक्स देना होता है।

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कूंत करते समय निम्न-लिखित अलाउन्स (खर्चे) बाद दे दिये जाते हैं—

(क) कारबार आदि जिस इमारत या स्थान में किया जाता हो उसका भाडा। यदि इस स्थान का काफी भाग एसेसी द्वारा अपने रहने के लिए काम मे लाया जाता होगा तो अलाउन्स उतना बाद दिया जायगा जितना कि इन्कम टैक्स आफिसर इस प्रकार वर्त्ते जाते हुए भाग की वार्षिक कीमत को देखते हुए अनुपात से आंकेगा।

(ख) मकान मरम्मत का खर्च। अगर एसेसी भाडेती हो और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे लिया हो तो मरम्मत के

लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान का काफी भाग एसेसी द्वारा रहने के मकान के बतौर व्यवहार में लाया जाता होगा तो मरम्मत खर्च मे से इस हिस्से की मरम्मत का खर्च कम कर दिया जायगा।

(ग) कारवार आदि के लिए यदि कोई पूंजी उधार ली गयी होगी तो उसके विषय मे दिया हुआ व्याज। परन्तु यदि व्याज ऐसा होगा जिस पर कि टैक्स लगती हो और वह बृटिश भारत के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत में वह बाद दिया जायगा जब कि इस व्याज पर धारा १८ के अनुसार टैक्स दे दिया गया या काट लिया गया होगा, या (२) बृटिश भारत में ऐसा कोई एजेन्ट होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज पर टैक्स लिया जा सके। यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (Loan) के बारे मे होगा जो कि ता० १ अप्रल, ३८ के पहिले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाला गया होगा तो बृटिश भारत के बाहर देने पर भी वह बाद दे दिया जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्तें लागू नहीं होंगी। यदि व्याज फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो वह बाद नहीं दिया जायगा।

बार बार दिये जाने वाले चन्दे (Recurring Subscriptions), जो स्वीकृत म्युच्युअल बेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या चन्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते हैं, उधार ली हुई पूजी समझी जायगी और उनका व्याज बाद दे दिया जायगा।

(घ) कारवार आदि के प्रयोजन के लिए व्यवहार मे आती हुई इमारतों, कलों, प्लैन्ट (plant),[1] सामान (furniture),

---

१—'प्लैन्ट' मे, गाड़िया, कितावें, वैज्ञानिक [illegible] रे फाड़े के स जो कि कारवार आदि के प्रयोजन के लिये खरीदे [illegible] धारा

दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कब्जे में होगी तो वार्षिक मूल्य मालिक की कुल आमदनी के दस प्रति सैकड़े से अधिक नहीं माना जायगा।

(३) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो टैक्स लगाया जायगा वह उन मनुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय समझ कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय उपरोक्त ढग पर कूँती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक मनुष्य की कुल आमदनी में जोड़ दिया जायगा।

—धारा : ९

(५) कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या लाभ

१०—(१) कारबार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या लाभ होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है। ऐसी आय पर कारबार आदि चलाने वाले को टैक्स देना होता है।

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कूंत करते समय निम्न-लिखित अलाउन्स (खर्चे) बाद दे दिये जाते हैं:—

(क) कारबार आदि जिस इमारत या स्थान में किया जाता हो उसका भाडा। यदि इस स्थान का काफी भाग एसेसी द्वारा अपने रहने के लिए काम मे लाया जाता होगा तो अलाउन्स उतना बाद दिया जायगा जितना कि इन्कम टैक्स आफिसर इस प्रकार वर्ते जाते हुए भाग की वार्षिक कीमत को देखते हुए अनुपात से आंकेगा।

(ख) मकान मरम्मत का खर्च। अगर एसेसी भाडेती हो और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे लिया हो तो मरम्मत के

लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान का काफी भाग एसेसी द्वारा रहने के मकान के बतौर व्यवहार मे लाया जाता होगा तो मरम्मत खर्च मे से इस हिस्से की मरम्मत का खर्च कम कर दिया जायगा।

(ग) कारवार आदि के लिए यदि कोई पूजी उधार ली गयी होगी तो उसके विषय मे दिया हुआ व्याज। परन्तु यदि व्याज ऐसा होगा जिस पर कि टैक्स लगती हो और वह बृटिश भारत के वाहर दिया गया होगा तो उसी हालत में वह वाद दिया जायगा जब कि इस व्याज पर धारा १८ के अनुसार टैक्स दे दिया गया या काट लिया गया होगा, या (२) बृटिश भारत मे ऐसा कोई एजेन्ट होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज पर टैक्स लिया जा सके। यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (Loan) के वारे मे होगा जो कि ता० १ अप्रल, ३८ के पहिले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाला गया होगा तो बृटिश भारत के वाहर देने पर भी वह वाद दे दिया जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्ते लागू नहीं होंगी। यदि व्याज फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो वह वाद नही दिया जायगा।

वार वार दिये जाने वाले चन्दे (Recurring Subscriptions), जो स्वीकृत म्युच्युअल बेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या चन्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते है, उधार ली हुई पूजी समझी जायगी और उनका व्याज वाद दे दिया जायगा।

(घ) कारवार आदि के प्रयोजन के लिए व्यवहार मे आती हुई इमारतों, कलों, प्लैन्ट (plant),[1] सामान (furniture),

---

१—'प्लैन्ट' मे, गाड़िया, किताबें, वैज्ञानिक यन्त्र, और चीरे फाड़ के सामान—जो कि कारवार आदि के प्रयोजन के लिये खरीदे गये हों, सामिल हैं।—उपधारा ५

दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कब्जे में होगी तो वार्षिक मूल्य मालिक की कुल आमदनी के दस प्रति सैकड़े से अधिक नहीं माना जायगा।

(३) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो टैक्स लगाया जायगा वह उन मनुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय समझ कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय उपरोक्त ढग पर कूँती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक मनुष्य की कुल आमदनी मे जोड़ दिया जायगा।

—धारा : ६

(५) कारवार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या लाभ

१०—(१) कारवार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या लाभ होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है। ऐसी आय पर कारवार आदि चलाने वाले को टैक्स देना होता है।

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कूंत करते समय निम्न-लिखित अलाउन्स (खर्चे) वाद दे दिये जाते हैं:—

(क) कारवार आदि जिस इमारत या स्थान मे किया जाता हो उसका भाड़ा। यदि इस स्थान का काफी भाग एसेसी द्वारा अपने रहने के लिए काम में लाया जाता होगा तो अलाउन्स उतना वाद दिया जायगा जितना कि इन्कम टैक्स आफिसर इस प्रकार वर्ते जाते हुए भाग की वार्षिक कीमत को देखते हुए अनुपात से आंकेगा।

(ख) मकान मरम्मत का खर्च। अगर एसेसी भाड़ेती हो और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे लिया हो तो मरम्मत के

लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान का काफी भाग एसेसी द्वारा रहने के मकान के बतौर व्यवहार में लाया जाता होगा तो मरम्मत खर्च मे से इस हिस्से की मरम्मत का खर्च कम कर दिया जायगा।

(ग) कारवार आदि के लिए यदि कोई पूजी उधार ली गयी होगी तो उसके विषय में दिया हुआ व्याज। परन्तु यदि व्याज ऐसा होगा जिस पर कि टैक्स लगती हो और वह बृटिश भारत के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत में वह बाद दिया जायगा जब कि इस व्याज पर धारा १८ के अनुसार टैक्स दे दिया गया या काट लिया गया होगा, या (२) बृटिश भारत में ऐसा कोई एजेन्ट होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज पर टैक्स लिया जा सके। यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (Loan) के बारे में होगा जो कि ता० १ अप्रल, ३८ के पहिले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाला गया होगा तो बृटिश भारत के बाहर देने पर भी वह बाद दे दिया जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्तें लागू नहीं होंगी। यदि व्याज फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो वह बाद नहीं दिया जायगा।

बार बार दिये जाने वाले चन्दे (Recurring Subscriptions), जो स्वीकृत म्युच्युअल बेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या चन्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते है, उधार ली हुई पूजी समझी जायगी और उनका व्याज बाद दे दिया जायगा।

(घ) कारबार आदि के प्रयोजन के लिए व्यवहार मे आती हुई इमारतों, कलों, प्लैन्ट (plant),[१] सामान (furniture),

---

१—'प्लैन्ट' मे, गाड़िया, किताबे, वैज्ञानिक यन्त्र, और चीरे फाड़े के सामान—जो कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिये खरीदे गये हो, शामिल हैं।—उपधारा ५

दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कब्जे में होगी तो वार्षिक मूल्य मालिक की कुल आमदनी के दस प्रति सैकड़े से अधिक नहीं माना जायगा।

(३) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो टैक्स लगाया जायगा वह उन मनुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय समझ कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय उपरोक्त ढग पर कूँती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक मनुष्य की कुल आमदनी में जोड़ दिया जायगा।

—धारा : ९

(५) *कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या लाभ*

१०—(१) कारबार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या लाभ होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है। ऐसी आय पर कारबार आदि चलाने वाले को टैक्स देना होता है।

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कूंत करते समय निम्न-लिखित अलाउन्स (खर्चे) बाद दे दिये जाते है.—

(क) कारबार आदि जिस इमारत या स्थान मे किया जाता हो उसका भाड़ा। यदि इस स्थान का काफी भाग एसेसी द्वारा अपने रहने के लिए काम मे लाया जाता होगा तो अलाउन्स उतना बाद दिया जायगा जितना कि इन्कम टैक्स आफिसर इस प्रकार बर्ते जाते हुए भाग की वार्षिक कीमत को देखते हुए अनुपात से आंकेगा।

(ख) मकान मरम्मत का खर्च। अगर एसेसी भाड़ेती हो और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे लिया हो तो मरम्मत के

लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान का काफी भाग एसेसी द्वारा रहने के मकान के बतौर व्यवहार मे लाया जाता होगा तो मरम्मत खर्च मे से इस हिस्से की मरम्मत का खर्च कम कर दिया जायगा।

(ग) कारबार आदि के लिए यदि कोई पूजी उधार ली गयी होगी तो उसके विषय मे दिया हुआ व्याज। परन्तु यदि व्याज ऐसा होगा जिस पर कि टैक्स लगती हो और वह वृटिश भारत के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत मे वह बाद दिया जायगा जब कि इस व्याज पर धारा १८ के अनुसार टैक्स दे दिया गया या काट लिया गया होगा, या (२) वृटिश भारत मे ऐसा कोई एजेन्ट होगा जिससे कि धारा ४२ के अनुसार इस व्याज पर टैक्स लिया जा सके। यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (Loan) के बारे मे होगा जो कि ता० १ अप्रल, ३८ के पहिले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाला गया होगा तो वृटिश भारत के बाहर देने पर भी वह बाद दे दिया जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्तें लागू नहीं होगी। यदि व्याज फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो वह बाद नही दिया जायगा।

बार बार दिये जाने वाले चन्दे (Recurring Subscriptions), जो स्वीकृत म्युच्युअल बेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या चन्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते हैं, उधार ली हुई पूजी समझी जायगी और उनका व्याज बाद दे दिया जायगा।

(घ) कारबार आदि के प्रयोजन के लिए व्यवहार मे आती हुई इमारतो, कलो, प्लैन्ट (plant)[१] सामान (furniture).

१—'प्लैन्ट' मे. गाड़िया, किताबें, वैज्ञानिक यन्त्र, और चीरे फाड़े के सामान— जो कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिये खरीदे गये हों, शामिल हैं।—उपधारा ५।

दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कब्जे में होगी तो वार्षिक मूल्य मालिक की कुल आमदनी के दस प्रति सैकड़े से अधिक नही माना जायगा।

(३) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो टैक्स लगाया जायगा वह उन मनुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय समझ कर नही लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय उपरोक्त ढग पर कूँती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक मनुष्य की कुल आमदनी में जोड़ दिया जायगा।

—धारा : ९

(७) कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या लाभ

१०—(१) कारबार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या लाभ होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है। ऐसी आय पर कारबार आदि चलाने वाले को टैक्स देना होता है।

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कूंत करते समय निम्न-लिखित अलाउन्स (खर्चे) बाद दे दिये जाते हैं:—

(क) कारबार आदि जिस इमारत या स्थान मे किया जाता हो उसका भाड़ा। यदि इस स्थान का काफी भाग एसेसी द्वारा अपने रहने के लिए काम मे लाया जाता होगा तो अलाउन्स उतना बाद दिया जायगा जितना कि इन्कम टैक्स आफिसर इस प्रकार वर्ते जाते हुए भाग की वार्षिक कीमत को देखते हुए अनुपात से आंकेगा।

(ख) मकान मरम्मत का खर्च। अगर एसेसी भाड़ेती हो और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे लिया हो तो मरम्मत के

लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान का काफी भाग एसेसी द्वारा रहने के मकान के बतौर व्यवहार मे लाया जाता होगा तो मरम्मत खर्च मे से इस हिस्से की मरम्मत का खर्च कम कर दिया जायगा।

(ग) कारबार आदि के लिए यदि कोई पूजी उधार ली गयी होगी तो उसके विषय में दिया हुआ व्याज। परन्तु यदि व्याज ऐसा होगा जिस पर कि टैक्स लगती हो और वह बृटिश भारत के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत मे वह बाद दिया जायगा जब कि इस व्याज पर धारा १८ के अनुसार टैक्स दे दिया गया या काट लिया गया होगा, या (२) बृटिश भारत मे ऐसा कोई एजेन्ट होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज पर टैक्स लिया जा सके। यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (Loan) के बारे मे होगा जो कि ता० १ अप्रल, ३८ के पहिले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाला गया होगा तो बृटिश भारत के बाहर देने पर भी वह बाद दे दिया जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनो शर्तें लागू नहीं होंगी। यदि व्याज फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो वह बाद नहीं दिया जायगा।

बार बार दिये जाने वाले चन्दे (Recurring Subscriptions), जो स्वीकृत म्युच्युअल बेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या चन्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते है, उधार ली हुई पूजी समझी जायगी और उनका व्याज बाद दे दिया जायगा।

(घ) कारबार आदि के प्रयोजन के लिए व्यवहार मे आती हुई इमारतों, कलों, प्लैन्ट (plant),[1] सामान (furniture),

---

१—'प्लैन्ट' मे, गाड़िया, किताबे, वैज्ञानिक यन्त्र, और चीरे फाड़ के सामान— जो कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिये खरीदे गये हों, शामिल हैं।—उपधारा ५

इस ट्रीब्यूनल को अधिकार रहेगा कि व
हुए जो भी बातें आवें उनके सम्बन्ध में अप
कार्यप्रणाली को संचालित करे। बेंचों की
करने का हक भी ट्रीब्यूनल को ही है।

अध्याय-३

१—आय के शी

६—आय के अनेक जरिए हो सकते है।
जरियों को पांच शीर्पकों मे बांट दिया है ज

(१) वेतने
(२) जमानतों का व्याज
(३) जायदाद से आय
(४) कारवार, पेशे या रोजगार
(५) अन्य जरियों से आय।

प्रत्येक एसेसी को हर वर्ण यह वतला
वर्प' में किस शीर्पक के अन्तर कितनी
विस्तार पूर्वक खुलासा कर देना जरूरी है

२—वेतनें

७—(१) 'वेतने' यह शव्द वहुवचन
या मजदूरी, (२) वार्पिक वजीफा, (ऽ
इनाम (gratuity) और (४) को
(६) वेतन या मजदूरी के वदले या
quisites) या मुनाफा दिया जाता है

बची हुई', (written down) कीमत पर कसी जायगी[1]। 'घट कर बची हुई कीमत' का साधारणतः अर्थ उस कीमत से है जो कि असली कीमत मे से पूर्व मे घिसाई के बारे मे जो रकमे बाद ... जा चुकी है उनको बाद देने पर रहती है[2]।

१—इन दोनो पद्धतियो के फर्क को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

	खरीद कीमत का तरीका		घटकर बची हुई कीमत का तरीका
वर्ष १, मूल लागत	१०,०००)		१०,०००)
अलाउंस १५% कीमत पर	१,५००)	२०% घटकर बची हुई कीमत पर	२,०००)
वर्ष २, घटकर बची हुई कीमत	८,५००)		८,०००)
१५% कीमत पर	१,५००)	"	१,६००)
..	७,०००)		६,४००)
वर्ष ३, १५% कीमत पर	१,५००)	"	१,२८०)
	५,५००)		४,१२०)
वर्ष ४, १५% कीमत पर ..	१,५००)	"	८२४)
वर्ष ५, घट कर बची हुई कीमत	४,०००)		३,२९६)

२—एक्ट की धारा १० की उपधारा ५ मे इसका खुलासा इस प्रकार है —

मशीन आदि (Assets) गत वर्ष (Previous year) मे उनकी खरीद कीमत ही 'घट कर बची हुई कीमत' ...) समझी जायगी। ... वर्ष से पहले परन्तु नए कानून जारी होने ... बची हुई कीमत वह समझी जायगी

माल-स्टाक या अन्य सामान को क्षति होने या नष्ट होने की जोखिम से बचाने के लिए बेची गई बीमा का प्रीमियम। उदाहरण स्वरूप चोरी, डकैती, आग आदि से होनेवाले नुकशान से बचाने के लिए कराई हुई बीमा का प्रीमियम बाद दिया जायगा। परन्तु बाजार की गिरती हुई हालत को देख कर दामों की घटती से होनेवाले नुकशान से बचने के लिए जो बीमा कराई जायगी उसका प्रीमियम बाद नहीं दिया जायगा।

(ड) इमारतों, कले, प्लैन्ट या सामान की चालू मरम्मत (Current Repairs) के बतौर खर्च की हुई रकम। चालू मरम्मत का अर्थ है मशीन आदि को काम देने की अवस्था मे रखने के लिये, साधारण ढग से हुई टूट-फूट के कारण जो मरम्मत जरूरी हो और जो अपेक्षाकृत थोडे समय जैसे दो या तीन वर्षों मे एकबार—के अन्तर से पुन: पुन: करानी पडती हो। इसमें मामूली (minor) परिवर्तन या सुधार भी सामिल है।

मरम्मत क्या है यह वस्तुस्थिति पर निर्भर करती है। किसी समूची चीज के एक भाग या अङ्ग विशेष को, वह जिस अवस्था में था उस अवस्था में लाना या उसको रद्दोबदल करना, मरम्मत के अन्दर आता है परन्तु समूची चीज को फिर से बनाना मरम्मत नहीं है। उदाहरण स्वरूप छत की पुरानी टालियों की जगह नई टालियां लगा देना मरम्मत है परन्तु यदि समूची छत को तोड कर नई छत की जाय तो वह मरम्मत नहीं होगी।

(च) किसी कारबार, पेशे या रोजगार मे काम मे लाई जाती हुई मशीन, इमारतें आदि यदि एसेसी की सम्पत्ति होंगी तो उनके सम्बन्ध मे निर्धारित प्रतिशत के हिसाब से घिसाई की रकम। पुराने कानून के अनुसार यह घिसाई असली कीमत के प्रतिशत से दी जाती थी परन्तु नए संशोधन के अनुसार वह 'घट कर

बची हुई', (written down) कीमत पर कसी जायगी[1]। घट कर बची हुई कीमत' का साधारणतः अर्थ उस कीमत से है जो कि असली कीमत में से पूर्व में घिसाई के बारे में जो रकमें बाद दी जा चुकी है उनको बाद देने पर रहती है[2]।

१—इन दोनों पद्धतियो के फर्क को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

	खरीद कीमत का तरीका		घटकर बची हुई कीमत का तरीका
वर्ष १, मूल लागत	१०,०००)	२०% घटकर	१०,०००)
अलाउंस १५% कीमत पर	१,५००)	बची हुई कीमत पर	२,०००)
वर्ष २, घटकर बची हुई कीमत	८,५००)	"	८,०००)
१५% कीमत पर	१,५००)		१,६००)
वर्ष ३, ...	७,०००)	"	६,४००)
१५% कीमत पर . .	१,५००)		१,२८०)
वर्ष ४, . . .	५,५००)	"	४,१२०)
१५% कीमत पर .	१,५००)		८२४)
वर्ष ५, घट कर बची हुई कीमत	४,०००)		३,२९६)

२—एक्ट की धारा १० की उपधारा ५ में इसका खुलासा इस प्रकार किया है:—

(१) अगर मशीन आदि (Assets) गत वर्ष (Previous year) में खरीदी गई होंगी तो उनकी खरीद कीमत ही 'घट कर बची हुई कीमत' (written down value) समझी जायगी।

(२) अगर मशीनरी आदि गत वर्ष से पहले परन्तु नए कानून जारी होने के बाद खरीदी गई होंगी तो घट कर बची हुई कीमत वह समझी जायगी

माल-स्टाक या अन्य सामान को क्षति होने या नष्ट होने की जोखिम से बचाने के लिए बेची गई बीमा का प्रीमियम। उदाहरण स्वरूप चोरी, डकैती, आग आदि से होनेवाले नुकशान से बचाने के लिए कराई हुई बीमा का प्रीमियम बाद दिया जायगा। परन्तु बाजार की गिरती हुई हालत को देख कर दामों की घटती से होनेवाले नुकशान से बचने के लिए जो बीमा कराई जायगी उसका प्रीमियम बाद नहीं दिया जायगा।

(ङ) इमारतों, कले, प्लैन्ट या सामान की चालू मरम्मत (Current Repairs) के बतौर खर्च की हुई रकम। चालू मरम्मत का अर्थ है मशीन आदि को काम देने की अवस्था मे रखने के लिये, साधारण ढग से हुई टूट-फूट के कारण जो मरम्मत जरूरी हो और जो अपेक्षाकृत थोडे समय जैसे दो या तीन वर्षों मे एकबार—के अन्तर से पुनः पुनः करानी पडती हो। इसमें मामूली (minor) परिवर्तन या सुधार भी सामिल है।

मरम्मत क्या है यह वस्तुस्थिति पर निर्भर करती है। किसी समूची चीज के एक भाग या अङ्ग विशेष को, वह जिस अवस्था में था उस अवस्था मे लाना या उसको रद्दोबदल करना, मरम्मत के अन्दर आता है परन्तु समूची चीज को फिर से बनाना मरम्मत नहीं है। उदाहरण स्वरूप छत की पुरानी टालियों की जगह नई टालियां लगा देना मरम्मत है परन्तु यदि समूची छत को तोड़ कर नई छत की जाय तो वह मरम्मत नहीं होगी।

(च) किसी कारबार, पेशे या रोजगार मे काम मे लाई जाती हुई मशीनें, इमारतें आदि यदि एसेसी की सम्पत्ति होंगी तो उनके सम्बन्ध में निर्धारित प्रतिशत के हिसाब से घिसाई की रकम। पुराने कानून के अनुसार यह घिसाई असली कीमत के प्रतिशत से दी जाती थी परन्तु नए संशोधन के अनुसार वह 'घट कर

वची हुई', (written down) कीमत पर कसी जायगी'। घट कर बची हुई कीमत' का साधारणतः अर्थ उस कीमत से है जो कि असली कीमत में से पूर्व में घिसाई के बारे में जो रकमें बाद दी जा चुकी हैं उनको बाद देने पर रहती है'।

१—इन दोनों पद्धतियों के फर्क को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

	खरीद कीमत का तरीका		घटकर बची हुई कीमत का तरीका
वर्ष १, मूल लागत	१०,०००)	२०% घटकर	१०,०००)
अलाउंस १५% कीमत पर	१,५००)	बची हुई कीमत पर	२,०००)
वर्ष २, घटकर बची हुई कीमत	८,५००)	"	८,०००)
१५% कीमत पर	१,५००)		१,६००)
वर्ष ३, ...	७,०००)	"	६,४००)
१५% कीमत पर ..	१,५००)		१,२८०)
वर्ष ४, ..	५,५००)	"	४,१२०)
१५% कीमत पर	१,५००)		८२४)
वर्ष ५, घट कर बची हुई कीमत	४,०००)		३,२९६)

२—एक्ट की धारा १० की उपधारा ५ में इसका खुलासा इस प्रकार किया है.—

(१) अगर मशीन आदि (Assets) गत वर्ष (Previous year) में खरीदी गई होंगी तो उनकी खरीद कीमत ही 'घट कर बची हुई कीमत' (written down value) समझी जायगी।

(२) अगर मशीनरी आदि गत वर्ष से पहले परन्तु नए कानून जारी होने के बाद खरीदी गई होंगी तो घट कर बची हुई कीमत वह समझी जायगी

परन्तु—

(१) घिसाई बाद देने सम्बन्धी उपरोक्त संशोधन ता० १, अप्रेल १९४० के पहले व्यवहार मे नहीं आयगा।

(२) घिसाई खर्च उसी हालत में बाद दिया जायगा जब कि निर्दिष्ट (Prescribed) सारे विवरण नियमानुसार पेश किए गये होंगे।

(३) यदि किसी वर्ष में घिसाई सम्बन्धी अलाउंस, मुनाफा या लाभ न होने या पर्याप्त न होने से पूरा बाद नही दिया जा सकेगा तो वह अगले वर्ष के अलाउंस के साथ जोड दिया जायगा और उसका अङ्ग माना जायगा या उस वर्ष का अलाउंस समझा जायगा। आगे के वर्षों मे भी ऐसा ही होता रहेगा।

(४) इस तरह जो रकमें मुजरा मिलेगी उन सब की मोट जोड़ इमारत आदि की असली लागत कीमत से किसी भी हालत में वेसी नही होगी।

जो कि असली लागत मे से इस धारा के अनुसार बाद दी जा सकने वाली घिसाई को बाद देने के बाद रहेगी।

(३) अगर खरीद नए कानून के जारी होने से पहले की होगी तो रिटन डाउन (Written down) कीमत खरीद लागत मे से पुराने कानून के दर से हर साल की घिसाई हुई होगी, वह अब तक की बाद देकर जो रकम रहेगी वह समझी जायगी।

बशर्तें कि जहाँ धारा २६ की उपधारा २ के अपवाद (proviso) लागू होंगे वहाँ क्लाज (१), (२), (३) मे जो करदाता के लिए खरीद कीमत होगी वही उस कारबार आदि के उत्तराधिकारी के लिए भी खरीद कीमत होगी। बशर्तें कि घिसाई का वह अलाउन्स या उसका कोई हिस्सा जो कि ता० १ अप्रेल, ३९ के पहले खत्म हुए वर्ष के लिए पावना था, परन्तु जो कि उस वर्ष मे टैक्स लगाने योग्य नफा या लाभ न होने से या कम होने से बाद नहीं दिया जा सकता था, खरीद दाम में से बाद नहीं दिया जायगा।

(छ) यदि कोई मशीन या प्लैंट पुराने ढंग का होने के कारण या रद्दी हो जाने के कारण विक्री कर दिया गया होगा या हटा दिया गया होगा तो 'घट कर बची हुई कीमत' (Written down value) और इस प्रकार विक्री से या स्क्रैप से मिली कीमत मे जो फर्क होगा उतना बाद दिया जायगा। बशर्ते कि ऐसेसी की बहियों मे यह फर्क की रकम वास्तव मे (Actually) भुगता दी गई होगी। यदि विक्री से प्राप्त मूल्य या स्क्रैप (रद्दी) की कीमत 'घट कर बची कीमत' से अधिक उठेगी तो दोनों का फर्क उस गत वर्ष के नफे मे सुमार कर लिया जायगा जिसमे कि रद्दी मशीन बेची गई है।

(ज) कारबार पेशे या रोजगार के प्रयोजन के लिए यदि कोई पशु काम मे लाया जाता हो तो उसके मर जाने पर या हमेशा के लिए उक्त काम के लिए खारिज हो जाने पर, उसकी असली लागत कीमत तथा उस पशु की लाश से या पशु की विक्री से यदि कोई रकम उठेगी तो इन दोनों का फर्क बाद दिया जायगा। परन्तु यदि पशु कारबार के स्टोक के रूप मे होंगे तो ऐसी रकम मुजरा नहीं मिलेगी।

(झ) इमारत के उस हिस्से के बारे मे दी हुई मालगुजारी, स्थानीय कर (Local rates) या म्युनिसीपैलिटी के टैक्सों की रकम जो कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिए वर्त्ता जाता है। इसके अपवाद के लिए देखिये आगे —४ (१)

(ञ) कोई रकम जो कि वेतन-भोगी को उसकी सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप मे दी गयी हो, और जब कि उसको यह रकम बोनस या कमीशन के सिवा अन्य रूप मे अर्थात् नफे या डिविडेन्ट के रूप मे नहीं दी जा सकती थी। परन्तु बोनस और कमीशन की रकम निम्नलिखित दृष्टियों से उचित होनी चाहियेः-

परन्तु—

(१) घिसाई वाद देने सम्बन्धी उपरोक्त संशोधन ता० १, अप्रेल १९४० के पहले व्यवहार मे नहीं आयगा।

(२) घिसाई खर्च उसी हालत में वाद दिया जायगा जब कि निर्दिष्ट (Prescribed) सारे विवरण नियमानुसार पेश किए गये होंगे।

(३) यदि किसी वर्ष मे घिसाई सम्बन्धी अलाउंस, मुनाफा या लाभ न होने या पर्याप्त न होने से पूरा वाद नहीं दिया जा सकेगा तो वह अगले वर्ष के अलाउस के साथ जोड़ दिया जायगा और उसका अङ्ग माना जायगा या उस वर्ष का अलाउंस समझा जायगा। आगे के वर्षों में भी ऐसा ही होता रहेगा।

(४) इस तरह जो रकमे मुजरा मिलेगी उन सब की मोट जोड इमारत आदि की असली लागत कीमत से किसी भी हालत में बेसी नहीं होगी।

जो कि असली लागत मे से इस धारा के अनुसार वाद दी जा सकने वाली घिसाई को वाद देने के वाद रहेगी।

(३) अगर खरीद नए कानून के जारी होने से पहले की होगी तो रिटन डाउन (Written down) कीमत खरीद लागत मे से पुराने कानून के दर से हर साल की घिसाई हुई होगी, वह अब तक की वाद देकर जो रकम रहेगी वह समझी जायगी।

वशर्ते कि जहां धारा २६ की उपधारा २ के अपवाद (proviso) लागू होंगे वहां क्लाज (१), (२), (३) मे जो करदाता के लिए खरीद कीमत होगी वही उस कारबार आदि के उत्तराधिकारी के लिए भी खरीद कीमत होगी। वशर्ते कि घिसाई का वह अलाउन्स से या उसका कोई हिस्सा जो कि ता० १ अप्रेल, ३९ के पहले खतम हुए वर्ष के लिए पावना था, परन्तु जो कि उस वर्ष मे टैक्स लगाने योग्य नफा या लाभ न होने से या कम होने से वाद नहीं दिया जा सकता था, खरीद दाम में से वाद नहीं दिया जायगा।

(छ) यदि कोई मशीन या प्लैंट पुराने ढंग का होने के कारण या रद्दी हो जाने के कारण बिक्री कर दिया गया होगा या हटा दिया गया होगा तो 'घट कर बची हुई कीमत' (Written down value) और इस प्रकार बिक्री से या स्क्रैप से मिली कीमत मे जो फर्क होगा उतना बाद दिया जायगा। बशर्ते कि ऐसेसी की बहियो मे यह फर्क की रकम वास्तव मे (Actually) भुगता दी गई होगी। यदि बिक्री से प्राप्त मूल्य या स्क्रैप (रद्दी) की कीमत 'घट कर बची कीमत' से अधिक उठेगी तो दोनो का फर्क उस गत वर्ष के नफे में सुमार कर लिया जायगा जिसमे कि रद्दी मशीन बेची गई है।

(ज) कारबार पेशे या रोजगार के प्रयोजन के लिए यदि कोई पशु काम मे लाया जाता हो तो उसके मर जाने पर या हमेशा के लिए उक्त काम के लिए खारिज हो जाने पर, उसकी असली लागत कीमत तथा उस पशु की लाश से या पशु की बिक्री से यदि कोई रकम उठेगी तो इन दोनों का फर्क बाद दिया जायगा। परन्तु यदि पशु कारबार के स्टोक के रूप मे होंगे तो ऐसी रकम मुजरा नहीं मिलेगी।

(झ) इमारत के उस हिस्से के बारे मे दी हुई मालगुजारी, स्थानीय कर (Local rates) या म्युनिसीपैलिटी के टैक्सों की रकम जो कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिए वर्त्ता जाता है। इसके अपवाद के लिए देखिये आगे —४ (१)

(ञ) कोई रकम जो कि वेतन-भोगी को उसकी सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप मे दी गयी हो, और जब कि उसको यह रकम बोनस या कमीशन के सिवा अन्य रूप मे अर्थात् नफे या डिविडेन्ट के रूप मे नहीं दी जा सकती थी। परन्तु बोनस और कमीशन की रकम निम्नलिखित दृष्टियों से उचित होनी चाहियेः-

(१) नौकरी की शर्त्तों की दृष्टि से,

(२) कारबार, पेशे या रोजगार के उस साल के नफे की दृष्टि से, तथा

(३) इस प्रकार के कारबार, पेशे आदि मे प्रचलित प्रथा की दृष्टि से।

(त) अगर टैक्स देनेवाला हिसाब नगद पद्धति से रखेगा तो उसको उस कर्ज के सम्बन्ध मे जिसकी उगाही सदेहजनक है (Bad and doubtful debts) कोई रकम मुजरा नहीं दी जावेगी। परन्तु अगर एसेसी के वही खाते नगद पद्धति पर नहीं रखे जाते होंगे तो इसके सम्बन्ध में जितने रुपये एसेसी के पावने होंगे उनमे से उतनी रकम वाद दे दी जायगी जितनी कि अप्राप्य हो गई होगी। परन्तु एसेसी की वहियों मे जितनी रकम अप्राप्य समझ कर भुगताई गई होगी उससे अधिक रकम वाद नही दी जायगी। यदि एसेसी के बैंकिंग या रुपया उधार देने का (व्याज का) कारबार होगा तो कारबार के साधारण व्यवहार में उधार दिए रुपयों के वावत मे उपरोक्त तरीके से ही डूब की रकम वाद दी जायगी।

परन्तु यदि इस प्रकार डूबे हुए रुपयों मे से वाद मे जो रकम अदा होगी वह यदि डूब को समूची तथा डूबत के सम्बन्ध मे उपरोक्त प्रकार से मुजरा दी हुई रकम के फर्क से अधिक होगी, तो जितनी रकम अधिक होगी वह उस साल का नफा समझी जायगी जिसमें कि वह अदा होगी और यदि कम होगी तो कमी उस साल का कारबारी खर्च समझी जायगी।

(थ) कोई भी खर्च जो कि सम्पूर्णतः और केवल मात्र कारबार, पेशे या रोजगार के प्रयोजनों के लिए किया गया होगा। उदाहरण स्वरूप कर्मचारियों की वेतन, मजदूरों की जूरीम, छपाई,

स्टेशनरी, डाक व तार खर्च, यात्रा खर्च, कमीशन, कचहरी खर्च, बट्टा, विज्ञापन खर्च आदि बाद मिल सकेंगे।

(३) यदि कोई मकान, मशीन, प्लैंट या सामान, जिसके बारे में उपधारा (२) के क्लाज घ, ङ, च, छ, के अनुसार अलाउन्स लेना है, सम्पूर्णतः कारबार आदि के ही व्यवहार में नहीं आता तो अलाउन्स उस रकम के उचित अनुपात से होगा जो कि यदि मकान आदि सम्पूर्णतः कारबार आदि के प्रयोजन के लिए काम में लाए जाते तो बाद मिलता।

(४) निम्नलिखित रकमें बाद नहीं दी जायेंगी :—

(१) कोई रकम जो कि नफे के आधार पर सेस, रेट या टैक्स के रूप में दी गई होगी

(२) कोई वेतन की रकम, जिस पर कि बृटिश भारत में टैक्स लगता हो, यदि बृटिश भारत के बाहर दी गई होगी और उसमें से टैक्स नहीं काटा होगा या जमा दिया होगा तो वह बाद नहीं दी जायगी।

(३) ऐसी रकम जो कि फर्म ने ब्याज, वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक के बतौर फर्म के किसी साझेदार को दी होगी,

(४) वेतन-भोगियो (Employees) के लाभ के लिए स्थापित प्रोविडेण्ट फण्ड या अन्य किसी फण्ड में जो रकम दी जायगी

उस हालत में जब कि मालिक ने इस बात का पूरा बन्दोबस्त कर दिया होगा कि इस फण्ड में से ऐसी कोई भी रकम, जिस पर कि वेतन के शीर्षक के अन्तर टैक्स लगता है, देते समय उसमें से टैक्स काट लिया जायगा तो ऐसी रकम भी मुजरा मिल सकेगी।

(५) यदि कोई भी तिजारत में या पेशे में लगी हुई या ऐसी ही संस्था जो कि मूल्य लेकर अपने सदस्यों को खास सेवाएं देती है और

यह निश्चित है कि यह मूल्य इन सेवाओं के वदले मे है तो वे इस धारा के अनुसार उन सेवाओं के विषय मे कारवार करनेवाली समझी जावेंगी और इन सेवाओं के मुनाफे या लाभ पर टैक्स लागू होगा।

(६) वीमा कम्पनियों की आय की कूँत खास तरीकों से होती है और टैक्स भी खास तरीके से कसी जाती है। पैरा ८, ९, १०, ११ और १८ के विधान वीमा कम्पनियों के प्रति लागू नहीं पड़ते। उनके प्रति लागू पड़ने वाले खास नियम इन्कम टैक्स एक्ट के सिड्यूल मे दिए हुए हैं।

—धारा १०

६—अन्य जरियों से आय

११—(१) कोई भी आमदनी, मुनाफा या लाभ जो ऊपर वताए हुए किसी शीर्षक के अन्तर नहीं आता—वह इस शीर्षक के अन्तर गिना जायगा। यदि इस शीर्षक के अन्तर आती हुई कोई आमदनी, मुनाफा या लाभ, ऐसा होगा जो कि 'कुल आमदनी' मे जोडा जा सके तो उस पर टैक्स देनी होगी। उदाहरण स्वरूप किसी ऐसी जमीन, जो कि किसी मकान या इमारत के साथ नहीं लगी हुई है, उसकी उचित वार्षिक कीमत पर इस शीर्षक के अनुसार टैक्स लिया जायगा।

(२) इस शीर्षक के नीचे कितनी आय हुई है यह निश्चित करते समय निम्नलिखित खर्च बाद दे दिए जायंगे:—

(क) ऐसे खर्च जो कि पूजी के व्यय (Capital expenditure) के ढग के न होंगे तथा

(ख) केवल आमदनी आदि उपार्जन करने के लिए किए गये होंगे।

परन्तु निम्न लिखित खर्च बाद नहीं दिए जायंगे।

(क) एसेसी का घरू (Personal) खर्च,

(ख) वृटिश भारत के बाहर दिये हुए व्याज की रकम; परन्तु यह व्याज निम्न लिखित अवस्थाओं में बाद दे दिया जायगा।

(१) यदि वह ता० १ अप्रेल, ३८ के पहिले निकाले हुए कोई सार्वजनिक लोन सम्बन्धी व्याज होगा।

(२) यदि व्याज की रकम मे से धारा १८ के अनुसार व्याज काट लिया गया होगा—या दे दिया गया होगा।

(ग) वृटिश भारत के बाहर दी हुई ऐसी रकम जिस पर कि वृटिश भारत में आमदनियों के शीर्षक के नीचे टैक्स लगती है।

यह रकम भी उस हालत में बाद दे दी जायगी जब कि धारा १८ के अनुसार टैक्स काट ली गई या दे दी गई होगी।

(३) अगर प्लैन्ट, मशीनें या सामान आदि भाड़े पर दिए हुए होंगे तो एसेसी को बीमा, मरम्मत, घिसाई, तथा उनके पुराने होने पर बिक्री करने आदि के सम्बन्ध मे उसी प्रकार से अलाउन्स मिलेगा जिस तरह कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिए उन्हे व्यवहार में लाने से इनके सम्बन्ध मे पूर्व मे दिखाए अनुसार मिलता है।

देखो पृष्ठ ३३ (घ)—३७ (छ)

—धारा: ११

७—मैनेजिंग एजेंसी की कमीशन

१२—(१)कभी-कभी ऐसा होता है कि मैनेजिंग एजेन्टों[1] को अपनी कमीशन का अमुक अंश दूसरे लोगों को देना पड़ता है। इस

१—मैनेजिग एजेंट उस शख्स को कहते हैं जो किसी कम्पनी के साथ हुए इकरारनामे के अनुसार कम्पनी के समस्त कार्यों की व्यवस्था करने का हकदार है। यह व्यवस्था कम्पनी के डाइरेक्टरों की अधीनता मे और इकरारनामे की शर्तों के अनुसार की जाती है। कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी मैनेजिंग एजेन्ट हो सकता है।

यह निश्चित है कि यह मूल्य इन सेवाओं के बदले में है तो वे इस धारा के अनुसार उन सेवाओं के विषय मे कारबार करनेवाली समझी जावेगी और इन सेवाओं के मुनाफे या लाभ पर टैक्स लागू होगा।

(६) बीमा कम्पनियों की आय की कूँत खास तरीकों से होती है और टैक्स भी खास तरीके से कसी जाती है। पैरा ८, ६, १०, ११ और १८ के विधान बीमा कम्पनियों के प्रति लागू नहीं पड़ते। उनके प्रति लागू पडने वाले खास नियम इन्कम टैक्स एक्ट के सिड्यूल मे दिए हुए है।

—धारा १०

६—*अन्य जरियों से आय*

११—(१) कोई भी आमदनी, मुनाफा या लाभ जो ऊपर बताए हुए किसी शीर्षक के अन्तर नहीं आता—वह इस शीर्षक के अन्तर गिना जायगा। यदि इस शीर्षक के अन्तर आती हुई कोई आमदनी, मुनाफा या लाभ, ऐसा होगा जो कि 'कुल आमदनी' मे जोडा जा सके तो उस पर टैक्स देनी होगी। उदाहरण स्वरूप किसी ऐसी जमीन, जो कि किसी मकान या इमारत के साथ नहीं लगी हुई है, उसकी उचित वार्षिक कीमत पर इस शीर्षक के अनुसार टैक्स लिया जायगा।

(२) इस शीर्षक के नीचे कितनी आय हुई है यह निश्चित करते समय निम्नलिखित खर्च बाद दे दिए जायंगे:—

(क) ऐसे खर्च जो कि पूजी के व्यय (Capital expenditure) के ढंग के न होंगे तथा

(ख) केवल आमदनी आदि उपार्जन करने के लिए किए गये होंगे।

परन्तु निम्न लिखित खर्चे बाद नहीं दिए जायंगे।

(क) एसेसी का घरू (Personal) खर्च,

(ख) बृटिश भारत के बाहर दिये हुए व्याज की रकम; परन्तु यह व्याज निम्न लिखित अवस्थाओं में बाद दे दिया जायगा।

(१) यदि वह ता० १ अप्रेल, ३८ के पहिले निकाले हुए कोई सार्वजनिक लोन सम्बन्धी व्याज होगा।

(२) यदि व्याज की रकम मे से धारा १८ के अनुसार व्याज काट लिया गया होगा—या दे दिया गया होगा।

(ग) बृटिश भारत के बाहर दी हुई ऐसी रकम जिस पर कि बृटिश भारत मे आमदनियों के शीर्षक के नीचे टैक्स लगती है।

यह रकम भी उस हालत मे बाद दे दी जायगी जब कि धारा १८ के अनुसार टैक्स काट ली गई या दे दी गई होगी।

(३) अगर प्लैन्ट, मशीनें या सामान आदि भाड़े पर दिए हुए होंगे तो एसेसी को बीमा, मरम्मत, घिसाई, तथा उनके पुराने होने पर विक्री करने आदि के सम्बन्ध मे उसी प्रकार से अलाउन्स मिलेगा जिस तरह कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिए उन्हे व्यवहार मे लाने से इनके सम्बन्ध मे पूर्व में दिखाए अनुसार मिलता है।

देखो पृष्ठ ३३ (घ)—३७ (छ)

—धारा ११

७—मैनेजिंग एजेंसी की कमीशन

१२—(१)कभी-कभी ऐसा होता है कि मैनेजिग एजेन्टो[१] को अपनी कमीशन का अमुक अश दूसरे लोगों को देना पडता है। इस

१—मैनेजिंग एजेंट उस शख्स को कहते हैं जो किसी कम्पनी के साथ हुए इकरारनामे के अनुसार कम्पनी के समस्त कार्यों की व्यवस्था करने का हकदार है। यह व्यवस्था कम्पनी के डाइरेक्टरों की अधीनता मे और इकरारनामे की शर्तों के अनुसार की जाती है। कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी मैनेजिंग एजेन्ट हो सकता है।

प्रकार दिया हुआ अंश निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर कमीशन में से बाद दे दिया जायगा :—

(१) कमीशन का अंश जिसको या जिनको दिया जाय उसके या उनके और मैनेजिंग एजेन्ट के बीच इकरारनामा होना चाहिए। यह इकरारनामा समुचित बदले (consideration) के आधार पर होना चाहिए

(२) मैनेजिंग एजेन्ट इस इकरारनामे के अनुसार कमीशन का अंश उस या उन पार्टियों को देने के लिए बाध्य हो।

(३) मैनेजिंग एजेन्ट और उस पार्टी या पार्टियों को मिल कर एक घोषणा (Declaration) पेश करनी होगी जिसमें यह दिखाना होगा कि कमीशन का परस्पर में किस हिसाब से बंटवारा होता है।

(४) इस घोषणा में जो कुछ लिखा होगा उसकी सत्यता के सम्बन्ध में इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख सन्तोषजनक सबूत देना होगा।

इन शर्तों के पूरा होने पर मैनेजिंग एजेन्ट, और तीसरी पार्टी या पार्टियों को अपने-अपने अंश के सम्बन्ध में ही टैक्स देने के लिए बाधक होना पड़ेगा।

(२) उपरोक्त शर्तों के पूरा न होने पर कमीशन का जो अंश दूसरों को दिया गया होगा वह बाद नहीं दिया जायगा और मैनेजिंग एजेन्ट को पूरी कमीशन पर टैक्स देना होगा।

—धारा : १२-ए

८—हिसाब रखने की पद्धति

१३—इन्कम टैक्स एक्ट में हिसाब रखने की कोई पद्धति का निर्देश नहीं है। एसेसी जिस पद्धति को पसन्द करे और सुविधाजनक समझे

उस पद्धति के अनुसार अपने वही-खाते रख सकता है। परन्तु एक बार किसी पद्धति को चून लेने पर नियमित रूप से उसी पद्धति से वही-खाते रखने होंगे तथा पद्धति चाहे वह कोई हो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे एसेसी के लाभ-नुकशान की पूरी-पूरी कूॅत हो सके। एसेसी नियमित रूप से जिस पद्धति के अनुसार हिसाव रखेगा उसी पद्धति से कारवार, पेशे या रोजगार या अन्य जरियों से होनेवाली उसकी आय की कूत की जायगी।

यदि एसेसी ने किसी खास पद्धति को नियमित रूप से नहीं अपनाया होगा या ऐसी पद्धति को अपनाया होगा जिससे कि इन्कम टैक्स ऑफिसर की राय मे आय की ठीक-ठीक कूंत नहीं होती तो उस हालत मे इन्कम टैक्स ऑफिसर को अधिकार होगा कि वह आमदनी की उस आधार और उस तरह से कूॅत करे जैसा कि वह ठीक समझे।

हिसाव रखने की पद्धतियाँ मुख्य रूप से दो तरह की है—(१) नगद पद्धति इस पद्धति मे जो रकमे वास्तव मे मिलती है या दी जाती है वे ही लिखी जाती है, जैसे ही रुपया मिलता है या खर्च किया जाता है वैसे ही जमा कर लिया या खर्च लिख दिया जाता है। प्रायः कारवारी खाते इस पद्धति से नहीं रखे जाते। पूरे नफे नुकसान की कूत करने के लिये आरम्भिक और शेष के स्टाक को हिसाव मे लेना पडता है। (२) व्यापारिक पद्धतिः इस पद्धति मे नफे नुकशान का खाता अर्थात् चट्टा खाता रक्खा जाता है और आरम्भिक तथा अन्तिम स्टाक की कीमत को धरकर नफा-नुकशान निकाला जाता है। इस पद्धति के अनुसार जव रुपये मिलते है या दिए जाते है उस तारीख के दिन वे नहीं लिखे जाते परन्तु जिस दिन खरीद-विक्री होती है उसी दिन जमा-खर्च कर लिया जाता है। रुपये के लेन-देन की तारीख के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। उदाहरण स्वरूप जब माल वेचा

ता है तो उसी समय माल खाते माल की कीमत जमा कर ली जाती है, भले ही रुपये उस समय न मिले हों, उसी तरह से जब माल खरीद जाता है तो उसी समय माल बेचने वाले के रुपये जमा कर माल खाते नामे लिख दिये जाते हैं। एसेसी जिस पद्धति को चुनेगा उसी के अनुसार उसे समूचा हिसाब रखना पड़ेगा। अमुक आय या अमुक खर्च किस वर्ष का नफा है या व्यय है यह बहुत कुछ हिसाब रखने की पद्धति पर निर्भर करेगा। तथा अमुक खर्च बाद दिया जाय या नहीं यह भी इसी बात पर निर्भर करेगा।

बहुत से खर्च ऐसे हैं जिन्हे देने का प्रश्न दूसरी पद्धति से हिसाब रखने के कारण उठता है। नगद पद्धति से हिसाब रखने पर उन्हे बाद देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उदाहरण स्वरूप नगद पद्धति से हिसाब रखने पर 'बैड डेट' का कोई अलाउन्स नहीं होगा। जैसा कि ऊपर दिखाया है व्यापारिक पद्धति से हिसाब रखने पर ज्यों ही माल बिक्री होता है उसकी कीमत जमा कर ली जाती है, भले ही वह उस समय न मिले। इस तरह माल की बिक्री से जो नफा होगा वह बहियों मे माल बिक्री होते ही आ जाता है। यह संभव है कि इस प्रकार उधार बेचे हुए माल की कीमत कभी अदा ही न हो, इसलिए यह जरूरी होगा कि, जब रुपये अप्राप्य हो जांय तो वह बहियों में गलत बाकी बोल कर भुगना दिए जाय। ऐसे समझे जाकर वे जिस वर्ष भुगनाए जायंगे उस वर्ष उनको नफे मे से बाद दे दिया जायगा।

ऊपर मे जो कुछ कहा गया है उससे यह नहीं समझना चाहिए कोई एसेसी अपने हिसाब रखने की पद्धति को बदल नहीं सकता।

[illegible] पुरानी नियमित पद्धति को एक नई नियमित पद्धति शुरू लिए छोड़ सकता है परन्तु केवल थोड़े समय के लिए नई [illegible] को काम मे लाने के लिए नहीं छोड़ सकता।

इन्कम टैक्स आफिसर को इस बात की खातिरी दिला कर

इस प्रकार कर वह किसी तरह से टैक्स को नही टाल रहा है, वह अपनी पद्धति को उसकी रजा से बदल सकता है।

—धारा : १३

६—आम छूटें

१४—(१) एसेसी को उस रकम पर टैक्स नहीं देना होगा जो कि वह हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य के तौर पर पाता है।

जो रकम मिली है वह इन्कम टैक्स से वरी है—यह दिखाने का जिम्मा एसेसी का है। उसे यह दिखाना होगा कि (१) वह हिन्दू अविभक्त परिवार का सदस्य है, (२) जो रकम उसे मिली है वह उस आमदनी मे से मिली है जिस मे उसका हक है अर्थात वह परिवार की सम्मिलित आय मे से मिली है।

इन्कम टैक्स एक्ट के लिए हिन्दू अविभक्त परिवार का स्वतन्त्र व्यक्तित्व माना गया है। जिस तरह एक व्यक्ति पर टैक्स लगती है उसी तरह से हिन्दू सयुक्त परिवार की कुल आय पर भी टैक्स लगती है। जव परिवार के सदस्यों पर उनकी निज की कुल आमदनी के सम्बन्ध मे टैक्स लगाई जाती है तो परिवार से उन्हे जो आमदनी मिली हो वह हिसाब मे नहीं ली जाती। यदि परिवार की आमदनी २०००) से कम होने से उस पर कोई टैक्स नहीं लगाई गई होगी तो भी वह सदस्यो के हाथ मे आने पर उस पर टैक्स नहीं लगाई जायगी। इस तरह इस विधान द्वारा परिवार के सदस्य के हाथ मे उस आमदनी को टैक्स लगने से बचाया गया है जिस आमदनी पर कि परिवार के हाथ मे टैक्स लगती, चाहे वास्तव मे उस पर टैक्स लगी हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप एक विधवा को ले लीजिए। वह अपने पति के अविभक्त परिवार की सदस्या है। परिवार से परवरिश के लिए उसे जो रकम मिलेगी उस पर टैक्स नहीं लगेगी। उसी तरह निर्वाह

जाता है तो उसी समय माल खाते माल की कीमत जमा कर ली जाती है, भले ही रुपये उस समय न मिले हों, उसी तरह से जब माल खरीदा जाता है तो उसी समय माल बेचने वाले के रुपये जमा कर माल खाते नामे लिख दिये जाते हैं। एसेसी जिस पद्धति को चुनेगा उसी के अनुसार उसे समूचा हिसाब रखना पड़ेगा। अमुक आय या अमुक खर्च किस वर्ष का नफा है या व्यय है यह बहुत कुछ हिसाब रखने की पद्धति पर निर्भर करेगा। तथा अमुक खर्च बाद दिया जाय या नहीं यह भी इसी बात पर निर्भर करेगा।

बहुत से खर्च ऐसे हैं जिन्हें देने का प्रश्न दूसरी पद्धति से हिसाब रखने के कारण उठता है। नगद पद्धति से हिसाब रखने पर उन्हें बाद देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उदाहरण स्वरूप नगद पद्धति से हिसाब रखने पर 'बैड डेट' का कोई अलाउन्स नहीं होगा। जैसा कि ऊपर दिखाया है व्यापारिक पद्धति से हिसाब रखने पर ज्यों ही माल बिक्री होता है उसकी कीमत जमा कर ली जाती है, भले ही वह उस समय न मिले। इस तरह माल की बिक्री से जो नफा होगा वह बहियों में माल बिक्री होते ही आ जाता है। यह संभव है कि इस प्रकार उधार बेचे हुए माल की कीमत कभी अदा ही न हो, इसलिए यह जरूरी होगा कि, जब रुपये अप्राप्य हो जाय तो वह बहियों में गलत बाकी बोल कर भुगता दिए जाय। ऐसे समझे जाकर वे जिस वर्ष भुगताए जायंगे उस वर्ष उनको नफे में से बाद दे दिया जायगा।

ऊपर में जो कुछ कहा गया है उससे यह नहीं समझना चाहिए कि कोई एसेसी अपने हिसाब रखने की पद्धति को बदल नहीं सकता। वह अपनी पुरानी नियमित पद्धति को एक नई नियमित पद्धति शुरु करने के लिए छोड़ सकता है परन्तु केवल थोड़े समय के लिए नई पद्धति को काम में लाने के लिए नहीं छोड़ सकता।

इन्कम टैक्स ऑफिसर को इस बात की स्पातिरी दिला कर कि

स प्रकार कर वह किसी तरह से टैक्स को नही टाल रहा है, वह अपनी पद्धति को उसकी रजा से बदल सकता है।

—धारा : १३

६—आम छूटें

१४—(१) एसेसी को उस रकम पर टैक्स नहीं देना होगा जो कि वह हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य के तौर पर पाता है।

जो रकम मिली है वह इन्कम टैक्स से बरी है—यह दिखाने का जिम्मा एसेसी का है। उसे यह दिखाना होगा कि (१) वह हिन्दू अविभक्त परिवार का सदस्य है, (२) जो रकम उसे मिली है वह उस आमदनी मे से मिली है जिस में उसका हक है अर्थात वह परिवार की सम्मिलित आय मे से मिली है।

इन्कम टैक्स एक्ट के लिए हिन्दू अविभक्त परिवार का स्वतन्त्र व्यक्तित्व माना गया है। जिस तरह एक व्यक्ति पर टैक्स लगती है उसी तरह से हिन्दू संयुक्त परिवार की कुल आय पर भी टैक्स लगती है। जब परिवार के सदस्यों पर उनकी निज की कुल आमदनी के सम्बन्ध मे टैक्स लगाई जाती है तो परिवार से उन्हे जो आमदनी मिली हो वह हिसाब मे नहीं ली जाती। यदि परिवार की आमदनी २०००) से कम होने से उस पर कोई टैक्स नहीं लगाई गई होगी तो भी वह सदस्यों के हाथ मे आने पर उस पर टैक्स नहीं लगाई जायगी। इस तरह इस विधान द्वारा परिवार के सदस्य के हाथ मे उस आमदनी को टैक्स लगने से बचाया गया है जिस आमदनी पर कि परिवार के हाथ मे टैक्स लगती, चाहे वास्तव में उस पर टैक्स लगी हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप एक विधवा को ले लीजिए। वह अपने पति के अविभक्त परिवार की सदस्या है। परिवार से परवरिश के लिए उसे जो रकम मिलेगी उस पर टैक्स नहीं लगेगी। उसी तरह निर्वाह

परन्तु यदि एसेसी एक व्यक्ति होगा तो कुल प्रीमियमों के सम्बन्ध मे अधिक-से-अधिक रु० ६,०००) तक बाद मिल सकेंगे और एसेसी यदि संयुक्त परिवार होगा तो अधिक-से-अधिक रु० १२,०००) तक ही बाद मिल सकेगा।

इस सशोधन के पूर्व प्रीमियमों की सीमा कुल आमदनी की छठा था परन्तु ६,०००) और १२,०००) की कोई हद न थी। अब व्यक्ति और संयुक्त परिवार को अधिक से अधिक क्रमशः ६,०००) या १२,०००) तक ही प्रीमियम के बारे मे बाद मिल सकेगे चाहे कुल आमदनी के ⅙ भाग से ये रुपये कितने ही कम हों। यहाँ इतना खयाल रखना चाहिए कि टैक्स देने के दायित्व को मालूम करने तथा टैक्स के रेट को मालूम करने के लिए, इस प्रकार बरी की हुई रकमे कुल आमदनी मे जोडी जायगी और फिर उनपर एवरेज (गड पड़ता) दर से टैक्स वापिस (Refund) दे दिया जायगा।

—धाराः १५

१६—कुल आय की कूत करने मे जो आएँ बाद दे दी जाती या अलग रक्खी जाती हैं

१६—(१) किसी एसेसी की कुल आमदनी मालूम करने के लिए निम्नलिखित रकमे उसमे जोड दी जायंगी :—

लिए दिए जाने वाले रुपये बाकी पड जायँगे तो जब वे मिलेंगे तो
न पर भी टैक्स नही लगेगी।

अब एक पिता को लीजिए। उसका लडका अपने नाना की
म्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है और उसमें से उसे (पिता को)
र्षिक अलाउंस देता है। पिता को इस प्रकार जो रकम मिलेगी
स पर उसे टैक्स देनी होगी। क्योंकि जिस सम्पत्ति मे से उसे
लाउंस दिया जाता है वह हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं है।

(२)—(ए) यदि एसेसी किसी फर्म का साझेदार होगा तो उसके
स्से की आय की कूत इस प्रकार की जायगी :—

फर्म से उसे जो भी तन्खाह, व्याज, कमीशन, या अन्य पारिश्रमिक
त वर्ष मे मिला होगा उसके साथ फर्म के नफे की पाती जोड
जायगी और घाटा होगा तो वह पाती बाद दे दी जायगी।

यदि फर्म अनरजिस्टर्ड होगा और उसने हिस्सेदारों के नफे के
सी भाग पर टैक्स दे दिया होगा तो नफे के उस भाग पर
स्सेदारों को टैक्स नहीं देना होगा।

(बी) एसेसी यदि संयुक्त हिन्दू परिवार, कम्पनी, या फर्म
सिवा किसी अन्य शख्सों की समुदाय का सदस्य होगा तो उसे
स रकम पर टैक्स नहीं देना होगा जो कि वह उस समुदाय से पाने
ा हकदार होगा और जिस पर कि समुदाय द्वारा टैक्स दे दिया गया
ोगा।

यहाँ यह ख्याल में रखना चाहिए कि यद्यपि, (२) (ए)-(बी) की
कमों पर टैक्स नहीं लगेगी तो भी वे एसेसी की कुल आमदनी में, टैक्स
षयक उसके दायित्व को जानने के लिए तथा टैक्स किस दर से
ागू पड़ेगा यह जानने के लिए जोडी जायंगी।

—धारा : १४

१०—जीवन बीमा के सम्बन्ध में छूट

१५—(१) (क) अपनी, अपनी स्त्री या अपने पति की जीवन बीमा के लिए जो प्रीमियम की रकम दी जायगी उस पर एसेसी को टैक्स नहीं देना होगा;

(ख) न किसी ऐसी रकम पर उसे कर देना होगा जो कि उसने अपनी, अथवा अपनी स्त्री या अपने जीवन के विषय में आगे मिलनेवाले वार्पिक वजीफे (Defei red annuity) के कन्ट्रेक्ट के सम्बन्ध मे दिया होगा और

(ग) न उस रकम पर टैक्स लगेगा जो कि चन्दे के रूप किसी ऐसे प्रोविडेण्ट फण्ड मे दी गई होगी जिसके प्रति प्रोविडेण्ट फण्ड एक्ट, सन् १९२५ का लागू हो।

(२) यदि एसेसी हिन्दू अविभक्त परिवार होगा तो (१) उस सयुक्त परिवार के पुरुष सदस्यों, तथा (२) उन पुरुष सदस्यों की स्त्रियों की जीवन बीमा कराने के सम्बन्ध मे जो रकम दी गई होगी वह टैक्स से बरी रहेगी

(३) (क) जो रकमे न० (१) और (२) के अनुसार टैक्स से बरी है उनकी जोड़; (ख) नौकरी की शर्तों के अनुसार सम्राट् द्वारा बंधे हुए हद तक तन्ख्वाह मे से काटी गई कोई रकम जो कि डिफर्ड एनूइटी या एसेसी के बच्चों और स्त्री के निर्वाह की दृष्टि से काटी गई होगी; तथा (ग) स्वीकृत प्रोविडेण्ट फण्ड मे नौकर ने अपने खाते मे जो बंधे हुए हद तक चन्दा दिया होगा—इन सब की जोड़ एसेसी की कुल आमदनी के छठे भाग से अधिक नहीं होगी अर्थात् सब प्रीमियम मिला कर कुल आमदनी के छठे भाग तक ही टैक्स से बरी रहेंगे।

के लिए दिए जाने वाले रुपये बाकी पड जायँगे तो जब वे मिलेंगे तो उन पर भी टैक्स नही लगेगी।

अब एक पिता को लीजिए। उसका लडका अपने नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है और उसमे से उसे (पिता को) वार्षिक अलाउस देता है। पिता को इस प्रकार जो रकम मिलेगी उस पर उसे टैक्स देनी होगी। क्योंकि जिस सम्पत्ति में से उसे अलाउस दिया जाता है वह हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं है।

(२)—(ए) यदि एसेसी किसी फर्म का साझेदार होगा तो उसके हिस्से की आय की कूँत इस प्रकार की जायगी :—

फर्म से उसे जो भी तन्खाह, व्याज, कमीशन, या अन्य पारिश्रमिक गत वर्ष मे मिला होगा उसके साथ फर्म के नफे की पाती जोड दी जायगी और घाटा होगा तो वह पाती बाद दे दी जायगी।

यदि फर्म अन्‌रजिस्टर्ड होगा और उसने हिस्सेदारों के नफे के किसी भाग पर टैक्स दे दिया होगा तो नफे के उस भाग पर हिस्सेदारों को टैक्स नहीं देना होगा।

(बी) एसेसी यदि संयुक्त हिन्दू परिवार, कम्पनी, या फर्म के सिवा किसी अन्य शख्सों की समुदाय का सदस्य होगा तो उसे उस रकम पर टैक्स नही देना होगा जो कि वह उस समुदाय से पाने का हकदार होगा और जिस पर कि समुदाय द्वारा टैक्स दे दिया गया होगा।

यहाँ यह ख्याल मे रखना चाहिए कि यद्यपि, (२) (ए)-(२) (बी की रकमों पर टैक्स नहीं लगेगी तो भी वे एसेसी की कुल आमदनी में, टैक्स विषयक उसके दायित्व को जानने के लिए तथा टैक्स किस दर से लागू पड़ेगा यह जानने के लिए जोड़ी जायगी।

—धारा : १४

१०—जीवन बीमा के सम्बन्ध मे छूट

१५—(१) (क) अपनी, अपनी स्त्री या अपने पति की जीवन बीमा के लिए जो प्रीमियम की रकम दी जायगी उस पर एसेसी को टैक्स नहीं देना होगा;

(ख) न किसी ऐसी रकम पर उसे कर देना होगा जो कि उसने अपनी, अथवा अपनी स्त्री या अपने जीवन के विषय मे आगे मिलनेवाले वार्षिक वजीफे (Deferred annuity) के कन्ट्रैक्ट के सम्बन्ध मे दिया होगा और

(ग) न उस रकम पर टैक्स लगेगा जो कि चन्दे के रूप किसी ऐसे प्रोविडेण्ट फण्ड मे दी गई होगी जिसके प्रति प्रोविडेण्ट फण्ड एक्ट, सन् १९२५ का लागू हो।

(२) यदि एसेसी हिन्दू अविभक्त परिवार होगा तो (१) उस सयुक्त परिवार के पुरुष सदस्यो, तथा (२) उन पुरुष सदस्यों की स्त्रियों की जीवन बीमा कराने के सम्बन्ध मे जो रकम दी गई होगी वह टैक्स से वरी रहेगी

(३) (क) जो रकमे न० (१) और (२) के अनुसार टैक्स से वरी है उनकी जोड, (ख) नौकरी की शर्तों के अनुसार सम्राट् द्वारा बंधे हुए हद तक तन्ख्वाह मे से काटी गई कोई रकम जो कि डिफर्ड एनूइटी या एसेसी के बच्चो और स्त्री के निर्वाह की दृष्टि से काटी गई होगी; तथा (ग) स्वीकृत प्रोविडेण्ट फण्ड मे नौकर ने अपने खाते मे जो बंधे हुए हद तक चन्दा दिया होगा—इन सब की जोड एसेसी की कुल आमदनी के छठे भाग से अधिक नहीं होगी अर्थात् सब प्रीमियम मिला कर कुल आमदनी के छठे भाग तक ही टैक्स से वरी रहेंगे।

परन्तु यदि एसेसी एक व्यक्ति होगा तो कुल प्रीमियमों के सम्बन्ध मे अधिक-से-अधिक रु० ६,०००) तक वाद मिल सकेंगे और एसेसी यदि संयुक्त परिवार होगा तो अधिक-से-अधिक रु० १२,०००) तक ही वाद मिल सकेगा।

इस सशोधन के पूर्व प्रीमियमों की सीमा कुल आमदनी की छठाश थी परन्तु ६,०००) और १२,०००) की कोई हद न थी। अव व्यक्ति और संयुक्त परिवार को अधिक से अधिक क्रमशः ६,०००) या १२,०००) तक ही प्रीमियम के वारे मे वाद मिल सकेंगे चाहे कुल आमदनी के ⅙ भाग से ये रुपये कितने ही कम हों। यहाँ इतना खयाल रखना चाहिए कि टैक्स देने के दायित्व को मालूम करने तथा टैक्स के रेट को मालूम करने के लिए, इस प्रकार वरी की हुई रकमें कुल आमदनी मे जोडी जायगी और फिर उनपर एवरेज (गड पड़ता) दर से टैक्स वापिस (Refund) दे दिया जायगा।

—धाराः १५

१९—कुल आय की कूंत करने मे जो आएँ वाद दे दी जाती या अलग रक्खी जाती हैं

१६—(१) किसी एसेसी की कुल आमदनी मालूम करने के लिए निम्नलिखित रकमें उसमें जोड़ दी जायंगी :—

(ए)-(१) वह रकम जो कि सम्राट् द्वारा या उसकी ओर से, किसी व्यक्ति को वेतन देते समय, नौकरी की शर्तों के अनुसार इस उद्देश्य से काट ली गयी हो कि उसको वाद में वार्षिक वजीफा मिल सके या उसकी स्त्री या बच्चों के निर्वाह का प्रवन्ध हो सके।

(२) भारतीय सरकार की किसी ऐसी जमानत के

(३) प्रांतीय सरकार द्वारा निकाली हुई किसी ऐसी जमानत के व्याज की रकम जो कि इन्कम टैक्स से मुक्त है और जिस पर प्रातीय सरकार इन्कम टैक्स देती है।

(४) अन् रजिष्टर्ड फर्म के किसी साझेदार की पांती में आया हुआ नफे का भाग जिस पर की फर्म ने टैक्स दे दी है।

(५) किसी एसोसियेशन के नफे का भाग जिसपर कि एसोसियेशन ने टैक्स दे दी है।

(६) इन्स्योरेंस के प्रीमियम के रूप मे दी हुई रकमें जब कि वे अपनी, अपनी स्त्री या पति या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार के किसी पुरुप सदस्य या उस सदस्य की स्त्री की जीवन वीमा कराने या किसी वाद में मिलने वाले वार्षिक वजीफे के कन्ट्राक्ट के प्रीमियम के रूप मे दी गयी हों।

(वी) यदि एसेसी किसी फर्म का साझेदार होगा तो उसका हिस्सा इस प्रकार मालूम किया जायगा :

साझेदारों को व्याज, वेतन, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक के वतौर खर्च मे जो रकमें लिखी गई होंगी उनको वाद देकर फर्म के नफे या नुकसान की रकम निकाल ली जायगी और साझेदारों में, हिस्से के अनुसार, उस नफे या नुकसान का वटवारा कर प्रत्येक साझेदार की पाती मे आई हुई रकम मालूम कर ली जायगी। यदि यह रकम नफा होगी तो उसमे उसको मिली व्याज, वेतन आदि की रकमे जोड़ दी जायगी और यदि यह रकम नुकसान होगी तो वह व्याज वेतन आदि की रकमों मे से वाद दे दी जायगी।

इस प्रकार उसकी आमदनी निकालने पर यदि नुकसान रहा हो तो वह आगे के वर्षों मे टान कर ले जाया जायगा या अन्य कोई आय का जरिया होगा तो उससे वाद मिल सकेगा। इस सम्वन्ध मे विशेप विगत आगे मिलेगी। ऊपर जो कहा है उसे एक ७० ६

द्वारा समझा देना जरूरी है। मान लीजिये चट्टे-खाते में १०,०००) नुकसान आता है। खर्च खाते दो साझेदारों की तनख्वाह रूप में १,२००)+१,७००) भुगताए है तथा साझेदारों को व्याज के रूप में २००)+३००) दिए है। कुल मिलाकर २,६००)+५००)=३४००) साझेदारों को दिए है। इस रकम को खर्च मे नहीं धरने से फर्म के केवल ६,६००) नुकसान रहेगा। आठ आना पाती के हिसाब से प्रत्येक के ३३००) रुपया नुकसान का पाती आयगा। पहले साझेदार के निम्न लिखित नुकसान रहेगा—

फर्म का नुकसान		३,३००)
बाद—		
नौकरी का	१,२००)	
व्याज का	२००)	१,४००)
नुकसान		१,६००)

दूसरे के नुकसान इस तरह रहेगा—

फर्म का नुकसान		३,३००)
बाद—		
नौकरी का	१७००)	
व्याज का	३००)	२,०००)
नुकसान		१,३००)

(सी) कभी कभी ट्रस्ट, इकरारनामे, परस्पर वंदेज (Covenant) या कोई अन्य व्यवस्था द्वारा जायदाद (Assets) का इस प्रकार बन्दोबस्त (Settlement or disposition) कर दिया जाता है कि जायदाद तो निज की रह जाती है पर उसकी आमदनी अन्य शख्स को मिलने लगती है। यह इसलिए किया जाता है कि उस अन्य शख्स के दूसरी आमदनी न होने से या कम होने से

टैक्स का दर नीचा लग सके या टैक्स न लगे। इसी तरह से जायदाद (Assets) को हस्तान्तरित (Transfer) कर दिया जाता है जिससे कि उसकी आमदनी दूसरे को मिलने लगती है।

इस प्रकार के वन्दोवस्त या ट्रान्सफर दो तरह के हो सकते है। चाहे तो ऐसा हो सकता है कि आमदनी या जायदाद को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूपसे वापिस हस्तान्तर कर देने या आमदनी या जायदाद पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार करने की व्यवस्था हो या ऐसी व्यवस्था न हो। पहली हालत मे वन्दोवस्त या ट्रान्सफर को रिवोकेव्ल और दूसरी अवस्था में इर्रिवोकेव्ल कहते हैं।

वन्दोवस्त चाहे दोनों मे से किसी प्रकार का हो यह कानून कर दिया है कि इस प्रकार वन्दोवस्त की हुई जायदाद की कोई भी आमदनी वन्दोवस्त करने वाले की आमदनी समझी जायगी। वन्दोवस्त चाहे ता० १ अप्रेल, ३६ के पहले किया हो या वाद मे उपरोक्त नियम लागू होने मे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

उपरोक्त कानून तो केवल एक अपवाद है। यदि वन्दोवस्त छः वर्ष से उपरान्त समय या उस शख्स के जीवन पर्यन्त 'रिवोक' नहीं किया जा सकेगा जिसको कि आमदनी मिलने का वन्दोवस्त किया गया है और यदि प्रगट या अप्रगट रूप से वन्दोवस्त करने वाला उस आमदनी से कोई फायदा नहीं उठाता तो उस हालत मे वह आमदनी वन्दोवस्त करने वाले की नहीं समझी जायगी। परन्तु जैसे ही रिवोक करने का अधिकार वन्दोवस्त करने वाले के हाथ मे आ जायगा वैसे ही वह आमदनी पर टैक्स देने के लिए जिम्मेवार हो जायगा।

उसी तरह से यदि जायदाद का ऐसा हस्तान्तर किया हुआ होगा जो कि रिवोकेव्ल है तो उससे जो आमदनी होगी वह हस्तान्तर कर वाले शख्स (Transferor) की आमदनी समझी जायगी।

(२) डिविडेन्ड की आय भी, उसमें कम्पनी द्वारा दिए गये इन्कम टैक्स की रकम को जोड़ कर, कुल आमदनी मे सामिल की जायगी।

(३) एक शख्स की कुल आमदनी में नीचे बताई हुई उसकी स्त्री तथा बच्चे की आमदनी जोड़ कर उस पर टैक्स लगायी जाती है:—

(ए) (क) वह शख्स जिस फर्म में भागीदार हो उस फर्म मे यदि उसकी स्त्री अथवा नाबालिग बच्चा भी भागीदार हो तो उसकी स्त्री अथवा नाबालिग बच्चे को उस फर्म से आमदनी का जो भाग मिले।

(ख) उस शख्स ने उचित बदले (Consideration) बिना अपनी कोई मिलकियत अपनी स्त्री के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरह से कर दी हो तो उस मिलकियत की आमदनी।

(ग) उस शख्स ने उचित बदले बिना अपनी कोई भी मिलकियत विवाहित लड़की न हो ऐसे नाबालिग के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार से कर दी हो तो वैसी मिलकियत की आमदनी।

(बी) उस शख्स ने अपनी स्त्री अथवा नाबालिग बालक अथवा दोनों के लाभ के लिए अपनी कोई भी मिलकियत उचित बदले बिना कोई भी शख्स या शख्सों के समुदाय के नाम कर दी हो, तो वैसी मिलकियत में उस शख्स अथवा शख्सों के समुदाय को हुई आमदनी।

—धारा : १६

१२—कई खास परिस्थितियों में टैक्स की छूट

१७—(१) नन रेजिडेन्ट - वृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले मनुष्यों की दो श्रेणियाँ की गई है :—

(क) वे जो बृटिश भारत, देशी राज्यों या बर्मा की प्रजा हैं; और

(ख) वे जो उपरोक्त श्रेणी मे नहीं आते अर्थात् विदेशी प्रजा हैं।

प्रथम कोटि वालों पर टैक्स और सुपर टैक्स उस गडपड़ता (एवरेज) दर से लगाया जायगा जो कि उनकी दुनिया की कुल आमदनी पर पड़ेगा। अगर दुनिया की आमदनी नुकसान होगी तो बृटिश भारत की आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे एसेसी की कुल आमदनी पर टैक्स कसने का फॉरमूला इस प्रकार है:—

$$\text{कुल आमदनी पर टैक्स} = \frac{\text{दुनिया भर की आमदनी पर टैक्स} \times \text{कुल आमदनी}}{\text{दुनिया भर की आमदनी}}$$

उदाहरण स्वरूप बीकानेर रियासत के निवासी को ले लीजिए। बृटिश भारत मे उधार दिए हुए रुपयों से उसको ३,०००) ब्याज की आमदनी होती है। रियासत मे उसको ७,०००) की आमदनी है। और कहीं उसके कोई आमदनी नहीं होती। उसकी दुनिया की कुल आय १०,००० हुई। बृटिश भारत मे उपार्जित कुल आमदनी रुपया ३,००० पर टैक्स निम्नलिखित होगी:—

आमदनी	दर	टैक्स
१,५००)	—	—
३,५००)	—९ पाई प्र० रु०	= ३१,५०० पाई
५,०००)	—१ आ० ३ पा०	= ७५,००० पाई
दुनिया की कुल आमदनी १०,०००)	कुल टैक्स	१०६,५०० पाई
१)	...	$\frac{१०६,५००}{१०,०००}$ पाई
कुल आमदनी ३,०००)	...	$\frac{१०६,५०० \times ३,०००}{१०,०००}$ पाई
		= १६६।

(२) डिविडेन्ड की आय भी, उसमें कम्पनी द्वारा दिए गये इन्कम टैक्स की रकम को जोड कर, कुल आमदनी में सामिल की जायगी।

(३) एक शख्स की कुल आमदनी मे नीचे बताई हुई उसकी स्त्री तथा बच्चे की आमदनी जोड़ कर उस पर टैक्स लगायी जाती है:—

(ए) (क) वह शख्स जिस फर्म में भागीदार हो उस फर्म मे यदि उसकी स्त्री अथवा नाबालिग बच्चा भी भागीदार हो तो उसकी स्त्री अथवा नाबालिग बच्चे को उस फर्म से आमदनी का जो भाग मिले।

(ख) उस शख्स ने उचित बदले (Consideration) बिना अपनी कोई मिलकियत अपनी स्त्री के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरह से कर दी हो तो उस मिलकियत की आमदनी।

(ग) उस शख्स ने उचित बदले बिना अपनी कोई भी मिल्कियत विवाहित लड़की न हो ऐसे नाबालिग के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार से कर दी हो तो वैसी मिलकियत की आमदनी।

(बी) उस शख्स ने अपनी स्त्री अथवा नाबालिग बालक अथवा दोनों के लाभ के लिए अपनी कोई भी मिलकियत उचित बदले बिना कोई भी शख्स या शख्सों के समुदाय के नाम कर दी हो, तो वैसी मिलकियत से उस शख्स अथवा शख्सों के समुदाय को हुई आमदनी।

—धारा : १६

१२—कई खास परिस्थितियों में टैक्स की छूट

१७—(१) नन रेसिडेंन्ट - बृटिश भारत मे निवास नहीं करने वाले मनुष्यों की दो श्रेणियां की गई है :—

(२) डिविडेन्ड की आय भी, उसमे कम्पनी द्वारा दिए गये इन्कम टैक्स की रकम को जोड कर, कुल आमदनी मे सामिल की जायगी।

(३) एक शख्स की कुल आमदनी मे नीचे वताई हुई उसकी स्त्री तथा वच्चे की आमदनी जोड़ कर उस पर टैक्स लगायी जाती है:—

(ए) (क) वह शख्स जिस फर्म में भागीदार हो उस फर्म मे यदि उसकी स्त्री अथवा नावालिग वच्चा भी भागीदार हो तो उसकी स्त्री अथवा नावालिग वच्चे को उस फर्म से आमदनी का जो भाग मिले।

(ख) उस शख्स ने उचित वदले (Consideration) विना अपनी कोई मिलकियत अपनी स्त्री के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरह से कर दी हो तो उस मिलकियत की आमदनी।

(ग) उस शख्स ने उचित वदले विना अपनी कोई भी मिलकियत विवाहित लड़की न हो ऐसे नावालिग के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार मे कर दी हो तो वैसी मिलकियत की आमदनी।

(बी) उस शख्स ने अपनी स्त्री अथवा नावालिग वालक अथवा दोनो के लाभ के लिए अपनी कोई भी मिलकियत उचित वदले विना कोई भी शख्स या शख्सों के समुदाय के नाम कर दी हो, तो वैसी मिलकियत से उस शख्स अथवा शख्सों के समुदाय को हुई आमदनी।

—धारा : १६

१२—कई खास परिस्थितियों में टैक्स की छूट

१७—(१) नन् रेसिडेन्ट - वृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले मनुष्यों की दो श्रेणियां की गई हैं :—

(क) वे जो बृटिश भारत, देशी राज्यों या बर्मा की प्रजा हैं, और

(ख) वे जो उपरोक्त श्रेणी मे नहीं आते अर्थात् विदेशी प्रजा हैं।

प्रथम कोटि वालों पर टैक्स और सुपर टैक्स उस गडपड़ता (एवरेज) दर से लगाया जायगा जो कि उनकी दुनिया की कुल आमदनी पर पड़ेगा। अगर दुनिया की आमदनी नुकसान होगी तो बृटिश भारत की आय पर भी कोई टैक्स नही लगेगा। ऐसे एसेसी की कुल आमदनी पर टैक्स कसने का फॉरमूला इस प्रकार है:—

$$\text{कुल आमदनी पर टैक्स} = \frac{\text{दुनिया भर की आमदनी पर टैक्स} \times \text{कुल आमदनी}}{\text{दुनिया भर की आमदनी}}$$

उदाहरण स्वरूप बीकानेर रियासत के निवासी को ले लीजिए। बृटिश भारत मे उधार दिए हुए रुपयो से उसको ३,०००) ब्याज की आमदनी होती है। रियासत मे उसको ७,०००) की आमदनी है। और कहीं उसके कोई आमदनी नहीं होती। उसकी दुनिया की कुल आय १०,००० हुई। बृटिश भारत मे उपार्जित कुल आमदनी रुपया ३,००० पर टैक्स निम्नलिखित होगी:—

	आमदनी	दर	टैक्स
	१,५००)	—	—
	३,५००)	—६ पाई प्र० रु०	= २१,५०० पाई
	५,०००)	—१ आ० ३ पा०	= ७५,००० पाई
दुनिया की कुल आमदनी	१०,०००)	कुल टैक्स	१०६.५०० पाई
	१)	..	$\frac{१०६,५००}{१०,०००}$ पाई
कुल आमदनी	३,०००)	..	$\frac{१०६,५००\times३,०००}{१०,०००}$ पाई
			= १६६।=)॥

(२) डिविडेन्ड की आय भी, उसमें कम्पनी द्वारा दिए गये इन्कम टैक्स की रकम को जोड़ कर, कुल आमदनी मे सामिल की जायगी।

(३) एक शख्स की कुल आमदनी मे नीचे वताई हुई उसकी स्त्री तथा वच्चे की आमदनी जोड़ कर उस पर टैक्स लगायी जाती है:—

(ए) (क) वह शख्स जिस फर्म में भागीदार हो उस फर्म मे यदि उसकी स्त्री अथवा नावालिग वच्चा भी भागीदार हो तो उसकी स्त्री अथवा नावालिग वच्चे को उस फर्म से आमदनी का जो भाग मिले।

(ख) उस शख्स ने उचित वदले (Consideration) विना अपनी कोई मिलकियत अपनी स्त्री के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरह मे कर दी हो तो उस मिलकियत की आमदनी।

(ग) उस शख्स ने उचित वदले विना अपनी कोई भी मिलकियत विवाहित लड़की न हो ऐसे नावालिग के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार से कर दी हो तो वैसी मिलकियत की आमदनी।

(वी) उस शख्स ने अपनी स्त्री अथवा नावालिग वालक अथवा दोनों के लाभ के लिए अपनी कोई भी मिलकियत उचित वदले विना कोई भी शख्स या शख्सों के समुदाय के नाम कर दी हो, तो वैसी मिलकियत से उस शख्स अथवा शख्सों के समुदाय को हुई आमदनी।

—धारा : १६

१२—कई खास परिस्थितियों में टैक्स की छूट

१७—(१) नन रेजिडेन्ट - वृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले मनुष्यों की दो श्रेणियां की गई है :—

अध्याय-४

कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण

१—कर अदाई के तरीके

१८—(१) कर अदा करने का साधारण तरीका है उसे एसेसी से अदा करना परन्तु टैक्स अदा करने के लिये इन्कम टैक्स कानून में एक और तरीके का भी विधान है। इसके अनुसार जिसके मार्फत आमदनी होती है उसी को उस आमदनी में से टैक्स काट लेनी पड़ती है। एसेसी के हाथ में आमदनी टैक्स कट कर ही आती है। परन्तु यह सामान्य नियम नहीं है। कोई-कोई अवस्थाओं में ही इसका विधान है। यह विधान टैक्स अदा करने की सुगमता, कम खर्च, तथा अनुचित रूप से टैक्स बचा लेने की चालाकी को रोकने की दृष्टि से किया है। निम्न अवस्थाओं में टैक्स उद्गम स्थान में ही काट लिया जाता है :—

(२) बृटिश भारत में वेतन देते समय। वेतन देने वाले को समय वेतन में से इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स काट लेना

में वे सब आमदनियाँ सामिल समझनी चाहिएँ जिन पर के अन्तर टैक्स लागू पड़ता है।

सुपर टैक्स उस एवरेज—गडपड़ता दर से काटनी कि अनुमानिक वेतन पर लागू पड़ेगा।

स्वरूप मान लीजिए किसी की मासिक वेतन १८८)

दूसरी कोटि वाले नन् रेजिडेण्ट की कुल आमदनी पर ऊँचे-से-ऊँचे (maximum) दर से इन्कम टैक्स ली जायगी तथा सुपर टैक्स उस गडपडता (Average) दर से ली जायगी जो कि दुनिया की कुल आय पर पड़ेगा। यह ठीक ऊपर दिए हुए उदाहरण की तरह कसी जायगी।

(२) जब कि एसेसी की कुल आमदनी में ऐसी कोई आमदनी सम्मिलित होगी जो कि इन्कम टैक्स से बरी है तो उस हालत मे निम्नलिखित फॉरमूले से इन्कम टैक्स देनी होगी।

$$\text{बरी को बाद देकर बची आमदनी पर इन्कम टैक्स} = \frac{\text{सुपरटैक्स को छोड़ कर इन्कम टैक्स जो कि कुल आमदनी पर देना होता यदि उसमें बरी आमदनी सामिल न होती} \times \text{बरी आमदनी को बाद देकर कुल आमदनी}}{\text{कुल आमदनी जिसमें बरी आमदनी भी सामिल है।}}$$

[उदाहरण] स्वरूप किसी की कुल आमदनी १०,०००) रुपया है [उनमें] १,०००) इन्स्योरेन्स-प्रीमियम के है जिस पर कोई टैक्स नहीं [होती]। केवल ९,०००) पर ही टैक्स लग सकती है। टैक्स इस प्रकार [लगाई] जायगी —

१०,०००) पर टैक्स		१०६,५०० पाई
१) "		$\frac{१०६,५००}{१०,०००}$ पाई
९,०००) पर "		$\frac{१०६५०० \times ९,०००}{१०,०००}$ पाई
	=	९५,८५० पाई
	=	४९९≡)॥

—धारा : १७

अध्याय-४

कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण

१—कर अदाई के तरीके

१८—(१) कर अदा करने का साधारण तरीका है उसे एसेसी से अदा करना परन्तु टैक्स अदा करने के लिये इन्कम टैक्स कानून मे एक और तरीके का भी विधान है। इसके अनुसार जिसके मार्फत आमदनी होती है उसी को उस आमदनी मे से टैक्स काट लेनी पड़ती है। एसेसी के हाथ मे आमदनी टैक्स कट कर ही आती है। परन्तु यह सामान्य नियम नहीं है। कोई-कोई अवस्थाओं में ही इसका विधान है। यह विधान टैक्स अदा करने की सुगमता, कम खर्च, तथा अनुचित रूप से टैक्स बचा लेने की चालाकी को रोकने की दृष्टि से किया है। निम्न अवस्थाओं मे टैक्स उद्गम स्थान मे ही काट लिया जाता है :—

(२) बृटिश भारत मे वेतन देते समय। वेतन देने वाले को वेतन देते समय वेतन मे से इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स काट लेना पड़ता है।

वेतन में वे सब आमदनियां सामिल समझनी चाहिएं जिन पर वेतन शीर्षक के अन्तर टैक्स लागू पड़ता है।

टैक्स और सुपर टैक्स उस एवरेज—गड़पड़ता दर से काटनी होगी जो दर कि अनुमानिक वेतन पर लागू पड़ेगा।

उदाहरण स्वरूप मान लीजिए किसी की मासिक वेतन १८८)

दूसरी कोटि वाले नन् रेजिडेण्ट की कुल आमदनी पर ऊँचे-से-ऊँचे (maximum) दर से इन्कम टैक्स ली जायगी तथा सुपर टैक्स उस गड़पड़ता (Average) दर से ली जायगी जो कि दुनिया की कुल आय पर पड़ेगा। यह ठीक ऊपर दिए हुए उदाहरण की तरह कसी जायगी।

(२) जब कि एसेसी की कुल आमदनी में ऐसी कोई आमदनी सम्मिलित होगी जो कि इन्कम टैक्स से बरी है तो उस हालत में निम्नलिखित फॉरमूले से इन्कम टैक्स देनी होगी।

$$\text{खर्चों को बाद देकर बची आमदनी पर इन्कम टैक्स} = \frac{\text{सुपरटैक्स को छोड़ कर इन्कम टैक्स जो कि कुल आमदनी पर देना होता यदि उसमें बरी आमदनी सामिल न होती} \times \text{बरी आमदनी को बाद देकर कुल आमदनी}}{\text{कुल आमदनी जिसमें बरी आमदनी भी सामिल है।}}$$

उदाहरण स्वरूप किसी की कुल आमदनी १०,०००) रुपया है जिसमें १,०००) इन्स्योरेन्स-प्रीमियम के हे जिस पर कोई टैक्स नहीं लगती। केवल ९,०००) पर ही टैक्स लग सकती है। टैक्स इस प्रकार फलाई जायगी :—

१०,०००) पर टैक्स	१०६,५०० पाई
१) ”	$\frac{१०६,५००}{१०,०००}$ पाई
९,०००) पर ”	$\frac{१०६५००\times९,०००}{१०,०००}$ पाई
	= ९५,८५० पाई
	= ४९९=)॥

—धारा : १७

अध्याय-४

कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण

१—कर अदाई के तरीके

१८—(१) कर अदा करने का साधारण तरीका है उसे एसेसी से अदा करना परन्तु टैक्स अदा करने के लिये इन्कम टैक्स कानून मे एक और तरीके का भी विधान है। इसके अनुसार जिसके मार्फत आमदनी होती है उसी को उस आमदनी में से टैक्स काट लेनी पड़ती है। एसेसी के हाथ मे आमदनी टैक्स कट कर ही आती है। परन्तु यह सामान्य नियम नहीं है। कोई-कोई अवस्थाओं मे ही इसका विधान है। यह विधान टैक्स अदा करने की सुगमता, कम खर्च, तथा अनुचित रूप से टैक्स बचा लेने की चालाकी को रोकने की दृष्टि से किया है। निम्न अवस्थाओं मे टैक्स उद्गम स्थान में ही काट लिया जाता है :—

(२) बृटिश भारत मे वेतन देते समय। वेतन देने वाले को वेतन देते समय वेतन मे से इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स काट लेना पड़ता है।

वेतन मे वे सब आमदनियां सामिल समझनी चाहिए जिन पर वेतन शीर्षक के अन्तर टैक्स लागू पड़ता है।

टैक्स और सुपर टैक्स उस एवरेज—गड़पड़ता दर से काटनी होगी जो दर कि अनुमानिक वेतन पर लागू पड़ेगा।

उदाहरण स्वरूप मान लीजिए किसी की मासिक वेतन १८—

जो रकम क़ाऊन द्वारा या उसकी ओर से एजेसी को भारत के बाहर देनी पड़े।

इस तरह की आमदनी की रुपयों मे कीमत निर्धारित विनियम दर (exchange rate) से की जायगी।

(२-बी) बृटिश भारत में नहीं बसने वाले शख्स को वेतन देते समय। यदि वेतन किसी ऐसे मनुष्य को दी जाय जो कि बृटिश भारत का वासी नहीं है तो उस हालत में टैक्स ऊंचे-से-ऊचे दर से और सुपर टैक्स उस एवरेज—गडपड़ता दर से काटनी होगी जो कि उसकी आनुमानिक वेतन पर लागू पड़ेगा।

(३) जमानतों के व्याज को देते समय। जिस आमदनी पर जमानतों के व्याज के शीर्षक के अन्तर टैक्स लागू पड़ती है उसे देते समय ऊंचे-से-ऊंचे दर से टैक्स काट लेनी पड़ती है। परन्तु सुपर टैक्स नहीं काटनी पडती।

यदि केन्द्रीय सरकार की किसी जमानत के विषय में कोई भिन्न आदेश होगा तो उसी का पालन किया जायगा अर्थात् टैक्स नहीं काटी जायगी।

यदि इन्कम टैक्स ओफिसर लिखित रूप में प्रमाण-पत्र दे कि जहां तक उसकी धारणा है वहां तक किसी आमदनी प्राप्त करने वाले (Receipient) की कुल आमदनी या दुनिया की कुल आमदनी इन्कम टैक्स लग सके उतनी नहीं है या उतनी नहीं जितनी पर की ऊंचे-से-ऊचे दर से टैक्स लिया जा सके तो उस हालत मे टैक्स नहीं काटी जायगी या कम दर से टैक्स काटी जायगी।

ऐसा प्रमाण-पत्र दरख्वास्त देकर प्राप्त किया जा सकता है। उचित समझने पर इन्कम टैक्स ओफिसर ऐसा प्रमाण-पत्र देगा। यह प्रमाण-पत्र उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि वह रद्द नहीं कर दिया जायगा।

रुपया है। उसकी वार्षिक आय २,२५६) रुपये हुई। एवरेज दर इस प्रकार निकाला जायगा :—

	आमदनी	दर	टैक्स		
			रु०	आ०	पाई
पहले	१५००)	कुछ नहीं			
बाद के	७५६)	९ पाई प्र० रु०	३५	७	०
कुल आय	२२५६)	कुल टैक्स	३५	७	०

$$\text{एवरेज दर होगा} \frac{३५-७-०}{२२५६} = ३.०२ \text{ पाई}$$

प्रति रुपये पीछे इसी दर से टैक्स काट लेना होगा।

वर्ष भर में रु० ३५-७-० इन्कम टैक्स के होते हैं। प्रति महीने $\frac{३५-७-०}{१२}$ = रु० २॥।≡)॥ काट लेना होगा।

इसी तरह से मान लीजिए किसी की आमदनी २८,५६०) रुपये है। इस पर सुपर टैक्स निम्न एवरेज दर से काटा जायगा।

	आमदनी	दर	टैक्स
	२५,०००)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	३,५६०)	-) रु०	२२२॥)
कुल आय	२८,५६०)	कुल सुपर टैक्स	२२२॥)

$$\text{एवरेज दर} = \frac{२२२॥)}{२८,५६०} = १.९६५ \text{ पाई।}$$

यदि पहले मूल में टैक्स काटनी बाकी रह गई होगी या नीचे दर में काटी गई होगी तो कर काटते समय अधिक रकम काटी जा सकेगी। यदि पहले अधिक रकम काट ली गई होगी तो कम रकम काटी जा सकेगी

(२-ए) चाहे पूर्व में कुछ भी लिखा हो टैक्स और सुपर टैक्स काटने के लिए वेतन में वह रकम भी शामिल कर लेनी होगी

जो रकम क्राऊन द्वारा या उसकी ओर से एसेसी को भारत के बाहर देनी पड़े।

इस तरह की आमदनी की रुपयों मे कीमत निर्धारित विनियम दर (exchange rate) से की जायगी।

(२-बी) बृटिश भारत मे नहीं बसने वाले शख्स को वेतन देते समय। यदि वेतन किसी ऐसे मनुष्य को दी जाय जो कि बृटिश भारत का वासी नही है तो उस हालत मे टैक्स ऊंचे-से-ऊचे दर से और सुपर टैक्स उस एवरेज—गडपडता दर से काटनी होगी जो कि उसकी आनुमानिक वेतन पर लागू पडेगा।

(३) जमानतों के ब्याज को देते समय। जिस आमदनी पर जमानतों के व्याज के शीर्षक के अन्तर टैक्स लागू पड़ती है उसे देते समय ऊचे-से-ऊचे दर से टैक्स काट लेनी पड़ती है। परन्तु सुपर टैक्स नही काटनी पड़ती।

यदि केन्द्रीय सरकार की किसी जमानत के विषय मे कोई भिन्न आदेश होगा तो उसी का पालन किया जायगा अर्थात् टैक्स नहीं काटी जायगी।

यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित रूप मे प्रमाण-पत्र दे कि जहां तक उसकी धारणा है वहां तक किसी आमदनी प्राप्त करने वाले (Receipient) की कुल आमदनी या दुनिया की कुल आमदनी इन्कम टैक्स लग सके उतनी नही है या उतनी नहीं जितनी पर की ऊंचे-से-ऊचे दर से टैक्स लिया जा सके तो उस हालत मे टैक्स नही काटी जायगी या कम दर से टैक्स काटी जायगी।

ऐसा प्रमाण-पत्र दरख्वास्त देकर प्राप्त किया जा सकता है। उचित समझने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर ऐसा प्रमाण-पत्र देगा। यह प्रमाण-पत्र उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि वह रद्द नही कर दिया जायगा।

उपधारा २-बी के अनुसार वेतन की आमदनी देने वाले पर भी यह बात लागू पड़ती है।

(३-ए) बृटिश भारत में नहीं बसने वाले को व्याज या अन्य रकम देते समय। जमानतों के व्याज को छोड़ कर अन्य व्याज या ऐसी कोई रकम जिस पर कि इस एक्ट के अनुसार टैक्स लगती है, बृटिश भारत मे नहीं वसने वाले शख्स को देते समय ऊंचे-से-ऊंचे दर से इन्कम टैक्स काट लेनी होगी। परन्तु यदि व्याज देने वाला खुद ही एजेन्ट के वतौर टैक्स के लिए दायक है तो उसे टैक्स नहीं काटनी होगी।

(३-बी) यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वर्ष मे किसी शख्स की, जो बृटिश भारत के बाहर रहता है, दुनिया की कुल आमदनी सुपरटैक्स लग सके उतनी है तो उस हालत मे वह उपधारा (३-ए) के अनुसार व्याज या अन्य रकम देनेवाले को लिखित हुक्म देकर उस दर से सुपर टैक्स काटने का आदेश कर सकता है, जो दर इन्कम टैक्स आफिसर दुनिया की कुल आमदनी को दृष्टि मे रख कर निश्चित करे।

(३-सी) उप धारा ३-ए के अनुसार व्याज या अन्य रकम देनेवाला वर्ष मे कुल मिला कर ऐसी रकम दे जिस पर कि सुपर टैक्स लगती हो तो उस हालत मे उसे नियमित दर से सुपर टैक्स काट लेना होगा।

यदि इस प्रकार व्याज या अन्य रकम देनेवाले को यह विश्वास करने का कारण हो कि आमदनी पानेवाला बृटिश भारत का वासी है, तो उस हालत मे वह सुपर टैक्स नहीं काटेगा।

उपरोक्त दर से सुपर टैक्स उसी हालत मे काटेगा जब कि अन्य किसी दर से सुपर टैक्स काटने का आदेश उपधारा (३)-बी के अनुसार

उसे नहीं मिला होगा। यदि आदेश मिला होगा तो उसी के अनुसार सुपर टैक्स काटना होगा।

(३-डी) बृटिश भारत के बाहर रहनेवाले को डिविडेण्ड देते समय। उपधारा (३-बी) की परिस्थिति मे इन्कम टैक्स आफिसर किसी कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को यह आदेश कर सकता है कि वह डिविडेण्ड देते समय उस पर अमुक रेट से सुपर टैक्स काट ले।

(३-ई) यदि डिविडेण्ड देनेवाली कम्पनी वर्ष मे कुल मिला कर ऐसी रकम दे जिसके साथ जदि उसके द्वारा काटा गया इन्कम टैक्स मिलाया जाय तो सुपर टैक्स लग सके उतनी रकम हो तो उस हालत मे कम्पनी को नियमित दर से सुपर टैक्स काट लेना होगा।

उपरोक्त रूप से सुपर टैक्स उसी अवस्था मे काटा जायगा जब कि प्रधान ऑफिसर को विश्वास करने का कारण होगा कि वह शख्स जिसको डिविडेण्ड दिया जा रहा है बृटिश भारत का वासी नहीं है।

उस हालत मे जब कि अमुक दर से सुपर टैक्स काटने का लिखित आदेश इन्कम टैक्स ऑफिसर से मिल गया होगा तो सुपर टैक्स उपरोक्त दर से न काट कर आदेश दिए हुए दर से काटा जायगा।

(४) इस पैरा के अनुसार जो सब रकमे काटी जायंगी वे किसी एसेसी की आमदनी की कूँत करते समय उसके द्वारा प्राप्त आमदनी समझी जायगी।

(५) इस पैरा के अनुसार जो रकम काटी जायगी वह जिस शख्स की आमदनी मे से काटी जायगी उसकी ओर से या जमानतों के मालिक या शेयर होल्डर की ओर से दी हुई इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स की रकम समझी जायगी और इस एक्ट के अनुसार आगे के वर्ष के लिए कर की कूँत करते समय उसको जमा समझा जायगा।

उपधारा २-बी के अनुसार वेतन की आमदनी देने वाले पर भी यह बात लागू पडती है।

(३-ए) बृटिश भारत में नहीं बसने वाले को ब्याज या अन्य रकम देते समय। जमानतों के ब्याज को छोड़ कर अन्य ब्याज या ऐसी कोई रकम जिस पर कि इस एक्ट के अनुसार टैक्स लगती है, बृटिश भारत मे नहीं बसने वाले शख्स को देते समय ऊंचे-से-ऊंचे दर से इन्कम टैक्स काट लेनी होगी। परन्तु यदि ब्याज देने वाला खुद ही एजेन्ट के बतौर टैक्स के लिए दायक है तो उसे टैक्स नहीं काटनी होगी।

(३-बी) यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वर्ष मे किसी शख्स की, जो बृटिश भारत के बाहर रहता है, दुनिया की कुल आमदनी सुपरटैक्स लग सके उतनी है तो उस हालत मे वह उपधारा (३-ए) के अनुसार ब्याज या अन्य रकम देनेवाले को लिखित हुक्म देकर उस दर से सुपर टैक्स काटने का आदेश कर सकता है, जो दर इन्कम टैक्स आफिसर दुनिया की कुल आमदनी को दृष्टि मे रख कर निश्चित करे।

(३-सी) उप धारा ३-ए के अनुसार ब्याज या अन्य रकम देनेवाला वर्ष में कुल मिला कर ऐसी रकम दे जिस पर कि सुपर टैक्स लगती हो तो उस हालत में उसे नियमित दर से सुपर टैक्स काट लेना होगा।

यदि इस प्रकार ब्याज या अन्य रकम देनेवाले को यह विश्वास करने का कारण हो कि आमदनी पानेवाला बृटिश भारत का वासी है, तो उस हालत में वह सुपर टैक्स नहीं काटेगा।

उपरोक्त दर से सुपर टैक्स उसी हालत में काटेगा जब कि अन्य किसी दर से सुपर टैक्स काटने का आदेश उपधारा (३)-बी के अनुसार

उसे नहीं मिला होगा। यदि आदेश मिला होगा तो उसी के अनुसार सुपर टैक्स काटना होगा।

(३-डी) बृटिश भारत के बाहर रहनेवाले को डिविडेण्ड देते समय। उपधारा (३-बी) की परिस्थिति में इन्कम टैक्स आफिसर किसी कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को यह आदेश कर सकता है कि वह डिविडेण्ड देते समय उस पर अमुक रेट से सुपर टैक्स काट ले।

(३-ई) यदि डिविडेण्ड देनेवाली कम्पनी वर्ष में कुल मिला कर ऐसी रकम दे जिसके साथ जदि उसके द्वारा काटा गया इन्कम टैक्स मिलाया जाय तो सुपर टैक्स लग सके उतनी रकम हो तो उस हालत में कम्पनी को नियमित दर से सुपर टैक्स काट लेना होगा।

उपरोक्त रूप से सुपर टैक्स उसी अवस्था में काटा जायगा जब कि प्रधान ऑफिसर को विश्वास करने का कारण होगा कि वह शख्स जिसको डिविडेण्ड दिया जा रहा है बृटिश भारत का वासी नहीं है।

उस हालत में जब कि अमुक दर से सुपर टैक्स काटने का लिखित आदेश इन्कम टैक्स ऑफिसर से मिल गया होगा तो सुपर टैक्स उपरोक्त दर से न काट कर आदेश दिए हुए दर से काटा जायगा।

(४) इस पैरा के अनुसार जो सब रकमें काटी जायगी वे किसी एसेसी की आमदनी की कूंत करते समय उसके द्वारा प्राप्त आमदनी समझी जायगी।

(५) इस पैरा के अनुसार जो रकम काटी जायगी वह जिस शख्स की आमदनी में से काटी जायगी उसकी ओर से या जमानतों के मालिक या शेयर होल्डर की ओर से दी हुई इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स की रकम समझी जायगी और इस एक्ट के अनुसार आगे के वर्ष के लिए कर की कूंत करते समय उसको जमा समझा जायगा।

उपधारा २-बी के अनुसार वेतन की आमदनी देने वाले पर भी यह बात लागू पडती है।

(३-ए) बृटिश भारत में नहीं बसने वाले को व्याज या अन्य रकम देते समय। जमानतों के व्याज को छोड कर अन्य व्याज या ऐसी कोई रकम जिस पर कि इस एक्ट के अनुसार टैक्स लगती है, बृटिश भारत मे नहीं बसने वाले शख्स को देते समय ऊंचे-से-ऊंचे दर से इन्कम टैक्स काट लेनी होगी। परन्तु यदि व्याज देने वाला खुद ही एजेन्ट के बतौर टैक्स के लिए दायक है तो उसे टैक्स नहीं काटनी होगी।

(३-बी) यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वर्ष मे किसी शख्स की, जो बृटिश भारत के बाहर रहता है, दुनिया की कुल आमदनी सुपरटैक्स लग सके उतनी है तो उस हालत मे वह उपधारा (३-ए) के अनुसार व्याज या अन्य रकम देनेवाले को लिखित हुक्म देकर उस दर से सुपर टैक्स काटने का आदेश कर सकता है, जो दर इन्कम टैक्स आफिसर दुनिया की कुल आमदनी को दृष्टि मे रख कर निश्चित करे।

(३-सी) उप धारा ३-ए के अनुसार व्याज या अन्य रकम देनेवाला वर्ष मे कुल मिला कर ऐसी रकम दे जिस पर कि सुपर टैक्स लगती हो तो उस हालत मे उसे नियमित दर से सुपर टैक्स काट लेना होगा।

यदि इस प्रकार व्याज या अन्य रकम देनेवाले को यह विश्वास करने का कारण हो कि आमदनी पानेवाला बृटिश भारत का वासी है, तो उस हालत मे वह सुपर टैक्स नहीं काटेगा।

उपरोक्त दर से सुपर टैक्स उसी हालत में काटेगा जब कि अन्य किसी दर से सुपर टैक्स काटने का आदेश उपधारा (३)-बी के अनुसार

उसे नहीं मिला होगा। यदि आदेश मिला होगा तो उसी के अनुसार सुपर टैक्स काटना होगा।

(३-डी) बृटिश भारत के बाहर रहनेवाले को डिविडेण्ड देते समय। उपधारा (३-बी) की परिस्थिति मे इन्कम टैक्स आफिसर किसी कम्पनी के प्रधान आफिसर को यह आदेश कर सकता है कि वह डिविडेण्ड देते समय उस पर अमुक रेट से सुपर टैक्स काट ले।

(३-ई) यदि डिविडेण्ड देनेवाली कम्पनी वर्ष मे कुल मिला कर ऐसी रकम दे जिसके साथ जदि उसके द्वारा काटा गया इन्कम टैक्स मिलाया जाय तो सुपर टैक्स लग सके उतनी रकम हो तो उस हालत मे कम्पनी को नियमित दर से सुपर टैक्स काट लेना होगा।

उपरोक्त रूप से सुपर टैक्स उसी अवस्था मे काटा जायगा जब कि प्रधान ऑफिसर को विश्वास करने का कारण होगा कि वह शख्स जिसको डिविडेण्ड दिया जा रहा है बृटिश भारत का वासी नहीं है।

उस हालत मे जब कि अमुक दर से सुपर टैक्स काटने का लिखित आदेश इन्कम टैक्स ऑफिसर से मिल गया होगा तो सुपर टैक्स उपरोक्त दर से न काट कर आदेश दिए हुए दर से काटा जायगा।

(४) इस पैरा के अनुसार जो सब रकमे काटी जायगी वे किसी एसेसी की आमदनी की कूँत करते समय उसके द्वारा प्राप्त आमदनी समझी जायगी।

(५) इस पैरा के अनुसार जो रकम काटी जायगी वह जिस शख्स की आमदनी मे से काटी जायगी उसकी ओर से या जमानतो के मालिक या शेयर होल्डर की ओर से दी हुई इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स की रकम समझी जायगी और इस एक्ट के अनुसार आगे के वर्ष के लिए कर की कूँत करते समय उसको जमा समझा जायगा।

उस रकम के सम्बन्ध में भी उपरोक्त बात लागू होगी जिस रकम से कि धारा १६ की उपधारा (२) के अनुसार डिविडेन्ड बढ़ाया गया हो।

यदि ऐसे शख्स ने या मालिक ने इस प्रकार काटी हुई टैक्स के किसी अंश को वापिस प्राप्त कर लिया हो तो जो रिफण्ड की रकम होगी उसको बाद नहीं दिया जायगा।

यदि ऐसा शख्स या मालिक ऐसा शख्स होगा जिस की आमदनी धारा १६ की उपधारा (१) सी या उपधारा (३), धारा ४४ डी या धारा ४४ इ के विधानानुसार किसी अन्य शख्स की आमदनी मे जोडी जाती हो तो यह अन्य शख्स ही वह शख्स या मालिक समझा जायगा जिसकी ओर से टैक्स दी हुई समझी जायगी और बाद के वर्ष मे कर लगाते समय यह टैक्स उसकी जमा समझी जायगी।

(६) इस पैरा के अनुसार जो रकमें काटी जायंगी व निर्धारित समय के अन्दर काटने वाले को केन्द्रिय सरकार के खाते में जमा करा देनी होगी।

या केन्द्रिय बोर्ड आफ रेवीन्यू के आदेशानुसार दे देनी होगी।

(७) इस पैरा के अनुसार यदि कोई शख्स टैक्स नहीं काटेगा या काट कर जमा नहीं देगा तो टैक्स उस मे बाकी समझी जायगी। यही बात उस कम्पनी के सम्बन्ध मे समझी जायगी जिसका प्रधान अफिसर टैक्स नहीं काटेगा या काट कर जमा नहीं देगा।

इसके सिवा अन्य परिणाम से भी वह बरी नहीं हो सकेगा।

इन्कम टैक्स आफिसर धारा ४६ की उपधारा (१) के अनुसार किसी दण्ड को ऐसे शख्स से अदा करने का आदेश उस समय तक

नहीं देगा जब तक कि उसको इसका विश्वास न हो जाय कि टैक्स न काटने और जमा न देने में इच्छा कर गल्ती की गई हो।

(८) इस पैरा के अनुसार काट कर टैक्स अदा के अधिकार से टैक्स अदा में किसी अन्य तरीके को काम में लाने में कोई बाधा नहीं आयगी।

(६) उपधार, (३-ए), (३-बी) (३-सी), (३-डी) या (३-इ) के अनुसार टैक्स या सुपर टैक्स काटने वाला शख्स, उस शख्स को, जिसे टैक्स काट कर रकम दी गई है, एक प्रमाण-पत्र इस आशय का देगा कि इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स काट ली गई है। उस में इसका भी विवरण रहेगा कि कितने रुपये काटे गयें है, किस दर से टैक्स काटी गई है तथा और भी निर्धारित विवरण दिया जायगा।

—धारा : १८

२—इन्कम टैक्स की अदाई का अन्य तरीका

१६—इन्कम टैक्स एक्ट मे कर अदा करने के दो तरीकों की व्यवस्था है : (१) कई अवस्थाओ मे आमदनी देने वालों को ही टैक्स काट कर उसे जमा दे देनी पड़ती है। उदाहरण स्वरूप वेतन देते समय मालिक को टैक्स काट लेनी पडती है। किन-किन अवस्था मे टैक्स इस प्रकार कटवा कर अदा की जाती है वह एक्ट की धारा १८ मे दी हुई है तथा उसका खुलासा ऊपर पैरा १८ मे कर दिया गया है।

(२) जिन अवस्थाओं मे उपरोक्त रूप से टैक्स काट लेने का कानून नहीं है तथा उपरोक्त रूप से टैक्स नहीं काटा गया है उन अवस्थाओं मे टैक्स सीधे एसेसी से अदा की जाती है।

—धारा: १६

३—डिविडेण्ड के सम्बन्ध में सूचना देना

१९-(ए)—प्रत्येक कम्पनी के प्रमुख ऑफिसर को ता० १५ जून तक इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह सूचना दे देनी पड़ती है कि कम्पनी के द्वारा पूर्व वर्ष में किस-किस शेयर होल्डर को निर्दिष्ट रकम से अधिक डिविडेण्ट दिया गया है। साथ में इन शेयर होल्डर के पूरे पते भी देने पड़ते हैं और यह बता देना पड़ता है कि कुल मिला कर किसको कितनी रकम दी गयी है।

यह सूचना इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित फोर्म पर लिख कर देनी पड़ती है और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक (Verify) कर देना पड़ता है।

—धारा : १९-ए

४—शेयर-होल्डर को टैक्स काट लेने की सार्टिफिकेट

२०— डिविडेण्ड देते समय प्रत्येक कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को सार्टिफिकेट या प्रमाण-पत्र दे देना होगा कि जो नफा बाटा जा रहा है उसकी टैक्स कम्पनी द्वारा चुका दी गई है या चुका दी जायगी। यह प्रमाण-पत्र इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित रूप में होगा तथा उसमें उन सब बातों का ब्यौरा दे देना होगा जो कि देने का नियम होगा।

—धारा : २०

५—ब्याज सम्बन्धी सूचना

(२०-ए) ब्याज देनेवाले प्रत्येक शख्स को ता० १५ जून तक इन्कम टैक्स ऑफिसर को उन सब लोगों के नाम दे देने पड़ेंगे जिनको कि उसने पूर्व के वर्ष में अर्थात गत आर्थिक वर्ष में ४००)

से अधिक व्याज दिया होगा। साथ में ऐसे लोगों के पूरे पत्ते भी लिख देने पड़ेंगे और यह बता देना पड़ेगा कि कुल मिला कर किसको कितनी रकम दी गई है।

यह सूचना इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित फोर्म पर लिख कर देनी पड़ेगी और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक (Verify) कर देना होगा।

परन्तु यह खयाल रखना चाहिए कि यदि दिया गया व्याज जमानतों विषयक व्याज हो तो उपरोक्त सूचना नहीं देनी होगी।

—धारा : २०-ए

६—*वार्षिक रिटर्न*

२१—प्रत्येक वर्ष मार्च महीने की तारीख ३१ से ३० दिन के अन्दर, प्रत्येक सरकारी दफ्तर के निर्दिष्ट पुरुष को तथा स्थानीय अधिकारी, कम्पनी या अन्य सार्वजनिक सभा या समुदाय के प्रधान ऑफिसर या निर्दिष्ट पुरुष को तथा किसी भी वेतन दाता (employer) को एक रिटर्न भर कर अमुक इन्कम टैक्स ऑफिसर को भेजना होगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दिखानी होगी :—

(ए) उन शख्सों के नाम और जहाँ तक मालूम हो पत्ते जिनको उक्त मार्च महीने की तारीख ३१ तक 'वेतनो' के शीर्षक के अन्तर टैक्स लगे उतनी वेतन दी गई होगी, या देनी हो गई होगी या जिनको उक्त तारीख पर उतनी वेतन मिलती होगी;

(बी) जो रुपये हर वेतन भोगी को उपरोक्त तारीख तक दिए गये या उसके बाकी थे, तथा रुपये कब-कब दिए गये या बाकी हुए

(सी) इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स के सम्बन्ध में जो रकम प्रत्येक वेतन-भोगी से काटी गई हो।

३—डिविडेण्ड के सम्बन्ध मे सूचना देना

१९-(ए)—प्रत्येक कम्पनी के प्रमुख ऑफिसर को ता० १५ जून तक इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह सूचना दे देनी पडती है कि कम्पनी के द्वारा पूर्व वर्ष मे किस-किस शेयर होल्डर को निर्दिष्ट रकम से अधिक डिविडेण्ट दिया गया है। साथ मे इन शेयर होल्डर के पूरे पते भी देने पडते हैं और यह बता देना पड़ता है कि कुल मिला कर किसको कितनी रकम दी गयी है।

यह सूचना इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित फोर्म पर लिख कर देनी पडती है और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक (Verify) कर देना पड़ता है।

—धारा : १९-ए

४—शेयर-होल्डर को टैक्स काट लेने की सार्टिफिकेट

२०— डिविडेण्ड देते समय प्रत्येक कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को सार्टिफिकेट या प्रमाण-पत्र दे देना होगा कि जो नफा बाटा जा रहा है उसकी टैक्स कम्पनी द्वारा चुका दी गई है या चुका दी जायगी। यह प्रमाण-पत्र इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित रूप मे होगा तथा उसमे उन सब बातों का ब्यौरा दे देना होगा जो कि देने का नियम होगा।

—धारा : २०

५—ब्याज सम्बन्धी सूचना

(२०-ए) ब्याज देनेवाले प्रत्येक शख्स को ता० १५ जून तक इन्कम टैक्स ऑफिसर को उन सब लोगों के नाम दे देने पड़ेंगे जिनको कि उसने पूर्व के वर्ष मे अर्थात गत आर्थिक वर्ष में ४००)

से अधिक व्याज दिया होगा। साथ में ऐसे लोगों के पूरे पत्ते भी लिख देने पड़ेंगे और यह बता देना पड़ेगा कि कुल मिला कर किसको कितनी रकम दी गई है।

यह सूचना इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित फोर्म पर लिख कर देनी पड़ेगी और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक (Verify) कर देना होगा।

परन्तु यह खयाल रखना चाहिए कि यदि दिया गया व्याज जमानतों विषयक व्याज हो तो उपरोक्त सूचना नहीं देनी होगी।

—धारा : २०-ए

६—वार्षिक रिटर्न

२१—प्रत्येक वर्ष मार्च महीने की तारीख ३१ से ३० दिन के अन्दर, प्रत्येक सरकारी दफ्तर के निर्दिष्ट पुरुष को तथा स्थानीय अधिकारी, कम्पनी या अन्य सार्वजनिक सभा या समुदाय के प्रधान ऑफसर या निर्दिष्ट पुरुष को तथा किसी भी वेतन दाता (employer) को एक रिटर्न भर कर अमुक इन्कम टैक्स ऑफिसर को भेजना होगा, जिसमे निम्नलिखित बातें दिखानी होगी :—

(ए) उन शख्सों के नाम और जहाँ तक मालूम हो पत्ते जिनको उक्त मार्च महीने की तारीख ३१ तक 'वेतनों' के शीर्षक के अन्तर टैक्स लगे उतनी वेतन दी गई होगी, या देनी हो गई होगी या जिनको उक्त तारीख पर उतनी वेतन मिलती होगी;

(बी) जो रुपये हर वेतन भोगी को उपरोक्त तारीख तक दिए गये या उसके बाकी थे, तथा रुपये कब-कब दिए गये या बाकी हुए

(सी) इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स के सम्बन्ध में जो रकम प्रत्येक वेतन-भोगी से काटी गई हो।

३—डिविडेण्ड के सम्बन्ध में सूचना देना

१९-(ए)—प्रत्येक कम्पनी के प्रमुख ऑफिसर को ता० १५ जून तक इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह सूचना दे देनी पड़ती है कि कम्पनी के द्वारा पूर्व वर्ष मे किस-किस शेयर होल्डर को निर्दिष्ट रकम से अधिक डिविडेण्ट दिया गया है। साथ मे इन शेयर होल्डर के पूरे पते भी देने पडते है और यह वता देना पड़ता है कि कुल मिला कर किसको कितनी रकम दी गयी है।

यह सूचना इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित फोर्म पर लिख कर देनी पड़ती है और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक (Verify) कर देना पड़ता है।

—धारा : १९-ए

४—शेयर-होल्डर को टैक्स काट लेने की सार्टिफिकेट

२०—डिविडेण्ड देते समय प्रत्येक कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को सार्टिफिकेट या प्रमाण-पत्र दे देना होगा कि जो नफा बांटा जा रहा है उसको टैक्स कम्पनी द्वारा चुका दी गई है या चुका दी जायगी। यह प्रमाण-पत्र इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित रूप में होगा तथा उसमें उन सब बातों का ब्यौरा दे देना होगा जो कि देने का नियम होगा।

—धारा : २०

५—ब्याज सम्बन्धी सूचना

(२०-ए) ब्याज देनेवाले प्रत्येक शख्स को ता० १५ जून तक इन्कम टैक्स आफिसर को उन सब लोगों के नाम दे देने पड़ेंगे जिनको कि उसने पूर्व के वर्ष में अर्थात गत आर्थिक वर्ष में ४००)

से अधिक व्याज दिया होगा। साथ मे ऐसे लोगों के पूरे पत्ते भी लिख देने पड़ेंगे और यह बता देना पड़ेगा कि कुल मिला कर किसको कितनी रकम दी गई है।

यह सूचना इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित फोर्म पर लिख कर देनी पड़ेगी और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक (Verify) कर देना होगा।

परन्तु यह खयाल रखना चाहिए कि यदि दिया गया व्याज जमानतों विषयक व्याज हो तो उपरोक्त सूचना नही देनी होगी।

—धारा : २०-ए

६—*वार्षिक रिटर्न*

२१—प्रत्येक वर्ष मार्च महीने की तारीख ३१ से ३० दिन के अन्दर, प्रत्येक सरकारी दफ्तर के निर्दिष्ट पुरुष को तथा स्थानीय अधिकारी, कम्पनी या अन्य सार्वजनिक सभा या समुदाय के प्रधान ऑफिसर या निर्दिष्ट पुरुष को तथा किसी भी वेतन दाता (employer) को एक रिटर्न भर कर अमुक इन्कम टैक्स ऑफिसर को भेजना होगा, जिसमे निम्नलिखित बातें दिखानी होगी :—

(ए) उन शख्सों के नाम और जहाँ तक मालूम हो पत्ते जिनको उक्त मार्च महीने की तारीख ३१ तक 'वेतनों' के शीर्षक के अन्तर टैक्स लगे उतनी वेतन दी गई होगी, या देनी हो गई होगी या जिनको उक्त तारीख पर उतनी वेतन मिलती होगी,

(बी) जो रुपये हर वेतन भोगी को उपरोक्त तारीख तक दिए गये या उसके बाकी थे, तथा रुपये कब-कब दिए गये या बाकी हुए

(सी) इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स के सम्बन्ध में जो रकम प्रत्येक वेतन-भोगी से काटी गई हो।

८—आमदनी की कूंत और टैक्स

२३—(१) इन्कम टैक्स ऑफिसर को इस बात का संतोष हो जाने पर कि पैरा २२ के आदेशानुसार पेश किया हुआ रिटर्न शुद्ध और संपूर्ण है वह एसेसी की कुल आय पर टैक्स लगायगा और रिटर्न के आधार पर इसका निर्णय करेगा कि एसेसी को कितने रुपये टैक्स के देने होंगे।

(२) जिस शख्स ने रिटर्न पेश की है उसके हाजिर हुए बिना अथवा सबूत पेश किए बिना इन्कम टैक्स ऑफिसर को इस बात का संतोष नहीं हो कि रिटर्न संपूर्ण और शुद्ध है तो उस हालत में वह एक नोटिस जारी कर एसेसी को नोटिस मे सूचित तारीख पर उपस्थित होने या सब गवाही प्रमाण जिस पर कि वह अपने रिटर्न के समर्थन के लिए निर्भर करता है पेश करने या कराने की आज्ञा करेगा।

(३) उपधारा (२) के अनुसार जो नोटिस दिया गया होगा उसमे लिखी तारीख पर या उसके बाद यथा शीघ्र इन्कम टैक्स ऑफिसर एसेसी द्वारा पेश की हुई साखी-सबूत तथा वह सब गवाही प्रमाण जो कि वह किसी खास बात पर चाहेगा, ले लेने के बाद लिखित हुक्म द्वारा एसेसी की कुल आय की कूंत करेगा और कूंत की हुई आय के आधार पर जो टैक्स एसेसी को देनी होगी उसका निश्चय करेगा।

(४) यदि कोई शख्स पैरा २२ की उपधारा (२) के आदेशानुसार रिटर्न भरने मे चूक करता है और उसी पैरा की उपधारा (३) के मुताबिक एक रिटर्न या दुहराया हुआ रिटर्न नहीं भरता या उसी पैरा की उपधारा (४) के अनुसार जारी किए नोटिस की सब बातों (शर्तों) के अनुसार कार्यवाही नहीं करता या रिटर्न दाखिल कर देने के बाद इस पैरा की उपधारा (२) के अनुसार जारी किए

८—आमदनी की कूंत और टैक्स

२३—(१) इन्कम टैक्स ऑफिसर को इस बात का संतोष हो जाने पर कि पैरा २२ के आदेशानुसार पेश किया हुआ रिटर्न शुद्ध और सपूर्ण है वह एसेसी की कुल आय पर टैक्स लगायगा और रिटर्न के आधार पर इसका निर्णय करेगा कि एसेसी को कितने रुपये टैक्स के देने होंगे।

(२) जिस शख्स ने रिटर्न पेश की है उसके हाजिर हुए बिना अथवा सबूत पेश किए बिना इन्कम टैक्स ऑफिसर को इस बात का सतोष नहीं हो कि रिटर्न सपूर्ण और शुद्ध है तो उस हालत मे वह एक नोटिस जारी कर एसेसी को नोटिस मे सूचित तारीख पर उपस्थित होने या सब गवाही प्रमाण जिस पर कि वह अपने रिटर्न के समर्थन के लिए निर्भर करता है पेश करने या कराने की आज्ञा करेगा।

(३) उपधारा (२) के अनुसार जो नोटिस दिया गया होगा उसमे लिखी तारीख पर या उसके बाद यथा शीघ्र इन्कम टैक्स ऑफिसर एसेसी द्वारा पेश की हुई साखी-सबूत तथा वह सब गवाही प्रमाण जो कि वह किसी खास बात पर चाहेगा, ले लेने के बाद लिखित हुक्म द्वारा एसेसी की कुल आय की कूत करेगा और कूत की हुई आय के आधार पर जो टैक्स एसेसी को देनी होगी उसका निश्चय करेगा।

(४) यदि कोई शख्स पैरा २२ की उपधार (२) के आदेशानुसार रिटर्न भरने मे चूक करता है और उसी पैरा की उपधारा (३) के मुताबिक एक रिटर्न या दुहराया हुआ रिटर्न नहीं भरता या उसी पैरा की उपधारा (४) के अनुसार जारी किए नोटिस की सब बातों ([illegible]) के अनुसार कार्यवाही नहीं करता या रिटर्न दाखिल कर देने के बाद इस पैरा की उपधारा (२) के अनुसार जारी किए

६—घाटे का वाद पाना

२४—(१) यह ऊपर वतलाया जा चुका है कि (१) वेतन, (२) जमानतो पर व्याज, (३) स्थावर मिलकियत—जायदाद की आय (४) कारवार, पेशे, रोजगार के मुनाफे और नफे तथा (५) अन्य जरिए इन सब साधनों से जो मुनाफा होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है।

यदि किसी वर्ष मे किसी एसेसी को साधनों के उपरोक्त शीर्षकों मे से किसी शीर्षक के नीचे नुकसान होगा तो उसको हक होगा कि नुकसान की रकम उसी वर्ष की अन्य शीर्षक की आमदनी, मुनाफे या लाभ से वाद पावे।

यदि एसेसी एक विना रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा तो ऐसा नुकसान फर्म की आमदनी, मुनाफे या लाभ से ही मुजरा मिलेगा, उस फर्म के किसी साझेदार की आमदनी, मुनाफे और लाभ से नही। यदि एसेसी रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा और नुकसान उस फर्म की अन्य आमदनी, मुनाफे और लाभ से मुजरा नही हो सकेगा तो फर्म के साझीदारों मे भाग कर लिया जायगा और वे ही इस धारा के अनुसार मुजरा पाने के हकदार होंगे।

कभी-कभी विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह मान कर फर्म पर टैक्स न कर साझेदारो पर टैक्स लगाने का अधिकार इन्कम टैक्स ऑफिसर को है। ऐसा करने पर नुकसान का मुजरा विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के साझेदारों को अपनी आमदनी, मुनाफे और लाभ से भी मिल सकेगा।

(२) यदि किसी वर्ष मे (शुरू का वर्ष वह माना गया है जिसके नफे की टैक्स सन्, १९४० की ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष मे ली जायगी) किसी एसेसी को कारवार, पेशे और रोजगार के मुनाफे और लाभ के शीर्षक से नुकसान होगा और वह दूसरे

यदि रजिष्टरी किए हुए फर्म का कोई हिस्सेदार बृटिश भारत में नहीं रहने वाला (non-resident) होगा तो फर्म की आमदनी, मुनाफे और प्राप्ति मे उसका जो हिस्सा होगा उसके सम्बन्ध में फर्म पर उसी दर से टैक्स लगाई जायगी जो दर की पाती वाल को निज मे देना होगा। जो टैक्स इस प्रकार लगाई जायगी वह फर्म को देनी होगी।

(बी)—साधारण तौर पर विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की आय पर टैक्स फर्म पर लगाया जायगा। ऐसे फर्म में यदि नुकसान होगा तो उस फर्म की ही अन्य आय मे से वह बाद पड सकेगा, परन्तु फर्म के किसी हिस्सेदार की आमदनी, मुनाफे और प्राप्ति मे से बाद नहीं दिया जा सकेगा। किसी-किसी परिस्थिति में आफिसर को अधिकार होगा कि वह विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किया फर्म समझ रजिस्ट्री किए फर्म के ढग से टैक्स लगाए, ऐसी परिस्थिति में उस विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के साझी-दारों को भी वे ही हक प्राप्त होंगे जो कि एक रजिस्ट्री किए हुए फर्म के हिस्सेदारों को प्राप्त है।

इस परिस्थिति मे जब कि इन्कम टैक्स ऑफिसर सोचे कि किसी विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह मान कर साझेदारों पर टैक्स लगाने से टैक्स और सुपर टैक्स की रकम विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की और व्यक्तिगत रूप से साझेदारों की सम्मिलित टैक्स की रकम से अधिक आयगा बनिस्पत इसके कि फर्म पर विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की बतौर टैक्स लगाया जाय, तो इस हालत मे वह विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किया हुआ फर्म मान कर टैक्स लगा सकेगा।

—धारा : २३

९—घाटे का वाद पाना

२४—(१) यह ऊपर वतलाया जा चुका है कि (१) वेतन, (२) जमानतों पर व्याज, (३) स्थावर मिलकियत—जायदाद की आय (४) कारवार, पेशे, रोजगार के मुनाफे और नफे तथा (५) अन्य जरिए इन सब साधनों से जो मुनाफा होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है।

यदि किसी वर्ष मे किसी एसेसी को साधनो के उपरोक्त शीर्षकों मे से किसी शीर्षक के नीचे नुकसान होगा तो उसको हक होगा कि नुकसान की रकम उसी वर्ष की अन्य शीर्षक की आमदनी, मुनाफे या लाभ से वाद पावे।

यदि एसेसी एक विना रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा तो ऐसा नुकसान फर्म की आमदनी, मुनाफे या लाभ से ही मुजरा मिलेगा, उस फर्म के किसी साझेदार की आमदनी, मुनाफे और लाभ से नहीं।

यदि एसेसी रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा और नुकसान उस फर्म की अन्य आमदनी, मुनाफे और लाभ से मुजरा नहीं हो सकेगा तो फर्म के साझीदारो मे भाग कर लिया जायगा और वे ही इस धारा के अनुसार मुजरा पाने के हकदार होंगे।

कभी-कभी विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह मान कर फर्म पर टैक्स न कर साझेदारों पर टैक्स लगाने का अधिकार इन्कम टैक्स ऑफिसर को है। ऐसा करने पर नुकसान का मुजरा विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के साझेदारो को अपनी आमदनी, मुनाफे और लाभ से भी मिल सकेगा।

(२) यदि किसी वर्ष मे (शुरू का वर्ष वह माना गया है जिसके नफे की टैक्स सन्, १९४० की ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष मे ली जायगी) किसी एसेसी को कारवार, पेशे और रोजगार के मुनाफे और लाभ के शीर्षक से नुकसान होगा और वह दूसरे

शीर्षक के नीचे होने वाली आमदनी, मुनाफे और लाभ से पूरा वाद नहीं दिया जा सकेगा तो ऐसा वाद नहीं दिया जा सका हुआ नुकसान आगे ६ वर्षों तक टान कर ले जाया जा सकेगा और उसी कारबार, पेशे और रोजगार में हुए मुनाफे और लाभ से वाद दिया जायगा। परन्तु छः वर्ष तक नुकसान आगे ले जाने का नियम कई वर्षों के बाद पूरा लागू होगा। आर्थिक वर्ष १९३८-३९, से आर्थिक वर्ष १९४२-४३ तक के वर्षों का नुकसान क्रमशः एक, दो, तीन, चार और पांच वर्ष तक ही मुजरा मिलेगा।

एसेसी यदि रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा तो उसको हिस्सेदारों में भाग किया हुआ नुकसान इस प्रकार आगे टान कर ले जाने और मुजरा पाने का हक न होगा; न बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के हिस्सेदार को अधिकार होगा कि वह फर्म के नुकसान को टान कर ले जाय और निजी आमदनी से मुजरा पावे। यदि बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की टैक्स रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह ली गई होगी तब इस बिना रजिस्ट्री हुए फर्म के साझेदारों को भी अपनी आमदनी से अपने हिस्से में आया नुकसान मुजरा पाने का हक होगा।

अगर किसी कारबार में नुकसान हो जाय और वह जारी न रहे तो वह नुकसान बाद के वर्ष में मुजरा नहीं मिलेगा।

किसी फर्म के संगठन (Constitution) में परिवर्तन हो जाने पर या एक शख्स के दूसरे शख्स के स्थान पर आ जाने पर (यदि वह उत्तराधिकारी के रूप में न हो) उस शख्स को छोड़ जिसके [illegible] हुआ है और किसी शख्स को नुकसान बाद पाने का [illegible] नहीं होगा।

(३) मुजरा पाने लायक नुकसान मालूम पड़ने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित हुक्म द्वारा एसेसी को सूचित करेगा कि उसने कितना नुकसान उठाया है।

एक उदाहरण देकर इस विषय को स्पष्ट किया जाता है। एक कम्पनी अपने कारबार से निम्न रूप से लाभ और नुकसान करती है। वर्ष २ उस वर्ष को समझना चाहिए जिसमें उपरोक्त सुधार लागू है और वर्ष १ को गत वर्ष समझना चाहिए जिस की आय पर वर्ष २ में टैक्स लगाया जाता है।

	लाभ या नुकसान	रकम
वर्ष १,	नुकसान	२५,०००)
वर्ष २,	नफा	२०,०००)
वर्ष ३,	नुकसान	२५,०००)
वर्ष ४,	नुकसान	१५,०००)
वर्ष ५,	नफा	३०,०००)
वर्ष ६,	नुकसान	३०,०००)
वर्ष ७,	नफा	२०,०००)

वर्ष २ मे : वर्ष १ मे नुकसान होने से कोई टैक्स नहीं लगेगी और नुकसान एक वर्ष के लिए टान कर ले जाया जा सकेगा (अर्थात् वर्ष ३ मे ले जाया जायगा)

वर्ष ३ मे : वर्ष २ मे २०,०००) का नफा है इसमे से २०,०००) वर्ष १ के नुकसान के मुजरा मिलेगे। कोई टैक्स नही लगेगी। नुकसान के अवशेष ५,०००) आगे के वर्ष मे टान कर नही ले जाए जायगे।

वर्ष ४ मे : वर्ष ३ मे रु० २५,०००) का नुकसान है, यह अधिक से-अधिक तीन वर्षों तक आगे टान कर ले जाया जा सकेगा (अर्थात् वर्ष ५, ६ और ७ तक)

वर्ष ५ मे : वर्ष ४ मे रु० १५,०००) नुकसान है जो कि चार वर्ष तक अर्थात् वर्ष ६, ७, ८, और ९ तक आगे टान कर ले जाया जा सकेगा।

वर्ष ६ मे : वर्ष ५ मे रु० ३०,०००) का नफा है, उसमें से २५,००० वर्ष ३ का नुकसान वाद दे दिया जायगा और वर्ष ४ के नुकसान

शीर्षक के नीचे होने वाली आमदनी, मुनाफे और लाभ से पूरा बाद नहीं दिया जा सकेगा तो ऐसा बाद नहीं दिया जा सका हुआ नुकसान आगे ६ वर्षों तक टान कर ले जाया जा सकेगा और उसी कारबार, पेशे और रोजगार में हुए मुनाफे और लाभ से बाद दिया जायगा। परन्तु छः वर्ष तक नुकसान आगे ले जाने का नियम कई वर्षों के बाद पूरा लागू होगा। आर्थिक वर्ष १९३८-३९, से आर्थिक वर्ष १९४२-४३ तक के वर्षों का नुकसान क्रमशः एक, दो, तीन, चार और पांच वर्ष तक ही मुजरा मिलेगा।

एसेसी यदि रजिस्टी किया हुआ फर्म होगा तो उसको हिस्सेदारों में भाग किया हुआ नुकसान इस प्रकार आगे टान कर ले जाने और मुजरा पाने का हक न होगा, न बिना रजिस्टी किए हुए फर्म के हिस्सेदार को अधिकार होगा कि वह फर्म के नुकसान को टान कर ले जाय और निजी आमदनी से मुजरा पावे। यदि बिना रजिस्टी किए हुए फर्म की टैक्स रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह ली गई होगी तब उस बिना रजिस्ट्री हुए फर्म के साझेदारों को भी अपनी आमदनी से अपने हिस्से में आया नुकसान मुजरा पाने का हक होगा।

अगर किसी कारबार में नुकसान हो जाय और वह जारी न रहे तो वह नुकसान बाद के वर्ष में मुजरा नहीं मिलेगा।

किसी फर्म के संगठन (Constitution) में परिवर्तन हो जाने पर तथा एक शख्स के दूसरे शख्स के स्थान पर आ जाने पर (यदि यह आना उत्तराधिकारी के रूप में न हो) उस शख्स को छोड़ जिसके नुकसान हुआ है और किसी शख्स को नुकसान बाद पाने का हक नहीं होगा।

(३) मुजरा पाने लायक नुकसान मालूम पड़ने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित हुक्म द्वारा एसेसी को सूचित करेगा कि उसने

शीर्षक के नीचे होने वाली आमदनी, मुनाफे और लाभ से पूरा बाद नहीं दिया जा सकेगा तो ऐसा बाद नहीं दिया जा सका हुआ नुकसान आगे ६ वर्षों तक टान कर ले जाया जा सकेगा और उसी कारबार, पेशे और रोजगार में हुए मुनाफे और लाभ से बाद दिया जायगा। परन्तु छः वर्ष तक नुकसान आगे ले जाने का नियम कई वर्षों के बाद पूरा लागू होगा। आर्थिक वर्ष १९३८-३९, से आर्थिक वर्ष १९४२-४३ तक के वर्षों का नुकसान क्रमशः एक, दो, तीन, चार और पांच वर्ष तक ही मुजरा मिलेगा।

एसेसी यदि रजिस्टी किया हुआ फर्म होगा तो उसको हिस्सेदारों में भाग किया हुआ नुकसान इस प्रकार आगे टान कर ले जाने और मुजरा पाने का हक न होगा; न बिना रजिस्टी किए हुए फर्म के हिस्सेदार को अधिकार होगा कि वह फर्म के नुकसान को टान कर ले जाय और निजी आमदनी से मुजरा पावे। यदि बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की टैक्स रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह ली गई होगी तब उस बिना रजिस्ट्री हुए फर्म के साझेदारों को भी अपनी आमदनी से अपने हिस्से में आया नुकसान मुजरा पाने का हक होगा।

अगर किसी कारबार में नुकसान हो जाय और वह जारी न रहे तो यह नुकसान बाद के वर्ष में मुजरा नहीं मिलेगा।

किसी फर्म के संगठन (Constitution) में परिवर्तन हो जाने पर तथा एक शख्स के दूसरे शख्स के स्थान पर आ जाने पर (यदि यह आना उत्तराधिकारी के रूप में न हो) उस शख्स को छोड़ जिसको नुकसान हुआ है और किसी शख्स को नुकसान बाद पाने का हक नहीं होगा।

(३) मुजरा पाने लायक नुकसान मालूम पड़ने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित हुक्म द्वारा एसेसी को सूचित करेगा कि उसने कितना नुकसान उठाया है।

एक उदाहरण देकर इस विषय को स्पष्ट किया जाता है। कम्पनी अपने कारबार से निम्न रूप से लाभ और नुकसान करती है। वर्ष २ उस वर्ष को समझना चाहिए जिसमे उपरोक्त सुधार लागू है और वर्ष १ को गत वर्ष समझना चाहिए जिस की आय पर वर्ष २ मे टैक्स लगाया जाता है।

	लाभ या नुकसान	रकम
वर्ष १,	नुकसान	२५,०००)
वर्ष २,	नफा	२०,०००)
वर्ष ३,	नुकसान	२५,०००)
वर्ष ४,	नुकसान	१५,०००)
वर्ष ५,	नफा	३०,०००)
वर्ष ६,	नुकसान	३०,०००)
वर्ष ७,	नफा	२०,०००)

वर्ष २ मे : वर्ष १ मे नुकसान होने से कोई टैक्स नही लगेगी और नुकसान एक वर्ष के लिए टान कर ले जाया जा सकेगा (अर्थात् वर्ष ३ मे ले जाया जायगा)

वर्ष ३ मे : वर्ष २ मे २०,०००) का नफा है इसमे से २०,०००) वर्ष १ के नुकसान के मुजरा मिलेंगे। कोई टैक्स नही लगेगी। नुकसान के अवशेष ५,०००) आगे के वर्ष मे टान कर नही ले जाए जायगे।

वर्ष ४ मे : वर्ष ३ मे रु० २५,०००) का नुकसान है, यह अधिक से-अधिक तीन वर्षों तक आगे टान कर ले जाया जा सकेगा (अर्थात् वर्ष ५, ६ और ७ तक)

वर्ष ५ मे : वर्ष ४ मे रु० १५,०००) नुकसान है जो कि चार वर्ष तक अर्थात् वर्ष ६, ७, ८, और ९ तक आगे टान कर ले जाया जा सकेगा

वर्ष ६ मे : वर्ष ५ मे रु० ३०,०००) का नफा है, उसमे से २५,०० वर्ष ३ का नुकसान बाद दे दिया जायगा और वर्ष ४ के नुकस

शीर्षक के नीचे होने वाली आमदनी, मुनाफे और लाभ से पूरा बाद नहीं दिया जा सकेगा तो ऐसा बाद नहीं दिया जा सका हुआ नुकसान आगे ६ वर्षों तक टान कर ले जाया जा सकेगा और उसी कारनाग, पेशे और रोजगार में हुए मुनाफे और लाभ से बाद दिया जायगा। परन्तु छः वर्ष तक नुकसान आगे ले जाने का नियम कई वर्षों के बाद पूरा लागू होगा। आर्थिक वर्ष १६३८-३६, से आर्थिक वर्ष १६४२-४३ तक के वर्षों का नुकसान क्रमशः एक, दो, तीन, चार और पांच वर्ष तक ही मुजरा मिलेगा।

एसेसी यदि रजिस्टी किया हुआ फर्म होगा तो उसको हिस्सेदारों में भाग किया हुआ नुकसान इस प्रकार आगे टान कर ले जाने और मुजरा पाने का हक न होगा, न बिना रजिस्टी किए हुए फर्म के हिस्सेदार को अधिकार होगा कि वह फर्म के नुकसान को टान कर ले जाय और निजी आमदनी से मुजरा पावे। यदि बिना रजिस्टी किए हुए फर्म की टैक्स रजिस्टी किए हुए फर्म की तरह ली गई होगी तब इस बिना रजिस्टी हुए फर्म के साझेदारों को भी अपनी आमदनी में अपने हिस्से ने आया नुकसान मुजरा पाने का हक होगा।

अगर किसी कारबार में नुकसान हो जाय और वह जारी न रहे तो यह नुकसान बाद के वर्ष में मुजरा नहीं मिलेगा।

किसी फर्म के संगठन (Constitution) में परिवर्तन हो जाने पर तथा एक शख्स के दूसरे शख्स के स्थान पर आ जाने पर (यदि यह आना उत्तराधिकारी के रूप में न हो) उस शख्स को छोड़ जिसके नुकसान हुआ है और किसी शख्स को नुकसान बाद पाने का हक नहीं होगा।

(३) मुजरा पाने लायक नुकसान मालूम पड़ने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित हुकम द्वारा एसेसी को सूचित करेगा कि उसके कितना नुकसान हुआ है।

कुल आय की कूत कर टैक्स लगायगा और मृतक के प्रतिनिधियों को ऐसे नोटिस देकर, जो कि मृतक यदि जीवित होता तो उस पर तामिल करने होते, उनको धारा २२ और २३ के विधानानुसार हिसाव-किताव, दस्तावेज या अन्य साखी-सवूत पेश करने की आज्ञा करेगा।

ऐसे करदाताओं के सम्बन्ध मे, जो कि जीवित नही है और जिन पर टैक्स लगाना छूट गया है, एक वर्ष की मियाद लागू नही है। कानून मे ऐसा सशोधन कर दिया है कि मृतक के प्रतिनिधि मृतक की जायदाद से उस नफे, आमदनी और लाभ पर टैक्स देने के दायक हैं जो नफा की रिटर्न भर कर दिखाया जाना चाहिए था और जो ४ या ८ वर्ष तक नही दिखाया गया। इस तरह मृतक की सम्पत्ति उन सव दण्ड के लिए दायक होगी जो कि धोखेवाजी या गल्ती के कारण लगाए जायगे और जिन के लिए कि मृतक जीवित होने पर दायक होता। पहले ऐसा समझा जाता था कि छूटी हुई आमदनी पर टैक्स जीवित शख्स से ही लिया जा सकता है, मृतक की सारी जिम्मेवारी मृत्यु होने के साथ ही समाप्त हो जाती है परन्तु अव यह वात नहीं है। मृतक की गल्ती या धोखेवाजी के लिए उसकी सम्पत्ति वाद मे भी दायक रहेगी।

—धारा : २४ वी

१०—वंद किए हुए कारवार पर टैक्स निरूपण

२५-(१) कारवार, पेशे या रोजगार दो तरह के हो सकते हैं (१ वे जिन से इन्कम टैक्स एक्ट सन् १६१८ के अनुसार कभी टैक्स लिया गया हो और (२) वे जिन से इस एक्ट के अनुसार कभी लिया गया हो।

से ५,००० बाद दे दिया जायगा। टैक्स नहीं लगेगी और वर्ष ४ के नुकसान में बाकी १०,०००) वर्ष ७, ८ और ९ तक बाद मिल सकेंगे।

वर्ष ७ में : वर्ष ६ में ३०,०००) का नुकसान है यह अधिक-से-अधिक ६ वर्ष अर्थात् वर्ष १२ तक बाद मिलेगा।

वर्ष ८ में : वर्ष ७ में २०,०००) का मुनाफा है जिसमें से वर्ष ४ के नुकसान का बाकी रुपया १०,०००) बाद दे दिया जायगा और १०,०००) वर्ष ६ के नुकसान का बाद दे दिया जायगा और कोई टैक्स नहीं लगेगी और वर्ष ६ के नुकसान के बाकी रुपये २०,००० आगे ५ वर्ष तक टन कर ले जाये जायंगे।

—धारा : २४

२४-बी —(१) किसी शख्स की मृत्यु हो जाने पर उसके प्रतिनिधि (एक्जीक्यूटर, एड्मिनिस्ट्रेटर, आदि) को मृतक की सम्पत्ति (Estate) से मृतक पर लगाई गई, टैक्स चुकानी पड़ेगी।

(२) यदि मृत्यु, धारा २२ की उपधारा (१) के अनुसार नोटिस प्रकाशित होने या धारा २२ की उपधारा (२) के अनुसार या धारा ३४ के अनुसार नोटिस तामिल होने के पहले ही हो जायगी तो मृतक के प्रतिनिधि को, धारा २२ (२) या धारा ३४ के नोटिस तामिल करने पर, उनका पालन करना होगा और इन्कम टैक्स ऑफिसर मृतक की कुल आमदनी पर ठीक उसी तरह से टैक्स लगायगा मानों प्रतिनिधि ही एसेसी है।

(३) यदि मृत्यु, धारा २२ के अनुसार नोटिस तामिल होने के बाद हो और एसेसी ने नोटिस के अनुसार रिटर्न पेश नहीं किया हो या रिटर्न पेश किया हो परन्तु इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास उसे गलत और अधूरा समझने का कारण हो तो इन्कम टैक्स ऑफिसर मृतक की

कुल आय की कूत कर टैक्स लगायगा और मृतक के प्रतिनिधियों को ऐसे नोटिस देकर, जो कि मृतक यदि जीवित होता तो उस पर तासिल करने होते, उनको धारा २२ और २३ के विधानानुसार हिसाब-किताब, दस्तावेज या अन्य साखी-सबूत पेश करने की आज्ञा करेगा।

ऐसे करदाताओं के सम्बन्ध में, जो कि जीवित नहीं है और जिन पर टैक्स लगाना छूट गया है, एक वर्ष की मियाद लागू नहीं है। कानून में ऐसा संशोधन कर दिया है कि मृतक के प्रतिनिधि मृतक की जायदाद से उस नफे, आमदनी और लाभ पर टैक्स देने के दायक हैं जो नफा की रिटर्न भर कर दिखाया जाना चाहिए था और जो ४ या ८ वर्ष तक नहीं दिखाया गया। इस तरह मृतक की सम्पत्ति उन सब दण्ड के लिए दायक होगी जो कि धोखेबाजी या गल्ती के कारण लगाए जायंगे और जिन के लिए कि मृतक जीवित होने पर दायक होता। पहले ऐसा समझा जाता था कि छूटी हुई आमदनी पर टैक्स जीवित शख्स से ही लिया जा सकता है, मृतक की सारी जिम्मेवारी मृत्यु होने के साथ ही समाप्त हो जाती है परन्तु अब यह बात नहीं है। मृतक की गल्ती या धोखेबाजी के लिए उसकी सम्पत्ति बाद में भी दायक रहेगी।

—धारा : २४ बी

१०—बंद किए हुए कारबार पर टैक्स निरूपण

२५-(१) कारबार, पेशे या रोजगार दो तरह के हो सकते हैं (१) वे जिन से इन्कम टैक्स एक्ट सन् १९१८ के अनुसार कभी टैक्स न लिया गया हो और (२) वे जिन से इस एक्ट के अनुसार कभी टैक्स लिया गया हो।

यदि पहली कोटि का कोई कारबार आदि किसी वर्ष बंद कर दिया जाय तो उस वर्ष जो टैक्स 'गत वर्ष' की आमदनी के आधार पर लिया गया होगा उसके उपरांत 'गत वर्ष' के शेष और कारबार आदि बंद करने की तारीख के बीच में जो आमदनी हुई होगी उसपर टैक्स और लिया जा सकेगा।

(२) कारबार आदि बंद करने की सूचना कारबार बंद करने के १५ दिन के अन्दर इन्कम टैक्स ऑफिसर को दे देनी होगी। ऐसी सूचना देने में गलती करने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर आदेश कर सकता है कि दण्ड अदा किया जाय। दण्ड की रकम उतनी हो सकती है जितनी कि गत वर्ष के बाद से कारबार आदि बंद करने की तारीख तक हुई आमदनी पर बाद में टैक्स की रकम हो।

(३) यदि बंद किया हुआ कारबार आदि दूसरी कोटि का होगा तो गत वर्ष की समाप्ति और कारबार आदि के बंद करने की तारीख के बीच की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लिया जायगा। एसेसी इस बात का भी दावा (Claim) कर सकता है कि इस अवधि की आमदनी ही गत वर्ष की आमदनी समझी जाय। इस प्रकार का दावा किया जायगा तो उक्त अवधि की आमदनी के आधार पर टैक्स लिया जायगा और यदि गत वर्ष के सम्बन्ध में दी हुई टैक्स इस प्रकार लगाई हुई टैक्स से अधिक होगी तो दोनों टैक्स की रकमों में जो फर्क होगा वह वापिस कर दिया जायगा।

४, यदि कारबार दूसरी कोटि का होगा और कोई शख्स इण्डियन इन्कम टैक्स (संशोधन) एक्ट, १९३९ के लागू होने के समय उसे चला रहा होगा और कोई दूसरा शख्स प्रथम शख्स का उत्तराधिकारी हो और यह जो परिवर्तन हो वह केवल फर्म के विधान में (Constitution) परिवर्तन मात्र न हो तो इस हालत में गत वर्ष की समाप्ति और उत्तराधिकार की तारीख के बीच की

अवधि की आमदनी होगी उसके लिए प्रथम शख्स को कोई टैक्स नही देनी होगी और वह इस बात का भी दावा कर सकेगा कि इस अवधि की आमदनी ही 'गत वर्ष' की आय समझी जाय। यदि ऐसा कोई दावा किया जायगा तो टैक्स उक्त अवधि की आमदनी के आधार पर लिया जायगा और यदि 'गत वर्ष' की आमदनी के सम्बन्ध में टैक्स की जो रकम ली गई होगी वह इस रकम से अधिक होगी तो दोनों मे फर्क होगा उतनी रकम वापिस कर दी जायगी।

(५) उपरोक्त दावा कारबार आदि बद करने या उत्तराधिकार होने की तारीख के एक वर्ष के भीतर किया गया होगा तो ही उसकी सुनाई की जायगी।

(६) जब कि उपधारा (१), (३) या (४) के अनुसार टैक्स लगानी होगी तो इन्कम टैक्स ऑफिसर, उस शख्स को या फर्म होने पर उसके किसी साझेदार को या कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को उसी तरह का नोटिस देगा जैसा कि धारा २२-(२) के अनुसार दिया दिया जाता है और बाद की कार्रवाही जैसे होती है वैसे ही की जा सकेगी।

—धारा : २५

११—हिन्दू परिवार के विभक्त हो जाने पर कर निरूपण

२५-ए—(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते समय यदि हिन्दू परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से इस बात का दावा किया जायगा कि परिवार के सदस्यों मे बटवारा हो गया है तो इस सम्बन्ध में इन्कम टैक्स ओफिसर उचित जांच पड़ताल करेगा। और यदि उसे इस बात का सन्तोष हो जायगा कि सयुक्त परिवार की मिलकियत सदस्यो मे या सदस्यों के दलों मे ~ ~ अशो में विभक्त कर ली गई है तो वह इस आशय का हुक्म

यदि पहली कोटि का कोई कारबार आदि किसी वर्ष बंद कर दिया जाय तो उस वर्ष जो टैक्स 'गत वर्ष' की आमदनी के आधार पर लिया गया होगा उसके उपरात 'गत वर्ष' के शेष और कारबार आदि बंद करने की तारीख के बीच मे जो आमदनी हुई होगी उसपर टैक्स और लिया जा सकेगा।

(२) कारबार आदि बंद करने की सूचना कारबार बंद करने के १५ दिन के अन्दर इन्कम टैक्स ऑफिसर को दे देनी होगी। ऐसी सूचना देने मे गलती करने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर आदेश कर सकता है कि दण्ड अदा किया जाय। दण्ड की रकम उतनी हो सकती है जितनी कि गत वर्ष के बाद से कारबार आदि बंद करने की तारीख तक हुई आमदनी पर बाद मे टैक्स की रकम हो।

(३) यदि बंद किया हुआ कारबार आदि दूसरी कोटि का होगा तो गत वर्ष की समाप्ति और कारबार आदि के बंद करने की तारीख के बीच की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लिया जायगा। टैक्सी इस बात का भी दावा (Claim) कर सकता है कि इस अवधि की आमदनी ही गत वर्ष की आमदनी समझी जाय। इस प्रकार का दावा किया जायगा तो उक्त अवधि की आमदनी के आधार पर टैक्स लिया जायगा और यदि गत वर्ष के सम्बन्ध में ली हुई टैक्स इस प्रकार लगाई हुई टैक्स मे अधिक होगी तो दोनों टैक्स की रकमों मे जो फर्क होगा वह वापिस कर दिया जायगा।

(४) यदि कारबार दूसरी कोटि का होगा और कोई शख्स जो इन्कम टैक्स (संशोधन) एक्ट, १९३९ के लागू होने के समय उसे चला रहा होगा और कोई दूसरा शख्स प्रथम शख्स का उत्तराधिकारी हो और वह जो परिवर्तन हो वह केवल फर्म के संगठन में ([illegible]) परिवर्तन मात्र न हो तो उस हालत में गत वर्ष की समाप्ति और उत्तराधिकार की तारीख के बीच की

अवधि की आमदनी होगी उसके लिए प्रथम शख्स को कोई टैक्स नही देनी होगी और वह इस बात का भी दावा कर सकेगा कि इस अवधि की आमदनी ही 'गत वर्ष' की आय समझी जाय। यदि ऐसा कोई दावा किया जायगा तो टैक्स उक्त अवधि की आमदनी के आधार पर लिया जायगा और यदि 'गत वर्ष' की आमदनी के सम्बन्ध मे टैक्स की जो रकम ली गई होगी वह इस रकम से अधिक होगी तो दोनों मे फर्क होगा उतनी रकम वापिस कर दी जायगी।

(५) उपरोक्त दावा कारबार आदि बद करने या उत्तराधिकार होने की तारीख के एक वर्ष के भीतर किया गया होगा तो ही उसकी सुनाई की जायगी।

(६) जब कि उपधारा (१), (३) या (४) के अनुसार टैक्स लगानी होगी तो इन्कम टैक्स ऑफिसर, उस शख्स को या फर्म होने पर उसके किसी साझेदार को या कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को उसी तरह का नोटिस देगा जैसा कि धारा २२-(२) के अनुसार दिया दिया जाता है और बाद की कार्रवाही जैसे होती है वैसे ही की जा सकेगी।

—धारा : २५

११—हिन्दू परिवार के विभक्त हो जाने पर कर निरूपण

२५-ए—(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते समय यदि हिन्दू परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से इस बात का दावा किया जायगा कि परिवार के सदस्यों मे बंटवारा हो गया है तो इस सम्बन्ध मे इन्कम टैक्स ऑफिसर उचित जांच पड़ताल करेगा। और यदि उसे इस बात का सन्तोष हो जायगा कि संयुक्त परिवार की मिलकियत सदस्यों मे या सदस्यों के दलो मे निश्चित अंशों मे विभक्त कर ली गई है तो वह इस आशय का हुक्म लिखेगा।

ऐसा करने के पहले जांच पड़ताल सम्बन्धी नोटिस परिवार के सब सदस्यों पर अवश्य जारी कर देना होगा।

(७) उपरोक्त हुक्म दे देने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर संयुक्त परिवार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त कुल आमदनी की कूंत उसी प्रकार करेगा मानो कोई बंटवारा नहीं हुआ हो और प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का दल उस आमदनी पर लगाई हुई इन्कम टैक्स के उतने हिस्से के लिए दायक होगा जो कि उसके हिस्से में आई हुई सम्पत्ति के भाग के अनुपात होगा।

धारा १४ (१) में विधान है कि एक एसेसी को ऐसी रकम के सम्बन्ध में टैक्स नहीं देनी पड़ेगी जो कि उसे हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य होने के नाते मिलेगी। पर यह विधान यहां लागू नहीं होगा।

उपरोक्त टैक्स की जिम्मेवारी उस टैक्स के अलावा है जो कि परिवार के सदस्य को या सदस्यों के दल को अलग देनी पड़ती हो।

ऊपर में जो कुछ लिखा है वह उस हालत में भी लागू होगा जब कि कोई शख्स, ऐसे कारबार, पेशे या रोजगार का उत्तराधिकारी हुआ हो कि पहले एक ऐसे हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा चलाया जाता था, जिसकी संयुक्त सम्पत्ति उस दिन या उसके बाद बांटी गई हो जिस दिन तक कि संयुक्त परिवार ने कारबार चलाया। और इन्कम टैक्स ऑफिसर धारा २३ के विधान अनुसार सदस्यों और सदस्यों के दलों पर इस प्रकार कर लगायेगा।

संयुक्त परिवार द्वारा या उसके लिए प्राप्त कुल आमदनी पर जो कि टैक्स है उसके लिए सब सदस्य और या सदस्यों के दल जिनको संयुक्त परिवार की सम्पत्ति बांटी गयी है, संयुक्त रूप में और पृथक-पृथक रूप से दायक होंगे।

(३) यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर द्वारा उपरोक्त हुक्म नहीं किया गया होगा तो इस कानून के प्रयोजन के लिए वह परिवार सयुक्त परिवार माना जायगा।

—धारा : २५-ए

१२—फर्म के संगठन में परिवर्तन

२६—(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते समय यह मालूम दे कि किसी फर्म के सगठन मे परिवर्तन हुआ है या एक फर्म नए तौर पर सगठित हुआ है तो कर लगाते समय फर्म पर जिस रूप मे वह सगठित होगा, कर लगाया जायगा।

साझेदारो की कुल आमदनी मे सामिल करने के लिए गत वर्ष की आमदनी उन साझेदारों मे भाग की जायगी जो उस गत वर्ष मे उसको पाने के हकदार थे।

यदि किसी साझेदार पर लगाई हुई कर उससे अदाई नहीं की जा सकेगी तो वह फर्म से, जिस रूप मे कि वह कर लगाते समय सगठित रहेगा, अदाई की जायगी।

(२) जब कि कारबार आदि मे लगे हुए शख्स का कोई दूसरा शख्स उत्तराधिकारी हुआ होगा, तो ऐसे शख्स और ऐसे दूसरे शख्स पर, गत वर्ष की आमदनी आदि मे उसका जो वास्तविक हिस्सा होगा, उसके आधार पर टैक्स लगाया जायगा। परन्तु कर लगाते समय धारा २५ (४) का पूरा खयाल रक्खा जायगा।

उस हालत मे जब कि उस शख्स का पता नहीं लगेगा जिसका उत्तराधिकार हुआ है तो उस वर्ष के उस दिन तक के नफे पर कर, जिस वर्ष मे जिस दिन उत्तराधिकार हुआ है तथा गत वर्ष के नफे की कर उस शख्स पर लगाई जायगी जो कि उत्तराधिकारी हु

ऐसा करने के पहले जांच पड़ताल सम्बन्धी नोटिस परिवार के सब सदस्यों पर अवश्य जारी कर देना होगा।

(७) उपरोक्त हुक्म दे देने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर संयुक्त परिवार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त कुल आमदनी की कूंत उसी प्रकार करेगा मानो कोई बटवारा नहीं हुआ हो और प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का दल इस आमदनी पर लगाई हुई इन्कम टैक्स के उतने हिस्से के लिए दायक होगा जो कि उसके हिस्से में आई हुई सम्पत्ति के भाग के अनुपात होगा।

धारा १४ (१) में विधान है कि एक एसेसी को ऐसी रकम के सम्बन्ध में टैक्स नहीं देनी पड़ेगी जो कि उसे हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य होने के नाते मिलेगी। पर यह विधान यहां लागू नहीं होगा।

उपरोक्त टैक्स की जिम्मेवारी उस टैक्स के उपरान्त है जो कि परिवार के सदस्य को या सदस्यों के दल को अलग देनी पड़ती हो।

ऊपर में जो कुछ लिखा है वह उस हालत में भी लागू होगा जब कि कोई शख्स, फर्म कारबार, पेशे या रोजगार का उत्तराधिकारी होगा जो कि पहले एक फर्म हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा चलाया जाता था जिसकी संयुक्त सम्पत्ति उस दिन या उसके बाद बांटी गई हो जिस दिन तक की संयुक्त परिवार ने कारबार चलाया। और इन्कम टैक्स ऑफिसर धारा २६ के विधान अनुसार सदस्यों और सदस्यों के दलों पर इस प्रकार कर लगायगा।

संयुक्त परिवार द्वारा या उसके लिए प्राप्त कुल आमदनी पर कुल जो टैक्स देना है उसके लिए सब सदस्य और या सदस्यों के दल जिनको संयुक्त परिवार की सम्पत्ति बांटी गयी है, संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से जवाबदेह होंगे।

नहीं है। इन्कम टैक्स कानून के अनुसार वही फर्म रजिष्ट्री हुआ समझा जाता है जो कि इन्कम टैक्स एक्ट की इस धारा के अनुसार रजिष्ट्री कराया गया हो।

जो फर्म इस तरह रजिस्ट्री कराया हुआ नहीं होता उसे बिना रजिस्ट्री कराया हुआ फर्म कहते हैं।

रजिस्ट्री कराने का तरीका इस प्रकार है :—

(१) रजिस्ट्री कराने के लिए इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख एक दरखास्त करनी पडती है।

(२) दरखास्त उस रूप मे करनी पडती है जो कि इन्कम टैक्स रूल ३ मे दिया हुआ है।

(३) दरखास्त के साथ साझेदारी की लिखापढ़ी और उसकी एक नकल नत्थी करनी पडती है।

अगर इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह इतमीनान हो जायगा कि किसी यथोचित कारण से मूल लेखापढ़ी सुगमता से पेश नही की जा सकती तो लेखापढ़ी की एक (Certified) नकल और एक सादी नकल दरखास्त के साथ देनी पड़ेगी।

(४) ऐसी दरखास्त पाने पर अगर इन्कम टैक्स ऑफिसर को विश्वास हो जायगा कि वास्तव मे फर्म है और उसका संगठन लेखा-पढ़ी के अनुसार है, और दरखास्त ठीक तरह से की गई है तो लेखापढ़ी या सर्टीफाइड नकल पर वह यह लिख देगा कि फर्म उसके द्वारा रजिस्ट्री कर लिया गया है तथा उसमे यह भी लिख देगा कि यह अमुक वर्ष के लिए रजिस्ट्री किया गया है।

यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को विश्वास नहीं होगा तो वह दर-खास्त को लिखित हुक्म द्वारा नामंजूर कर देगा और हुक्म की एक नकल दरखास्त करने वाले को दे देगा।

नहीं है। इन्कम टैक्स कानून के अनुसार वही फर्म रजिष्ट्री हुआ समझा जाता है जो कि इन्कम टैक्स एक्ट की इस धारा के अनुसार रजिष्ट्री कराया गया हो।

जो फर्म इस तरह रजिस्ट्री कराया हुआ नहीं होता उसे विना रजिस्ट्री कराया हुआ फर्म कहते है।

रजिस्ट्री कराने का तरीका इस प्रकार है :—

(१) रजिस्ट्री कराने के लिए इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख एक दरखास्त करनी पडती है।

(२) दरखास्त उस रूप में करनी पडती है जो कि इन्कम टैक्स रूल ३ मे दिया हुआ है।

(३) दरखास्त के साथ साझेदारी की लिखापढ़ी और उसकी एक नकल नत्थी करनी पड़ती है।

अगर इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह इतमीनान हो जायगा कि किसी यथोचित कारण से मूल लेखापढ़ी सुगमता से पेश नहीं की जा सकती तो लेखापढ़ी की एक (Certified) नकल और एक सादी नकल दरखास्त के साथ देनी पड़ेगी।

(४) ऐसी दरखास्त पाने पर अगर इन्कम टैक्स ऑफिसर को विश्वास हो जायगा कि वास्तव मे फर्म है और उसका सगठन लेखा-पढ़ी के अनुसार है, और दर्रखास्त ठीक तरह से की गई है तो लेखापढ़ी या सर्टीफाइड नकल पर वह यह लिख देगा कि फर्म उसके द्वारा रजिस्ट्री कर लिया गया है तथा उसमे यह भी लिख देगा कि यह अमुक वर्ष के लिए रजिस्ट्री किया गया है।

यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को विश्वास नहीं होगा तो वह दर-खास्त को लिखित हुक्म द्वारा नामंजूर कर देगा और हुक्म की एक नक़ल दरखास्त करने वालों को दे देगा।

फर्म रजिस्ट्री कर लेने के बाद—मूल लेखापढ़ी या सर्टीफाइड कापी वापिस लौटा दी जायगी।

उस वर्ष के लिए कर लगाने के सम्बन्ध में ही यह सार्टीफिकेट काम की होगी जिस वर्ष का उल्लेख उसमें होगा।

बाद के वर्ष में यह सार्टीफिकेट फिर से (renew) कराई जा सकेगी।

फर्म रजिस्ट्री कर लेने पर अगर इन्कम टैक्स ऑफिसर को मालूम हो कि वास्तव में फर्म नहीं है तो वह रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है।

—धारा : २६ ए

२७—धारा २३ (४) के अनुसार आमदनी का फोर्म (return) भर कर पेश नहीं करने पर अथवा निश्चित दिन नहीं खाते या साक्षी सबूत लेकर हाजिर नहीं होने पर इन्कम टैक्स आफिसर एसेसी के प्रति इकतरफी कार्रवाही कर उसे उचित मालूम दे वह टैक्स लगा सकता है। एसेसी यदि फर्म हो तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है या उसे रजिस्ट्री करना ना मंजूर कर सकता है। यह ऊपर दिखाया जा चुका है। ऐसी इकतरफी कार्रवाही उस अवस्था में रद्द कराई जा सकती है जब कि एसेसी कर जमा देने के नोटिस अर्थात 'डिमान्ड नोटिस' के जारी होने के एक महीने के अन्दर इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह विश्वास उत्पन्न करा दे कि—

(१) वह किसी समुचित (Sufficient) कारण से धारा २२ के अनुसार अपनी रिटर्न भरने से रोका गया।

(२) धारा २२ (४) या २३ (२) के अनुसार उसे कोई नोटिस नहीं मिला था उन नोटिसों को पालन करने के लिए उसे पूरा मौका नहीं मिला या किसी उचित कारण से वह उन नोटिसों पर अमल करने से रोका गया।

उपरोक्त हालतों में पहले के हुक्म को रद्द कर इन्कम टैक्स ऑफिसर धारा २३ के अनुसार फिर से टैक्स लगायगा।

पुराने कानून में भी इकतरफी कार्रवाही रद्द कराने का उपरोक्त तरीका था परन्तु अब ऐसे इकतरफे हुक्म के विरुद्ध सामान्य तौर पर अपील भी की जा सकती है।

—धारा : २७

१३—आमदनी छिपाने या नफे का बंटवारा अनुचित ढंग से करने से दण्ड

२८—(१) इन्कम टैक्स ऑफिसर, एपेलेट एसिस्टेन्ट कमिश्नर अथवा कमिश्नर को इस एक्ट के अनुसार कोई कार्रवाही करते समय विश्वास हो कि किसी शख्स ने :

(ए) वाजवी (reasonable) कारण बिना धारा २२ अथवा धारा ३४ के नोटिस की आज्ञा अनुसार रिटर्न फोर्म भर कर नहीं भेजा, अथवा समय पर नहीं भेजा, अथवा जिस प्रकार भरना चाहिए उस प्रकार भर कर नहीं भेजा, तो उस हालत में इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स लगाया हो उसके उपरान्त इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स की रकम से १½ रकम तक दण्ड लगाया जा सकेगा।

(बी) वाजवी कारण बिना धारा २२ (४) अथवा धारा २३ (२) के अनुसार भेजे हुए नोटिस का पालन नहीं किया अथवा

(सी) अपनी आमदनी का विवरण छिपाया है, अथवा जानबूझ कर आमदनी के सम्बन्ध में गलत विवरण दिया है तो उस हालत में टैक्स की जो रकम होगी उसके उपरान्त रिटर्न में दिखाए हुए नफे को ठीक मानने से इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स की जितनी रकम कम मिलती उसके १॥ गुण तक दण्ड लगाया जा सकेगा।

फर्म रजिस्ट्री कर लेने के बाद—मूल लेखापढ़ी या सर्टीफाइड कापी वापिस लौटा दी जायगी।

उस वर्ष के लिए कर लगाने के सम्बन्ध में ही यह सार्टीफिकेट काम की होगी जिस वर्ष का उल्लेख उसमें होगा।

बाद के वर्ष में यह सार्टीफिकेट फिर से (renew) कराई जा सकेगी।

फर्म रजिस्ट्री कर लेने पर अगर इन्कम टैक्स आफिसर को मालूम हो कि वास्तव में फर्म नहीं है तो वह रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है।

—धारा : २६ ए

२७—धारा २२ (२) के अनुसार आमदनी का फौर्म (return) भर कर पेश नहीं करने पर अथवा निश्चित दिन बही खाते या साखी सबूत लेकर हाजिर नहीं होने पर इन्कम टैक्स आफिसर एसेसी के प्रति इकतरफी कार्यवाही कर उसे उचित मालूम दे वह टैक्स लगा सकता है। एसेसी यदि फर्म हो तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है या उसे रजिस्ट्री करना ना मंजूर कर सकता है। यह ऊपर दिखाया जा चुका है। ऐसी इकतरफी कार्यवाही उस अवस्था में रद्द कराई जा सकती है यदि एसेसी कर जमा देने के नोटिस अर्थात 'डिमान्ड नोटिस' के जारी होने के एक महीने के अन्दर इन्कम टैक्स आफिसर को यह विश्वास उत्पन्न करा दे कि—

(१) वह किसी समुचित (sufficient) कारण से धारा २२ के अनुसार माँगी गई रिटर्न भरने से रोका गया।

(२) धारा २२ (४) या २३ (२) के अनुसार उसे कोई नोटिस नहीं मिला था इन नोटिसों को पालन करने के लिए उसे पूरा मौका नहीं मिला या किसी उचित कारण से वह इन नोटिसों पर अमल करने से रोका गया।

उपरोक्त हालतों मे पहले के हुक्म को रद्द कर इन्कम टैक्स ऑफिसर धारा २३ के अनुसार फिर से टैक्स लगायगा।

पुराने कानून मे भी इकतरफी कार्रवाही रद्द कराने का उपरोक्त तरीका था परन्तु अब ऐसे इकतरफे हुक्म के विरुद्ध सामान्य तौर पर अपील भी की जा सकती है। —धारा : २७

१३—आमदनी छिपाने या नफे का बँटवारा अनुचित ढग से करने से दण्ड

२८—(१) इन्कम टैक्स ऑफिसर, एपेलेट एसिस्टेन्ट कमिश्नर अथवा कमिश्नर को इस एक्ट के अनुसार कोई कार्रवाही करते समय विश्वास हो कि किसी शख्स ने :

(ए) वाजवी (reasonable) कारण विना धारा २२ अथवा धारा ३४ के नोटिस की आज्ञा अनुसार रिटर्न फोर्म भर कर नहीं भेजा, अथवा समय पर नही भेजा, अथवा जिस प्रकार भरना चाहिए उस प्रकार भर कर नही भेजा, तो उस हालत मे इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स लगाया हो उसके उपरान्त इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स की रकम से १½ रकम तक दण्ड लगाया जा सकेगा।

(वी) वाजवी कारण विना धारा २२ (४) अथवा धारा २३ (२) के अनुसार भेजे हुए नोटिस का पालन नही किया अथवा

(सी) अपनी आमदनी का विवरण छिपाया है, अथवा जानबूझ कर आमदनी के सम्बन्ध मे गलत विवरण दिया है तो उस हालत मे टैक्स की जो रकम होगी उसके उपरान्त रिटर्न मे दिखाए हुए नफे को ठीक मानने से इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स की जितनी रकम कम मिलती उसके १॥ गुण तक दण्ड लगाया जा सकेगा।

परन्तु यदि

(अ) एक शख्स की कुल आय रु० ३,५००) से कम होगी तो रिटर्न भर कर नहीं देने के लिए उस पर कोई दण्ड नहीं लगाया जायगा। परन्तु यदि उस पर, रिटर्न फोर्म भर कर भेजने के लिए, धारा २२ (२) के अनुसार, नोटिस जारी कर दिया होगा तो दण्ड लगाया जा सकेगा।

(आ) कोई शख्स धारा २२ (२) अथवा ३४ के अनुसार नोटिस मिलने पर रिटर्न फोर्म भर कर नहीं भेजे, और वह यह साबित कर दे कि उसकी आमदनी कर लगाई जा सके जितनी नहीं है तो उस हालत में उस पर २५) से अधिक दण्ड नहीं किया जा सकेगा।

(इ) ब्रिटिश भारत में नहीं बसनेवाले (non-[illegible]) शख्स के लिए जो एजेण्ट रूप से टेक्स देने का दायक होगा उस पर धारा २२ के अनुसार रिटर्न न भरने पर दण्ड नहीं लगाया जायगा सिवाय उस हालत में जब कि उस पर धारा २२ (२) या ३४ के अनुसार नोटिस जारी कर दिया गया हो।

(२) रजिस्टर्ड फर्म की आय साझेदारों की लिखापढ़ी में [illegible] साझेदारों के हिस्से के अनुसार नहीं बांट कर अन्य तरह से बांटी गई होगी तो उस हालत में दण्ड की सजा करने के [illegible] साझेदारों का [illegible] भी नहीं किया जायगा।

(३) दण्ड की सजा करने के पहिले शख्स की आपत्ति को सुनने [illegible]

(४) जिस जुर्म के लिए एक शख्स को दण्ड की सजा कर दी गई होगी उसी जुर्म के लिए उस पर अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(५) अपेलेट एसिस्टेण्ट कमिश्नर या कमिश्नर जिसने की दण्ड का हुकुम किया होगा, इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास अपने हुकुम की नकल भेजेगा।

(६) इन्कम टैक्स ऑफिसर इन्सपेकटिंग एसिस्टेण्ट कमिश्नर की स्वीकृति लिए विना दण्ड की सजा नही कर सकेगा।

—धारा : २८

१४—डिमाण्ड नोटिस

२९—टैक्स लगाने या दण्ड करने के बाद इन्कम टैक्स ऑफिसर एसेसी को या उस शख्स को जो टैक्स और दण्ड की रकम देने के लिए दायी होता है एक नोटिस देता है और उसके द्वारा अमुक तारीख तक टैक्स और दण्ड की रकम जमा देने का तकाजा करता है। इस नोटिस को नोटिस ऑफ डिमाण्ड कहते हैं। नोटिस मे जुदे-जुदे साधन से प्राप्त कुल आमदनी, टैक्स की रकम, टैक्स का दर आदि का ब्यौरा रहता है। साथ में एक चालान रहता है। टैक्स के रुपये जमा देते समय इस चालान को साथ मे लगा देना पड़ता है। टैक्स या दण्ड की रकम नोटिस मे दी हुई तारीख के अन्दर भर देनी पडती है, अन्यथा एसेसी पर कर या दण्ड की रकम जितना तक दण्ड और किया जा सकता है।

१५—अपील

३०—(१) निम्नलिखित अवस्थाओ में एपलेट एसिस्टेन्ट कमिश्नर के सम्मुख अपील की जा सकेगी :—

(क) धारा २३ या २७ के अनुसार आंकी गई आमदनी या लगाई गई टैक्स की रकम के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति होने पर;

परन्तु यदि

(अ) एक शख्स की कुल आय रु० ३,५००) से कम होगी तो रिटर्न भर कर नहीं देने के लिए उस पर कोई दण्ड नहीं लगाया जायगा। परन्तु यदि उस पर, रिटर्न फोर्म भर कर भेजने के लिए, धारा २२ (२) के अनुसार, नोटिस जारी कर दिया होगा तो दण्ड लगाया जा सकेगा।

(आ) कोई शख्स धारा २२ (२) अथवा ३४ के अनुसार नोटिस मिलने पर रिटर्न फोर्म भर कर नहीं भेजे, और वह यह साबित कर दे कि उसकी आमदनी कर लगाई जा सके जितनी नहीं है तो उस हालत में उस पर २५) से अधिक दण्ड नहीं किया जा सकेगा।

(इ) बृटिश भारत में नहीं बसनेवाले (non-resident) शख्स के लिए जो एजेण्ट रूप में टेक्स देने का दायक होगा उस पर धारा २२ के अनुसार रिटर्न न भरने पर दण्ड नहीं लगाया जायगा सिवाय उस हालत में जब कि उस पर धारा २२ (२) या ३४ के अनुसार नोटिस जारी कर दिया गया हो।

(ई) रजिष्टर्ड फर्म की आय साझेदारों की लिखापढ़ी में दिखाए हुए साझेदारों के हिस्से के अनुसार नहीं बांट कर अन्य तरह से बांटी गई होगी तो उस हालत में दण्ड की सजा करने के अलावा साझेदारों को रिफण्ड भी नहीं दिया जायगा।

(उ) दण्ड की सजा करने के पहिले असेसी की आपत्ति को सुन लेना होगा।

(ऊ) जिस गुन्हा के लिए एक शख्स को दण्ड की सजा कर दी गई होगी उसी गुन्हा के लिए उस पर अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

आमदनी या नुकसान को ठहराते हुए जो हुक्म दिया हो उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। तथा फर्म के नफे नुकसान के बँटवारे के हुक्म के विरुद्ध भी अपील कर सकता है। परन्तु ऐसे हुक्म द्वारा जो बातें निश्चित की गई होंगी उनके सम्बन्ध में अपनी कुल आमदनी पर कर निरूपण हुआ होगा उसके प्रति कोई अपील नहीं कर सकेगा।

परन्तु इन्कम टैक्स ऑफिसर ने धारा २३-ए के अनुसार जिस कम्पनी के सम्बन्ध में अपना हुक्म दिया होगा उसका कोई शेयर-होल्डर इस हुक्म द्वारा निश्चित बातों के सम्बन्ध में अपनी कुल आमदनी पर कर निरूपण हुआ होगा उस के प्रति कोई अपील नहीं कर सकेगा।

(२) अपील की अर्जी साधारणतः नोटिस ऑफ डिमान्ड के प्राप्त होने, या रजिस्ट्री करने आदि की नामजूरी के हुक्म के मिलने या उसकी सूचना मिलने के ३० दिन के अन्दर करनी होगी। अर्जी मुद्दत के अन्दर नहीं करने से स्वीकार नहीं की जाती। परन्तु यदि एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर के यह बात जँच जाय कि वाजिब कारणवश ही अपील मुद्दत के अन्दर पेश नहीं की गई है तो वह अर्जी को बाद में भी स्वीकार कर सकता है।

(३) अपील की अर्जी इन्कम टैक्स एक्ट द्वारा निर्धारित रूप में करनी पड़ती है। उसे तस्दीक (verify) करना पड़ता है और उस पर कानून अनुसार कोर्ट-फी स्टाम्प लगा देनी पड़ती है।

—धारा : ३०

१६—अपील की सुनाई

३१—(१) अपील की अर्जी मिलने के बाद एपेलेट एसिस्टेन्ट कमिश्नर की ओर से अपील की सुनाई के लिए स्थान और दिन मुकर्रर किया जाता है। मुकर्रर तारीख को समय समय पर मुलतवी भी किया जा सकता है।

आमदनी या नुकसान को ठहराते हुए जो हुक्म दिया हो उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। तथा फर्म के नफे नुकसान के बँटवारे के हुक्म के विरुद्ध भी अपील कर सकता है। परन्तु ऐसे हुक्म द्वारा जो बातें निश्चित की गई होंगी उनके सम्बन्ध में अपनी कुल आमदनी पर कर निरूपण हुआ होगा उसके प्रति कोई अपील नहीं कर सकेगा।

परन्तु इन्कम टैक्स ऑफिसर ने धारा २३-ए के अनुसार जिस कम्पनी के सम्बन्ध में अपना हुक्म दिया होगा उसका कोई शेयर-होल्डर इस हुक्म द्वारा निश्चित बातों के सम्बन्ध में अपनी कुल आमदनी पर कर निरूपण हुआ होगा उस के प्रति कोई अपील नहीं कर सकेगा।

(२) अपील की अर्जी साधारणतः नोटिस ऑफ डिमान्ड के प्राप्त होने, या रजिस्ट्री करने आदि की नामजूरी के हुक्म के मिलने या उसकी सूचना मिलने के ३० दिन के अन्दर करनी होगी। अर्जी मुद्दत के अन्दर नहीं करने से स्वीकार नहीं की जाती। परन्तु यदि एपैलेट एसिस्टेंट कमिश्नर के यह बात जँच जाय कि वाजिब कारणवश ही अपील मुद्दत के अन्दर पेश नहीं की गई है तो वह अर्जी को बाद में भी स्वीकार कर सकता है।

(३) अपील की अर्जी इन्कम टैक्स एक्ट द्वारा निर्धारित रूप में करनी पड़ती है। उसे तस्दीक (verify) करना पड़ता है और उस पर कानून अनुसार कोर्ट-फी स्टाम्प लगा देनी पड़ती है।

—धारा : ३०

१६—अपील की सुनाई

३१—(१) अपील की अर्जी मिलने के बाद एपैलेट एसिस्टेन्ट कमिश्नर की ओर से अपील की सुनाई के लिए स्थान और दिन मुकर्रर किया जाता है। मुकर्रर तारीख को समय समय पर मुलतवी भी किया जा सकता है।

खुद अपनी इच्छा से या अपने अधीन इन्कम टैक्स अधिकारी के रेफरेन्स करने पर उस मामले का एक बयान तय्यार कर अपनी राय के साथ उसे हाईकोर्ट को भेज सकता है।

(२) एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर अथवा कमिश्नर के हुक्म से किसी एसेसी को गैर इन्साफ हुआ मालूम दे, तो उस हुक्म की सूचना मिलने के ६० दिन के अन्दर वह अपने केस के सम्बन्ध मे हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के लिए कमिश्नर को अर्जी कर सकता है। अन्य हालतों मे हाईकोर्ट को रेफरेन्स नही हो सकता। इसी प्रकार इन्कम टैक्स कानून के नीचे हुए गुन्हा और दण्ड सम्बन्धी फौजदारी केसों के सम्बन्ध मे अर्थात् इन्कम टैक्स एक्ट के अध्याय ८ का बाबतों के सम्बन्धी भी हाईकोर्ट को रेफरेन्स नही किया जा सकता।

हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के लिए कमिश्नर को अर्जी करते समय उसके साथ एसेसी को १००) जमा देने होंगे। कानूनी प्रश्न उपस्थित होता हो उसी हालत मे एसेसी की अर्जी मिलने के बाद ६० दिन के अन्दर कमिश्नर को अपने अभिप्राय के साथ हाईकोर्ट को रेफरेन्स करना होगा।

धारा ३३ के अनुसार दिए हुए हुक्म पर से ही यदि कोई कानूनी प्रश्न खड़ा होता होगा तभी उसका रेफरेन्स हो सकेगा। यदि कोई हुक्म धारा ३१ के अनुसार दिया गया होगा और धारा ३३ के अनुसार हुक्म से केवल उस हुक्म का रिविजन हुआ होगा तो कानूनी प्रश्न उठने पर भी हाईकोर्ट को रेफरेन्स नही हो सकेगा।

हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के बदले कमिश्नर धारा ३३ के अनुसार अपने को मिले हुए अधिकार से एसेसी के पक्ष मे फैसला दे तो एसेसी अपनी अर्जी वापिस उठा सकता है।

धारा ३३ के अनुसार कमिश्नर अपना फैसला दे अथवा एसेसी की अर्जी मुद्दत बाहर होने या अन्य तरह से टिक सकने योग्य न होने

देनी होगी। रेफरंन्स मे कर की रकम कम होगी तो जितनी रकम कम होगी उतनी रकम, कमिश्नर द्वारा हुक्म दिए हुए ब्याज सहित फिरती मिल जायगी। यदि ऐसे रेफरेन्स के फैसले के प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर कमिश्नर सूचित करे कि वह प्रीवी काउसिल मे अपील करने की रजा मागने का विचार कर रहा है तो हाईकोर्ट हुक्म कर कमिश्नर को अपील नक्की न होने तक रिफण्ड वापिस न करने का अधिकार दे सकता है।

(७-ए) उपधारा (३) या उपधारा (३-ए) के अनुसार एसेसी रेफरेन्स की जो अर्जी हाईकोर्ट के सम्मुख करेगा उसके सम्बन्ध मे इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, १९०८ की धारा ५ लागू होगी।

—धारा : ६६ ५

२०—प्रीवि काउन्सिल में अपील

३३—बी-(१) धारा ६६ के अनुसार राय के लिए पेश किए गये मामले के सम्बन्ध मे दिए गये फैसले के विरुद्ध मे प्रीवि काउन्सिल मे अपील की जा सकेगी यदि हाई कोर्ट इस बात की सार्टीफिकेट दे देगा कि यह केस अपील करने योग्य है।

❀ ट्रीब्यूनल स्थापित हो जाने के बाद कमिश्नर को रिवीजन का अधिकार नही रहेगा। ट्रीब्यूनल के फैसले के विरुद्ध फक्त कानूनी प्रश्न के सम्बन्ध मे हाई कोर्ट मे अपील हो सकेगी।

ट्रीब्यूनल स्थापित हो जाने पर हाइकोर्ट को रेफरेन्स करने के सम्बन्ध मे अभी जो अधिकार और कर्तव्य कमिश्नर के है वे सब अधिकार और कर्तव्य ट्रीब्यूनल को सौंप दिए जायँगे।

अर्जी मिलने के ९० दिन के अन्दर [illegible] को केस रेफर करेगा।

(incompetent होने से) से वह उसे नामंजूर कर दे अथवा कानूनी प्रश्न उपस्थित न होता हो इस कारण से हाईकोर्ट को रेफरेन्स करना अस्वीकार कर दे और ऐसा कोई हुक्म मिलने के बाद ३० दिन के अन्दर एसेसी अपनी अर्जी वापिस ले ले तो उसे जमा किए हुए १००) वापिस मिल जायंगे।

(३), (३ ए) – कोई कानूनी सवाल उपस्थित न होने के कारण अथवा अर्जी मियाद बाहर होने के कारण यदि कमिश्नर हाईकोर्ट को रेफरेन्स करना नामंजूर करे तो नामंजूरी के हुक्म के क्रमशः ६ और २ महीने के अन्दर एसेसी हाईकोर्ट को अर्जी कर सकता है। हाईकोर्ट को कमिश्नर का हुक्म वाजबी नहीं लगने पर वह कमिश्नर को रेफरेन्स करने का या अर्जी को मियाद में समझने का हुक्म दे सकता है।

(४) यदि हाईकोर्ट देखे कि जो बयान भेजे हैं वे प्रश्न का निर्णय करने के लिए काफी नहीं हैं तो वह केस को वापिस कमिश्नर के पास अपने आदेश अनुसार कुछ जोड़ने या परिवर्तन करने के लिए भेज सकता है।

(५) रेफरेन्स होने के बाद, हाईकोर्ट केस को सुन कानूनी सवाल पर अपना फैसला देगा और फैसले की एक नकल कमिश्नर को भेजेगा और कमिश्नर हुक्म के अनुसार मुकदमे का निर्णय करेगा। यदि केस अपने अधीन किसी इन्कम टैक्स अधिकारी के रेफरेन्स में दिया गया हो तो कमिश्नर उस को नकल की कापी भेजेगा और ऑफिसर उसके अनुसार फैसला करेगा।

(६) जब कि हाईकोर्ट को रेफरेन्स एसेसी की अर्जी पर किया [illegible] खर्च दिलाना या नहीं दिलाना कोर्ट की मर्जी पर होगा।

[illegible] हाईकोर्ट को रेफरेन्स किया गया हो तो भी टैक्स [illegible] के हुक्म के अनुसार मियाद के अन्दर दे

देनी होगी। रेफरेन्स मे कर की रकम कम होगी तो जितनी रकम कम होगी उतनी रकम, कमिश्नर द्वारा हुक्म दिए हुए व्याज सहित फिरती मिल जायगी। यदि ऐसे रेफरेन्स के फैसले के प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर कमिश्नर सूचित करे कि वह प्रीवी काउसिल मे अपील करने की रजा मागने का विचार कर रहा है तो हाईकोर्ट हुक्म कर कमिश्नर को अपील नकी न होने तक रिफण्ड वापिस न करने का अधिकार दे सकता है।

(७-ए) उपधारा (३) या उपधारा (३-ए) के अनुसार एसेसी रेफरेन्स की जो अर्जी हाईकोर्ट के सम्मुख करेगा उसके सम्बन्ध मे इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, १६०८ की धारा ५ लागू होगी।

—धारा : ६६*

२०—प्रीवि काउन्सिल मे अपील

३३—बी-(१) धारा ६६ के अनुसार राय के लिए पेश किए गये मामले के सम्बन्ध मे दिए गये फैसले के विरुद्ध मे प्रीवि काउन्सिल मे अपील की जा सकेगी यदि हाई कोर्ट इस बात की सार्टीफिकेट दे देगा कि यह केस अपील करने योग्य है।

---

* ट्रीब्यूनल स्थापित हो जाने के बाद कमिश्नर को रिवीजन का अधिकार नही रहेगा। ट्रीब्यूनल के फैसले के विरुद्ध फक्त कानूनी प्रश्न के सम्बन्ध मे हाई कोर्ट मे अपील हो सकेगी।

ट्रीब्यूनल स्थापित हो जाने पर हाइकोर्ट को रेफरेन्स करने के सम्बन्ध मे अभी जो अधिकार और कर्तव्य कमिश्नर के हैं वे सब अधिकार और कर्तव्य ट्रीब्यूनल को सौंप दिए जायँगे।

अर्जी मिलने के ९० दिन के अन्दर ट्रीब्यूनल हाईकोर्ट को केस रेफर करेगा।

(incompetent होने से) से वह उसे नामंजूर कर दे अथवा कानूनी प्रश्न उपस्थित न होता हो इस कारण से हाईकोर्ट को रेफरेन्स करना अस्वीकार कर दे और ऐसा कोई हुक्म मिलने के बाद ३० दिन के अन्दर एसेसी अपनी अर्जी वापिस ले ले तो उसे जमा किए हुए १००) वापिस मिल जायंगे।

(३), (३ ए) – कोई कानूनी सवाल उपस्थित न होने के कारण अथवा अर्जी मियाद बाहर होने के कारण यदि कमिश्नर हाईकोर्ट को रेफरेन्स करना नामजूर करे तो नामंजूरी के हुक्म के क्रमशः ६ और २ महीने के अन्दर एसेसी हाईकोर्ट को अर्जी कर सकता है। हाईकोर्ट को कमिश्नर का हुक्म वाजबी नहीं लगने पर वह कमिश्नर को रेफरेन्स करने का या अर्जी को मियाद में समझने का हुक्म दे सकता है।

(४) यदि हाईकोर्ट देखे कि जो बयान भेजे हैं वे प्रश्न का निर्णय करने के लिए काफी नहीं हैं तो वह केस को वापिस कमिश्नर के पास अपने आर्डर्स अनुसार कुछ जोड़ने या परिवर्तन करने के लिए भेज सकता है।

(५) रेफरेन्स होने के बाद, हाईकोर्ट केस को सुन कानूनी सवाल पर अपना फैसला देगा और फैसले की एक नकल कमिश्नर को भेजेगा और कमिश्नर हुक्म के अनुसार मुकदमे का निर्णय करेगा। यदि केस अपील अर्थात किसी इन्कम टैक्स अधिकारी के रेफरेन्स में [illegible] तो कमिश्नर उसको नकल की कापी भेजेगा और अफिसर उसके अनुसार फैसला देगा।

(६) जब कि हाईकोर्ट को रेफरेन्स एसेसी की अर्जी पर किया [illegible] खर्च दिलाना या नहीं दिलाना कोर्ट की मर्जी पर होगा।

(७) हाईकोर्ट को रेफरेन्स किया गया हो तो भी टैक्स [illegible] हुक्म के अनुसार मियाद के अन्दर दे

देनी होगी। रेफरेन्स मे कर की रकम कम होगी तो जितनी रकम कम होगी उतनी रकम, कमिश्नर द्वारा हुक्म दिए हुए व्याज सहित फिरती मिल जायगी। यदि ऐसे रेफरेन्स के फैसले के प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर कमिश्नर सूचित करे कि वह प्रीवी काउसिल मे अपील करने की रजा मागने का विचार कर रहा है तो हाईकोर्ट हुक्म कर कमिश्नर को अपील नक्की न होने तक रिफण्ड वापिस न करने का अधिकार दे सकता है।

(७-ए) उपधारा (३) या उपधारा (३-ए) के अनुसार एसेसी रेफरेन्स की जो अर्जी हाईकोर्ट के सम्मुख करेगा उसके सम्बन्ध मे इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, १६०८ की धारा ५ लागू होगी।

—धारा : ६६ॐ

२०—प्रीवि काउन्सिल में अपील

३३—बी-(१) धारा ६६ के अनुसार राय के लिए पेश किए गये मामले के सम्बन्ध में दिए गये फैसले के विरुद्ध मे प्रीवि काउन्सिल मे अपील की जा सकेगी यदि हाई कोर्ट इस बात की सार्टीफिकेट दे देगा कि यह केस अपील करने योग्य है।

ॐ ट्रीब्यूनल स्थापित हो जाने के बाद कमिश्नर को रिवीजन का अधिकार नही रहेगा। ट्रीब्यूनल के फैसले के विरुद्ध फक्त कानूनी प्रश्न के सम्बन्ध मे हाई कोर्ट मे अपील हो सकेगी।

ट्रीब्यूनल स्थापित हो जाने पर हाइकोर्ट को रेफरेन्स करने के सम्बन्ध में अभी जो अधिकार और कर्त्तव्य कमिश्नर के हैं वे सब अधिकार और कर्त्तव्य ट्रीब्यूनल को सौंप दिए जायँगे।

अर्जी मिलने के ९० दिन के अन्दर ट्रीब्यूनल हाईकोर्ट को केस रेफर करेगा।

हो कि उस शख्स के ऐसी आमदनी थी जिस पर टैक्स लग सकता था या उसकी आमदनी दिखाई गई आमदनी से अधिक थी और इसलिए अधिक टैक्स होना चाहिए तो उस हालत मे उस शख्स को नोटिस देकर (यदि शख्स कम्पनी हो तो यह नोटिस कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को देना होगा ।) टैक्स लगाने के लिए कार्रवाही करेगा । हाल मे जो सुधार किए गये है उनके पहले यह नोटिस जिस वर्ष में टैक्स लगायी जानी चाहिए थी उस वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अन्दर तक दिया जा सकता था । टैक्स केवल एक ही 'गत वर्ष' (Previous year) का लिया जा सकता था ।

इस सशोधित एक्ट के अनुसार ऑफिसर के हाथ मे पक्की (definite) खबर आने से उसे पता लगे कि किसी वर्ष मे किसी शख्स की आमदनी पर टैक्स लगना छूट गया है, या टैक्स नीचे दर से लिया गया है, कम टैक्स लिया गया है या रिलीफ ज्यादा दे दिया गया है तो उस हालत मे वह उपरोक्त नोटिस भेज सकता है । अब नोटिस भेजने की मियाद एक वर्ष नही है, जैसा कि पहले था परन्तु अब ४ वर्ष के या ८ वर्ष के अन्दर तक नोटिस भेजा जा सकता है ।

नोटिस की मियाद ८ वर्ष उस हालत मे होगी जब कि ऑफिसर के सामने ऐसी धारणा करने का कारण होगा कि एसेसी ने आय का विवरण छिपाया है या समझ बूझ कर गलत—असही (inaccurate) विवरण दिया है । उपरोक्त परिस्थिति को छोड कर नोटिस तामिल की मियाद ४ वर्ष होगी । उपरोक्त ४ या ८ वर्ष की मियाद, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, उस वर्ष की समाप्ति से गिनी जायगी जिस वर्ष की टैक्स लगाना छूटा है या कमती टैक्स लिया गया है या रिलीफ अधिक दिया गया है । उदाहरण स्वरूप सम्वत् १९९५ साल की टैक्स सन् १९३९-४० मे ली जाती है, जो ३१ मार्च, ४० को समाप्त होती है । मियाद १ ता० अप्रेल ४० से गिनी जायगी ।

हो कि उस शख्स के ऐसी आमदनी थी जिस पर टैक्स लग सकता था या उसकी आमदनी दिखाई गई आमदनी से अधिक थी और इसलिए अधिक टैक्स होना चाहिए तो उस हालत में उस शख्स को नोटिस देकर (यदि शख्स कम्पनी हो तो यह नोटिस कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को देना होगा।) टैक्स लगाने के लिए कार्रवाही करेगा। हाल में जो सुधार किए गये हैं उनके पहले यह नोटिस जिस वर्ष में टैक्स लगायी जानी चाहिए थी उस वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अन्दर तक दिया जा सकता था। टैक्स केवल एक ही 'गत वर्ष' (Previous year) का लिया जा सकता था।

इस संशोधित एक्ट के अनुसार ऑफिसर के हाथ में पक्की (definite) खबर आने से उसे पता लगे कि किसी वर्ष में किसी शख्स की आमदनी पर टैक्स लगना छूट गया है, या टैक्स नीचे दर से लिया गया है, कम टैक्स लिया गया है या रिलीफ ज्यादा दे दिया गया है तो उस हालत में वह उपरोक्त नोटिस भेज सकता है। अब नोटिस भेजने की मियाद एक वर्ष नहीं है, जैसा कि पहले था परन्तु अब ४ वर्ष के या ८ वर्ष के अन्दर तक नोटिस भेजा जा सकता है।

नोटिस की मियाद ८ वर्ष उस हालत में होगी जब कि ऑफिसर के सामने ऐसी धारणा करने का कारण होगा कि एसेसी ने आय का विवरण छिपाया है या समझ बूझ कर गलत—असही (inaccurate) विवरण दिया है। उपरोक्त परिस्थिति को छोड़ कर नोटिस तामिल की मियाद ४ वर्ष होगी। उपरोक्त ४ या ८ वर्ष की मियाद, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, उस वर्ष की समाप्ति से गिनी जायगी जिस वर्ष की टैक्स लगाना छूटा है या कमती टैक्स लिया गया है या रिलीफ अधिक दिया गया है। उदाहरण स्वरूप सम्वत् १९९५ साल की टैक्स सन् १९३९-४० में ली जाती है, जो ३१ मार्च, ४० को समाप्त होती है। मियाद १ ता० अप्रेल ४० से गिनी जायगी।

परन्तु यह ध्यान मे रखना चाहिए कि निम्न लिखित परिस्थितियों में नोटिस की मियाद पहिले की तरह १ वर्ष ही रहेगी।

(क) यदि मुनाफा उस वर्ष सम्बन्धी होगा जिस पर ता० १, अप्रेल, ३६ के पहले समाप्त साल मे टैक्स लगाना चाहिए था। उदाहरण स्वरूप सं० वर्ष १९९४ की टैक्स सन् १९३८-३९ में ली गयी है जो कि ३१ मार्च, ३९ अर्थात् ता० १ अप्रेल, ३९ के पहले समाप्त होता है। नोटिस की मियाद १ अप्रेल ३९, से एक वर्ष होगी।

(ख) जब कि वह शख्स जिस पर कि टैक्स लगाया गया है या लगाया जायगा ब्रिटिश भारत में निवास नहीं करने वाले किसी शख्स का एजेन्ट समझा गया हो।

इस धारा के अनुसार जो टैक्स लगायी जायगी वह उसी दर से लगायी जायगी जिस दर से कि वह उस हालत में लगाई जाती जब कि कोई रकम टैक्स लगने से नहीं छूटती या पूरा कर-निर्धारण होता।

(२) ऊपर जो ४ या ८ वर्ष की मियाद बताई है उसके बाद टैक्स का कोई हुक्म नहीं हो सकेगा। अर्थात् जिस परिस्थिति में जो मियाद लागू होगी उस परिस्थिति मे उसी मियाद के अन्दर टैक्स का हुक्म किया जा सकेगा उसके बाद नहीं।

— धारा : ३४

३५—भूल-सुधार

३५ (१) कमिश्नर द्वारा अपील के समय या रिविजन के समय, अपीलेण्ट कमिश्नर द्वारा अपील के समय, अथवा इन्कम टैक्स आफिसर द्वारा कर लगाते समय किए गये हुक्म के कागजों में कोई [illegible] भूल मालूम पड़े तो उन हुक्मों की तारीख से चार वर्ष के अन्दर [illegible] आने की दशा में भूल-सुधार कर सकते हैं अथवा कोई [illegible]

एसेसी ऐसी भूलों के प्रति ध्यान खींचे तो उनको सुधारने के लिए वे बाध्य है। संशोधन के पहले ऐसी भूले एक वर्ष के भीतर ही सुधारी जा सकती थीं परन्तु अब संशोधित कानून के अनुसार वह चार वर्ष तक सुधारी जा सकती है।

(२) भूल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर की रकम घटने पर एसेसी से वेसी लिया हुआ टैक्स उसे वापिस मिल जाता है।

भूल-सुधार के कारण यदि टैक्स वृद्धि की गुंजाइश होगी तो भूल-सुधार करने के पहले ऐसे विचार की सूचना एसेसी को दे देनी होगी और उसे अपनी बाते रखने का उचित अवसर भी देना होगा।

भूल अगर ता० १।४।३९ के एक वर्ष से अधिक पहिले दिए हुए हुक्म में होगी तो वह सुधारी नही जा सकेगी।

(२) भूल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर मे वृद्धि होने पर इन्कम टैक्स ऑफिस एक नोटिस ऑफ डिमान्ड भेज कर कर वसूल करेगा। इस नोटिसर मे टैक्स स्वरूप कितने रुपये देने होंगे ये लिखा रहेगा। यह नोटिस धारा २९ के अनुसार दिया हुआ नोटिस समझा जायगा और उसी तरह से इस एक्ट के विधान लागू होंगे।

—धारा : ३५[*]

---

[*] एपेलेट ट्रीब्यूनल कायम होने के बाद इस धारा मे निम्नलिखित सुधार कर देने होगा :—

(१) उपधारा न० (२) और (३) के नम्बर (३) और (४) हो जायगे। उपधारा (२) इस प्रकार रहेगी :

(२) एपेलेट ट्रीब्यूनल द्वारा भूल सुधार करने के सम्बन्ध मे उपधारा (१) ने दिए हुए विधान लागू होंगे।

परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि निम्न लिखित परिस्थितियों में नोटिस की मियाद पहिले की तरह १ वर्ष ही रहेगी।

(क) यदि मुनाफा उस वर्ष सम्बन्धी होगा जिस पर ता० १, अप्रेल, ३९ के पहले समाप्त साल में टैक्स लगाना चाहिए था। उदाहरण स्वरूप सं० वर्ष १९९४ की टैक्स सन् १९३८-३९ में ली गयी है जो कि ३१ मार्च, ३९ अर्थात ता० १ अप्रेल, ३९ के पहले समाप्त होता है। नोटिस की मियाद १ अप्रेल ३९, से एक वर्ष होगी।

(ख) जब कि वह शख्स जिस पर कि टैक्स लगाया गया है या लगाया जायगा ब्रिटिश भारत में निवास नहीं करने वाले किसी शख्स का एजेन्ट समझा गया हो।

इस धारा के अनुसार जो टैक्स लगायी जायगी वह उसी दर से लगायी जायगी जिस दर से कि वह उस हालत में लगाई जाती जब कि कोई रकम टैक्स लगने से नहीं छूटती या पूरा कर-निर्धारण होता।

(२) ऊपर जो ४ या ८ वर्ष की मियाद बताई है उसके बाद टैक्स का कोई हुक्म नहीं हो सकता। अर्थात जिस परिस्थिति में जो मियाद लागू होगी उस परिस्थिति में उसी मियाद के अन्दर टैक्स का हुक्म किया जा सकता उसके बाद नहीं।

—धारा : ३४

३५—भूल-सुधार

३५ (१) कमिश्नर द्वारा अपील के समय या रिविजन के समय, असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा अपील के समय, अथवा इन्कम टैक्स अफिसर द्वारा कर लगाते समय किए गये हुक्म के कागजों में कोई [illegible] मालूम होती हो तो उस हुक्म की तारीख से चार वर्ष के अन्दर [illegible] से हुक्म-सुधार कर सकते हैं अथवा कोई

२७—खबर प्राप्त करने का अधिकार

३८—इस एक्ट के प्रयोजन के लिए इन्कम टैक्स ऑफिसर या एसिस्टेंट कमिश्नर :

(१) किसी भी फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को फर्म के सदस्यों की तालिका या कुटुम्ब के मैनेजर या युवा सदस्यों की सूची और उनके ठिकाने पेश करने की आज्ञा कर सकता है।

(२) यदि उसको यह धारणा करने का कारण हो कि कोई शख्स ट्रस्टी, या गार्जियन या एजेन्ट है, तो उन सब शख्स के नाम और पतों की तालिका देने की आज्ञा कर सकता है जिस के लिए या जिसकी ओर से वह ट्रस्टी, गार्जियन, या एजेन्ट है।

(३) किसी एजेंसी को उन सब शख्सों के नाम और पतों का विवरण देने का आदेश कर सकता है जिनको उसने किसी वर्ष मे भाड़े, व्याज, कमीशन, रोयल्टी, दलाली, या वेतन के शीर्षक के नीचे जिस पर टैक्स नहीं हो सकती ऐसी एनुइटी, (annuity) के बावत मे कुल मिल कर ४००) से अधिक रुपये दिये हों तथा इस प्रकार जो रकमे दी गयी हों उनका पूरा विवरण माग सकता है।

—धारा : ३८

२८—कम्पनी के रजिष्टर निरीक्षण का अधिकार

३९—इन्कम टैक्स ऑफिसर, या एसिस्टेण्ट कमिश्नर या कोई शख्स जिसको कि इस सम्बन्ध मे इन्कम टैक्स ऑफिसर ने या एसिस्टेंट-कमिश्नर ने लिखित रूप से अधिकार दिया हो, किसी कम्पनी के सदस्यों या डिबेंचर होल्डर या मोरगेज लेने वालों के (mortgagees) नाम जिस रजिष्टर मे लिखे जाते हों उसका या ऐसे किसी रजिष्टर मे लिखी हुई बातों का निरीक्षण कर सकता है, और आवश्यकता

२७—खबर प्राप्त करने का अधिकार

३८—इस एक्ट के प्रयोजन के लिए इन्कम टैक्स ऑफिसर या एसिस्टेंट कमिश्नर :

(१) किसी भी फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को फर्म के सदस्यों की तालिका या कुटुम्ब के मैनेजर या युवा सदस्यों की सूची और उनके ठिकाने पेश करने की आज्ञा कर सकता है।

(२) यदि उसको यह धारणा करने का कारण हो कि कोई शख्स ट्रस्टी, या गार्जियन या एजेन्ट है, तो उन सब शख्स के नाम और पतों की तालिका देने की आज्ञा कर सकता है जिस के लिए या जिसकी ओर से वह ट्रस्टी, गार्जियन, या एजेन्ट है।

(३) किसी एसेसी को उन सब शख्सों के नाम और पतों का विवरण देने का आदेश कर सकता है जिनको उसने किसी वर्ष मे भाड़े, व्याज, कमीशन, रोयलटी, दलाली, या वेतन के शीर्षक के नीचे जिस पर टैक्स नही हो सकती ऐसी एनुइटी, (annuity) के बाबत मे कुल मिल कर ४००) से अधिक रुपये दिये हों तथा इस प्रकार जो रकमे दी गयी हों उनका पूरा विवरण माग सकता है।

—धारा : ३८

२८—कम्पनी के रजिष्टर निरीक्षण का अधिकार

३९—इन्कम टैक्स ऑफिसर, या एसिस्टेण्ट कमिश्नर या कोई शख्स जिसको कि इस सम्बन्ध मे इन्कम टैक्स ऑफिसर ने या एसिस्टेंट-कमिश्नर ने लिखित रूप से अधिकार दिया हो, किसी कम्पनी के सदस्यों या डिबेंचर होल्डर या मोरगेज लेने वालो के (mortgagees) नाम जिस रजिष्टर मे लिखे जाते हो उसका या ऐसे किसी रजिष्टर मे लिखी हुई बातो का निरीक्षण कर सकता है, और आवश्यकता

२—कोर्ट ऑफ वार्डस आदि का दायित्व

४१—(१) उस आमदनी के सम्बन्ध मे, जिसको कि किसी शख्स की ओर से कोट ऑफ वार्ड (Court of Ward), एडमिनिस्ट्रेटर्स नरल (Administrators—General), ऑफिसियल ट्रस्टी, या कोर्ट द्वारा या उसके हुक्म से नियुक्त किसी रिसीवर (Receiver) या मैनेजर या ट्रस्ट डीड के अनुसार नियुक्त किसी ट्रस्टी या ट्रस्टियों को पाने का हक है, टैक्स कोर्ट ऑफ वार्ड आदि पर लगा कर उनसे अदा किया जायगा।

टैक्स ठीक उसी प्रकार से और उतना ही लगाया और अदाई किया जाता है जिस प्रकार से और जितना कि सीधा वेनीफिसीयरी पर लगाया और उससे अदा किया जा सकता है।

जब कि ऐसी आमदनी किसी एक शख्स के लिए (on behalf) प्राप्त नही की जाती या जिनकी तरफ से (on behalf) वह प्राप्त की जाती है उन व्यक्तियों के हिस्से अनिश्चित होते हैं या मालूम नहीं होते तो टैक्स ऊँचे-से-ऊंचे दर से लगा कर वसूल की जाती है।

यदि ट्रस्ट की आमदनी का एक अंश मात्र ही ऐसा हो कि जिस पर इस एक्ट के अनुसार टैक्स लगाया जा सके तो ट्रस्ट से जितनी आमदनी वेनीफिसीयरी को मिली होगी उसके, निम्न फोरमूले के अनुसार निकाले गये, भाग के सम्बन्ध मे ही टैक्स लगेगा।

$$\text{वेनीफिसीयरी द्वारा प्राप्त आमदनी का वह हिस्सा जिस पर टैक्स लगेगी} = \frac{\text{ट्रस्ट की कुल आय जिस पर टैक्स लगायी जा सकती है} \times \text{ट्रस्ट की आय का अंश जो कि वेनीफिसीयरी को मिला है}}{\text{ट्रस्ट की पूरी आमदनी}}$$

हो तो उनकी नक़लें भी ले सकता है या किसी दूसरे शख्स के द्वारा नक़ल लिया सकता है।

—धारा : ३६

अध्याय-५

खास अवस्थाओं में कर के लिए दायित्व

१—गार्जियन, ट्रस्टी और एजेण्ट का दायित्व

४० - कभी-कभी नाबालिग, पागल या नासमझ (Lunatic or idiot) या ब्रिटिश भारत के बाहर रहनेवाले शख्स की ओर से गार्जियन, ट्रस्टी या एजेण्ट रहता है। नाबालिग आदि की जो सिक्यूरिटी होती है उसे बेनीफिशीयरी की सिक्यूरिटी कहते हैं और नाबालिग आदि को बेनीफिशीयरी (beneficiary) कहा जाता है। जो बेनीफिशीयरी की आय के सम्बन्ध में टैक्स गार्जियन आदि पर लगाया जाता है। यह टैक्स वास्तव में मिली हुई आय पर नहीं वरन् जो आय बेनीफिशीयरी की ओर से गार्जियन आदि को पाने का [illegible] हो उसके सम्बन्ध में लगाया जाता है।

[illegible] ठीक उसी प्रकार से और उतना ही लगाया और वसूल [illegible] जिस प्रकार से और जितना कि सीधा बेनीफिशीयरी [illegible] और उससे वसूल किया जा सकता।

[illegible] ब्रिटिश भारत के बाहर रहनेवाला शख्स हो [illegible] टैक्स [illegible] ([illegible]) उसपर ही लगाया और [illegible] जा सकता है।

—धारा : ४०

२—कोर्ट ऑफ वार्डस आदि का दायित्व

४१—(१) उस आमदनी के सम्बन्ध मे, जिसको कि किसी शख्स की ओर से कोट ऑफ वार्ड (Court of Waid), एडमिनिस्ट्रेटर्स जनरल (Administrators—General), ऑफिसियल ट्रस्टी, या कोर्ट द्वारा या उसके हुक्म से नियुक्त किसी रिसीवर (Receiver) या मैनेजर या ट्रस्ट डीड के अनुसार नियुक्त किसी ट्रस्टी या ट्रस्टियों को पाने का हक है, टैक्स कोर्ट ऑफ वार्ड आदि पर लगा कर उनसे अदा किया जायगा।

टैक्स ठीक उसी प्रकार से और उतना ही लगाया और अदाई किया जाता है जिस प्रकार से और जितना कि सीधा बेनीफिसीयरी पर लगाया और उससे अदा किया जा सकता है।

जब कि ऐसी आमदनी किसी एक शख्स के लिए (on behalf) प्राप्त नहीं की जाती या जिनकी तरफ से (on behalf) वह प्राप्त की जाती है उन व्यक्तियों के हिस्से अनिश्चित होते हैं या मालूम नहीं होते तो टैक्स ऊचे-से-ऊँचे दर से लगा कर वसूल की जाती है।

यदि ट्रस्ट की आमदनी का एक अंश मात्र ही ऐसा हो कि जिस पर इस एक्ट के अनुसार टैक्स लगाया जा सके तो ट्रस्ट से जितनी आमदनी बेनीफिसीयरी को मिली होगी उसके, निम्न फोरमूले के अनुसार निकाले गये, भाग के सम्बन्ध मे ही टैक्स लगेगा।

बेनीफिसीयरी द्वारा प्राप्त आमदनी का वह हिस्सा जिस पर टैक्स कुती जायगी = (ट्रस्ट की कुल आय जिस पर टैक्स लगायी जा सकती है X ट्रस्ट की आय का अंश जो कि बेनीफिसीयरी को मिला है) / ट्रस्ट की पूरी आमदनी

हो तो उनकी नकलें भी ले सकता है या किसी दूसरे शख्स के द्वारा नकलें लिवा सकता है।

—धारा : ३६

अध्याय-५

खास अवस्थाओं में कर के लिए दायित्व

१—गार्जियन, ट्रस्टी और एजेण्ट का दायित्व

४०— कभी-कभी नाबालिग, पागल या नासमझ (Lunatic or idiot) या ब्रिटिश भारत के बाहर रहनेवाले शख्स की ओर से गार्जियन, ट्रस्टी या एजेण्ट रहता है। नाबालिग आदि की जो मिल्कियत होती है उसे बेनीफिसीयरी की मिल्कियत कहते हैं और नाबालिग आदि को बेनीफिसीयरी (beneficiary) कहा जाता है। किसी बेनीफिसीयरी की आय के सम्बन्ध में टैक्स गार्जियन आदि पर लगाया जाता है। यह टैक्स वास्तव में मिली हुई आय पर नहीं किन्तु जो आय बेनीफिसीयरी की ओर से गार्जियन आदि को पाने का हक रहा हो उसके सम्बन्ध में लगाया जाता है।

टैक्स ठीक उसी प्रकार से और उतना ही लगाया और वसूल किया जाता है जिस प्रकार से और जितना कि सीधा बेनीफिसीयरी पर लगता और उससे वसूल किया जा सकता।

यदि बेनीफिसीयरी ब्रिटिश भारत के बाहर रहनेवाला शख्स हो तो [illegible] टैक्स [illegible] (Direct) उस पर ही लगाया और वसूल किया जा सकता है।　　　　—धारा : ४०

२—कोर्ट ऑफ वार्डस आदि का दायित्व

४१—(१) उस आमदनी के सम्बन्ध मे, जिसको कि किसी शख्स की ओर से कोट ऑफ वार्ड (Court of Ward), एडमिनिस्ट्रेटर्स जनरल (Administrators—General), ऑफिसियल ट्रस्टी, या कोर्ट द्वारा या उसके हुक्म से नियुक्त किसी रिसीवर (Receiver) या मैनेजर या ट्रस्ट डीड के अनुसार नियुक्त किसी ट्रस्टी या ट्रस्टियों को पाने का हक है, टैक्स कोर्ट ऑफ वार्ड आदि पर लगा कर उनसे अदा किया जायगा ।

टैक्स ठीक उसी प्रकार से और उतना ही लगाया और अदाई किया जाता है जिस प्रकार से और जितना कि सीधा वेनीफिसीयरी पर लगाया और उससे अदा किया जा सकता है ।

जब कि ऐसी आमदनी किसी एक शख्स के लिए (on behalf) प्राप्त नहीं की जाती या जिनकी तरफ से (on behalf) वह प्राप्त की जाती है उन व्यक्तियों के हिस्से अनिश्चित होते हैं या मालूम नहीं होते तो टैक्स ऊंचे-से-ऊंचे दर से लगा कर वसूल की जाती है ।

यदि ट्रस्ट की आमदनी का एक अंश मात्र ही ऐसा हो कि जिस पर इस एक्ट के अनुसार टैक्स लगाया जा सके तो ट्रस्ट से जितनी आमदनी वेनीफिसीयरी को मिली होगी उसके, निम्न फोरमूले के अनुसार निकाले गये, भाग के सम्बन्ध में ही टैक्स लगेगा ।

$$\text{वेनीफिसीयरी द्वारा प्राप्त आमदनी का वह हिस्सा जिस पर टैक्स कूती जायगी} = \frac{\text{ट्रस्ट की कुल आय जिस पर टैक्स लगायी जा सक्ती है} \times \text{ट्रस्ट की आय का अश जो कि वेनीफिसीयरी को मिला है}}{\text{ट्रस्ट की पूरी आमदनी}}$$

वृटिश भारत मे निवास नहीं करनेवाले शख्स से टैक्स धारा १८ के अनुसार उद्गम स्थान (at source) में ही कटवा कर वसूल किया जा सकता है।

यदि ऐसे शख्स में टैक्स की कोई रकम वाकी होगी तो उपरोक्त तरीके के उपरान्त उसकी एसेट, जो कि वृटिश भारत मे होगी या कभी यहाँ आयगी उससे काटी जा सकेगी।

कोई भी एजेण्ट या ऐसा शख्स जिसको कि यह अन्देशा हो कि वह एजेण्ट माना जा सकता है तो भारत मे निवास नहीं करने वाले किसी शख्स को रुपये देते समय उनमे से उतनी रकम टैक्स स्वरूप अपने पास रख सकता है जितनी कि वह अनुमान से इस धारा के अनुसार देने का अपने को दायक समझे।

इस प्रकार काटी जाती हुई रकम को लेकर यदि एजेण्ट और नन् रेजिडेण्ट शख्स मे मतभेद हो तो उस हालत मे कितने रुपये काटना—इस सम्बन्ध मे इन्कम टैक्स ऑफिसर से सार्टीफिकेट ली जा सकती है। और इस प्रकार प्राप्त की हुई सार्टीफिकेट टैक्स काट रखने के लिए अधिकार-पत्र समझी जायगी।

वाद मे नन् रेजिडेण्ट पर टैक्स लगायी जायगी तो एजेण्ट या उस शख्स से जिसने कि उपरोक्त रूप से रुपये काट कर रक्खे हैं उतने ही रुपये अदा किए जा सकेंगे जितने की सार्टीफिकेट के अनुसार उसने काटे होंगे। यदि एजेण्ट या उस शख्स के पास उस समय नन्-रेजिडेण्ट की और कोई एसेट होगी तो एसेट की तादाद तक और रुपये भी उससे काटे जा सकेंगे।

(२) यदि एक नन् रेसिडेण्ट शख्स या वृटिश भारत मे साधारण तौर पर नहीं वसनेवाले शख्स का वृटिश भारत मे वसने-वाले किसी शख्स के साथ कारवार होगा और इन्कम टैक्स ऑफिसर को ऐसा दिखाई देगा कि इन शख्सो मे नजदीक सम्बन्ध

होने से कारबार ऐसे ढंग से चलाया (किया) जाता है कि भारत में रहनेवाले शख्स को, नन-रेसिडेण्ट या बृटिश भारत में साधारण तौर पर नहीं रहनेवाले शख्स के साथ कारबार होने से, कोई मुनाफा नहीं होता या साधारण रूप से जितना नफा होने की सम्भावना की जा सकती है उतना नहीं होता तो उस कारबार से जो नफा हुआ होगा या जो उचित रूप से हुआ माना जायगा उसके सम्बन्ध में टैक्स बृटिश भारत में रहनेवाले शख्स के नाम से लगायी जायगी और वही इस एक्ट के प्रयोजन के लिए टैक्स के विषय में एसेसी माना जायगा।

(३) उस कारबार के नफे का, जिसके सब कार्य बृटिश भारत में नहीं किए जाते, उतना ही अंश बृटिश भारत में उपार्जन या अर्जित हुआ समझा जायगा जितना कि उचित तौर पर बृटिश भारत में किए गए कार्यों के अंश से सम्बन्धित किया जा सकेगा।

—धारा : ४२

४—नन रेसिडेण्ट का एजेण्ट कौन

यदि साधारण तौर पर कारवार करते हुए वृटिश भारत मे रहते हुए किसी दलाल के मार्फत ऐसी परिस्थिति मे सौदे (transaction) होते हों कि उन सौदों के सम्बन्ध वह दलाल सीधा नन् रेसिडेण्ट प्रिन्सिपल के साथ या उसकी तरफ से काम नहीं करता परन्तु एक ऐसे नन्-रेसिडेण्ट दलाल के साथ या उसकी ओर से काम करता है, जो कि साधारण तौर पर कारवार के ढंग पर ये सौदे करता है परन्तु प्रिन्सिपल नहीं है तो उस परिस्थिति मे इस धारा के लिए प्रथमोक्त दलाल को ऐसे सौदों के सम्बन्ध मे नन् रेसिडेण्ट शख्स का एजेण्ट नहीं माना जायगा।

कोई भी शख्स किसी नन् रेजिडेण्ट का एजेण्ट नहीं माना जायगा जब तक कि उसके दायित्त्व के सम्बन्ध में उसको अपने उज्र रखने का मौका नहीं दिया गया होगा।

एजेण्ट कौन है —यह समझाने के उदाहरण दिए जाते हैं :—

(१) व विलायत से अपना माल अ को वृटिश भारत मे वेचने के लिए भेजता है। अ को नौकरी या कमीशन मिलती है। अ, व का एजेण्ट कहलायगा।

(२) व विलायत से अपना माल अपनी जोखम पर वृटिश भारत में अ को वेचने के लिए भेजता है। उधार की जोखम व की है। अ कमीशन पाता है। अ, व का एजेन्ट है।

(३) वृटिश हिन्द का रईस अ विलायत से व के पास से माल मोल लेता है और वह माल अ अपनी मर्जी मे आवे उस भाव से वेचता है। डूवत की जोखम व की नहीं है। अ, व का एजेण्ट नहीं है। कन्साइनमेण्ट के धन्धे मे एजेन्सी का सवाल उपस्थित नहीं होता।

—धारा : ४३

होने से कारबार ऐसे ढंग से चलाया (किया) जाता है कि भारत में रहनेवाले शख्स को, नन-रेसिडेण्ट या बृटिश भारत में साधारण तौर पर नहीं रहनेवाले शख्स के साथ कारबार होने से, कोई मुनाफा नहीं होता या साधारण रूप से जितना नफा होने की सम्भावना की जा सकती है उतना नहीं होता तो उस कारबार से जो नफा हुआ होगा या जो उचित रूप से हुआ माना जायगा उसके सम्बन्ध में टैक्स बृटिश भारत में रहनेवाले शख्स के नाम से लगायी जायगी और वही इस एक्ट के प्रयोजन के लिए टैक्स के विषय में एसेसी माना जायगा।

(३) उस कारबार के नफे का, जिसके सब कार्य बृटिश भारत में नहीं किए जाते, उतना ही अंश बृटिश भारत में उपार्जन या अर्जित हुआ समझा जायगा जितना कि उचित तौर पर बृटिश भारत में किए गए कार्यों के अंश से सम्बन्धित किया जा सकेगा।

—धारा : ४२.

४—नन रेसिडेण्ट का एजेन्ट कौन

४३. इस कानून के लिए नन रेसिडेण्ट की ओर से निम्नलिखित [illegible] एजेन्ट [illegible] की इन्कम टैक्स आफिसर द्वारा [illegible] का नोटिस दे दिया गया हो :

(१) नन रेसिडेण्ट द्वारा या उसकी तरफ से नियुक्त [illegible]

(२) नन रेसिडेण्ट के साथ जिसका कोई व्यापारिक [illegible],

(३) [illegible] रेसिडेण्ट को जिसके मार्फत कोई आमदनी, मुनाफा [illegible] हुआ होगा वह शख्स।

यदि साधारण तौर पर कारवार करते हुए बृटिश भारत में रहते हुए किसी दलाल के मार्फत ऐसी परिस्थिति में सौदे (transaction) होते हों कि उन सौदों के सम्बन्ध वह दलाल सीधा नन् रेसिडेण्ट प्रिन्सिपल के साथ या उसकी तरफ से काम नहीं करता परन्तु एक ऐसे नन्-रेसिडेण्ट दलाल के साथ या उसकी ओर से काम करता है, जो कि साधारण तौर पर कारवार के ढंग पर ये सौदे करता है परन्तु प्रिन्सिपल नहीं है तो उस परिस्थिति में इस धारा के लिए प्रथमोक्त दलाल को ऐसे सौदों के सम्बन्ध में नन् रेसिडेण्ट शख्स का एजेण्ट नहीं माना जायगा।

कोई भी शख्स किसी नन् रेजिडेण्ट का एजेण्ट नहीं माना जायगा जब तक कि उसके दायित्त्व के सम्बन्ध में उसको अपने [illegible] का मौका नहीं दिया गया होगा।

एजेण्ट कौन है —यह समझाने के उदाहरण दिये जाते हैं:—

(१) ब विलायत से अपना माल अ को बृटिश भारत में बेचने के लिए भेजता है। अ को नौकरी या [illegible] मिलती है। अ, ब का एजेण्ट कहलायगा।

(२) ब विलायत से अपना माल [illegible] बृटिश भारत मे अ को बेचने के लिए भेजता है। [illegible] ब को है। अ कमीशन पाता है। अ, ब का एजेण्ट है।

(३) बृटिश हिन्द का [illegible] विलायत से ब के [illegible] से माल मोल लेता है और वह माल अ अपनी मर्जी से [illegible] उस भाव से बेचता है। दूसरे को [illegible] नहीं है। अ, ब का एजेण्ट नहीं है। कन्साइनमेण्ट के [illegible] का [illegible] नहीं होता।

साधारण विधान लागू नहीं पड़ते। ये खास विधान इस अध्याय मे लिखे जाते है।

यहाँ इतना खयाल रखना जरूरी है कि इन्कम टैक्स ऑफिसर को यदि इस बात का विश्वास हो जाय कि ऐसे शख्स की ओर से कोई एजेन्ट है जिससे बाद के वर्ष में टैक्स अदा किया जा सकेगा तो उस हालत मे ये खास विधान काम मे नहीं लाए जाते।

उस शख्स को जो उपरोक्त रूप से कारबार करता है उसे नीचे की धाराओं मे 'प्रिन्सिपल' कहा गया है।

—धारा : ४४-ए

२—*लाभालाभ की रिटर्न*

४४—बी-(१) बृटिश भारत के किसी बन्दरगाह को छोड़ने के पहले हर जहाज के निरीक्षक (master) को जिस जहाज के प्रति ये खास विधान लागू पड़ते है, एक रिटर्न तैयार कर इन्कम टैक्स ऑफिसर को देगा और इस रिटर्न मे वह दिखायगा कि उस बन्दरगाह मे जहाज पहुंचने के समय से लादे गये माल, मुसाफिरों या जीवित जन्तुओं को ले जाने के भाड़े के सम्बन्ध मे चुकती कितने रुपये प्रिन्सिपल को दिए गये या देने होंगे।

(२) रिटर्न मिलने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर उपधारा (१) के अनुसार जो रकम दिखाई गई होगी उसकी कूँत करेगा। और इसके लिए जो बही-खाते या कागज-पत्र आवश्यक समझेगा वह मंगायगा। इस प्रकार जो रकम कूती जायगी उसका बारहवां हिस्सा उक्त बन्दरगाह से मुसाफिर, जीवित पशु और माल ले जाने के कारण हुआ नफा समझा जायगा।

(३) इस नफे पर इन्कम टैक्स ऑफिसर टैक्स लगायगा। टैक्स का रेट वह होगा जो कि उस समय एक कम्पनी की कुल

अध्याय-५ बी

इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स बचाने के अनुचित उपायों को रोकने के लिए खास विधान

१—आय के हस्तान्तर द्वारा टैक्स बचाना

४४—डी-(१) यदि कोई शख्स अपने एसेट्स [1] को इस प्रकार हस्तान्तरित करे कि उसके परिणाम स्वरूप या तत्सम्बन्धी कार्रवाही के परिणाम स्वरूप ऐसी कोई आमदनी, जिस पर कि उसके हाथ मे टैक्स लग सकता था, किसी अन्य शख्स को, जो कि वृटिश भारत का वासिन्दा न हो या साधारण वासिन्दा न हो, मिलने लगे परन्तु इस प्रकार की आमदनी को उपभोग मे लाने का अधिकार उसी हस्तान्तरित करने वाले शख्स को हो तो यह आमदनी इस एक्ट के प्रयोजन के लिए प्रथम शख्स की ही समझी जायगी।

—धारा : ४४ डी (४)

---

[1] १—यहाँ 'एसेट' शब्द मे जायदाद (property) या किसी प्रकार के अधिकार को गर्भित समझना चाहिए। —धारा : ४४ डी (७) ए

२ हस्तान्तर के सम्बन्ध मे तत्सम्बन्धी कार्यवाही का अर्थ किसी शख्स द्वारा की गई उन कार्रवाहियों को समझना चाहिए जो

(१) एसेट्स हस्तान्तरित किए गये है उनके विषय मे की गई हो,

(२) एसेट्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित एसेट को अनुलक्ष (represent) करते हो, उनके विषय मे की हो,

(३) उपरोक्त एसेट्स द्वारा उत्पन्न आमदनी के विषय मे की जाय,

(४) ऐसे एसेट्स के विषय मे की गई हो जो उपरोक्त एसेट्स द्वारा एकत्रित आमदनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुलक्ष (represent) करती हो।

तत्सम्बन्धी कामों के विपय मे लागू होंगे जो इस सशोधित कानून के शुरू होने के पहले या बाद मे किए गये होंगे।

(५) यदि इस धारा के अनुसार किसी शख्स की समझी हुई आमदनी के सम्बन्ध मे उस पर टैक्स लगा दिया गया होगा और वाद मे वह आमदनी उस शख्स के हाथ मे 'आमदनी के रूप मे या अन्य किसी रूप मे आई होगी, तो वह फिर इस एक्ट के प्रयोजन के लिए उसकी आमदनी की अंग नही मानी जायगी।

—धारा : ४४-डी

२—*सिक्योरिटियों की लेवा वेची द्वारा टैक्स वचाना*

४४-इ—(१) यदि जमानतों का मालिक (owner of any securities) जमानतों को विक्री करने या हस्तान्तरित करने को राजी हो और उसी या सलग्न अग्रीमेंट के द्वारा

(ए) जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से लेने को राजी हो, या

(वी) प्राप्त ऐच्छिक हक को वाद मे उन जमानतो को वापिस खरीदने या लेने के लिए काम मे लाये और इसका फल यह हो कि इन जमानतों के विपय मे जो व्याज मिलने को था वह किसी अन्य शख्स को मिले तो इस एक्ट के प्रयोजन के लिए यह व्याज जमानत के मालिक की आमदनी समझी जायगी, किसी दूसरे शख्स की आमदनी नही।

(२) 'जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से लेने' के अन्तर्गत वैसी ही अन्य जमानतो को वापिस खरीदने या फिर से लेने का अर्थ समझ लेना चाहिए।

यदि वैसी ही जमानते वापिस खरीदी जायगी या ली

(३) इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित सूचना देकर, किसी भी शख्स को, नोटिस मे दी हुई मियाद के अन्दर (यह मियाद २८ दिन से कम न होगी), उन सब जमानतों के बारे मे जिनका कि, नोटिस मे उक्त समय, वह मालिक था, वे सब विवरण पेश करने का आदेश कर सकता है जो कि वह इस उपधारा के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे और इस बात को खोजने के लिए आवश्यक समझे कि उन सब जमानतों के व्याज के बावत मे टैक्स दिया गया है या नहीं। यदि वह शख्स बिना किसी वाजिब कारण के नोटिस का पालन नही करेगा तो वह अधिक-से-अधिक ५००) के दण्ड का भागी होगा। इस प्रकार दण्ड करने के उपरान्त भी यदि वह अवज्ञा करेगा तो जितने दिन अवज्ञा करेगा उतने दिनो तक प्रत्येक दिन उपरोक्त दण्ड का भागी होगा।

—धारा : ४४ ई

२—स-डिविडेण्ड सिक्योरिटियों की खरीद बिक्री के द्वारा टैक्स को बचाना

४४-एफ—(१) इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित सूचना देकर किसी भी शख्स को, नोटिस मे दी हुई मियाद के अन्दर (यह मियाद २८ दिन से कम न होगी) तथा निर्दिष्ट फार्म पर किसी भी जमानत के विषय मे जिसमे कि नोटिस मे उक्त समय के बीच किसी प्रकार का बेनीफिसीयल हक रहा होगा और जिसके विषय मे, उक्त समय मे, उसको कोई आमदनी नहीं मिली होगी, या उसको जो आमदनी मिली होगी वह उस रकम से कम होगी जितनी कि आमदनी होती अगर इन जमानतों की आमदनी रोज-रोज मिलती और उसी प्रकार से बांटी जाती (apportioned accordingly) तो एक विवरण पेश

मालिक की जिम्मेवारी उससे अधिक नहीं होगी जितनी कि उन्हीं जमानतों को वापिस खरीदने या लेने से होती।

(३) यदि कोई शख्स, जिसका कारबार सम्पूर्णतः या अंश रूप से जमानतों की खरीद-बिक्री है, कोई जमानत खरीदने या लेने को राजी हो और उसी या सलग्न अग्रीमेंट द्वारा—

(ए) जमानतों को वापिस बिक्री कर देने या वापिस हस्तान्तरित कर देने को राजी हो, या

(बी) प्राप्त ऐच्छिक हक को बाद में उन जमानतों को वापिस बेचने या हस्तान्तरित करने के काम में लाने और उसका फल यह हो कि जो ब्याज जमानतों के सम्बन्ध में मिलने को हो वह उसे मिले तो इस एक्ट के प्रयोजन के लिए उस कारबार के नफे या नुकसान का कूत करते समय इस सौदे को हिसाब में नहीं लिया जायगा।

(४) उपधारा (३) में जमानतें वापिस बिक्री करने या वापिस हस्तान्तरित करने के अन्तर्गत वैसी ही अन्य जमानतों को वापिस बेचने या हस्तान्तरित करने का अर्थ समझ लेना चाहिए। [illegible] किसी आवश्यक सुधार के अधीन होगा।

(५) इस धारा में (ए) 'ब्याज' शब्द में 'डिविडेन्ड'

(२) गत तीन वर्षों मे किसी वर्ष मे इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स को इस प्रकार नही बचाया गया या टाला गया था।

(३) धारा ४४ ई के विधान उस आमदनी के सम्बन्ध मे लागू कर दिए गये हों तो उस हालत मे यह धारा लागू नहीं होगी।

(४) यदि कोई शख्स इस धारा के अनुसार बयान या विवरण न दे या इन्कम टैक्स ऑफिसर इस धारा के अनुसार पेश किए हुए बयान या विवरण से सन्तुष्ट नही हो, तो उस हालत मे इन्कम टैक्स ऑफिसर उस आमदनी का अन्दाज कर सकता है जो कि इस धारा के पूर्वोक्त विधान के अनुसार इन्कम टैक्स के प्रयोजन के लिए उस शख्स की कुल आमदनी का अंग मानी जाने को हो।

(५) यदि कोई शख्स बिना वाजिब कारण के इस धारा के अनुसार मागे गये कोई बयान या सब विवरण पेश नही करेगा तो वह दण्ड का भागी होगा। यह दण्ड अधिक-से-अधिक ५००) रुपये तक का हो सकेगा। यदि उपरोक्त दण्ड लगाने पर भी विवरण आदि नही पेश करने की गल्ती जारी रहेगी तो उपरोक्त दण्ड की रकम के उपरात जितने दिन वह जारी रहेगी प्रत्येक दिन के लिए वह उपरोक्त रूप से दण्ड का भागी होगा।

(६) इस धारा के प्रयोजन के लिए 'जमानत' शब्द मे स्टॉक और शेयर भी गर्भित है।

—धारा: ४४ एफ

करने का आदेश कर सकता है और ऐसे शख्स को, चाहे सम्पर्क रखते हुए वर्ष या वर्षों के लिए उसकी कुल आमदनी पर टैक्स या सुपर टैक्स लगाया गया हो या न लगाया गया हो, मांगे गये बयान या विवरण पेश करने होंगे।

(७) यदि ऐसे किसी शख्स की जमानतों के सम्बन्ध में सब परिस्थितियों को (जिसमें बिक्री, खरीद, कारबार, करारनामा, बन्दोबस्त, हस्तान्तर या जमानतों के सम्बन्ध में कोई अन्य कार्यवाही शामिल है) देखते हुए इन्कम टैक्स आफिसर को यह दिखाई दे कि उस शख्स ने इस प्रकार किसी वर्ष के लिए जो टैक्स या सुपर टैक्स उस को इन जमानतों की आमदनी के सम्बन्ध में देनी होती, अगर वह आमदनी प्रति दिन उत्पन्न हुई मानी जाती और इसी अनुसार बांटी जाती और इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स के लिए सब शख्सों की आमदनी का अंश मानी जाती, उसकी रकम की दृष्टि से २० प्रति शत से अधिक टैक्स को टाल दिया है तो इस उपनियम में [illegible] जमानतें [illegible] जमानत मानी जायेंगी जिन पर धारा (३) लागू होती है।

(२) गत तीन वर्षों मे किसी वर्ष मे इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स को इस प्रकार नही बचाया गया या टाला गया था।

(३) धारा ४४ ई के विधान उस आमदनी के सम्बन्ध मे लागू कर दिए गये हों तो उस हालत में यह धारा लागू नही होगी।

(४) यदि कोई शख्स इस धारा के अनुसार बयान या विवरण न दे या इन्कम टैक्स ऑफिसर इस धारा के अनुसार पेश किए हुए बयान या विवरण से सन्तुष्ट नही हो, तो उस हालत में इन्कम टैक्स ऑफिसर उस आमदनी का अन्दाज कर सकता है जो कि इस धारा के पूर्वोक्त विधान के अनुसार इन्कम टैक्स के प्रयोजन के लिए उस शख्स की कुल आमदनी का अंग मानी जाने को हो।

(५) यदि कोई शख्स विना वाजिव कारण के इस धारा के अनुसार मागे गये कोई बयान या सब विवरण पेश नही करेगा तो वह दण्ड का भागी होगा। यह दण्ड अधिक-से-अधिक ५००) रुपये तक का हो सकेगा। यदि उपरोक्त दण्ड लगाने पर भी विवरण आदि नही पेश करने की गल्ती जारी रहेगी तो उपरोक्त दण्ड की रकम के उपरात जितने दिन वह जारी रहेगी प्रत्येक दिन के लिए वह उपरोक्त रूप से दण्ड का भागी होगा।

(६) इस धारा के प्रयोजन के लिए 'जमानत' शब्द मे स्टॉक और शेयर भी गर्भित है।

—धाराः ४४ एफ

करने का आदेश कर सकता है और ऐसे शख्स को, चाहे सम्पर्क रखते हुए वर्ष या वर्षों के लिए उसकी कुल आमदनी पर टैक्स या सुपर टैक्स लगाया गया हो या न लगाया गया हो, मांगे गये बयान या [illegible] पेश करने होंगे।

(२) यदि ऐसे किसी शख्स की जमानतों के सम्बन्ध में सब परिस्थितियों को (जिसमें बिक्री, खरीद, कारबार, [illegible] बन्दोबस्त, हस्तान्तर या जमानतों के सम्बन्ध में कोई अन्य कार्यवाही शामिल है) देखते हुए इन्कम टैक्स आफिसर को यह दिखाई दे कि उस शख्स ने इस प्रकार किसी वर्ष के लिए जो टैक्स या सुपर टैक्स उसको इन जमानतों की आमदनी के सम्बन्ध में देनी होती, अगर वह आमदनी प्रति दिन उत्पन्न हुई मानी जाती और उसी अनुसार बांटी जाती और इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स के लिए [illegible] की आमदनी का अंग मानी जाती, उसकी रकम की दृष्टि से २० प्रति शत से अधिक टैक्स को टाल दिया है तो उस अवस्था में [illegible] जमानतें मानी जायेंगी जिन पर धारा (२) [illegible] ।

(२) गत तीन वर्षों में किसी वर्ष मे इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स को इस प्रकार नही बचाया गया या टाला गया था।

(३) धारा ४४ ई के विधान उस आमदनी के सम्बन्ध मे लागू कर दिए गये हों तो उस हालत मे यह धारा लागू नही होगी।

(४) यदि कोई शख्स इस धारा के अनुसार बयान या विवरण न दे या इन्कम टैक्स ऑफिसर इस धारा के अनुसार पेश किए हुए बयान या विवरण से सन्तुष्ट नही हो, तो उस हालत में इन्कम टैक्स ऑफिसर उस आमदनी का अन्दाज कर सकता है जो कि इस धारा के पूर्वोक्त विधान के अनुसार इन्कम टैक्स के प्रयोजन के लिए उस शख्स की कुल आमदनी का अंग मानी जाने को हो।

(५) यदि कोई शख्स बिना वाजिब कारण के इस धारा के अनुसार मागे गये कोई बयान या सब विवरण पेश नहीं करेगा तो वह दण्ड का भागी होगा। यह दण्ड अधिक-से-अधिक ५००) रुपये तक का हो सकेगा। यदि उपरोक्त दण्ड लगाने पर भी विवरण आदि नही पेश करने की गलती जारी रहेगी तो उपरोक्त दण्ड की रकम के उपरात जितने दिन वह जारी रहेगी प्रत्येक दिन के लिए वह उपरोक्त रूप से दण्ड का भागी होगा।

(६) इस धारा के प्रयोजन के लिए 'जमानत' शब्द मे स्टॉक और शेयर भी गर्भित है।

—धारा. ४४ एफ

अध्याय-९

टैक्स और दण्ड की वसूली

१–टैक्स कब देना होगा ?

४९—धारा २३ ए की उपधारा (३) या धारा २९ के अनुसार डिमाण्ड नोटिस में जो रकम देने का लिखा होगा वह रकम समय के अन्दर, नोटिस में सूचित किए हुए स्थान और शख्स को देना होगा।

यदि नोटिस में कोई समय निर्दिष्ट नहीं होगा तो नोटिस जारी की तारीख से दूसरे महीने के पहिले दिन या उसके पूर्व ही रकम जमा कर देनी होगी।

धारा ३१ या धारा ३२ या धारा ३३ के हुक्म के अनुसार जो रकम देनी होगी उसके सम्बन्ध में उपरोक्त नियम लागू होंगे।

जो शख्स इस प्रकार टैक्स जमा देने में गलती करेगा वह डीफाल्टर ([illegible]) समझा जायगा।

यदि किसी [illegible] ने धारा ३० के अनुसार अपील की होगी तो [illegible] अपील का [illegible]

के सम्बन्ध में बाकी होगी जो उपरोक्त कानूनी मनाही या रुकावट के कारण बृटिश भारत मे नहीं लाई जा सकती हो। परन्तु उपरोक्त कानूनी मनाही या रुकावट न हटे तब तक ही यह बात लागू समझनी चाहिये।

खुलासा: इस धारा के प्रयोजन के लिए आमदनी दो परिस्थितियों मे भारत में लाई गई समझी जायगी:—

(१) यदि वह बृटिश भारत के बाहर एसेसी द्वारा किए गए किसी वास्तविक खर्च के प्रयोजन मे व्यय कर दी गई होगी या व्यय की जा सकती थी, उदाहरण स्वरूप बृटिश भारत मे न लाकर आय जिस देश मे हुई हो वहीं खर्च कर देना।

(२) यदि वह बृटिश भारत मे किसी रूप में लाई गई हो फिर चाहे वह मूल धन के रूप मे परिवर्तित की गई हो या नहीं।

—धारा ४५

२—कर अदाई की विधि और समय

४६—(१) यदि कोई एसेसी इन्कम टैक्स जमा न देने के सम्बन्ध मे अपराधी हो (in default) तो इन्कम टैक्स ऑफिसर की इच्छा पर है कि वह आदेश दे कि जो रुपये बाकी है उनके उपरान्त अमुक रकम दण्ड स्वरूप और अदा की जाय। इस प्रकार किए हुए दण्ड की रकम बाकी रुपयों की तादाद से अधिक नहीं होगी।

(१-ए) इन्कम टैक्स ऑफिसर बाकी रुपयो से कम रकम वसूल करने का आदेश भी कर सकता है;

और यदि कोई निरन्तर दोष करता जाय तो इन्कम टैक्स ऑफिसर कम की हुई रकम को समय-समय पर बढ़ा भी सकता है।

परन्तु वह सब मिला कर बाकी रुपयों से अधिक अदा करने का हुक्म नहीं कर सकता।

के सम्बन्ध मे बाकी होगी जो उपरोक्त कानूनी मनाही या रुकावट के कारण बृटिश भारत मे नहीं लाई जा सकती हो। परन्तु उपरोक्त कानूनी मनाही या रुकावट न हटे तब तक ही यह बात लागू समझनी चाहिये।

खुलासा: इस धारा के प्रयोजन के लिए आमदनी दो परिस्थितियों में भारत मे लाई गई समझी जायगी :—

(१) यदि वह बृटिश भारत के बाहर एसेसी द्वारा किए गए किसी वास्तविक खर्च के प्रयोजन मे व्यय कर दी गई होगी या व्यय की जा सकती थी, उदाहरण स्वरूप बृटिश भारत मे न लाकर आय जिस देश मे हुई हो वही खर्च कर देना।

(२) यदि वह बृटिश भारत मे किसी रूप मे लाई गई हो फिर चाहे वह मूल धन के रूप मे परिवर्तित की गई हो या नहीं।

—धारा: ४५

२—कर अदाई की विधि और समय

४६—(१) यदि कोई एसेसी इन्कम टैक्स जमा न देने के सम्बन्ध मे अपराधी हो (in default) तो इन्कम टैक्स ऑफिसर की इच्छा पर है कि वह आदेश दे कि जो रुपये बाकी है उनके उपरान्त अमुक रकम दण्ड स्वरूप और अदा की जाय। इस प्रकार किए हुए दण्ड की रकम बाकी रुपयों की तादाद से अधिक नहीं होगी।

(१-ए) इन्कम टैक्स ऑफिसर बाकी रुपयों से कम रकम वसूल करने का आदेश भी कर सकता है;

और यदि कोई निरन्तर दोष करता जाय तो इन्कम टैक्स ऑफिसर कम की हुई रकम को समय-समय पर बढ़ा भी सकता है।

परन्तु वह सब मिला कर बाकी रुपयों से अधिक अदा करने का हुक्म नहीं कर सकता।

इस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और इस प्रकार काटी हुई रकम केन्द्रीय सरकार के नाम जमा करा देनी होगी या केन्द्रीय बोर्ड ऑफ रेवीन्यू जिस तरह आदेश करेगा उस तरह देनी होगी।

(६) यदि गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, १६३५ के अनुसार किसी क्षेत्र में टैक्स अदाई करने का भार प्रान्तीय सरकार को दे दिया गया होगा तो प्रान्तीय सरकार उस क्षेत्र या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में यह आदेश कर सकती है कि उस क्षेत्र में इन्कम टैक्स किसी म्युनिसिपल टैक्स या लोकल रेट के साथ उसी व्यक्ति से और उसी तरह से वसूल किया जायगा जिस तरह कि म्युनिसिपल टैक्स या लोकल रेट वसूल किया जाता है।

(७) इस एक्ट के अनुसार किसी भी रकम की वसूली के लिए उस आर्थिक वर्ष के, जिसमें कि इस एक्ट के अनुसार कोई डिमाण्ड की गई होगी, अन्तिम दिन से एक वर्ष समाप्त होने के बाद कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकेगी। परन्तु धारा ४२ (१) या धारा ४५ के अपवाद के विधान के अनुसार यह कार्रवाही बाद में भी की जा सकेगी।

—धाराः ४६

३—दण्ड की अदाई

४७—दण्ड स्वरूप जो रकम लगाई जायगी वह बाकी टैक्स की वसूली के सम्बन्ध में जो नियम इस अध्याय में दिए हैं उन्हीं के अनुसार वसूल की जायगी।

—धाराः ४७

---

१. दण्ड की यह रकम धारा २५ (२), २८, ४४-ई (३), ४४ एफ (५), या ४६ (१) के अनुसार लगाई जा सकती है।

ता० १-४-१९३९ से शुरू होनेवाले एसेसमेंट वर्ष से इन्कम टैक्स तथा सुपर टैक्स के नए दर अमल में आएँगे परन्तु वेतन, सिक्योरिटि के ब्याज तथा डिविडेंड की आमदनी पर एक वर्ष के लिए पुराना दर ही लागू पड़ेगा।

(४) जो अपील या उजर अन्य तरह से रद्द है वह इस धारा के द्वारा दुरुस्त नहीं होगा; न जो कर बाध दिया गया है या कोई बात अन्तिम रूप से तय हो चुकी है उसे ही रिवीजन करने का अधिकार आयगा, न किसी ऑफिसर को अपने किए हुए निर्णय को जिसकी अपील या रिवीजन हो सकती है दुहराने करने का अधिकार आयगा अथवा न इस एक्ट में अन्यत्र किसी रिलीफ को देने का साफ विधान हो तो उससे भिन्न या उससे अधिक रिलीफ पाने का ही हक होगा अथवा न किसी को इस बात का हक होगा कि वह उस टैक्स के बाबत में रिफण्ड पाय जो टैक्स की इस संशोधित कानून के पहले देने का है और जिसके बाबत में रिफण्ड पाने का हकदार इस संशोधित कानून के पास हुए बिना वह न था।

—धारा: ४८

२—*रिफण्ड की दरखास्त किस तरह की जाती है*

४९—रिफण्ड की अरजी जहाँ इन्कम टैक्स दिया जाता हो उस वार्ड के इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास करनी होती है। यदि अरजी करने वाला इन्कम टैक्स नहीं देता हो तो वह जहाँ रहता है उस वार्ड के इन्कम टैक्स ऑफिसर को अरजी करनी होती है।

जो आसामी ब्रृटिश भारत के बाहर रहता हो, उसको "नन—रेजिडेंट्स रिफण्डस सर्कल" के ऑफिसर के पास अरजी करनी होगी। रिफण्ड की दरखास्त निर्धारित फोर्म और रीति से करनी होगी। अरजी का फोर्म इन्कम टैक्स ऑफिसर से प्राप्त हो सकेगा। अरजी

अध्याय=७

रिफण्ड

१—रिफण्ड किस हालत में मिलेगा और कौन उसे पाने का हकदार होगा

४८—(१) कोई भी शख्स, हिन्दू अविभक्त परिवार, कम्पनी, स्थानीय संस्था, फर्म अथवा शख्सों का अन्य मण्डल अथवा फर्म का कोई भागीदार, अथवा मण्डल का कोई सदस्य इन्कम टैक्स ऑफिसर या अन्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को इस बात से विश्वास करा देगा कि उसके द्वारा दी हुई या उसकी ओर से दी हुई या दी हुई समझी गयी टैक्स उसकी आमदनी पर होने वाली इन्कम टैक्स की रकम से अधिक है तो वह इस अधिक रकम को फिरता पाने का अधिकारी होगा।

(२) अपील अथवा रिवीजन की सुनवाई करते हुए एपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर अथवा कमिश्नर को विश्वास हो कि किसी को इतना रिफण्ड पाने का अधिकार है, या उसे नोटिस दी हुई या मानी गई हुई टैक्स इन्कम टैक्स आफिसर द्वारा रिफण्ड किया जाए।

ता० १-४-१९३९ से शुरू होनेवाले एसेसमेंट वर्ष से इन्कम टैक्स तथा सुपर टैक्स के नए दर अमल में आएंगे परन्तु वेतन, सिक्योरिटी के व्याज तथा डिविडेंड की आमदनी पर एक वर्ष के लिए पुराना दर ही लागू पड़ेगा।

(४) जो अपील या उजर अन्य तरह से रद्द है वह इस धारा के द्वारा दुरुस्त नहीं होगा; न जो कर बाध दिया गया है या कोई बात अन्तिम रूप से तय हो चुकी है उसे ही रिवीजन करने का अधिकार आयगा, न किसी ऑफिसर को अपने किए हुए निर्णय को जिसकी अपील या रिवीजन हो सकती है दुहराने करने का अधिकार आयगा, अथवा न इस एक्ट में अन्यत्र किसी रिलीफ को देने का साफ विधान हो तो उससे भिन्न या उससे अधिक रिलीफ पाने का ही हक होगा, अथवा न किसी को इस बात का हक होगा कि वह उस टैक्स के बाबत में रिफण्ड पाय जो टैक्स की इस संशोधित कानून के पहले देने का है और जिसके बाबत में रिफण्ड पाने का हकदार इस संशोधित कानून के पास हुए बिना वह न था।

—धारा. ४८

२—*रिफण्ड की दरखास्त किस तरह की जाती है*

४९—रिफण्ड की अरजी जहां इन्कम टैक्स दिया जाता हो उस वार्ड के इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास करनी होती है। यदि अरजी करने वाला इन्कम टैक्स नहीं देता हो तो वह जहां रहता है उस वार्ड के इन्कम टैक्स ऑफिसर को अरजी करनी होती है।

जो आसामी बृटिश भारत के बाहर रहता हो, उसको "नन—रेजिडेंट्स रिफण्डस सर्कल" के ऑफिसर के पास अरजी करनी होगी। रिफण्ड की दरखास्त निर्धारित फोर्म और रीति से करनी होगी। अरजी का फोर्म इन्कम टैक्स ऑफिसर से प्राप्त हो सकेगा। अरजी

के साथ रिटर्न भरना होगा और उसमें गत वर्ष में कर लगने योग्य साधनों से जो आय मिली होगी वह दिखानी होगी।

रिटर्न भरती करते समय ब्रिटिश भारत में हुई तथा ब्रिटिश भारत के बाहर हुई सब आमदनी दिखानी पड़ेगी। ऐसे शख्स की ब्रिटिश भारत के बाहर हुई आमदनी पर कर नहीं लगाया जाता, परन्तु उसकी कुल आमदनी पर क्या दर लागू पड़ता है, और किस दर से रिफण्ड देना चाहिए यह मालूम करने के लिए ही उसको ब्रिटिश भारत के बाहर हुई आमदनी बतानी पड़ती है।

ब्रिटिश भारत के बाहर रहनेवाला शख्स जो ब्रिटिश रैयत नहीं होगा अथवा भारत अथवा बर्मा की कोई स्टेट का रैयत नहीं होगा तो ऐसे शख्स को किसी भी प्रकार का रिफण्ड नहीं मिल सकता।

डिविडेंड तथा सिक्योरिटी के ब्याज की रकम में से जब टैक्स वसूल कर लिया जाता है, तब इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स की बाबत कट जाने का सार्टिफिकेट दी जाती है। रिफण्ड की अर्जी [illegible] ऐसे सार्टिफिकेट को अर्जी के साथ शामिल करना होता है।

४—मृतक आदि शख्स की तरफ से रिफण्ड पाने का हक किसको

४६-बी—मृत्यु पाए अथवा कानून अनुसार किसी प्रकार अशक्त हुए आसामी अथवा किसी दिवालिए की तरफ से उसका एकजीक्युटर, एडमिनिस्ट्रेटर अथवा कोई अन्य प्रतिनिधि अथवा ट्रस्टी इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स का रिफण्ड ले सकेगा।

—धाराः ४६ एफ

४६-सी—कर से अमुक्त जमानतों के व्याज पर अधिक-से-अधिक दर से इन्कम टैक्स काट ली जाती है। परन्तु यदि किसी शख्स की आमदनी हर वर्ष एक सरखी और स्थिर रहती हो, और उसमे फेरफार नहीं होता हो, तो इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास अरजी करने से वह एक सार्टीफिकेट देगा, जिसके बल पर, यदि उस शख्स की आमदनी कर योग्य आमदनी जितनी नहीं होगी तो, उसको जमानत का व्याज देते समय उसमें से इन्कम टैक्स काटा नहीं जायगा अथवा यदि उसकी आमदनी कर योग्य आमदनी जितनी होगी तो सार्टीफि-केट में दर्शायी हुई दर से इन्कम टैक्स काट लिया जायगा।

कोई संस्था अथवा फण्ड की आमदनी धर्मादा अथवा सर्व-साधारण के हित के कार्यार्थ लगाने में आती हो तो वैसी आमदनी पर कर नही लिया जायगा। ऐसी कोई आमदनी डिविडेंड अथवा सिक्यो रिटी के व्याज से उपजी हो, और उस पर मूल में (at source) इन्कम टैक्स काटा गया हो तो उस हालत में इन्कम टैक्स का रिफण्ड ऊंचे से ऊंचे दर से दिया जाता है। ऐसी हालत मे हर वर्ष रिफण्ड लेने के वदले इन्कम की माफी की सार्टीफिकेट लेने के लिये इन्कम टैक्स ऑफिसर को अरजी की जा सकती है। इन्कम टैक्स ऑफिसर को सन्तोप होने पर कि अरजी करने वाली संस्था अथवा फण्ड की आमदनी

फक्त धर्मादा अथवा सर्वसाधारण के हित के कार्यार्थ ही लगाई जाती है, वह एक माफी की सार्टीफिकेट देगा, जिसके अनुसार सिक्योरिटी के व्याज पर मूल पर इन्कम टैक्स नहीं काटा जायगा।

पुराने कानून के अनुसार इन्कम टैक्स का रिफण्ड एक ही वर्ष का मिलता था अब वह पांच वर्ष तक का मिल सकेगा। इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स की रिफण्ड की अरजी जो पिछले वर्ष में आमदनी हुई हो अथवा मिली हो उस गत वर्ष के बाद के आर्थिक वर्ष के अन्तिम दिन से ४ वर्ष के अन्दर करनी होगी।

ता० १-४-१९३९ के पहले दी हुई टैक्स के बाबत में रिफण्ड की अरजी पुराने कायदे के अनुसार एक वर्ष के अन्दर करनी होगी।

रिफण्ड की अरजी करने की मुद्दत गिनते समय ध्यान रखना चाहिए कि कम्पनी जिस तारीख को डिविडेंड जाहिर करती है वह तारीख गिनी जाती है। परन्तु जो कोई शेयर होल्डर अपना हिसाब मेरकेंटाइल पद्धति में रखता है, तो जिस दिन वह डिविडेंड मिले वह तारीख गिनी जाती है। यदि इन्कम टैक्स आफिसर कोई कारण से रिफण्ड देने से नाकार करे अथवा रिफण्ड की रकम के सम्बन्ध में कोई [illegible] असिस्टेंट कमिश्नर के पास अपील हो सकती है [illegible] इन्कम टैक्स ऑफिसर के हुक्म मिलने के [illegible] दिन के अन्दर करनी चाहिए।

[illegible]

अध्याय-८

सुपर टैक्स

१—सुपर टैक्स की कूंत

५०—सुपर टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जो अमुक मर्यादा के उपरान्त आमदनी होने पर इन्कम टैक्स के उपरान्त देना पड़ता है। यह टैक्स हरेक शख्स, हिन्दू अविभक्त परिवार, कम्पनी, स्थानीय अधिकारी, बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म, रजिस्ट्री किए हुए फर्म के सिवा अन्य एशोसियेशन, या व्यक्तिगत रूप से फर्म या एसोसियेशन के सदस्यों को देना पड़ता है।

पहले के कानून अनुसार हिन्दू अविभक्तपरिवार को रु० ७५,०००) से उपरान्त आमदनी पर, कम्पनी को ५०,०००) उपरान्त आमदनी पर तथा और सब को ३०,०००) के उपरान्त आमदनी पर सुपर टैक्स देना पडता था परन्तु संशोधित कानून के अनुसार कम्पनी को अपनी सारी आमदनी पर चाहे वह ।) पैसा हो या १,००,०००) और अविभक्त हिन्दू परिवार आदि को रु० २५०००) उपरान्त जो आमदनी होगी उस पर टैक्स देना होगा। सुपर टैक्स के दर अन्यत्र दिए हैं।

—धारा : ५५

२—सुपर टैक्स के लिए कुल आमदनी

५१—इन्कम टैक्स के दर को निश्चित करने के लिए जो कुल आमदनी कूंती जायगी, सुपर टैक्स लगाने के लिए भी वही आमदनी

अध्याय-६

कई प्रकार के सुपर-एनुएशन फण्ड के सम्बन्ध में खास विधान

१—परिभाषाएँ

५३ (ए) जो सुपर एनुएशन फण्ड सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू द्वारा स्वीकृत हो जाता है या होता रहता है उसे अपरूव्ड सुपर-एनुएशन फण्ड कहते हैं। ऐसे फण्ड का कोई हिस्सा भी यदि उपरोक्त स्वरूप से स्वीकृत हुआ होगा तो वह भी अपरूव्ड सुपर-एनुएशन फण्ड कहलायगा।

(बी) इस अध्याय मे स्वामी (Employe1) का अर्थ है :

(क) ऐसा संयुक्त परिवार, कम्पनी, फर्म या शख्सों की अन्य एसोसियेशन, या

(ख) कोई व्यक्ति जो कि ऐसे कारबार, पेशे या धन्धे में लगा हो जिसकी आमदनी पर धारा १० के अनुसार टैक्स लगाया जा सकता हो और जिसके द्वारा अपने या अपने कर्मचारियों (Employees) के लॉभ के लिए सुपरएनुएशन फण्ड चलाया जा रहा हो। कर्मचारी (Employeo) का अर्थ है : वह कर्मचारी जो सुपरएनुएशन फण्ड में भाग ले। परन्तु इस शब्द मे कोई घरू (Personal or domestic) नौकर सामिल नहीं है।

'कन्ट्रीब्युशन' का अर्थ है—ऐसी रकम जो कि किसी कर्मचारी द्वारा या उसकी तरफ से उसके खाते में जमा दी जाय या मालिक अपने

कुल आमदनी समझी जायगी। इन्कम टैक्स के लिए कुल आमदनी जैसे ही निश्चित कर दी जायगी सुपर टैक्स के लिए अपने आप निश्चित हो जायगी।

—धारा : ५६

३—सुपर टैक्स के सम्बन्ध में एक्ट का लागू होना

५२—(१) सुपर टैक्स लगाने, सुपर टैक्स के लिए आमदनी करने, सुपरटैक्स अदा करने आदि के सम्बन्ध में प्रायः वे ही नियम लागू होते हैं जो कि इन्कम टैक्स लगाने आदि के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(२) सुपर टैक्स प्रायः सीधा वसूली से अदा किया जाता है। इन्कमटैक्स से बरी सिक्योरिटिज के व्याज पर तथा डिविडेन्ड पर भी सुपर टैक्स लिया जाता है। सुपर टैक्स का फैसला करते समय जीवन बीमा का रुपया बाद नहीं किया जाता।

अध्याय-९

कई प्रकार के सुपर-एनुएशन फण्ड के सम्बन्ध में खास विधान

१—परिभाषाएँ

५३ (ए) जो सुपर एनुएशन फण्ड सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेविन्यू द्वारा स्वीकृत हो जाता है या होता रहता है उसे अपरूव्ड सुपर-एनुएशन फण्ड कहते है। ऐसे फण्ड का कोई हिस्सा भी यदि उपरोक्त स्वरूप से स्वीकृत हुआ होगा तो वह भी अपरूव्ड सुपर-एनुएशन फण्ड कहलायगा।

(बी) इस अध्याय मे स्वामी (Employer) का अर्थ है :

(क) ऐसा सयुक्त परिवार, कम्पनी, फर्म या शख्सों की अन्य एसोसियेशन, या

(ख) कोई व्यक्ति जो कि ऐसे कारबार, पेशे या धन्धे मे लगा हो जिसकी आमदनी पर धारा १० के अनुसार टैक्स लगाया जा सकता हो और जिसके द्वारा अपने या अपने कर्मचारियों (Employees) के लाभ के लिए सुपरएनुएशन फण्ड चलाया जा रहा हो। कर्मचारी (Employee) का अर्थ है : वह कर्मचारी जो सुपरएनुएशन फण्ड मे भाग ले। परन्तु इस शब्द में कोई खास (Personal or domestic) नौकर शामिल नहीं है।

'कन्ट्रीब्युशन' का अर्थ है—ऐसी रकम जो कि किसी कर्मचारी द्वारा या उसकी तरफ से उसके ...

... नाय या मालिक, अपने

कुल आमदनी समझी जायगी। इनकम टैक्स के लिए कुल आमदनी जैसे ही निश्चित कर दी जायगी सुपर टैक्स के लिए अपने आप निश्चित हो जायगी।

—धारा : ५५

३—सुपर टैक्स के सम्बन्ध में एक्ट का लागू होना

५२—(१) सुपर टैक्स लगाने, सुपर टैक्स के लिए आमदनी कूतने, सुपरटैक्स अदा करने आदि के सम्बन्ध में प्रायः वे ही नियम लागू होते हैं जो कि इनकम टैक्स लगाने आदि के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(२) सुपर टैक्स प्रायः सीधा असेसी से अदा किया जाता है। इनकम टैक्स की तरह सिक्योरिटि के ब्याज पर तथा डिविडेन्ड पर भी सुपर टैक्स लिया जाता है। सुपर टैक्स का फैसला करते समय जीवन बीमा का रुपया बाद नहीं किया जाता।

अध्याय-९

कई प्रकार के सुपर-एनुएशन फण्ड के सम्बन्ध में खास विधान

१—परिभाषाएँ

५३ (ए) जो सुपर एनुएशन फण्ड सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू द्वारा ...वीकृत हो जाता है या होता रहता है उसे अपरूव्ड सुपर-एनुएशन ...फण्ड कहते हैं। ऐसे फण्ड का कोई हिस्सा भी यदि उपरोक्त स्वरूप ...से स्वीकृत हुआ होगा तो वह भी अपरूव्ड सुपर-एनुएशन फण्ड कहलायगा।

(बी) इस अध्याय में स्वामी (Employer) का अर्थ है :

(क) ऐसा संयुक्त परिवार, कम्पनी, फर्म या शख्सों की अन्य एसोसियेशन, या

(ख) कोई व्यक्ति जो कि ऐसे कारबार, पेशे या धन्धे में लगा हो जिसकी आमदनी पर धारा १० के अनुसार टैक्स लगाया जा सकता हो और जिसके द्वारा अपने या अपने कर्मचारियों (Employees) के लाभ के लिए सुपरएनुएशन फण्ड चलाया जा रहा हो। कर्मचारी (Employee) का अर्थ है : वह कर्मचारी जो सुपरएनुएशन फण्ड में भाग ले। परन्तु इस शब्द में कोई घरू (Personal or domestic) नौकर ... है। ... कर्मचारी

'कन्ट्रीब्युशन' का अर्थ है—ऐसी ...

... उसकी तरफ से उसके खाते में

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू यदि उचित समझे तो उस हालत में भी किसी फण्ड या फण्ड के भाग को सुपरएनुएशन फण्ड के रूपमें स्वीकार (Approve) कर सकता है (१) जब कि खास परिस्थितियों में चन्दे को लौटा देने का भी नियम हो। (२) जब कि फण्ड का मुख्य उद्देश्य ऊपर बताया हुआ हो परन्तु वह एक मात्र उद्देश्य न हो, (३) चाहे कारबार अंश रूप से ही बृटिश भारत में किया जाता हो। ऐसा करते हुए सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू उचित समझे उन शर्तों को लगा सकता है।

—धारा : ५८ पी

३—मंजूरी और मंजूरी को हटाना

५५—(१) सन्ट्रेल बोर्ड ऑफ रेविन्यू किसी भी समय अपने द्वारा दी हुई मजूरी को हटा सकता है यदि उसकी राय में मजूरी को चालू रखने की परिस्थिति नहीं रही मालूम दे।

(२) फण्ड के मजूर हो जाने पर बोर्ड लिखित रूप में फण्ड के ट्रस्टियों को इस बात की सूचना देगा और किस तारीख से यह स्वीकृति जारी होगी यह भी लिखेगा। यदि स्वीकृति किन्हीं शर्तों पर दी गई होगी तो उन शर्तों को भी लिखेगा।

(३) मंजूरी हटा लेने पर बोर्ड को लिखित रूप से इसकी सूचना भी देनी होगी—ऐसा करने का कारण तथा नामजूरी कब से लागू होगी यह भी लिख देना होगा।

(४) मंजूरी को हटाने के पहले बोर्ड को फण्ड के ट्रस्टियों को अपनी बातें कहने के लिये उचित सुअवसर देना होगा।

—धारा. ५८ ओ

रुपयों में से उसके खाते में जमा दे। परन्तु ब्याज के तौर जो रकम जमा की जायगी उसे कन्ट्रीब्यूशन नहीं कहा जायगा।

(सी) 'ऑर्डिनरी एन्युअल कन्ट्रीब्यूशन' उस वार्षिक चन्दे को कहते हैं जो कि एक निश्चित रकम में दिया जाय। फण्ड के सदस्यों की संख्या, उनकी कमाई और चन्दे की रेट को देख कर एक निश्चित व्यवस्था से जो वार्षिक चन्दा निर्धारित किया जाता है उसको भी वार्षिक कन्ट्रीब्यूशन कहते हैं।

धारा : ५८ एन

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू यदि उचित समझे तो उस हालत में भी किसी फण्ड या फण्ड के भाग को सुपरएनुएशन फण्ड के रूपमें स्वीकार (Approve) कर सकता है (१) जब कि खास परिस्थितियों में चन्दे को लौटा देने का भी नियम हो। (२) जब कि फण्ड का मुख्य उद्देश्य ऊपर बताया हुआ हो परन्तु वह एक मात्र उद्देश्य न हो, (३) चाहे कारबार अंश रूप से ही बृटिश भारत में किया जाता हो। ऐसा करते हुए सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू उचित समझे उन शर्तों को लगा सकता है।

—धारा : ५८ पी

२—मंजूरी और मजूरी को हटाना

५५—(१) सन्ट्रेल बोर्ड ऑफ रेविन्यू किसी भी समय अपने द्वारा दी हुई मजूरी को हटा सकता है यदि उसकी राय में मजूरी को चालू रखने की परिस्थिति नहीं रही मालूम दे।

(२) फण्ड के मजूर हो जाने पर बोर्ड लिखित रूप में फण्ड के ट्रस्टियों को इस बात की सूचना देगा और किस तारीख से यह स्वीकृति जारी होगी यह भी लिखेगा। यदि स्वीकृति किन्हीं शर्तों पर दी गई होगी तो उन शर्तों को भी लिखेगा।

(३) मजूरी हटा लेने पर बोर्ड को लिखित रूप से इसकी सूचना भी देनी होगी—ऐसा करने का कारण तथा नामंजूरी कब से लागू होगी यह भी लिख देना होगा।

(४) मंजूरी को हटाने के पहले बोर्ड को फण्ड के ट्रस्ट्रियों को अपनी बातें कहने के लिये उचित सुअवसर देना होगा।

—धाराः ५८ ओ

परन्तु जो रकम ऑर्डिनरी एनूअल कन्ट्रीब्युशन नहीं है उसके सम्बन्ध में कर्मचारी को उपरोक्त छूट नहीं दी जायगी।

यदि स्वामी (employer) द्वारा दिया हुआ चन्दा ऑर्डिनरी एनूअल कन्ट्रीब्युशन नहीं होगा तो इस धारा के लिये वह या तो उसी साल का खर्च समझा जायगा जिस साल मे चन्दा दिया गया है या वह सेन्ट्रल बोर्ड उचित समझेगा उतने वर्षों मे बंटा हुआ खर्च समझा जायगा।

—धारा: ५८-आर

६—फिरती दिए हुए चन्दों के सम्बन्ध में नियम

५८—(१) यदि चन्दा (जिसमे ब्याज भी सामिल समझना चाहिए) कर्मचारी को वापिस दिया जायगा, तो इस प्रकार वापिस दी हुई रकम कर्मचारी की उस वर्ष में हुई आमदनी समझी जायगी और उस पर इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स लगेगा।

(२) यदि चन्दा कर्मचारी को उसके जीवन काल में ही वापिस दिया जाता हो, परन्तु नौकरी समाप्त होने पर या उसके सम्बन्ध मे नहीं दिया जाता तो उसे इस प्रकार वापिस दी जाने वाली चन्दे की रकम या ब्याज की रकम से ट्रस्टियों को इन्कम टैक्स काट लेना होगा। इन्कम टैक्स, उस गडपड़ता दर से काटना होगा जो दर कि पिछले तीन वर्षों में उस पर लागू पड़ता हो। यदि फण्ड के सदस्य हुए उसे तीन वर्ष नहीं हुए होंगे तो इस अवधि मे उस पर जो दर लागू पड़ता होगा टैक्स उसी दर से ली जायगी।

इस प्रकार काटी हुई टैक्स केन्द्रीय सरकार के नाम में जमा कर देनी होगी।

—धारा : ५८-एस

(ए) इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख एक रिटर्न पेश करनी होगी जिसमे चन्दे के सम्बन्ध में वे सब विवरण दे देने होंगे जो कि मांगे गये होंगे।

(डी) एक रिटर्न देनी होगी जिसमे

(क) उन सब व्यक्तियों के नाम और पते देने होंगे जिनको फण्ड से एनूइटी मिली है।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को दी गई एनूइटी की रकम दिखानी होगी।

(ग) स्वामी या कर्मचारी को जो चन्दा लौटाया गया हो उसका विवरण तथा ऐसे चन्दों के व्याज का विवरण।

(घ) एन्यूइटी के बदले मे या उसको नकी कर जो रकमे दी गई हों उनका विवरण।

(सी) इन्कम टैक्स ऑफिसर को फण्ड के हिसाब की नकल, नोटिस की तारीख के पहले जब तक हिसाब लिखा गया होगा तब तक की देनी होगी तथा वे सब विवरण और सूचनाएँ देनी होगी जो कि सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवीन्यू वाजिब रूप से माग सके।

—धारा : ५८ भी

७—काटे गये चन्दे आदि को रिटर्न में दिखाना

५९—स्वामी (Employer) कर्मचारी के वेतन में से जो चन्दा काटेगा या उसकी ओर से वह जो चन्दा किसी अपरूव्ड सुपर एनु-एशन फण्ड में देगा उन रकमों को धारा २१ के अनुसार जो रिटर्न दी जायगी उसमें दिखा देना होगा।

—धारा : ५८-डी

८—फण्ड की मंजूरी न रहने पर ट्रस्टियों का दायित्व

६०—यदि कोई फण्ड या उसका कोई भाग किसी हालत में अपरूव्ड सुपरएनुएशन फण्ड नहीं रहता तो उस हालत में भी फण्ड के ट्रस्टियों को निम्न लिखित रकमों के सम्बन्ध में टैक्स के लिए ज़िम्मेदार रहना होगा। :

(ए) जो चन्दे (ब्याज भी शामिल समझना चाहिए) लौटाए गये हों और उनकी रकमों के सम्बन्ध में,

(बी) जो रकमें एन्युइटी के बदले में या उसको चुकती करने के लिए दी गई हों।

परन्तु यह ध्यान रखना तो [illegible] है कि यदि रकम उस चन्दे के [illegible] हो कि फण्ड या उसके किसी भाग के [illegible] होने के बाद दी गई होगी तभी ट्रस्टी उस पर टैक्स के लिए [illegible]

(ए) इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख एक रिटर्न पेश करनी होगी जिसमें चन्दे के सम्बन्ध में वे सब विवरण दे देने होंगे जो कि मांगे गये होंगे।

(डी) एक रिटर्न देनी होगी जिसमें

(क) उन सब व्यक्तियों के नाम और पते देने होंगे जिनको फण्ड से एनूइटी मिली है।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को दी गई एनूइटी की रकम दिखानी होगी।

(ग) स्वामी या कर्मचारी को जो चन्दा लौटाया गया हो उसका विवरण तथा ऐसे चन्दों के ब्याज का विवरण।

(घ) एन्यूइटी के बदले में या उसको नकी कर जो रकमें दी गई हों उनका विवरण।

(सी) इन्कम टैक्स ऑफिसर को फण्ड के हिसाब की नकल, नोटिस की तारीख के पहले जब तक हिसाब लिखा गया होगा तब तक की देनी होगी तथा वे सब विवरण और सूचनाएँ देनी होगी जो कि सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवीन्यू वाजिब रूप से मांग सके।

—धारा : ५८ भी

(ए) इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख एक रिटर्न पेश करनी होगी जिसमें चन्दे के सम्बन्ध में वे सब विवरण दे देने होंगे जो कि मागे गये होंगे।

(डी) एक रिटर्न देनी होगी जिसमें

(क) उन सब व्यक्तियों के नाम और पते देने होंगे जिनको फण्ड से एनूइटी मिली है।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को दी गई एनूइटी की रकम दिखानी होगी।

(ग) स्वामी या कर्मचारी को जो चन्दा लौटाया गया हो उसका विवरण तथा ऐसे चन्दों के व्याज का विवरण।

(घ) एन्यूइटी के बदले में या उसको नकी कर जो रकमें दी गई हों उनका विवरण।

(सी) इन्कम टैक्स ऑफिसर को फण्ड के हिसाब की नकल, नोटिस की तारीख के पहले जब तक हिसाब लिखा गया होगा तब तक की देनी होगी तथा वे सब विवरण और सूचनाएँ देनी होंगी जो कि सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवीन्यू वाजिब रूप से माग सके।

—धारा : ५८ भी

कारबार का मुख्य स्थान जहाँ होगा उस इलाके का इन्कम टैक्स ऑफिसर कर लगा सकेगा।

(२) इसके सिवा और सब हालतों मे एसेसी जहाँ रहता होगा उस जगह का इन्कम टैक्स आफिसर कर लगा सकेगा।

(३) कर लगाने के स्थल के सम्बन्ध मे कोई प्रश्न उपस्थित होने पर उसका निपटारा कमिश्नर करेगा। यदि यह सवाल ऐसे स्थलों के बीच होगा जो एक से अधिक प्रान्तों मे है तो उस हालत मे जिन कमिश्नरों का सम्पर्क होगा वे इसका निपटारा करेंगे। यदि ये कमिश्नर परस्पर एक राय नही होंगे तो इसका निपटारा केन्द्रीय बोर्ड ऑफ रेविन्यू द्वारा किया जायगा।

इस प्रकार का कोई निर्णय करने के पहिले ऐसेसी को अपने विचार रखने का मौका दिया जायगा। धारा २२ ए के अनुसार रिटर्न भरने के बाद, और उसमें अपने कारबार का मुख्य स्थान बतला देने के बाद कोई एसेसी कर लगाने के स्थल के सम्बन्ध मे कोई उज्र नहीं कर सकेगा अथवा यदि उसने ऐसा रिटर्न नही भरा होगा तो धारा २२ (२) अथवा धारा ३४ के अनुसार रिटर्न भरने की नोटिस मे सूचित मुद्दत खलास होने के बाद वह ऐसा उज्र नही उठा सकेगा।

यदि एसेसी कर लगाने के स्थान के सम्बन्ध मे कोई प्रश्न खड़ा करेगा और इन्कम टैक्स आफिसर यदि एसेसी की बात को सही नही समझेगा तो वह निर्णय प्राप्त करने के लिये इस विषय को कर लगाने के पहिले कमिश्नर के पास भेज देगा।

—धारा : ६४

कारबार का मुख्य स्थान जहाँ होगा उस इलाके का इन्कम टैक्स ऑफिसर कर लगा सकेगा।

(२) इसके सिवा और सब हालतों में एसेसी जहाँ रहता होगा उस जगह का इन्कम टैक्स आफिसर कर लगा सकेगा।

(३) कर लगाने के स्थल के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उपस्थित होने पर उसका निपटारा कमिश्नर करेगा। यदि यह सवाल ऐसे स्थलों के बीच होगा जो एक से अधिक प्रान्तों मे हैं तो उस हालत में जिन कमिश्नरों का सम्पर्क होगा वे इसका निपटारा करेंगे। यदि ये कमिश्नर परस्पर एक राय नहीं होंगे तो इसका निपटारा केन्द्रीय बोर्ड ऑफ रेविन्यू द्वारा किया जायगा।

इस प्रकार का कोई निर्णय करने के पहिले ऐसेसी को अपने विचार रखने का मौका दिया जायगा। धारा २२ ए के अनुसार रिटर्न भरने के बाद, और उसमें अपने कारबार का मुख्य स्थान बतला देने के बाद कोई एसेसी कर लगाने के स्थल के सम्बन्ध मे कोई उज्र नहीं कर सकेगा अथवा यदि उसने ऐसा रिटर्न नहीं भरा होगा तो धारा २२ (२) अथवा धारा ३४ के अनुसार रिटर्न भरने की नोटिस में सूचित मुद्दत खलास होने के बाद वह ऐसा उज्र नहीं उठा सकेगा।

यदि एसेसी कर लगाने के स्थान के सम्बन्ध मे कोई प्रश्न खड़ा करेगा और इन्कम टैक्स आफिसर यदि एसेसी की बात को सही नहीं समझेगा तो वह निर्णय प्राप्त करने के लिये इस विषय को कर लगाने के पहिले कमिश्नर के पास भेज देगा।

—धारा : ६४